दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अप्रैल भाग-2

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 4

- 'e-DAR' पोर्टल 4
- नौसेना के स्वदेशीकरण का प्रयास 5
- उड़ान योजना हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार 6
- पारंपरिक चिकित्सा के लिये वैश्विक केंद्र: गुजरात 8
- फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) सिस्टम 11
- अरुणाचल प्रदेश और असम विवाद 13
- भारत में फोन टैपिंग 15
- सरकारी आदेश 111 16
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 17
- दलबदल विरोधी कानून 19
- आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिये ग्रेच्युटी 21
- ओल्गा टेलिस वाद 1985 22
- यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम 23
- विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित विधेयक 26
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 27
- नए आईटी कानून की आवश्यकता 28
- सीआरपीसी (CrPC) की धारा 144 29
- भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर 30
- नागरिक पंजीकरण प्रणाली में संशोधन 34
- साइबर सुरक्षा 34
- आपराधिक न्याय प्रणाली 36
- 'मेन्थॉल' सिगरेट और 'फ्लेवर्ड' सिगार पर प्रतिबंध 37
- एक अधिकारी के इस्तीफे और बहाली के नियम 39

आर्थिक घटनाक्रम 41

- साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस: विश्व बैंक 41
- निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट 42
- निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट 43
- उबला चावल 44
- एमएसएमई वित्त के लिये संसदीय पैनल 46
- निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना 47
- सीवीड की खेती 49
- फिनक्लुवेशन 50
- विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियाँ (SPACs) 51
- 10,000 FPOs का गठन और संवर्द्धन 53
- वर्टिकल फार्मिंग 54
- घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 56
- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: आईएमएफ 57
- मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट 60

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 62

- काला सागर और रूस 62
- भारत-फिनलैंड संबंध 64
- येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद 66
- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 67
- कुरील द्वीप विवाद 68
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 69
- चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल 71

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 73

- बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु 73
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 74
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 77
- आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर 79
- बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा 80
- ब्ल्यू स्ट्रैग्लर तारे 81
- भारत की तकनीकी क्षमता का दोहन 84

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 86

- नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन 86
- ब्लू ब्लॉब 87
- भारत के लिये आर्कटिक की प्रासंगिकता: 88
- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 90
- H_3N_8 बर्ड फ्लू से संबंधित पहला मानव केस 91

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 93

- ज्वालामुखियों पर पूर्व-विस्फोट चेतावनी संकेत 93
- पश्चिमी विक्षोभ 94
- सागर नितल प्रसरण 95

इतिहास 97

- गुरु तेग बहादुर 97

कला एवं संस्कृति सामाजिक न्याय 99

- समेकित बाल विकास योजना 99
- विश्व हीमोफीलिया दिवस 101
- विश्व हीमोफीलिया दिवस 102
- पोलियो 103
- भारत में गरीबी की स्थिति पर शोध पत्र: विश्व बैंक 104
- विश्व मलेरिया दिवस 2022 105
- विश्व बाल और किशोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली 107

आंतरिक सुरक्षा 109

- नगा युद्धविराम समझौते का विस्तार 109
- देशों का सैन्य व्यय 110

चर्चा में 112

- वीर कुंवर सिंह 112
- विश्व धरोहर दिवस 113
- 40वाँ 'हुनर हाट' 114
- वैक्विटा पोरपोइज़ 115
- 'एनएटीपीओएलआरईएक्स-VIII 117
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 118
- मगर :क्रोकोडाइल 119
- पनडुब्बी वाग्शीर 120
- पृथ्वी दिवस 121
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 123
- विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 127
- सौर ऊर्जा उत्पादन और वनाग्नि 128
- क्वार जलविद्युत परियोजना 129
- संग्रहालय अनुदान योजना 130
- MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन योजना 132
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U 2.0) 134

चर्चा में 135

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

'e-DAR' पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 'e-DAR' (ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) नामक पोर्टल विकसित किया है।

- यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है और दुर्घटना के मुआवज़े दावों को तेज़ी से निपटाने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति:

- सड़क सुरक्षा एक प्रमुख विकासात्मक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जो दुनिया भर में मौत एवं चोट का एक प्रमुख कारण बना हुआ है।
- वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क दुर्घटना के कारण वैश्विक स्तर पर 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है, जिसमें से 90% से अधिक लोग विकासशील देशों से और 11% अकेले भारत से होते हैं।
- भारत में वर्ष 2019 में दुर्घटना के कारण हुई मौतों की संख्या 1,51,113 थी।

'e-DAR' पोर्टल के लाभ:

- एकीकृत डेटाबेस: आसान पहुँच के लिये डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
  - वेब पोर्टल को एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) से जोड़ा जाएगा।
  - एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) से 90% से अधिक डेटासेट को एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे ही 'e-DAR' पोर्टल में पहुँचा दिया जाएगा।
  - पुलिस, सड़क प्राधिकरण, अस्पताल आदि जैसे हितधारकों को 'e-DAR' फॉर्म के लिये बहुत कम जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
  - इस प्रकार, 'e-DAR' पोर्टल iRAD का विस्तार एवं ई-संस्करण होगा।
- फर्जी दावों से निपटना: DAR पोर्टल दुर्घटना में शामिल वाहनों, दुर्घटना की तारीख और प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या की व्यापक तलाशी द्वारा फर्जी दावों के खिलाफ जाँच करेगा।
- क्रॉस-प्लेटफॉर्म लिंकेज: पोर्टल को अन्य सरकारी पोर्टलों से जोड़ा जाएगा जिससे वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी विवरण तथा वाहनों के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी।
- दुर्घटना हॉटस्पॉट की पहचान करना: दुर्घटना हॉटस्पॉट की भी पहचान की जाएगी ताकि इन हॉटस्पॉट पर दुर्घटनाओं से बचने हेतु समाधान प्राप्त किया जा सके।

सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य पहलें:

- वैश्विक स्तर:
  - सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (2015):
    - ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए। भारत घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
    - देशों ने सतत् विकास लक्ष्य 3.6 यानी वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों की संख्या में कमी लाने की योजना बनाई है।
  - संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह:
    - यह प्रत्येक दो वर्ष में मनाया जाता है। इसके छठे संस्करण (17 से 23 मई, 2021 तक आयोजित) ने सड़क सुरक्षा के लिये मज़बूत नेतृत्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
  - अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP):
    - यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने हेतु समर्पित है।
- भारत:
  - मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:
    - यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, जुवेनाइल ड्राइविंग आदि के लिये दंड में वृद्धि करता है।
    - यह एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।
    - अधिनियम एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को मंज़ूरी प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाना है।
    - यह मदद करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है।

- सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007:
  - यह अधिनियम सामान्य माल वाहकों के विनियमन से संबंधित प्रावधान करता है, उनकी देयता को सीमित करता है और उन्हें वितरित किये गए माल के मूल्य की घोषणा करता है ताकि ऐसे सामानों के नुकसान या क्षति के लिये देयता का निर्धारण किया जा सके, जो लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण स्वयं, उनके नौकरों या एजेंटों के कारण हुआ हो।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:
  - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि का नियंत्रण, रास्ते का अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का नियंत्रण करने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है तथा साथ ही उन पर अनधिकृत कब्ज़े को हटाने का भी प्रावधान करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:
  - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये एक प्राधिकरण के गठन और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से संबंधित प्रावधान करता है।

नौसेना के स्वदेशीकरण का प्रयास

चर्चा में क्यों?

रक्षा आयात में कटौती एवं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास के अनुरूप नौसेना विशेष रूप से हथियारों एवं विमानन से संबंधित वस्तुओं में स्वदेशीकरण के प्रयासों को तीव्र कर रही है।

- यूक्रेन में चल रहे युद्ध एवं रूसी हथियारों तथा उपकरणों पर भारतीय सेना की बड़े पैमाने पर निर्भरता के कारण स्वदेशीकरण के प्रयासों में और तेज़ी आई है।
- इससे पहले रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 101 वस्तुओं की 'तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण' सूची जारी की है, जिसमें प्रमुख उपकरण/प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

स्वदेशीकरण हेतु नौसेना के प्रयास:

- भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015-2030:
  - वर्ष 2014 में नौसेना ने उपकरण एवं हथियार प्रणाली के स्वदेशी विकास को सक्षम करने के लिये भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (INIP) 2015-2030 को प्रख्यापित किया था।
  - अब तक नौसेना ने इस योजना के तहत लगभग 3400 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया है, जिसमें 2000 से अधिक मशीनरी और बिजली पुर्जे, 1000 से अधिक विमानन पुर्जे और 250 से अधिक हथियार शामिल हैं।
- नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण रोडमैप 2019-22:
  - मौजूदा नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण रोडमैप (NAIR) 2019-22 भी संशोधन के अधीन है।
  - संशोधित NAIR 2022-27 में सभी तेज़ गति वाले विमान अनिवार्य पुर्जे और उच्च लागत वाले स्वदेशी मरम्मत उपकरणों को शामिल किया जा रहा है।
  - फाइट कंपोनेंट (जो कि स्वयं हथियार हैं) पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फ्लोट एवं मूव कंपोनेंट्स की तुलना में इस क्षेत्र में अभी और अधिक कार्य किया जाना है।
  - फ्लोट कंपोनेंट के रूप में जहाज़ होता है, मूव कंपोनेंट्स में 'प्रणोदन' शामिल होता है तथा फाइट कंपोनेंट में हथियार और सेंसर शामिल होते हैं।
- स्वदेशीकरण समितियाँ:
  - नौसेना विमानों के पुर्जों के स्वदेशीकरण की देखभाल के लिये चार आंतरिक स्वदेशीकरण समितियों का गठन किया गया है।
- नौसेना संपर्क प्रकोष्ठ:
  - इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर स्थित नौसेना संपर्क प्रकोष्ठों (NLCs) को 'स्वदेशीकरण प्रकोष्ठ' के रूप में नामित किया गया है।
    - वर्तमान में 41 जहाज़ और पनडुब्बियाँ निर्माणाधीन हैं जिसमे से 39 भारत के शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से भारत में 47 जहाज़ों के निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय की मंज़ूरी प्राप्त है।
    - वर्ष 2014 से आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity- AoN) का 78%, और अनुबंध के 68% मूल्य के आधार पर भारतीय विक्रेताओं को प्रदान किये गए हैं।
    - AoN ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
- DRDO के साथ सहयोग::
  - नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा उद्योग के साथ विकास की समयसीमा में कटौती हेतु कार्य कर रही है।
    - कुछ फोकस क्षेत्रों में स्वदेशी डिज़ाइन और विकसित एंटी-सबमरीन हथियार, सेंसर, सैटकॉम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण, एंटी-शिप मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सॉफ्टवेयर, रेडियो, नेटवर्क एन्क्रिप्शन डिवाइस लिंक II संचार प्रणाली, पनडुब्बियों हेतु मुख्य बैटरी, सोनार प्रणाली, मिसाइलों और टॉरपीडो के घटक आदि शामिल हैं।

- नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO):
  - इसे अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना क्षमता विकास तंत्र के साथ शिक्षा और उद्योग के लिये एक लचीला व सुलभ इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
  - पिछले दो वर्षों में नौसेना कर्मियों द्वारा 36 बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हेतु आवेदन दायर किये गए हैं।
    - NIIO के निर्माण और 12 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बाद से हर महीने दो से अधिक आईपीआर आवेदन दायर किये जा चुके हैं।
- नौसेना परियोजना प्रबंधन टीमों के तहत यूज़र इनपुट:
  - नौसेना ने अब डीआरडीओ के क्लस्टर मुख्यालय में नौसेना परियोजना प्रबंधन टीमों के माध्यम से यूज़र इनपुटका उपयोग किया हैं और ऐसे दो क्लस्टर पहले से ही चालू हैं।
  - ये भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता को विकसित करने हेतु चल रही 15 भविष्य की प्रौद्योगिकियों और 100 से अधिक DRDO परियोजनाओं के लिये प्रत्येक चरण में यूज़र इनपुट प्रदान करने हेतु DRDO प्रयोगशालाओं तथा उनके विकास सह-उत्पादन भागीदारों (Development cum Production Partners- DcPP) के साथ इंटरफेस (Interface) कर चुके हैं।
- मेक I और मेक II:
  - खरीद प्रक्रिया के विभिन्न घरेलू विकास मार्गों के तहत नौसेना के 20 से अधिक मेक I और मेक II पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है।
    - पूंजी अधिग्रहण की 'मेक' श्रेणी मेक इन इंडिया पहल की आधारशिला है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना चाहती है।
    - 'मेक-आई' सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को संदर्भित करता है, जबकि 'मेक-द्वितीय' उद्योग-वित्तपोषित कार्यक्रमों को कवर करता है।
    - 'मेक-I भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लाइट टैंक और संचार उपकरण जैसे बड़े- प्लेटफॉर्मों के विकास में शामिल है।
    - मेक-II श्रेणी में सैन्य हार्डवेयर का प्रोटोटाइप विकास या आयात प्रतिस्थापन के लिये इसका उन्नयन शामिल है जिसके लिये सरकारी धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

रक्षा का स्वदेशीकरण:

- परिचय:
  - स्वदेशीकरण आत्मनिर्भरता और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लिये देश के भीतर किसी भी रक्षा उपकरण के विकास और उत्पादन की क्षमता है।
  - रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
    - रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs) और निजी संगठन रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है तथा सशस्त्र बलों की रक्षा खरीद पर अगले पाँच वर्षों में लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है।
- संबंधित पहल:
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई।
  - आयुध निर्माणी बोर्डों का निगमीकरण।
  - डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज।
  - सृजन पोर्टल: स्वदेशीकरण हेतु वस्तुओं को खरीदने के लिये विक्रेताओं तक पहुँच प्रदान करना।

उड़ान योजना हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना को "नवाचार (सामान्य)- केंद्रीय" श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चुना गया है।

- नागरिक विमानन मंत्रालय 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस को सिविल सेवकों के नागरिकों की सेवा हेतु खुद को समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य में उत्कृष्टता के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के अवसर के रूप में मनाती है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय वर्ष 2026 तक उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (UDAN Regional Connectivity Scheme- RCS) योजना के तहत 1,000 नए मार्गों के साथ भारत में वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार:

- इसका गठन वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के ज़िलों तथा संगठनों द्वारा किये गए असाधारण एवं अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिये किया गया था।
- पुरस्कार में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और 10 लाख रुपए सम्मानित ज़िले या संगठन को प्रोत्साहन के रूप में परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिये दिया जाता है ।

उड़ान (UDAN) योजना:

- लॉन्च:
  - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) के रूप में शुरू किया गया था।
- उद्देश्य:
  - क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र का विकास करना।
  - छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना।
- विशेषताएँ:
  - इस योजना में मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिये परिचालित है।
    - कम सेवा वाले हवाई अड्डे वे होते हैं जिनमें एक दिन में एक से अधिक उड़ानें नहीं होती हैं, जबकि अनारक्षित हवाई अड्डे वे होते हैं जहाँ कोई परिचालन नहीं होता है।
  - केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों की ओर से चयनित एयरलाइंस को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ताकि असेवित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों से संचालन को प्रोत्साहित किया जा सके एवं हवाई किराए को किफायती रखा जा सके।
- अब तक की उपलब्धियाँ:
  - पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी: इस योजना के तहत अब तक 387 मार्गों और 60 हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है, जिनमें से 100 मार्ग अकेले उत्तर-पूर्व के हैं।
    - कृषि उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यात अवसरों को बढ़ाने के लिये 16 हवाई अड्डों की पहचान की गई है, जिससे माल ढुलाई और निर्यात में वृद्धि जैसे दोहरे लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
  - आर्थिक विकास: उड़ान का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उद्योग हितधारकों विशेषकर एयरलाइंस ऑपरेटरों तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे लेकर उत्कृष्ट प्रतिक्रिया देखी गई है।
  - संतुलित क्षेत्रीय विकास: इस योजना के तहत 350 से अधिक नए शहर अब तक जोड़े जा चुके हैं। 200 शहर पहले ही जोड़े जा चुके हैं जो व्यापक रूप में देश के भौगोलिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय आबादी के संतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक विकास और रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से विस्तृत हैं।
    - इस योजना से नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास हुआ जैसे सिक्किम में गंगटोक के पास पाकयोंग, अरुणाचल प्रदेश में तेज़ू और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल।
  - यात्रियों की संख्या में वृद्धि: इस योजना के तहत नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स (Non-Metro Airports) के घरेलू यात्रियों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई है।

उड़ान योजना के विभिन्न चरण

उड़ान 1.0

- इस चरण के तहत 5 एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों (36 नए बनाए गए परिचालन हवाई अड्डों सहित) के लिये 128 उड़ान मार्ग प्रदान किये गए।

उड़ान 2.0

- वर्ष 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 73 ऐसे हवाई अड्डों की घोषणा की जहाँ कोई सेवा प्रदान नही की गई थी या उनके द्वारा की गई सेवा बहुत कम थी।
- उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से जोड़े गए थे।

उड़ान 3.0

- पर्यटन मंत्रालय के समन्वय में उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन मार्गों का समावेश।
- जलीय हवाई अड्डे को जोड़ने के लिये जल विमान का समावेश।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई मार्गों को उड़ान के दायरे में लाना।

उड़ान 4.0

- वर्ष 2020 में देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) के चौथे संस्करण के तहत 78 नए मार्गों के लिये मंज़ूरी दी गई थी।
- लक्षद्वीप के मिनिकॉय, कवरत्ती और अगत्ती द्वीपों को उड़ान 4.0 के तहत नए मार्गों से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

उड़ान 4.1

- उड़ान 4.1 मुख्यत: छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है।
- सागरमाला विमान सेवा के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित हैं।
  - सागरमाला सी-प्लेन सेवा संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे अक्तूबर 2020 में शुरू किया गया था।

आगे की राह:

- एयरलाइंस ने इस योजना का लाभ रणनीतिक रूप से भीड़भाड़ वाले टियर-1 हवाई अड्डों पर अतिरिक्त स्लॉट हासिल करने, मार्गों पर एकाधिकार की स्थिति और कम परिचालन लागत प्राप्त करने की दिशा में उठाया है। इस प्रकार हितधारकों को उड़ान योजना को टिकाऊ बनाने और इसकी दक्षता में सुधार करने की दिशा में काम करना चाहिये।
- एयरलाइंस को मार्केटिंग हेतु पहल करनी चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोग उड़ान योजना का लाभ उठा सकें।
- देश भर में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिये बुनियादी ढाँचे की और अधिक मज़बूत करने आवश्यकता है।

पारंपरिक चिकित्सा के लिये वैश्विक केंद्र: गुजरात

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात के जामनगर में अपनी तरह के पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र/ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM) के लिये शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था।

- इसके अतिरिक्त वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन इस महीने के अंत में गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश और नवाचारों को बढ़ावा देना है।
  - यह दीर्घकालिक साझेदारी और निर्यात को बढ़ावा देने तथा एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने का एक अनूठा प्रयास है।

GCTM की स्थापना का उद्देश्य:

- तकनीकी प्रगति के साथ एकीकरण:
  - केंद्र का लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को तकनीकी प्रगति और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के साथ एकीकृत करना है।
- नीतियाँ और मानक निर्धारित करना:
  - यह पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों पर नीतियों और मानकों को निर्धारित करने की कोशिश करेगा साथ ही देशों को एक व्यापक, सुरक्षित व उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य प्रणाली बनाने में मदद करेगा।
- WHO की रणनीति को लागू करने हेतु समर्थन प्रयास:
  - यह WHO's की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति (2014-23) को लागू करने के प्रयासों का समर्थन करेगा।
    - इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मज़बूत करने के लिये नीतियों और कार्य योजनाओं को विकसित करने में राष्ट्रों का समर्थन करना है।
  - WHO's के अनुमान के अनुसार, दुनिया की 80% आबादी पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है।
  - भारत ने GCTM's की स्थापना, बुनियादी ढाँचे और संचालन का समर्थन करने के लिये अनुमानित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का वादा किया है।
- चार मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान देना:
  - साक्ष्य और अधिगम
  - डेटा और विश्लेषण
  - स्थिरता और इक्विटी
  - वैश्विक स्वास्थ्य के लिये पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को अनुकूलित करने के लिये नवाचार और प्रौद्योगिकी।

पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Medicine):

- परिचय:
  - WHO के अनुसार पारंपरिक चिकित्सा "ज्ञान, कौशल और प्रथाओं का कुल योग है जो स्वदेशी और विभिन्न संस्कृतियों ने समय के साथ स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा शारीरिक एवं मानसिक बीमारी को रोकने, निदान और उपचार करने के लिये उपयोग किया है"।
  - इसकी पहुँच में प्राचीन प्रथाओं जैसे एक्यूपंक्चर (Acupuncture), आयुर्वेदिक दवा और हर्बल मिश्रण के साथ-साथ आधुनिक औषधि भी शामिल हैं।
- भारत में पारंपरिक चिकित्सा:
  - भारत में इसे अक्सर प्रथाओं और उपचारों जैसे कि योग, आयुर्वेद, सिद्ध के रूप में परिभाषित किया जाता है।
    - ये उपचार और प्रथाएँ ऐतिहासिक रूप से और साथ ही अन्य भारतीय परंपरा का हिस्सा रही हैं - जैसे की होम्योपैथी (जो वर्षों से भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है)।

- तमिलनाडु और केरल में मुख्य रूप से सिद्ध प्रणाली का पालन किया जाता है
- सोवा-रिग्पा प्रणाली मुख्य रूप से लेह-लद्दाख तथा हिमालयी क्षेत्रों जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लाहौल और स्पीति में प्रचलित है।

पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता:

- पारंपरिक चिकित्सा में एकीकरण का अभाव:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियाँ और रणनीतियाँ अभी तक पारंपरिक चिकित्सा कर्मियों, मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से एकीकृत नहीं करती हैं।
- जैव विविधता का संरक्षण:
  - जैव विविधता और और उसके स्थिर संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि आज अनुमोदित फार्मास्युटिकल उत्पादों में से लगभग 40% प्राकृतिक पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं।
    - उदाहरण के लिये: एस्पिरिन की खोज विलो पेड़ की छाल का उपयोग कर पारंपरिक चिकित्सा योग पर आधारित थी, गर्भनिरोधक गोली जंगली रतालू पौधों की जड़ों से विकसित की गई थी और कैंसर के उपचार गुलाबी पेरिविंकल पर आधारित थे।
- पारंपरिक चिकित्सा के अध्ययन में आधुनिकीकरण:
  - डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक चिकित्सा के अध्ययन के तरीकों के आधुनिकीकरण का उल्लेख किया है।
    - वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य और रुझानों को मानचित्रित करने के लिये किया जाता है।
    - कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (Functional Magnetic Resonance Imaging) का उपयोग मस्तिष्क गतिविधि और विश्राम प्रतिक्रिया का अध्ययन करने हेतु किया जाता है जो कुछ पारंपरिक चिकित्सा उपचारों जैसे ध्यान और योग का हिस्सा है तथा जिन्हें तनावपूर्ण समय में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये शीघ्रता से तैयार किया जाता हैं।
- अन्य देशों के लिये एक हब के रूप में सेवा करना:
  - पारंपरिक औषधियों को भी मोबाइल फोन एप्स, ऑनलाइन कक्षाओं और अन्य तकनीकों द्वारा व्यापक रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
  - GCTM अन्य देशों के लिये एक हब के रूप में कार्य करेगा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उत्पादों पर मानकों का निर्माण करेगा।

भारत द्वारा पूर्व में किये गए समान सहयोगात्मक प्रयास:

- परियोजना सहयोग समझौता (PCA) :
  - वर्ष 2016 में आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में WHO के साथ एक परियोजना सहयोग समझौते (PCA) पर हस्ताक्षर किये गए।
    - इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा संबंधी चिकित्सकों के लिये योग, आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म में प्रशिक्षण हेतु मानक निर्मित करना था।
    - सहयोग का उद्देश्य डब्ल्यूएचओ की पारंपरिक और पूरक चिकित्सा रणनीति के विकास और कार्यान्वयन में डब्ल्यूएचओ का समर्थन करके पारंपरिक चिकित्सा और उपभोक्ता संरक्षण की गुणवत्ता तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर:
  - अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ताज़िकिस्तान, सऊदी अरब, इक्वाडोर, जापान, रीयूनियन द्वीप, कोरिया और हंगरी इंडोनेशिया के संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं पारंपरिक औषधि के विकास हेतु कम से कम 32 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।।
  - इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत के भीतर और बाहर शोधकर्त्ताओं के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के अवसरों की पहचान करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। पारंपरिक औषधि के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में फाउंडेशन-वित्त पोषित संस्थाओं के साथ सहयोग भी शामिल है।

विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक 2022 का मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक (Draft Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill), 2022 का मसौदा प्रस्तुत किया।

- प्रस्तावित कानून अंतर्राष्ट्रीय विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों को भारतीय एयरलाइन के साथ वित्तीय विवाद के मामले में भारत से बाहर विमानों को स्थानांतरित करने में मदद करेगा, इसके अंतर्गत एक ही समय में कई क्षेत्रीय एयरलाइनों को किराए के लिये विमान लेने से इनकार कर दिया गया है।
- प्रस्तावित कानून भारत के केप टाउन कन्वेंशन में शामिल होने के 14 वर्ष बाद आया है।

मसौदे के प्रमुख बिंदु:

- परिचय: यह विधेयक मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन और विमान उपकरण के लिये विशिष्ट मामलों पर प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करता है जिसे वर्ष 2001 में केप टाउन कन्वेंशन में अपनाया गया था।
    - भारत ने वर्ष 2008 में दो उपकरणों को स्वीकार किया।
    - ये लेनदार के लिये प्राथमिक उपचार और विवादों के लिये कानूनी व्यवस्था बनाने का प्रावधान करते हैं।
- आवश्यकता: यह कानून आवश्यक है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 जैसे कई भारतीय कानून केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के विरोधाभासी हैं।
    - जेट एयरवेज के वर्ष 2019 में बंद होने के बाद, अपने विमान के किराए का भुगतान करने में विफल रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय पट्टे पर देने वाली कंपनियों को विमानों को वापस लेने और निर्यात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
    - इसके अलावा भारतीय संस्थाओं को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कार्यान्वयन कानून की मांग करते हैं।
- उद्देश्य: प्रस्तावित कानून एक विमान वस्तु को वापस लेने या उसकी बिक्री या पट्टे या इसके उपयोग से आय के संग्रह के साथ-साथ डी-पंजीकरण तथा विमानों के निर्यात जैसे उपाय प्रदान करता है।
    - यह एक दावे के अंतिम निर्णय के लंबित होने के साथ-साथ अपने भारतीय खरीदार के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही के दौरान लेनदार के दावे की सुरक्षा के उपायों का भी सुझाव देता है।

केप टाउन कन्वेंशन तथा प्रोटोकॉल:

- पृष्ठभूमि: मोबाइल संबंधी उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में संपन्न हुआ था, जो कि विमान उपकरण संबंधी विशिष्ट मामलों पर प्रोटोकॉल था।
    - कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) और निजी कानून के एकीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT) के संयुक्त तत्वावधान में अपनाया गया था।
    - ICAO एक संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की विशेष एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। भारत इसका एक सदस्य देश है।
- उद्देश्य: उच्च मूल्य वाली विमानन संपत्तियों अर्थात् एयरफ्रेम, विमान इंजन और हेलीकॉप्टरों हेतु तथा अवरोध्य अधिकार (Opposable Rights) प्राप्त करने की समस्या को हल करने हेतु कोई निश्चित स्थान नहीं है।
    - यह समस्या मुख्य रूप से इस कारण उत्पन्न होती है कि कानूनी प्रणालियों में लीज़ समझौतों के लिये अलग-अलग प्रावधान हैं, जो उधार देने वाले संस्थानों के लिये उनके अधिकारों की प्रभावकारिता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न करता है।
    - यह ऐसी विमानन परिसंपत्तियों हेतु वित्तपोषण के प्रावधान को बाधित करता है तथा उधार लेने की राशि को बढ़ाता है।
- कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के लाभ:
    - पूर्वानुमेयता और प्रवर्तनीयता: कन्वेंशन और प्रोटोकॉल प्रतिभूतियों के विरोध तथा विमानन परिसंपत्तियों के विक्रेताओं के होतों के संबंध में पूर्वानुमेयता (Predictability) में सुधार करते हैं।
    - लागत बचत: परिणामी बेहतर कानूनी निश्चितता के माध्यम से कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य लेनदारों के लिये जोखिम और देनदारों को उधार लेने की लागत को कम करना है।
        - यह अत्याधुनिक और इस प्रकार अधिक ईंधन कुशल विमानों के अधिग्रहण के लिये ऋण देने को बढ़ावा देता है।
        - कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को अपनाने वाले राज्यों की एयरलाइंस निर्यात क्रेडिट प्रीमियम पर 10% छूट प्राप्त कर सकती हैं।

निजी कानून के एकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT)

- निजी कानून के एकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT) एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय रोम के विला एल्डोब्रांडिनी में स्थित है।
- इसका उद्देश्य राज्यों और राज्यों के समूहों के बीच निजी और विशेष रूप से वाणिज्यिक कानून के आधुनिकीकरण, सामंजस्य तथा समन्वय हेतु ज़रूरतों एवं विधियों का अध्ययन करना तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समान कानून उपकरणों, सिद्धांतों और नियमों को तैयार करना है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1926 में राष्ट्र संघ के अंग के रूप में हुई थी।
- एक बहुपक्षीय समझौते, यूनिड्रोइट कानून (UNIDROIT Statute) के माध्यम से लीग के विघटन के बाद वर्ष 1940 में इसे फिर से स्थापित किया गया था।
- इसके 63 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें भारत की भी भागीदार है।

फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) सिस्टम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 40 वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य (Unhealthy foods) पदार्थों के सेवन को कम करने में मदद करने हेतु "स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली" को अपनाने की योजना साक्ष्य-आधारित नहीं है तथा यह खरीदार के व्यवहार को बदलने में विफल रही है।

- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI अधिनियम) के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।

प्रमुख बिंदु

भूमिका:

- भारत में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) की सिफारिश पहली बार वर्ष 2014 में FSSAI द्वारा 2013 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी।
- वर्ष 2019 में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम मसौदा पर अधिसूचना जारी किया था ।
  - मसौदा खाद्य पदार्थों पर कलर-कोडेड लेबल (Colour-Coded Labels) को अनिवार्य बनाता है।
- दिसंबर, 2019 में FSSAI ने FOPL को सामान्य लेबलिंग नियमों से अलग कर दिया।
- 15 फरवरी, 2022 को FSSAI ने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) के लिये अपने मसौदा नियमों में "हेल्थ-स्टार रेटिंग सिस्टम" को अपनाने का फैसला लिया।

हेल्थ स्टार रेटिंग (HSR) सिस्टम:

- हेल्थ-स्टार रेटिंग सिस्टम किसी उत्पाद को 1/2 स्टार से 5 स्टार तक की रेटिंग देता है।
- HSR प्रारूप नमक, चीनी और वसायुक्त सामग्री के प्रारूप के आधार पर एक पैकेज्ड खाद्य पदार्थ लो रैंकिंग करता है तथा रेटिंग पैकेज पर मुद्रित की जाती है।
- यह भारत (जो दैनिक जीवन से संबंधित बीमारियों से ग्रसित एक देश है) में इस तरह की पहली रेटिंग होगी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन चुनने के लिये मार्गदर्शन करना है।

फ्रंट-ऑफ-पैक (FoP) लेबलिंग सिस्टम:

- FoP लेबलिंग सिस्टम को लंबे समय से उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्पों में शामिल करने के लिये वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
  - यह ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे सिगरेट के पैकेट पर खपत को हतोत्साहित करने के लिये छवियों के साथ लेबलिंग की जाती है।
- जैसे-जैसे भारत अधिक प्रसंस्कृत और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के साथ आहार में बदलाव का अनुभव कर रहा है तथा यह एक बढ़ते बाज़ार में ये कारक भारत के लिये FoP लेबलिंग की आवश्यकता को प्रेरित करता हैं।
  - यह बढ़ते मोटापे और कई गैर-संचारी रोगों से लड़ने में उपयोगी भूमिका निभाएगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) FoP लेबल को पोषण लेबलिंग सिस्टम के रूप में परिभाषित करता है जो खाद्य पैकेजों के फ्रंट में प्रस्तुत किये जाते हैं और पोषक तत्व सामग्री या उत्पादों की पोषण गुणवत्ता पर सरल, अक्सर ग्राफिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
  - खाद्य पैकेजों के पीछे प्रदान की गई अधिक विस्तृत पोषक घोषणाओं को पूरा करने के लिये इनका प्रयोग किया जाता है।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने उल्लेख किया है कि "FoP लेबलिंग को पोषक तत्वों की घोषणाओं की व्याख्या करने में सहायता करने के लिये डिज़ाइन किया जाता है"

भोजन के लिये स्वास्थ्य रेटिंग प्रणाली की क्या आवश्यकता है?

- स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागत को कम करना:
  - FoPL के लागू होने के बाद से अधिकांश देशों ने सकारात्मक उपभोक्ता व्यवहार से लाभ उठाना शुरू कर दिया है।
  - इसने उन सरकारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागत को कम करने में मदद की है।
    - चिली और ब्राज़ील उन देशों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने फूड पैक पर 'हाई-इन (high-in)' चेतावनी लेबल को अपनाया है, जो अस्वास्थ्यकर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की खपत को कम करने में सफल रहा है।
- एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिये:
  - भारत में फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबलिंग एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक रणनीति का एक प्रमुख घटक है क्योंकि वे उपभोक्ताओं को चीनी, सोडियम, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा और कुल वसा में उच्च उत्पादों की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं जो गैर-संचारी रोग (NCDs) से जुड़े महत्त्वपूर्ण पोषक तत्व हैं।।

संबंधित चिंताएँ:

- सकारात्मक पोषक तत्वों की मास्किंग: अधिकांश उपभोक्ता संगठनों ने 'सकारात्मक पोषक तत्व' के रूप में आपत्ति जताई, जिससे भोजन

में उच्च वसा, नमक और चीनी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा और उद्योग उपभोक्ता को गुमराह करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

- प्रतिबंधित लक्षित समूह: लेबलिंग प्रारूप केवल उन व्यक्तियों को ही लक्षित होता है जो साक्षर और पोषण के प्रति जागरूक हैं।
  - इसके अलावा सीमित सामान्य और पोषण साक्षरता का मतलब है कि पाठ-गहन पोषक तत्वों की जानकारी को समझना मुश्किल है।
- उपभोक्ताओं के भ्रमित होने की संभावना: HSR प्रणाली एक "स्वास्थ्य हेलो" (Health Halo) की ओर ले जा सकती है, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकती है।

आगे की राह:

- सचित्र प्रकाशन पर अधिक ज़ोर:
  - लगभग एक चौथाई भारतीय आबादी निरक्षर है इसलिये सचित्र प्रकाशन बेहतर जुड़ाव और समझ को विकसित करेगा।
  - खाद्य छवियों का लोगो और स्वास्थ्य लाभों के साथ भारत में फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग के लिये प्रतीक आधारित होना फायदेमंद हो सकता है।
- अधिक अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता:
  - पैक लेबलिंग के अनिवार्य करने से पहले मज़बूत शोध एक ऐसे प्रारूप में होना चाहिये जो सभी के लिये समझने योग्य और स्वीकार्य हो।
- विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य रुचि पर आधारित:
  - किसी भी प्रकार के हितों के टकराव से बचने हेतु लेबल चुनने के निर्णय को व्यावसायिक हितों से मुक्त रखा जाना चाहिये।
  - लेबल का चुनाव वैज्ञानिकता पर आधारित होना चाहिये और सार्वजनिक स्वास्थ्य हित चर्चा के केंद्र भी स्थापित में होना चाहिये।

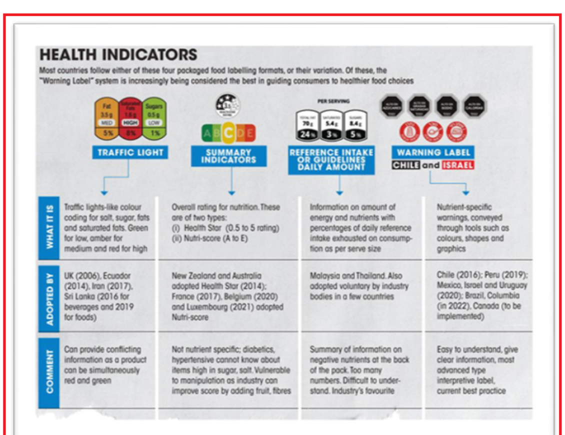

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (पीवाईक्यू)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया है।
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के अधीन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करता है।
- खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 जैसे कई अधिनियमों और फल उत्पाद आदेश, 1955 आदि आदेशों को प्रतिस्थापित किया। अत: कथन 1 सही है।
- FSSAI का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो या तो भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे का पद धारण करता है या रखता है। यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार के अधीन नहीं है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र: स्मार्ट सिटीज़ मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी 100 स्मार्ट शहरों में स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centers -ICCCs) स्थापित किये जाएंगे।

- ये ICCCs स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न राज्यों जैसे- तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में विकसित किये जा रहे है, जो कि ICCCs की कुल संख्या के मामले में अग्रणी हैं।

एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs):

- परिचय:
  - ICCC दिन-प्रतिदिन अपवादों से निपटने और आपदा प्रबंधन के साथ शहर के संचालन प्रबंधन के लिये "तंत्रिका केंद्र" (Nerve Center) के रूप में कार्य करेगा।
  - ICCCs शहर के नगर निगम को स्मार्ट समाधान प्रदान करने तथा शहर की सुरक्षा एवं निगरानी का प्रबंधन करने में मदद करते हैं।
  - केंद्रों में वास्तविक समय निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, महत्त्वपूर्ण और 24x7 मैनुअल रखरखाव को शामिल करने के लिये संचालित योजना में वीडियो वॉल शामिल हैं।
  - स्मार्ट जीवन, स्मार्ट वातावरण, स्मार्ट अर्थव्यवस्था, स्मार्ट शासन, स्मार्ट जनसंख्या और स्मार्ट गतिशीलता को सक्षम करने के लिये केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।
  - बेहतर योजना और नीति निर्माण के लिये खुफिया जानकारी प्राप्त करने हेतु केंद्र समग्र स्तर पर जटिल डेटा समूह को संसाधित कर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
  - ICCCs अब गृह मंत्रालय के तहत अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) से भी जुड़े हुए हैं।
- उद्देश्य:
  - शहर भर में तैनात एकाधिक अनुप्रयोगों में जानकारी एकत्र करने तथा निर्णय लेने वालों को उपयुक्त दृश्य के साथ कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करना है।

स्मार्ट सिटी मिशन:

- स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में:
  - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में "स्मार्ट सॉल्यूशंस" (Smart Solutions) के आवेदन के माध्यम से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता के साथ जीवन जीने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिये 100 शहरों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - मिशन का उद्देश्य विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहरों मंश रहने वाली भारतीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
- विशेषताएँ:
  - इसके रणनीतिक घटकों में 'क्षेत्र-आधारित विकास' जिसमें शहर सुधार (Retrofitting), शहर नवीनीकरण (Redevelopment) और शहर विस्तार (Greenfield Development) शामिल हैं, साथ ही एक पैन-सिटी पहल, जिसमें शहर के बड़े हिस्से को कवर करते हुए 'स्मार्ट समाधानों' को लागू किया जाता हैं।
  - योजना के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पैदल मार्ग का निर्माण, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल ट्रैक, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत यातायात प्रबंधन और मूल्यांकन शामिल हैं।
  - यह योजना शहरी विकास को ट्रैक करने हेतु विभिन्न सूचकांकों का भी आकलन करती है जैसे- जीवन सुगमता सूचकांक, नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक, सिटी जीडीपी फ्रेमवर्क, जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढाँचा आदि।
- स्थिति:
  - SCM के कार्यान्वयन की अवधि जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।
  - SCM ने अब तक 140 से अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी, 340 'स्मार्ट सड़कों', 78 'जीवंत सार्वजनिक स्थानों', 118 'स्मार्ट वाटर' परियोजनाओं और 63 से अधिक सौर परियोजनाओं को कवर किया है।

स्मार्ट सिटी:

- स्मार्ट सिटी की कोई मानक परिभाषा या खाका नहीं है। हमारे देश के संदर्भ में स्मार्ट सिटी की अवधारणा जिन छह मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, वे इस प्रकार हैं:

शहरी विकास से संबंधित पहलें:

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन- अमृत मिशन (AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
- ट्यूलिप- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम

अरुणाचल प्रदेश और असम विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकारों ने सीमा विवादों के समाधान हेतु ज़िला स्तरीय समितियों (District-level Committees) को गठित करने का निर्णय लिया है।

- ये ज़िला समितियाँ दोनों राज्यों की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जातीयता, निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लंबे समय से लंबित मुद्दे के ठोस समाधान खोजने हेतु विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य करेंगी।

प्रमुख बिंदु

देश में सीमा विवाद:

- असम-अरुणाचल प्रदेश:
  - असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किमी की अंतर-राज्यीय सीमा साझा करता है। वर्ष 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा है कि पारंपरिक रूप से इसके निवासियों की कुछ भूमि असम को दे दी गई है।
  - एक त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल में स्थानांतरित किया जाए। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्य न्यायालय की शरण में हैं।
- असम-मिज़ोरम:
  - मिज़ोरम एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले असम का एक ज़िला हुआ करता था जो बाद में एक अलग राज्य बना।
  - मिज़ोरम की सीमा असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज ज़िलों से लगती है।
  - समय के साथ सीमांकन को लेकर दोनों राज्यों की अलग-अलग धारणाएँ बनने लगीं।
  - मिज़ोरम चाहता है कि यह बाहरी प्रभाव से आदिवासियों की रक्षा के लिये वर्ष 1875 में अधिसूचित एक आंतरिक रेखा के साथ हो, जो मिज़ो को उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि का हिस्सा लगता है, असम का मानना है कि सीमा का निर्धारण बाद में तैयार की गई ज़िला सीमाओं के अनुसार किया जाए।
- असम-नगालैंड:
  - वर्ष 1963 में नगालैंड के गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है।
  - दोनों राज्य असम के गोलाघाट ज़िले के मैदानी इलाकों के बगल में एक छोटे से गाँव मेरापानी पर अपना दावा करते हैं।
  - 1960 के दशक से इस क्षेत्र में हिंसक झड़पों की खबरें आती रही हैं।
- असम-मेघालय:
  - मेघालय ने करीब एक दर्ज़न क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर राज्य की सीमाओं को लेकर असम के साथ उसका विवाद है।
- हरियाणा-हिमाचल प्रदेश:
  - दो का उत्तरी राज्यों का परवाणू क्षेत्र पर सीमा विवाद है, जो हरियाणा के पंचकुला ज़िले के समीप स्थित है।
  - हरियाणा ने इलाके की एक बड़ी ज़मीन पर अपना दावा किया है और हिमाचल प्रदेश पर हरियाणा के कुछ पहाड़ी इलाके पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है।
- लद्दाख-हिमाचल प्रदेश:
  - लद्दाख और हिमाचल दोनों केंद्रशासित प्रदेश सरचू क्षेत्र पर अपना का दावा करते हैं, जो लेह-मनाली राजमार्ग से यात्रा करने वालों के लिये एक प्रमुख पड़ाव बिंदु है।
  - यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले और लद्दाख के लेह ज़िले के बीच स्थित है।
- महाराष्ट्र-कर्नाटक:
  - शायद देश में सबसे बड़ा सीमा विवाद बेलगाम ज़िले को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है।
  - बेलगाम में मराठी और कन्नड़ दोनों भाषी लोगों की एक बड़ी आबादी है तथा दोनों राज्यों के बीच अतीत में इस क्षेत्र में संघर्ष हुए हैं।
  - यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के समय बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसे कर्नाटक में शामिल कर लिया गया।

अंतर्राज्यीय सीमा विवाद अनसुलझे क्यों हैं ?

- भाषायी आधार पर पुनर्गठन का विचार: हालाँकि राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 प्रशासनिक सुविधा पर आधारित था फिर भी पुनर्गठित राज्य काफी हद तक एक भाषा एक राज्य के विचार से मिलते जुलते थे।
- भौगोलिक जटिलता: दूसरी जटिलता इस क्षेत्र की रही है, जहाँ नदियाँ, पहाड़ियाँ और जंगल कई जगहों पर दो राज्यों में फैले हुए हैं व सीमाओं को भौतिक रूप से चिह्नित नहीं किया जा सकता है।
  - औपनिवेशिक मानचित्रों ने असम के बाहर पूर्वोत्तर के बड़े इलाकों को "घने जंगलों" (Thick Forests) के रूप में छोड़ दिया था या उन्हें "अन्वेषित" (Unexplored) के रूप में चिह्नित किया था।
- स्वदेशी समुदाय: अधिकांश भाग के स्वदेशी समुदाय अकेले रह गए थे। प्रशासनिक सुविधा के लिये सीमाएँ "ज़रूरत" पड़ने पर ही खींची गई थीं।
  - वर्ष 1956 के सीमांकन ने विसंगतियों का समाधान नहीं किया।
  - जब असम (वर्ष 1963 में नगालैंड, वर्ष 1972 में मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर तथा वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश) से नए राज्य बनाए गए थे, तब भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया था।

आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान का एक विकल्प हो सकता है।

- संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद से विवादों की जाँच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय हेतु सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह सामाजिक और आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित मामलों में प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लिये सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र व राज्य सरकारों दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था तब उसकी राजधानी किसे बनाया गया था? (2008)

(a) गुंटूर
(b) कुर्नूल
(c) नेल्लोर
(d) वारंगल

उत्तर: (b)

- 1953 में आमरण अनशन के कारण पोट्टी श्रीरामुलु (जिसे अमरजीवी कहा जाता है) की मृत्यु के बाद, आंध्र राज्य को तेलुगू भाषी उत्तरी ज़िलों - रायलसीमा और तटीय आंध्र के समूह के साथ भाषायी आधार पर मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था। लेकिन वर्ष1956 में ही वर्तमान तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया गया था तथा यह आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित होने वाला पहला राज्य बना।
- कुर्नूल आंध्र राज्य की राजधानी थी तथा वर्ष 1956 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया।

भारत में फोन टैपिंग

चर्चा में क्यों?

फोन टैपिंग क्या है और भारत में फोन टैपिंग कैसे की जाती है?

- फोन टैपिंग का तात्पर्य जानकारी प्राप्त करने के लिये गुप्त रूप से किसी संचार चैनल (विशेष रूप से टेलीफोन) की वार्ता को सुनना या रिकॉर्ड करना है। इसे कुछ देशों (मुख्य रूप से USA में) 'वायर-टैपिंग' (Wiretapping) या अवरोधन (Interception) के रूप में भी जाना जाता है।
- फोन टैपिंग केवल अधिकृत तरीके से संबंधित विभाग की अनुमति लेकर ही की जा सकती है।
- फोन टैपिंग यदि अनधिकृत तरीके से की जाती है तो यह अवैध है और इससे गोपनीयता भंग होने पर ज़िम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, 'किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा'।
  - एक नागरिक को व्यक्तिगत निजता के अलावा अपने परिवार, शिक्षा, विवाह, मातृत्व, बच्चे और वंश वृद्धि आदि के संबंध में गोपनीयता का अधिकार है।

फोन टैपिंग कौन कर सकता है?

- राज्य स्तर पर:
  - राज्यों में पुलिस को फोन टैप करने का अधिकार है।
- केंद्रीय स्तर पर:
  - इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW), सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय, दिल्ली पुलिस आयुक्त।

भारत में फोन टैपिंग को नियंत्रित करने वाले कानून:

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885:
  - अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार, कोई भी सार्वजनिक आपातस्थिति होने पर या जन सुरक्षा के हित में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा फोन टैपिंग की जा सकती है।
  - यह आदेश तब जारी किया जा सकता है यदि केंद्र या राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि "भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था अथवा किसी अपराध को रोकने के लिये" सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है।
- अपवाद:
  - केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसकी उप-धारा के अंतर्गत उनके प्रसारण को प्रतिबंधित न किया गया हो।
  - सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में टैपिंग के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है।

फोन टैपिंग हेतु प्राधिकार:

- फोन टैपिंग करने का प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 की धारा 419A में किया गया है।

- केंद्र सरकार के मामले में फोन टैपिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा दिये गए आदेश के तहत की जा सकती है।
- राज्य सरकार के मामले में फोन टैपिंग राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव द्वारा दिये गए आदेश के तहत की जा सकती है।

- आपातकालीन स्थिति में:
  - ऐसी स्थिति में एक ऐसे अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है, जो भारत के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो और जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत किया गया हो।
  - दूरदराज़ के क्षेत्रों में या संचालन संबंधी कारणों से यदि पूर्व निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं है, तो केंद्रीय स्तर पर अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, साथ ही राज्य के स्तर पर अधिकृत अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो।
  - प्राप्त आदेश के संबंध में तीन दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है, जिसे सात कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।
    - यदि सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि निर्धारित सात दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसा अवरोधन (इंटरसेप्शन) स्वत: समाप्त हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया।

उपचार:

- अंतिम उपाय के रूप में:
  - कानून में स्पष्ट किया गया है कि इंटरसेप्शन का आदेश तभी दिया जाना चाहिये जब सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका न बचा हो।
- इंटरसेप्शन का नवीनीकरण:
  - इंटरसेप्शन के निर्देश लागू रहते हैं, लेकिन यह अनुमति केवल 60 दिनों के लिये वैध होती है।
    - इंटरसेप्शन के निर्देश को परिवर्तित किया जा सकता है,लेकिन इसे 180 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- आवश्यक कारण:
  - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए किसी भी आदेश में आवश्यक कारण होने चाहिये,और उसकी एक प्रति समीक्षा समिति को सात कार्य दिवसों के भीतर अग्रेषित की जानी चाहिये।
    - केंद्र में समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें कानून और दूरसंचार सचिव सदस्य होते हैं।
    - राज्यों में इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें कानून और गृह सचिव सदस्य होते हैं।
    - समिति से अपेक्षा की जाती है कि सभी अवरोधन (इंटरसेप्शन) अनुरोधों की समीक्षा के लिये दो महीने में कम-से-कम एक बार बैठक अवश्य करे।
- अभिलेखों को नष्ट करना:
  - नियमों के तहत ऐसे निर्देशों से संबंधित रिकॉर्ड हर छह महीने में नष्ट कर दिये जाएंगे, जब तक कि ये कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिये ज़रूरी न हों या होने की संभावना न हो।
  - सेवा प्रदाताओं को भी अवरोधन (इंटरसेप्शन) बंद करने के दो महीने के भीतर अवरोधन (इंटरसेप्शन) के निर्देशों से संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट करने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- 'निजता के अधिकार' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के बीच के संबंध को न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया, साथ ही व्यक्तिगत संचार को भी टैप करने की आवश्यकता है।
- व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता सर्वोपरि है लेकिन जब सार्वजनिक आपातस्थिति या जनहित में सुरक्षा की बात आती है तो किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग करते हुए व एकत्रित की गई जानकारी की संवेदनशील प्रकृति के कारण गोपनीय रखते हुए न्यायालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये।
- न्यायालय द्वारा नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिये एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत प्रक्रिया स्थापित की जाए ताकि अधिकारों का दुरुपयोग न हो।

सरकारी आदेश 111

चर्चा में क्यों?

पर्यावरणविद् और कार्यकर्त्ता हैदराबाद में ऐतिहासिक उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों की रक्षा करने वाले 25 वर्ष पुराने सरकारी आदेश (GO) 111 को वापस लेने के लिये तेलंगाना सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह आसपास के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देगा।

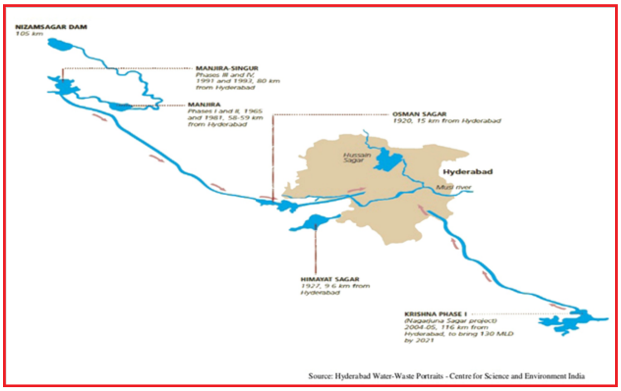

Source: Hyderabad Water-Waste Portraits - Centre for Science and Environment India

दो झीलों की रक्षा करने वाला सरकारी आदेश:

- 8 मार्च, 1996 को तत्कालीन (अविभाजित) आंध्र प्रदेश सरकार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर झीलों के जलग्रहण क्षेत्र में 10 किमी. के दायरे में विकास या निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिये GO 111 जारी किया था।
- शासन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, आवासीय कालोनियों, होटलों आदि की स्थापना पर रोक लगा दी थी।
- प्रतिबंधों का उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा करना तथा जलाशयों को प्रदूषण मुक्त रखना था।
    - झीलें लगभग 70 वर्षों से हैदराबाद को पानी की आपूर्ति कर रही थीं और उस समय ये झीलें शहर के लिये पीने के पानी का मुख्य स्रोत थीं।

जलाशयों के निर्माण का कारण और समयावधि:

- हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिये कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी मुसी (जिसे मूसा या मुचकुंडा के नाम से भी जाना जाता है) पर बाँध बनाकर जलाशयों का निर्माण किया गया था।
- वर्ष 1908 में छठे निज़ाम महबूब अली खान (1869-1911) के शासनकाल के दौरान एक बड़ी बाढ़ (जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे), के बाद बाँधों के निर्माण का प्रस्ताव आया था।
- झीलें अंतिम निज़ाम, उस्मान अली खान (1911-48) के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आईं। उस्मान सागर वर्ष 1921 में तथा हिमायत सागर वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुआ। उस्मान सागर में निज़ाम का गेस्टहाउस अब एक विरासत भवन है।

सरकार द्वारा GO 111 को वापस लेने का कारण:

- शहर अब पानी की आपूर्ति हेतु इन दो जलाशयों पर निर्भर नहीं है तथा जलग्रहण क्षेत्र में विकास पर प्रतिबंधों को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- हैदराबाद की पेयजल आवश्यकता 600 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) से अधिक है, जिसे कृष्णा नदी सहित अन्य स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

पर्यावरणविद् और कार्यकर्त्ताओं के विचार:

- पर्यावरणविद् और कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि ये जलाशय अभी भी शहर के लिये एक महत्त्वपूर्ण जल स्रोत हैं।
- मज़बूत रियल एस्टेट लॉबी के कारण उनके चारों ओर एक विशाल कंक्रीट का जंगल बन जाएगा।
- दो झीलों के आस-पास के क्षेत्र में पहले से ही 10,000 से अधिक अवैध निर्माण गतिविधियाँ जारी हैं।
- शहर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित जलाशय दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय गुणवत्तापूर्ण हवा प्रदान करते हैं। उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।
- जुड़वाँ जलाशयों और पूरे क्षेत्र के बीच मुरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान शहर के लिये गर्मी अवशोषण इकाई के रूप में कार्य करते हैं, अगर यहाँ कंक्रीट कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो शहर अर्बन हीट आइलैंड में परिवर्तित हो जाएगा।

कृष्णा नदी:

- स्रोत: इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- ड्रेनेज: यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले चार राज्यों- महाराष्ट्र (303 किमी), उत्तरी कर्नाटक (480 किमी) और शेष 1300 किमी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- सहायक नदियाँ: तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वर्ना, डिंडी, मुसी और दूधगंगा।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में 24 अप्रैल, 2022 को 12वाँ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया।

- प्रधानमंत्री ने 'गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SWAMITVA) या स्वामित्व योजना के तहत ई-संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस:

- पृष्ठभूमि:
    - पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

- यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियमन का प्रतीक है।

- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार:
  - पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके अच्छे कार्य के लिये पुरस्कृत करता रहा है।
  - यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिये जाते हैं:
    - दीन दयाल उपाध्याय पंचायत शक्तीकरण पुरस्कार।
    - नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार।
    - बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार।
    - ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार।
    - ई-पंचायत पुरस्कार (केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया)।

पंचायती राज:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
- स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution) को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
- पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (Rural Local Self-government) की एक प्रणाली है।
  - स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन।
- देश भर के पंचायती राज संस्थानों (PRI) में ई-गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिये पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने एक वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) लॉन्च किया है।
  - यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है। एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन, स्थानीय सरकार निर्देशिका (Local Government Directory- LGD) एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System- PFMS) के साथ इसका संयोजन ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग व ट्रैकिंग करता है।

73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएँ:

- 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में "पंचायतों" शीर्षक से भाग IX जोड़ा गया।
- लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं (ग्राम) को रखा गया जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं।
- उन राज्यों जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है ,को छोड़कर ग्राम, मध्यवर्ती (प्रखंड/तालुका/मंडल) और ज़िला स्तरों पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली लागू की गई है (अनुच्छेद 243B)।
- सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है [अनुच्छेद 243C(2)]।
- सीटों का आरक्षण:
  - अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये सीटों का आरक्षण किया गया है तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किये गए हैं।
  - उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।
  - सभी स्तरों पर अध्यक्षों के एक-तिहाई पद भी महिलाओं के लिये आरक्षित हैं (अनुच्छेद 243D)।
- कार्यकाल:
  - पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।
  - पंचायतों के नए चुनाव उनके कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिये जाने चाहिये (अनुच्छेद 243E)।
- मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिये प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे (अनुच्छेद 243K)।
- पंचायतों की शक्ति: पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिये अधिकृत किया गया है (अनुच्छेद 243G)।
- राजस्व का स्रोत (अनुच्छेद 243H): राज्य विधायिका पंचायतों को निम्नलिखित के लिये अधिकृत कर सकती है:
  - राज्य के राजस्व से बजटीय आवंटन।
  - कुछ करों के राजस्व का हिस्सा।
  - राजस्व का संग्रह और प्रतिधारण।
- प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी (अनुच्छेद 243I)।

- छूट:
  - यह अधिनियम सामाजिक-सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से नगालैंड, मेघालय तथा मिज़ोरम एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
    - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में पाँचवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र।
    - मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिये ज़िला परिषदें मौजूद हैं।
    - पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग ज़िले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिये दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है।
  - हालाँकि संसद ने पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 [The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act-PESA] के माध्यम से भाग 9 और 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के प्रावधानों को बढ़ाया है।
    - वर्तमान में 10 राज्य (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना) पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न: स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है। (2017)

(a) संघवाद

(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

(c) प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल

(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. किसी भी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य बनने के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
2. समयपूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिये ही मान्य होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिये आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारतीय संविधान की धारा 243ई(4) के अनुसार, पंचायत की अवधि की समाप्ति से पहले एक पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिये ही कार्य करती है। अत: कथन 2 सही है। अत: विकल्प (B) सही उत्तर है।

दलबदल विरोधी कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में मौजूद दलबदल विरोधी कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये इसमें संशोधन करने का समय आ गया है।

दलबदल विरोधी कानून:

- दल-बदल विरोधी कानून संसद/विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है।
- संसद ने इसे 1985 में दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा। इसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित कर सरकारों में स्थिरता लाना था।
  - दसवीं अनुसूची जिसे दलबदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिये प्रावधान निर्धारित करता है।
- हालाँकि यह सांसद/विधायकों के एक समूह को दलबदल के लिये दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने (अर्थात् विलय) की अनुमति देता है। इस प्रकार यह दलबदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिये राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है।
  - 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था।
  - 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, दलबदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।
- इस प्रकार इस कानून के तहत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं।

- दलबदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिये मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि 'न्यायिक समीक्षा' के अधीन होता है।
    - हालाँकि कानून एक समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दलबदल के मामले का फैसला करना होता है।

अयोग्यता का आधार:

- यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है।
- यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
    - उसकी अयोग्यता के लिये पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिये।
- यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- यदि छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

दलबदल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे:

- प्रतिनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना:
    - दलबदल विरोधी कानून के लागू होने के पश्चात् सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है।
    - यह उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपने निर्णय के अनुरूप वोट देने की स्वतंत्रता नहीं देता है जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमज़ोर होता है।
- अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका:
    - दल-बदल विरोधी मामलों में सदन के अध्यक्ष या स्पीकर की कार्रवाई की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है।
        - कुछ मामलों में छह महीने और कुछ में तीन वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो अवधि समाप्त होने के बाद निपटाए जाते हैं।
- विभाजन की कोई मान्यता नहीं:
    - 91वें संवैधानिक संशोधन 2004 के कारण दलबदल विरोधी कानून ने दलबदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया।
    - हालाँकि यह संशोधन किसी पार्टी में 'विभाजन' को मान्यता नहीं देता है बल्कि इसके बजाय 'विलय' को मान्यता देता है।
- चुनावी जनादेश का उल्लंघन:
    - दलबदल उन विधायकों द्वारा चुनावी जनादेश का अपमान है जो एक पार्टी के टिकट पर चुने जाते हैं, लेकिन फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के लालच के चलते दूसरे में स्थानांतरित होना सुविधाजनक समझते हैं।
- सरकार के सामान्य कामकाज पर प्रभाव:
    - 1960 के दशक में विधायकों द्वारा लगातार दलबदल की पृष्ठभूमि के खिलाफ कुख्यात "आया राम, गया राम" का नारा गढ़ा गया था। दलबदल के कारण सरकार में अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन प्रभावित होता है।
- हॉर्स-ट्रेडिंग को बढ़ावा:
    - दलबदल विधायकों के खरीद-फरोख्त को भी बढ़ावा देता है जो स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ माना जाता है।
- केवल थोक दलबदल की अनुमति:
    - यह थोक दलबदल (एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन) की अनुमति देता है लेकिन खुदरा दलबदल (बारी-बारी से या एक-एक करके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन) की अनुमति नहीं देता। अत: इसमें निहित खामियों को दूर करने के लिये संशोधन की आवश्यकता है।
    - उन्होंने चिंता जताई कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरान उसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिये।

सुझाव:

- चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि दलबदल के मामलों में इसके लिये निर्णायक प्राधिकारी होना चाहिये।
- दूसरों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को दलबदल याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि संसद को उच्च न्यायपालिका के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिये ताकि दलबदल के मामलों का तेज़ी और निष्पक्ष रूप से फैसला किया जा सके।
- कुछ टिप्पणीकारों ने कहा है कि यह कानून विफल हो गया है और इसे हटाने की सिफारिश की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सुझाव दिया है कि यह केवल अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरकारों को बचाने के लिये लागू होता है।

आगे की राह

- मूल समस्या की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से किसी राजनीतिक समस्या का कानूनी समाधान खोजने के प्रयास में निहित है।

- यदि सरकार की अस्थिरता का कारण दलबदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाना है तो इसके लिये इन दलों के आंतरिक लोकतंत्र को मज़बूत करना होगा ताकि पार्टी विखंडन की घटनाओं को रोका जा सके।
- भारत में राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने वाले कानून की अत्यंत आवश्यकता है। इस तरह के कानून में राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (RTI) के दायरे में लाया जाना चाहिये, साथ ही पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मज़बूत करना चाहिये।
- प्रतिनिधि लोकतंत्र में दल-बदल विरोधी कानून के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिये, कानून के विस्तार को केवल उन कानूनों तक सीमित किया जा सकता है, जहाँ सरकार की हार से विश्वास समाप्त हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून संबंधी उपबंध हैं?

(a) दूसरी अनुसूची
(b) पाँचवीं अनुसूची
(c) आठवीं अनुसूची
(d) दसवीं अनुसूची

उत्तर: (d)

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिये ग्रेच्युटी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ग्रेच्युटी (Gratuity) के हकदार हैं, जो कि एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा उपाय है।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय का मत:

- न्यायालय ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के उनके अधिकार को मान्यता दी है।
- न्यायालय ने रेखांकित किया कि केंद्र और राज्यों के लिये आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने पर "सामूहिक रूप से विचार" (Collectively Consider) करने का यह उचित समय है।
- न्यायालय ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि सार्वजनिक नीति में एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme- ICDS) पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - यह योजना "बाल और महिला अधिकारों की प्राप्ति हेतु एक संस्थागत तंत्र" के रूप में कार्य करती है।
    - फिर भी इन सेवाओं को लागू करने योग्य अधिकारों के बजाय राज्य चैरिटी के रूप में माना जाता है।
- इस प्रकार सेवाओं के वितरण और सामुदायिक भागीदारी में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उनकी सेवा शर्तों पर फिर से विचार करना आवश्यक है।

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता:

- आँगनवाड़ी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत में ग्रामीण बच्चों और मातृ देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करती है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा बच्चों के भूख एवं कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये ICDS कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी।
- आँगनवाड़ी केंद्र छह प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं: पूरक पोषण, प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा निर्दिष्ट सेवाएँ।
- आँगनवाड़ी सेवा योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान आधार के अंतर्गत की जाती है।

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का महत्त्व:

- अदालत ने माना है कि लगभग 158 मिलियन बच्चें "जो देश के भावी संसाधन है", की पोषण संबंधी ज़रूरतों का आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिकाएँ ख्याल रखती हैं।
    - वे ज़मीनी स्तर पर महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और ICDS के तहत सरकार एवं लाभार्थियों के बीच सेतु का कार्य करती हैं।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं ने वंचित क्षेत्रों में वंचित समूहों की ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य किया है।
    - वे ICDS की रीढ़ हैं।
- सामाजिक बाल देखभाल महिलाओं की आज़ादी में योगदान करता है।
    - यह बच्चों की देखभाल के बोझ को हल्का करता है, महिलाओं के लिये रोज़गार का संभावित स्रोत प्रदान करता है, साथ ही उन्हें महिला संगठन बनाने का अवसर भी प्रदान करता है।

ग्रेच्युटी (उपदान):

- ग्रेच्युटी एक ऐसा लाभ है जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत देय है।
- ग्रेच्युटी एक वित्तीय घटक है जो एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को संगठन में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के सम्मान में दिया जाता है।

- यह किसी कर्मचारी को मिलने वाले वेतन का एक हिस्सा होता है और इसे एक लाभ योजना के रूप में देखा जा सकता है, जिसे किसी व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति पर उसकी सहायता करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- एक नियोक्ता द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान तब किया जाता है, जब कोई कर्मचारी कम-से-कम 5 वर्ष की अवधि के लिये किसी संगठन की सेवा करने के बाद नौकरी छोड़ देता है।
  - इसे एक कर्मचारी को नियोक्ता की निरंतर सेवा प्रदान करने हेतु वित्तीय "धन्यवाद" के रूप में भी माना जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. घर की सबसे उम्रदराज़ महिला, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है, राशन कार्ड जारी करने के लिये घर की मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा उसके बाद छह महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का 'टेक-होम राशन' मिलता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 3

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित किया गया है।
- 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में बदलाव को चिह्नित किया।

ओल्गा टेलिस वाद 1985

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में कहा गया कि जहाँगीरपुरी (दिल्ली) मामले में फुटपाथ के निवासी, आतिक्रमणकारियों से भिन्न हैं, जो आगामी निर्णयों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न:

- पृष्ठभूमि: यह मामला 1981 में तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे नगर निगम ने फैसला किया कि बॉम्बे शहर में फुटपाथ एवं झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बेदखल किया जाना चाहिये तथा उन्हें "उनके मूल स्थान या बॉम्बे शहर के बाहर के क्षेत्रों पर निर्वासित किया जाना चाहिये।"
- फुटपाथ पर रहने वालों के जीवन के अधिकार का प्रश्न: एक मुख्य प्रश्न यह था कि क्या फुटपाथ पर रहने वाले को बेदखल करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके गारंटीशुदा आजीविका के अधिकार से वंचित करना होगा।
  - अनुच्छेद 21 के अनुसार, "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।
  - भारत में लगभग दो करोड़ लोग फुटपाथ पर रहने वालों में शामिल हैं।
- अतिक्रमण हटाने के लिये पूर्व स्वीकृति का प्रश्न: संविधान पीठ को यह निर्धारित करने के लिये भी कहा गया था कि क्या बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 में शामिल प्रावधान, मनमाने और अनुचित तथा बिना किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की अनुमति प्रदान करते हैं।
- अतिक्रमण पर प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल की जाँच करने का भी निर्णय लिया कि क्या फुटपाथ पर रहने वालों को अतिचारियों (Trespassers) के रूप में चिह्नित करना संवैधानिक रूप से अनुचित होगा।

ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, 1985 मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985, (Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation judgment in 1985) में न्यायालय ने निर्णय दिया कि फुटपाथ पर रहने वालों को बिना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दिये बिना बेदखल करना असंवैधानिक है।
  - यह उनके आजीविका के अधिकार (Right to Livelihood) का उल्लंघन है।
- न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वालों को केवल आतिक्रमणकारी मानने वाले प्राधिकारियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
  - "वे (फुटपाथ पर रहने वाले) निहायत खराब आर्थिक स्थिति के कारण ज़्यादातर गंदी या दलदली जगहों पर रहने की जगह ढूँढ लेते हैं।

राज्य सरकार का बचाव:

- विबंधन (Estoppel) का प्रश्न: राज्य सरकार और निगम ने विरोध किया कि फुटपाथ पर रहने वालों को रोका जाना चाहिये।
  - विबंधन (Estoppel) एक न्यायिक उपकरण है जिसके द्वारा एक अदालत किसी व्यक्ति को दावा करने से 'रोक' सकती है।
  - विबंधन किसी को यह दावा करने से रोक सकता है कि फुटपाथ पर उसके द्वारा बनाई गई झोपड़ी को उसके आजीविका के अधिकार के कारण ध्वस्त नहीं किया जा सकता है।
- सार्वजनिक रास्ते का अधिकार: वे फुटपाथ या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण करने और झोपड़ियों को बनाने के किसी भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों को उन रास्तों पर आवाजाही का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय:

- विबंधन पर: अदालत ने विबंधन के सरकार के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "संविधान के खिलाफ कोई विबंधन नहीं हो सकता।" .
  - कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर रहने वालों के जीवन का अधिकार दाँव पर लगा है।
- आजीविका के अधिकार पर: आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक "अभिन्न घटक" है।
  - यदि आजीविका के अधिकार को जीने के संवैधानिक अधिकार के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि उसे उसकी आजीविका के साधन से वंचित कर दिया जाए।
- पूर्व सूचना पर: दूसरे प्रश्न कि क्या वैधानिक प्राधिकारियों को बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने वाले कानून के प्रावधान मनमाना थे।
  - ऐसे अधिकारों को 'अपवाद' के रूप में संचालित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, न कि "सामान्य नियम" की भाँति।
  - बेदखली की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पक्ष में होनी चाहिये जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करती हो जैसे- दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना।
  - सुनवाई का अधिकार पीड़ित व्यक्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और गरिमा के साथ अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करता है।
- अतिचार: अदालत ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को अतिचारी मानने वाले अधिकारियों पर कड़ी आपत्ति जताई है।
  - शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग "बेहद बेबसी से गंदे फुटपाथों" पर रहते हैं, न कि किसी को अपमानित करने, डराने या परेशान करने के उद्देश्य से।
  - वे फुटपाथ पर रहते हैं और कमाते हैं क्योंकि उनके पास "शहर में देखभाल के छोटे-छोटे काम हैं और रहने के लिये कोई घर नहीं है।"

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है? (2019)

(a) अनुच्छेद 19

(b) अनुच्छेद 21

(c) अनुच्छेद 25

(d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- विवाह का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है जिसमें कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।

यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने घोषणा की है कि वे डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA), 2022 पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुँच गए हैं।
- यह बड़ी इंटरनेट कंपनियों को गलत सूचना, अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने और "इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं तथा उनके मौलिक अधिकारों की उचित सुरक्षा प्रदान करने" के संदर्भ में एक ऐतिहासिक कानून है।
- प्रस्तावित अधिनियम तकनीकी कंपनियों के स्व-नियमन के युग को समाप्त करने और 'इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से लागू करने का प्रयास करता है कि जो ऑफलाइन अवैध है, वह ऑनलाइन भी अवैध होना चाहिये'।
- भारत में इसी तरह के मुद्दे पर एक विधेयक (डेटा संरक्षण विधेयक 2019) संसद में लंबित है।

डीएसए तथा इसके प्रावधान:

- डीएसए के बारे में: जैसा कि यूरोपीय संघ आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है, डीएसए "एकल बाज़ार में बिचौलियों के दायित्वों

और जवाबदेही पर सामान्य नियमों की एक सारणी" है तथा सभी यूरोपीय संघ के उपयोगकर्त्ताओं के लिये उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो।

- उद्देश्य: जब उपयोगकर्त्ता सामग्री को मॉडरेट करने की बात आती है तो डीएसए बिचौलियों, विशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को सख्ती से नियंत्रित करेगा।
- स्व-नियमन युग की समाप्ति: प्लेटफॉर्म को यह तय करने के बजाय कि अपमानजनक या अवैध सामग्री से कैसे निपटना है, डीएसए इन कंपनियों के पालन के लिये विशिष्ट नियम और दायित्व निर्धारित करेगा।
- प्रयोज्यता: ईयू के अनुसार, डीएसए "सरल वेबसाइट्स से लेकर इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ऑनलाइन सेवाओं की एक बड़ी श्रेणी" पर लागू होगा।
    - इनमें से प्रत्येक के लिये दायित्व उनके आकार और भूमिका के अनुसार अलग-अलग होंगे।
    - कानून अपने दायरे में ऐसे प्लेटफॉर्म को लाता है जो इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम रजिस्ट्रार, होस्टिंग सेवाएँ जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग और वेब-होस्टिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
    - हालाँकि इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' (VLOP) और 'वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन' (VLOSE) को "अधिक कठोर आवश्यकताओं" का सामना करना पड़ेगा।
        - उदाहरण के लिये यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं वाली कोई भी सेवा इस श्रेणी में आएगी।
        - यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से कम मासिक सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं वाले लोगों को कुछ नए दायित्वों से छूट दी जाएगी।
- कार्यान्वयन: एक बार जब DSA कानून बन जाता है तो प्रत्येक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य की "डिजिटल सेवाओं के लिये यूरोपीय बोर्ड" के साथ इन्हें लागू करने में प्राथमिक भूमिका होगी।
    - EU आयोग VLOPs और VLOSEs के लिये उन्नत पर्यवेक्षण और प्रवर्तन करेगा।
    - इन नियमों के उल्लंघन पर बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है, कंपनी के वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% जितना अधिक।

नए नियम:

- सामग्री को तीव्रता से हटाना: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बिचौलियों जैसे- फेसबुक, गूगल, यूट्यूब आदि को अवैध या हानिकारक सामग्री को "तीव्रता के साथ हटाने के लिये नई प्रक्रियाओं" को शामिल करना होगा।
- देखभाल का कर्तव्य लागू करना: अमेज़न जैसे मार्केटप्लेस को उन विक्रेताओं पर "देखभाल के कर्तव्य" (Impose A Duty Of Care) का पालन करना होगा जो ऑनलाइन उत्पादों को बेचने हेतु अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।
    - उपभोक्ताओं को ठीक से सूचित करने हेतु उन्हें बेचे गए उत्पादों और सेवाओं पर जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करना होगा।
- ऑडिटिंग मैकेनिज़्म: DSA "बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं के लिये उनके द्वारा बनाए गए प्रणालीगत जोखिमों का विश्लेषण करने तथा जोखिम में कमी लाने हेतु विश्लेषण करने के लिये दायित्व" को जोड़ता है।
    - गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को यह ऑडिट हर वर्ष करना होगा।
- स्वतंत्र शोधकर्त्ता: अधिनियम इन जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिये अध्ययन हेतु स्वतंत्र रूप से जाँच करने वाले शोधकर्त्ताओं को इन प्लेटफॉर्मों से सार्वजनिक डेटा तक पहुँच प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है।
- भ्रामक इंटरफेस पर प्रतिबंध: DSA 'डार्क पैटर्न' या "भ्रामक इंटरफेस" पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है, जो उपयोगकर्त्ताओं से कुछ ऐसा कराने के लिये डिज़ाइन किया जाता है, जिसके लिये वे अन्यथा सहमत नहीं होंगे।
- संकट तंत्र: DSA में एक नया खंड संकट तंत्र शामिल है, यह रूस-यूक्रेन संघर्ष को संदर्भित करता है, जिसे "राष्ट्रीय डिजिटल सेवा समन्वयकों के बोर्ड की सिफारिश पर आयोग द्वारा सक्रिय" किया जाएगा।
    - हालाँकि ये विशेष उपाय केवल तीन महीने के लिये ही लागू होंगे।
- पारदर्शिता के उपाय: यह "उपयोगकर्त्ताओं को सामग्री या उत्पादों की सिफारिश करने के लिये उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम सहित विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेतु पारदर्शिता उपायों" का भी प्रस्ताव करता है।

91वाँ संशोधन तथा मंत्रिमंडल सदस्यों की अधिकतम संख्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि गोवा के छह बार के मुख्यमंत्री तथा 50 साल से विधायक रहे प्रताप सिंह राणे को लेकर दायर एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL)) में उनके "कैबिनेट मंत्री के पद की आजीवन स्थिति" को चुनौती देने से संबंधित एक बहस योग्य मुद्दे को उठाया गया है।

- जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि गोवा में 12 सदस्यीय कैबिनेट है और राणे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के परिणामस्वरूप कैबिनेट सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो जाती है, जो संविधान द्वारा निर्धारित अनिवार्य सीमा से अधिक है।
- यह सीमा भारतीय संविधान में 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा निर्धारित की गई थी।

प्रमुख बिंदु

91वाँ सविधान संशोधन:

- संविधान (91वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, "किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  - इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- इसी तरह के संशोधन अनुच्छेद 75 के तहत भी किये गए थे।
  - इसके अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
  - मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 91वें संशोधन का उद्देश्य बड़ी कैबिनेट और इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक भार को रोकना था।

मंत्रिपरिषद:

- संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, ज़िम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन तथा भत्ते से संबंधित है।
- मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च होता है।
  - कैबिनेट मंत्री: ये केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे- गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामले आदि के प्रमुख होते हैं।
    - कैबिनेट केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारण निकाय है।
  - राज्य मंत्री: इन्हें या तो मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के साथ रखा जा सकता है।
  - उप मंत्री: ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं।

जनहित याचिका:

- जनहित याचिका (PIL) का अर्थ है "जनहित" की सुरक्षा के लिये न्यायालय में दायर मुकदमे, जैसे- प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि।
  - कोई भी ऐसा मामला जिससे व्यापक रूप से जनता के हित प्रभावित होते हैं, का निवारण न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके किया जा सकता है।
- जनहित याचिका को किसी भी क़ानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या न्यायाधीशों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के हित के रूप में की गई है।
- जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
  - हालाँकि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को न्यायालय की संतुष्टि के लिये यह साबित करना होगा कि याचिका सार्वजनिक हित में दायर की जा रही है, न कि एक निकाय द्वारा केवल मुकदमेबाज़ी के रूप में।
- न्यायालय मामले का स्वत: संज्ञान ले सकता है या किसी भी सार्वजनिक रूप से जागरूक व्यक्ति की याचिका पर मामले की शुरुआत हो सकती है।
- जनहित याचिका के तहत जिन मामलों पर विचार किया जाता है, उनमें से कुछ हैं:
  - बंधुआ मज़दूरी से संबंधित मुद्दे
  - उपेक्षित बच्चे
  - श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान न करना और अनौपचारिक श्रमिकों का शोषण
  - महिलाओं पर अत्याचार
  - पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी
  - खाद्य अपमिश्रण
  - विरासत और संस्कृति का रखरखाव
- जनहित याचिका आंदोलन के युग की शुरुआत न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 मामले में की गई।
  - इस मामले में यह माना गया कि सार्वजनिक या सामाजिक कार्रवाई समूह का कोई भी सदस्य जो वास्तविक रूप से कार्य करता है, उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है।
  - जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ निवारण की मांग कर सकता है जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. निम्नलिखित में से उस कथन का चुनाव कीजिये, जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है:

(a) ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम-से-कम करने की व्यवस्था, जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिये निष्पादित करना कठिन है।

(b) ऐसी सरकार के कामकाज़ में तेज़ी लाने की क्रियाविधि, जिसके उत्तरदायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

(c) सरकार का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि।

(d) उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मज़बूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है।

उत्तर: (C)

विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने दो विधेयक पारित किये, जो 13 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (VC) की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति को स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं।

- इससे पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों ने राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के संबंध में समान प्रावधान किये हैं।
- कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान में राज्य के कानून 'राज्य और राज्यपाल' के बीच सहमति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- ज़्यादातर मामलों में 'सहमति' या 'परामर्श' शब्द राज्य के कानून से अनुपस्थित हैं।

विधेयकों की मुख्य विशेषताएँ:

- तमिलनाडु में पारित इन विधेयकों में ज़ोर दिया गया है कि "कुलपति की नियुक्ति सरकार द्वारा 'खोज एवं चयन समिति' की अनुशंसा के आधार पर गठित एक तीन सदस्यीय पैनल के माध्यम से की जाएगी"।
- वर्तमान में राज्यपाल, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की हैसियत से चयन सूची में से किसी एक को कुलपति के रूप में नियुक्त करने की शक्ति रखता है।
- विधेयकों में राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ने पर कुलपतियों को हटाने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देने का भी प्रयास किया गया है।
- कुलपतियों को हटाने का निर्णय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य सचिव की जाँच के आधार पर की जाएगी।

यूजीसी की भूमिका:

- शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, लेकिन संघ सूची की प्रविष्टि 66- "उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय तथा निर्धारण", केंद्र को उच्च शिक्षा पर पर्याप्त अधिकार देता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्तियों के मामले में मानक-निर्धारण की भूमिका निभाता है।
  - हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और जुड़वाँ कार्यक्रम विनियम, 2022 को बढ़ावा देने क लिये भारतीय एवं विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग की शुरुआत की है।
  - इन नियमों के तहत सहयोगी संस्थानों को तीन तरह के कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की अनुमति होगी- जुड़वाँ कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री।
- यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता व उच्च शिक्षा में मानकों की मान्यता हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, "आगंतुक/कुलाधिपति", ज़्यादातर राज्यों में राज्यपाल "सर्च कम सिलेक्शन समितियों" द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करेगा।
- उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से जिन्हें यूजीसी द्वारा फंड प्राप्त होता है, को यूजीसी के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- आमतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में यूजीसी के नियमों का पालन बिना किसी रुकावट के किया जाता है, लेकिन कभी-कभी राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जाता है।

न्यायपालिका की राय:

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि यूजीसी के नियमों के प्रावधानों के विपरीत कुलपति के रूप में किसी भी नियुक्ति को वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कहा जा सकता है, जो कि अधिकार-पृच्छा रिट की एक गारंटी है।

- राज्य के कानून और केंद्रीय कानून के बीच किसी भी तरह के विरोध की स्थिति में, केंद्रीय कानून मान्य होगा, क्योंकि शिक्षा' को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है।

राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका:

- ज़्यादातर मामलों में राज्य का राज्यपाल संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति होता है।

- राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है लेकिन कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप में कार्य करता है और विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर निर्णय लेता है।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में:
    - केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (Central Universities Act, 2009) और अन्य विधियों के तहत भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।
    - दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित भूमिका के साथ ही वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में नाममात्र का प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जाता है।
    - कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों (Search and Selection Committees) द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    - अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसे कुलाध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण के लिये अधिकृत करने एवं जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2020-21 के लिये अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक कानून है और यह किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं करता है।

- CAA का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देना है। यह 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था।
- इस कानून का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ था।

CAA की चुनौतियाँ:

- विशेष लक्षित समुदाय: ऐसी आशंकाएँ हैं कि CAA के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का देशव्यापी संकलन किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बहिष्कृत गैर-मुसलमान लाभान्वित होंगे, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
- उत्तर-पूर्व से संबंधित मुद्दे: यह 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, को निर्वासित कर दिया जाएगा।
    - असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और ये प्रवासी राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसांख्यिकी को अनिवार्य रूप से परिवर्तित करते हैं।
- मौलिक अधिकारों के खिलाफ: आलोचकों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार की गारंटी देता है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है) तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- भेदभावपूर्ण: भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें श्रीलंका के तमिल और म्याँमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं। ये अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।
- प्रशासन में कठिनाई: सरकार के लिये अवैध प्रवासियों और सताए गए लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा।
- द्विपक्षीय संबंधों में बाधा: यह अधिनियम उपर्युक्त तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है और इस प्रकार उनके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को खराब कर सकता है।

गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण:

- भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं: CAA भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। इसलिये यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त या कम नहीं करता है।
- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है:
- इसके अलावा नागरिकता अधिनियम, 1955 में प्रदान की गई किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया परिचालन में है और CAA इस कानूनी स्थिति में किसी भी तरह से संशोधन या परिवर्तन नहीं करता है।
    - अत: किसी भी देश के किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों के पंजीकरण या देशीयकरण के लिये कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकेगी।
- पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना: वार्षिक रिपोर्ट में एक बार फिर पूर्वोत्तर में कानून को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जिसमें कहा गया है कि संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

आगे की राह

- इसके बारे में नियमों की अधिसूचना, जिसके बिना कानून लागू नहीं किया जा सकता है, सरकार की ओर से कोई प्रतिबद्धता न होने के कारण लंबित है।
- इस प्रकार गृह मंत्रालय को चाहिये कि वह CAA नियमों को अत्यंत पारदर्शिता के साथ अधिसूचित करे तथा इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर करे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न: भारतीय संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित हैं: (2015)

(a) अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना
(b) राज्यों के बीच की सीमाओं का निर्धारण
(c) पंचायतों की ज़िम्मेदारी, शक्तियों, अधिकार का निर्धारण
(d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना

उत्तर: (a)

- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

नए आईटी कानून की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (IT) ने 22 वर्ष पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में विधायी संशोधन (Overhaul) की आवश्यकता पर बात की।

- सरकार ने मूल आईटी कानून को वर्ष 2000 में अधिनियमित किया था।
- आईटी (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2009 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाना, साइबर अपराध रोकना और देश के भीतर सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना था।
- हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को अधिसूचित किया है।

नए आईटी कानून की आवश्यकता क्यों?

- डिजिटल युग में भारत का प्रवेश: भारत कुछ ही वर्षों में एक ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है और बड़ी संख्या में भारतीय व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से संचालित होंगे।
  - इसलिये एक खुला और सुरक्षित इंटरनेट हमारे देश का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटक बन गया है।
- स्प्लिंटरनेट का उदय: जैसा कि हम जानते हैं, वैश्विक इंटरनेट आक्रामक राष्ट्रीय नीतियों, व्यापार विवादों, सेंसरशिप और बड़ी तकनीकी कंपनियों के असंतोष के कारण राष्ट्रीय नेटवर्क छोटे-छोटे भागों में विखंडित होने की कगार पर है।
  - एक विखंडित इंटरनेट या 'स्प्लिंटरनेट', नवाचार की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करता है, जो एक प्रमुख डिजिटल शक्ति बनने के क्रम में भारत के लक्ष्यों को बाधित कर सकता है।
  - इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों, डेटा उद्यमों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को समान रूप से प्रभावित करेगा।
  - वर्तमान में विखंडित इंटरनेट का सबसे परिष्कृत उदाहरण चीन का ग्रेट फायरवॉल है।
  - गूगल सर्च, मैप्स और पश्चिमी सोशल मीडिया तथा इसी तरह की अन्य आवश्यक सेवाओं को चीन द्वारा साइबर संप्रभुता के नाम पर वीबो जैसे चीनी विकल्पों द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित और प्रतिबंधित किया गया है।

नए आईटी कानून (आंतरिक मुद्दे) की आवश्यकता:

- भारत में अधिकांश साइबर अपराध ज़मानती अपराध हैं: एक ऐतिहासिक त्रुटि तब हुई जब आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में कुछ ही अपराधों को छोड़कर लगभग सभी साइबर अपराधों को ज़मानती अपराध बना दिया गया।
  - नागरिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने और सज़ा को कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि देश में साइबर अपराध के दोषियों की संख्या एकल अंकों में क्यों है।
- प्रतिबंधित साइबर सुरक्षा उपाय: आईटी अधिनियम मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, बंगलूरू आदि जैसे महानगरीय शहरों में प्रभावी है, लेकिन यह दूसरे स्तर के शहरों में कमज़ोर है क्योंकि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
  - आईटी अधिनियम मोबाइल के माध्यम से किये गए अधिकांश अपराधों पर प्रभावी नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

साइबर सुरक्षा के लिये वर्तमान सरकारी पहल:

- साइबर सुरक्षित भारत पहल।
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

आगे की राह

- सरकार नए नियम बनाने की क्षमताओं के साथ एक नए विधायी ढाँचे के निर्माण पर विचार कर रही है जो डिजिटल स्पेस से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने में सक्षम होगा। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल होने चाहिये:
  - अधिकांश साइबर अपराधों को गैर-जमानती अपराध बनाने की आवश्यकता है।
  - इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये एक व्यापक डेटा सुरक्षा व्यवस्था को कानून में शामिल करने की आवश्यकता है।
  - साइबर युद्ध को एक अपराध के रूप में आईटी अधिनियम के तहत लाने की आवश्यकता है।
  - आईटी अधिनियम की धारा 66 ए भारत के संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों से स्वतंत्र हैं। अत: नए प्रावधानों को कानूनी रूप से मज़बूती प्रदान करने के लिये पुराने प्रावधानों समन्वय की ज़रूरत है।
  - देशों के बीच बढ़ती द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को इस तरह से विकसित करना होगा कि वे इंटरनेट के संबंध में एक-दूसरे पर आश्रित रहें। (जैसे चीन का ग्रेट फ़ायरवॉल)।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू):

प्रश्न: भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा केंद्र
3. बॉडी कॉर्पोरेट

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 70 B के अनुसार, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा घटना की प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिये भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERTIn) का गठन किया गया है।

सीआरपीसी (CrPC) की धारा 144

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िला प्रशासन ने रुड़की शहर के पास दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure-CrPC), 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की।

धारा 144

- परिचय:
  - यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
  - यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुँचाने की संभावना होती है।
  - यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।
- धारा 144 की विशेषताएँ
  - यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
  - इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।
  - इस धारा केअंतर्गत पारितआदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
  - साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियाँ करने पर पूर्ण रोक होती है।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी सभा को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
  - यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।
  - धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहाँ देनिक गतिविधियों को बाधित करने से परेशानी हो सकती है।
- धारा 144 के आदेश की अवधि:
  - इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिये लागू नहीं हो सकता है।
  - राज्य सरकार के विवेक के तहत इसकी वैधता को दो और महीनों के लिये बढ़ाया जा सकता है जिसकी वैधता अधिकतम छह महीने तक हो सकती है।
  - स्थिति सामान्य होने पर धारा 144 को वापस लिया जा सकता है।

धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर:

- धारा 144 संबंधित क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, जबकि कर्फ्यू के दौरान लोगों को एक विशेष अवधि के लिये घर के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। कर्फ्यू के समय सरकार यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
- कर्फ्यू के दौरान बाज़ार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहते हैं, जबकि केवल आवश्यक सेवाओं को ही पूर्व सूचना पर खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

धारा 144 की आलोचना के कारण:

- यह पूर्ण शक्ति प्रदान करती है:
  - यह एक व्यापक धारा है जिसके प्रावधान एक मजिस्ट्रेट को पूर्ण शक्ति प्रदान करने के लिये पर्याप्त हैं, जिसका प्रयोग वह अनुचित तरीके से कर सकता है।
    - इस तरह के आदेश के खिलाफ तत्काल उपाय स्वयं मजिस्ट्रेट के लिये पुनरीक्षण योग्य होते हैं।
- अधिकारों का उल्लंघन:
  - किसी पीड़ित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह रिट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ।
    - हालाँकि ऐसी आशंकाएँ भी हैं कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले ही अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- बड़े क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना न्यायोचित नहीं:
  - एक बहुत बड़े क्षेत्र पर निषेधाज्ञा लागू करना उचित नहीं है क्योंकि सुरक्षा की स्थिति अलग-अलग जगहों पर भिन्न होती है और इससे एक ही तरीके से नहीं निपटा जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी।

धारा 144 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- डॉ. राम मनोहर लोहिया वाद, 1967: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' में नागरिकों के एक वर्ग को स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति प्राप्त है"।
- 'मधु लिमये बनाम सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट, 1970:
  - भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की पीठ के अनुसार, धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति "प्रशासन की एक सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि न्यायिक तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति है और इसकी न्यायिक जाँच की जा सकती है।
    - हालाँकि न्यायालय ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया कि धारा 144 के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत निर्धारित मौलिक अधिकारों के लिये "उचित प्रतिबंध" के अंतर्गत आते हैं।
    - न्यायालय के अनुसार, यह सही है कि कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है, अत: इसे रद्द करने का कोई कारण नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में रामलीला मैदान में सो रहे आंदोलनकारियो के खिलाफ धारा 144 का इस्तेमाल करने पर सरकार की आलोचना की थी।
  - न्यायालय के अनुसार, इस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल केवल गंभीर परिस्थितियों में ही सार्वजनिक शांति बनाए रखने हेतु किया जा सकता है।
  - प्रावधान की प्रभावकारिता कुछ हानिकारक घटनाओं को तुरंत रोकने से संबंधित है अर्थात् आपातकालीन स्थिति अचानक से उत्पन्न हुई हो और इसके परिणाम पर्याप्त रूप से गंभीर हो।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, इस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिये नहीं किया जा सकता है। इसे शिकायत अथवा विचार की अभिव्यक्ति अथवा किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार के प्रयोग को रोकने हेतु एक 'उपकरण' की भाँति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- आपात स्थिति से निपटने में मदद के लिये धारा 144 एक उपयोगी उपकरण है। हालाँकि विशिष्ट उद्देश्यों के साथ व्यापक कार्यकारी शक्तियों के किसी भी संकीर्ण उद्देश्य की अनुपस्थिति कार्यकारी शाखा पर बहुत सीमित न्यायिक निरीक्षण के साथ इसे दुरुपयोग के योग्य बना देती है।
- इस धारा के तहत आगे बढ़ने से पहले मजिस्ट्रेट को जाँच करनी चाहिये और मामले की तात्कालिकता को रिकॉर्ड करना चाहिये।
- आपात स्थितियों से निपटने के लिये विधायिका द्वारा पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने और संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों को दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता को संतुलित करने की आवश्यकता है।

भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (Centre for Monitoring Indian Economy- CMIE) के आँकड़ों

के अनुसार, भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate- LFPR) जो वर्ष 2016 में कम (47%) थी, घटकर सिर्फ 40% रह गई है।

- आँकड़ों से इस बात का भी पता चलता है कि कामकाजी आयु वर्ग (15 वर्ष और उससे अधिक) में भारत की आधी से अधिक आबादी नौकरियों को छोड़ने का फैसला कर रही है, तथा साथ ही ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ता जा रहा है।

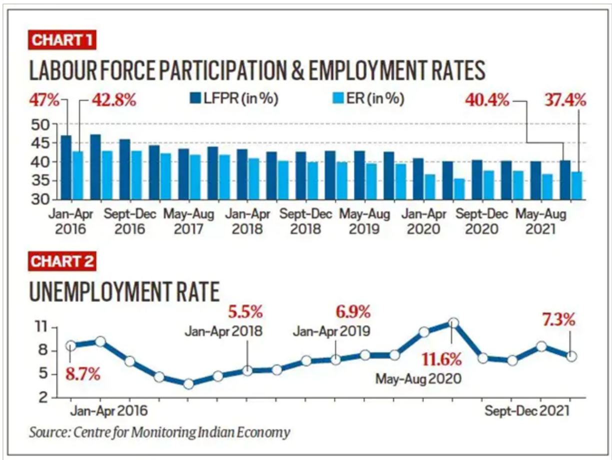

प्रमुख बिंदु

श्रम शक्ति भागीदारी दर (CMIE):

- CMIE के अनुसार, श्रम बल में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग शामिल हैं तथा जो निम्नलिखित दो श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हैं:
  - रोज़गारयुक्त/कार्यरत।
  - बेरोज़गार तथा कार्य करने के इच्छुक तथा जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में हैं।
- इन दो श्रेणियों में लोग "नौकरी की मांग" करते हैं। यह मांग LFPR को संदर्भित करती है।
- इस प्रकार LFPR अनिवार्य रूप से कामकाजी उम्र (15 वर्ष या अधिक) की आबादी का प्रतिशत है जो नौकरी की मांग करता है।
  - यह किसी भी अर्थव्यवस्था में नौकरियों हेतु "मांग" का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इसमें रोज़गार पाने वाले और जो बेरोज़गार हैं, दोनों शामिल होते हैं।
- बेरोज़गारी दर (UER), जिसका नियमित रूप से उल्लेख समाचारों में किया जाता है, श्रम बल के अनुपात के रूप में बेरोज़गारों (श्रेणी 2) की संख्या को दर्शाता है।
- भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर न सिर्फ बाकी दुनिया के मुकाबले कम है बल्कि इसमें गिरावट भी जारी है।
  - भारत में यह पिछले 10 वर्षों में घट रहा है और 2016 में 47% से घटकर दिसंबर 2021 तक केवल 40% रह गया है।

भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर में गिरावट के कारण:

- भारत के श्रम शक्ति भागीदारी दर के कम होने का मुख्य कारण महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर का बेहद निम्न स्तर पर होना है।
- CMIE के आँकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 तक पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी दर 67.4% थी, जबकि वहीं महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 9.4% थी।
- दूसरे शब्दों में भारत में 10 कामकाजी उम्र की महिलाओं में से केवल एक काम की मांग कर रही हैं।
- विश्व बैंक से प्राप्त डेटा के अनुसार भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 25% है, जबकि यह वैश्विक औसत श्रम शक्ति भागीदारी 47% के आस-पास है।
- महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर कम होने के प्रमुख कारण अनिवार्य रूप से काम करने की परिस्थितियों से संबंधित हैं, जैसे- कानून और व्यवस्था, कुशल सार्वजनिक परिवहन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सामाजिक मानदंड आदि महिलाओं के लिये अनुकूल नहीं हैं।
  - इसके अलावा भारत में बहुत सी महिलाएँ विशेष रूप से अपने घर के कार्यों में शामिल रहती हैं (जैसे अपने परिवार की देखभाल करना आदि)।

श्रम शक्ति भागीदारी दर की गणना से संबंधित सीमाएँ:

- बेरोज़गारी दर केवल उस व्यक्ति की गणना करती है जो बेरोज़गार हैं, लेकिन कुल कितने लोगों ने काम की मांग करना बंद कर दिया है यह इस बात की गणना नहीं करता है।
  - आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कामकाजी उम्र के लोग काम न मिलने से निराश हो जाते हैं।
- इस प्रकार एक और बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है- रोज़गार दर (ER)।
  - ER कार्यशील आयु की आबादी के प्रतिशत के रूप में नियोजित लोगों की कुल संख्या को संदर्भित करता है।

भारत में बेरोज़गारी के प्रकार:

- प्रच्छन्न बेरोजगारी: यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोज़गार दिया जाता है।
  - यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है।
- मौसमी बेरोज़गारी: यह एक प्रकार की बेरोज़गारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।

  - भारत में खेतिहर मज़दूरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है।
- संरचनात्मक बेरोज़गारी: यह बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोज़गारी की एक श्रेणी है।
  - भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।
- चक्रीय बेरोज़गारी: यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
  - भारत में चक्रीय बेरोज़गारी के आँकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।
- तकनीकी बेरोज़गारी: यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
  - वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आँकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल-दर-साल 69% है।
- घर्षण बेरोज़गारी: घर्षण बेरोज़गारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है।
- सुभेद्य रोज़गार: इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिये कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है।
  - इन व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी बनाया नहीं जाता हैं।
  - यह भारत में बेरोज़गारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।

सरकार की पहल:

- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों का समर्थन (मुस्कान)
- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
- स्टार्ट अप इंडिया योजना

आगे की राह

- श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देना: भारत में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी के निर्माता और फर्नीचर, कपड़ा तथा परिधान एवं वस्त्र जैसे कई श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र हैं।
  - रोज़गार सृजित करने हेतु प्रत्येक उद्योग के लिये व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन किये गए विशेष पैकेजों की आवश्यकता होती है।
- उद्योगों का विकेंद्रीकरण: औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल सके।
  - ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी जिससे शहरी क्षेत्र की नौकरियों पर दबाव कम होगा।
- राष्ट्रीय रोज़गार नीति का मसौदा तैयार करना: एक राष्ट्रीय रोज़गार नीति (एनईपी) की आवश्यकता है जिसमें बहुआयामी हस्तक्षेपों का एक समूह शामिल हो जिसमें कई नीति क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला शामिल हो, न कि केवल श्रम और रोज़गार के क्षेत्र।
  - राष्ट्रीय रोज़गार नीति के अंतर्निहित सिद्धांतों में शामिल हो सकते हैं:
    - कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में वृद्धि करना।
    - औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक नागरिकों के लिये पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करना।
    - श्रम बाज़ार में सामाजिक एकता और समता को मज़बूत करना।
    - सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों में अभिसरण और सामंजस्य स्थापित करना।
    - उत्पादक उद्यमों में प्रमुख निवेशक बनने के लिये निजी क्षेत्र की सहायता करना।
    - स्व-नियोजित व्यक्तियों का समर्थन करते हुए उनकी क्षमताओं को मज़बूत कर आय को बढ़ावा देना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs): (2013)

प्रच्छन्न बेरोज़गारी का आमतौर पर अर्थ होता है:

(a) बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं
(b) वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं है
(c) श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है
(d) श्रमिकों की उत्पादकता कम है

उत्तर: C

- एक अर्थव्यवस्था प्रच्छन्न बेरोज़गारी को प्रदर्शित करती है जब उत्पादकता कम होती है और बहुत से श्रमिक कार्य कर रहे हों।

इंडोनेशिया का पाम ऑयल निर्यात प्रतिबंध और भारत पर इसका प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे बड़े पाम ऑयल (Palm Oil) उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता देश है, द्वारा घोषणा की गई है कि वह खाना पकाने के तेल की घरेलू कमी तथा इसकी बढ़ती कीमतों को कम करने हेतु कमोडिटी और इसके कच्चे माल के सभी निर्यातों पर प्रतिबंध लगाएगा।

- भारत अपनी पाम ऑयल की सालाना ज़रूरत का आधा हिस्सा यानी 8.3 मिलियन टन का आयात इंडोनेशिया से करता है। इस प्रकार इंडोनेशिया द्वारा आरोपित निर्यात प्रतिबंध भारत के हितों को प्रभावित करेगा।

प्रमुख बिंदु

पाम ऑयल तथा इसके उपयोग:

- पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है जिसे ऑयल पाम फल (Fruit of the Oil Palms) के मेसोकार्प (लाल गूदे) से प्राप्त किया जाता है।
- इसका उपयोग खाना पकाने, सौंदर्य प्रसाधन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, केक, चॉकलेट, स्प्रेड, साबुन, शैम्पू और सफाई उत्पादों से लेकर जैव ईंधन तक हर चीज़ में किया जाता है।
  - बायोडीज़ल (Biodiesel) बनाने में कच्चे पाम ऑयल के इस्तेमाल को 'ग्रीन डीज़ल' करार दिया गया है।
- इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर वैश्विक पाम ऑयल का लगभग 90% का उत्पादन करते हैं, इसमें भी इंडोनेशिया की हिस्सेदारी अधिक है जिसने वर्ष 2021 में 45 मिलियन टन पाम ऑयल का उत्पादन किया।
- पाम ऑयल उद्योग आलोचना के दायरे में आ गया है क्योंकि इसके निरंतर उत्पादन के कारण वनों की कटाई में वृद्धि हुई है, साथ ही श्रम के शोषणकारी तरीकों के कारण औपनिवेशिक युग जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।
  - हालाँकि पाम ऑयल को इसलिये भी पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है; सोयाबीन जैसे कुछ अन्य वनस्पति तेल संयंत्रों की तुलना में पाम ऑयल का प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होता है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं हेतु पाम ऑयल का महत्त्व:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, वर्ष 2020 में पाम ऑयल का वैश्विक उत्पादन 73 मिलियन टन (MT) से अधिक होने के साथ ही यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वनस्पति तेल है।
  - चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इसका उत्पादन 77 मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
- रॉयटर्स के अनुसार, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले चार प्रमुख खाद्य तेलों (पाम, सोयाबीन, रेपसीड (कैनोला) और सूरजमुखी का तेल) की वैश्विक आपूर्ति में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 40% है।
- वैश्विक रूप से पाम ऑयल की 60% आपूर्ति इंडोनेशिया द्वारा की जाती है।

खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण:

- भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। वैकल्पिक वनस्पति तेलों की कम आपूर्ति के कारण मांग बढ़ने से इस वर्ष पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी आई है।
- सोयाबीन तेल का दूसरा स्थान है जिसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, इसके भी इस साल प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि इसके प्रमुख उत्पादक अर्जेंटीना मं सोयाबीन उत्पादन हेतु इस बार मौसम अनुकूल नहीं है।
- पिछले साल कनाडा में सूखे के कारण कैनोला तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ था और सूरजमुखी तेल जिसका 80-90% उत्पादन रूस और यूक्रेन द्वारा किया जाता है, की आपूर्ति जारी संघर्ष के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है।
- महामारी से प्रेरित श्रम की कमी तथा महामारी और यूक्रेन संकट से जुड़ी वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति के कारण खाद्य तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले साल के अंत से बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

भारत पर प्रभाव:

- भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो इसके वनस्पति तेल की खपत का 40% हिस्सा है।
- भारत अपनी सालाना ज़रूरत का आधा (8.3 मीट्रिक टन) पाम ऑयल इंडोनेशिया से आयात करता है।
- इससे उन लोगों की संख्या में वृद्धि होगी जो पहले से ही रिकॉर्ड-उच्च थोक मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि पिछले साल केंद्र ने भारत के घरेलू पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन-पाम ऑयल को आरंभ किया।

आगे की राह

- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना: भारत की खाद्य आवश्यकताओं के लिये पाम ऑयल से संबंधित लाभों को देखते हुए, भारतीय किसानों को देश में पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- इस दिशा में उठाया गया खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन- पाम ऑयल एक सही कदम है।

- विविधीकरण: भारत को अपनी खरीद के साथ-साथ आवश्यकताओं में भी विविधता लानी चाहिये।
  - सर्वप्रथम भारत को अन्य देशों से अधिक पाम ऑयल की खरीद पर ध्यान देना चाहिये।
  - साथ ही साथ साल, महुआ, जैतून, जटरोफा, नीम, जोजोबा, जंगली खुबानी, अखरोट आदि जैसे वृक्षों से उत्पन्न तिलहन (TBOs) को एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली में संशोधन

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ वास्तविक समय में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिये नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) में सुधार करने की योजना बना रही है। पंजीकरण की यह प्रक्रिया किसी भी स्थान से पूरी की जा सकती है।

- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3 (3) के तहत सभी राज्यों के जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय के मुख्य रजिस्ट्रार की गतिविधियों के मध्य समन्वय और एकीकरण के लिये कदम उठाने का अधिकार प्राप्त है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली:

- भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु, प्रसव के दौरान मृत्यु) और उनकी विशेषताओं की निरंतर, स्थायी, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक पंजीकरण की एकीकृत प्रक्रिया है।
- संपूर्ण और अद्यतन सीआरएस के माध्यम से उत्पन्न डेटा सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिये आवश्यक है।

प्रस्तावित संशोधन:

- जन्म और मृत्यु के कारण हुए नए परिवर्तनों को अद्यतन करना:
  - "जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों को शामिल करने के लिये एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) को फिर से अपडेट करने की आवश्यकता है, जिसे पहली बार वर्ष 2010 में जोड़ा गया तथा वर्ष 2015 में आधार, मोबाइल और राशन कार्ड नंबरों के साथ अपडेट किया गया।
- सीआरएस के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ:
- सीआरएस प्रणाली समयबद्धता, दक्षता और एकरूपता के मामले में चुनौतियों का सामना कर रही है जिसके कारण जन्म एवं मृत्यु कवरेज में देरी के साथ-साथ कमी आई है।
  - जनता को त्वरित सेवा प्रदान करने में प्रणाली के समक्षआने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु, भारत सरकार द्वारा आईटी [सूचना प्रौद्योगिकी] के माध्यम से देश के नागरिक पंजीकरण प्रणाली में परिवर्तनकारी परिवर्तन शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिससे न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ वास्तविक समय के आधार पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हो सके।
- स्वचालन और समयबद्ध प्रणाली:
  - परिवर्तन प्रक्रिया वितरण बिंदुओं को स्वचालित बनाया जाएगा ताकि सेवा वितरण समयबद्ध, एकरूप और विवेकाधीन हो।
  - परिवर्तन धारणीय, मापनीय और स्वतंत्र होंगे।
- RBD अधिनियम में संशोधन:
  - इसने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम,1969 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है ताकि "राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखा जा सके।
  - प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, डेटाबेस का उपयोग जनसंख्या रजिस्टर, चुनावी रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सबंधित डेटाबेस को अपडेट करने के लिये किया जा सकता है।
  - RBD अधिनियम के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है तथा मुख्य रजिस्ट्रार को वर्ष के दौरान पंजीकृत जन्म और मृत्यु पर एक सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य है।

आगे की राह

- शासन को एक टेक्नो-यूटोपियन आइडिया (Techno-Utopian Idea) की आवश्यकता है, जहाँ नागरिकों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी तथा नागरिकों की आवश्यकताओं को सरकार द्वारा पहले ही पूरा किया जा सकेगा।
- इस टेक्नो-यूटोपियन वास्तविकता की प्राप्ति के लिये, एक एकीकृत जनसंख्या डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है जिसका वास्तविक समय में लोगों को ट्रैक करने हेतु प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकेगा।

साइबर सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्ट-इन (CERT-In) ने सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को साइबर सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं को रिपोर्ट करने के साथ छह घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से सूचित करने के लिये कहा है।

- CERT-In को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने का अधिकार है।

CERT-In के बारे में:

- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - इंडिया भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संगठन है।
- यह एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है।
- यह संगठन साइबर घटनाओं पर जानकारी को एकत्र करने, उसका विश्लेषण और प्रसार करता है, साथ ही साइबर सुरक्षा घटनाओं पर अलर्ट भी जारी करता है।
- CERT-In घटना निवारण और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ-साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएँ भी प्रदान करता है।

CERT-In के निर्देश:

- अनिवार्य रूप से लॉग्स को सक्षम बनाना :
  - यह सभी सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों, कॉरपोरेट्स और सरकारी संगठनों को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) प्रणाली के लॉग्स को अनिवार्य रूप से सक्षम करने का निर्देश देता है।
    - सभी सेवा प्रदाताओं को 180 दिनों की रोलिंग अवधि के लिये लॉग्स को सुरक्षित रूप से बनाए रखना होता है, जिसे भारतीय अधिकार क्षेत्र में रखा जाएगा।
    - यह लॉग किसी भी घटना की रिपोर्टिंग के साथ या कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के निर्देश पर CERT-In को प्रदान की जानी चाहिये।
- सभी ICT प्रणालियों को जोड़ना और समक्रमिक(Synchronize)करना:
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कि घटनाओं की श्रृंखला समय-सीमा में सटीक रूप से परिलक्षित हो, सभी सेवा प्रदाताओं को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली से युक्त क्लॉक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) के नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP) सर्वर से जोड़ने और करने का निर्देश दिया गया है।
    - नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल(NTP) एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग TCP/IP-आधारित नेटवर्क पर विश्वसनीय रूप से सटीक समय स्रोतों को प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिये किया जाता है।
    - इसका उपयोग कंप्यूटर की आंतरिक क्लॉक को एक सामान्य समय स्रोत से समक्रमिक करने के लिये किया जाता है।
- रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता:
  - पाँच साल की अवधि के लिये KYC और वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु इसे वर्चुअल परिसंपत्ति, एक्सचेंज और कस्टोडियन वॉलेट प्रदाताओं की आवश्यकता होती है।
    - क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) प्रदान करने वाली कंपनियों को ग्राहकों के नाम, ईमेल और आईपी पते भी पंजीकृत करने होंगे।

ऐसे पहल की आवश्यकता क्यों :

- समस्या समाधान की बाधाएँ दूर करना:
  - यह साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने तथा विश्लेषण में बाधा संबंधी मुद्दों के मामले में मदद प्रदान करेगा।
- प्रतिदिन अभिलेखों को सुव्यवस्थित करना:
  - अतीत में ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ गैर-भंडारण या डेटा की उपलब्धता और मध्यस्थों तथा सेवा प्रदाताओं के साथ उचित रिकॉर्ड के मामलों की पहचान की गई है।
  - ये दिशा-निर्देश बनाये रखने के लिए तारीख के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करेंगे और CERT-In को सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की उचित रिपोर्टिंग करेंगे।
- उपयोगकर्त्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना:
  - अंतिम उपयोगकर्त्ता को यह जानने का अधिकार है कि क्या उनका डेटा लोड किया गया है ताकि कोई व्यक्ति लेन-देन की धोखाधड़ी, नकली ऋण, आईडी के दुरुपयोग आदि से अपनी रक्षा कर सके।
  - सरकार को भी कंपनियों को घटना के 24 घंटे के भीतर उपयोगकर्त्ताओं को सूचित करने के लिये बाध्य करना चाहिये।
  - कई उपयोगकर्ता अभी भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनका केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और वित्तीय डेटा सुरक्षित है या नहीं।

साइबर सुरक्षा हेतु सरकार की पहलें:

- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020

आगे की राह

- भारत वैश्विक स्तर पर 17 डिजिटल रूप से सशक्तअर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से डिजिटल व्यवस्था अपनाने वाले देशों में से एक है तथा तेज़ी से डिजिटलीकरण के लिये साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु दूरगामी उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।
- कॉरपोरेट्स या संबंधित सरकारी विभागों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे अपने संगठनों में कमियों का पता लगाएँ और उन कमियों को दूर करने के लिये उचित सुरक्षा प्रणाली अपनाएँ, जिसमें विभिन्न स्तरों के बीच सुरक्षा खतरे की खुफिया जानकारी साझा हो सके।
- विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच परिचालन हेतु समन्वय सुनिश्चित करने के लिये एक शीर्ष निकाय की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 70 B के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा घटना प्रतिक्रिया के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी का गठन किया गया है।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 B के तहत वर्ष 2014 में CERT-In के लिये नियम स्थापित और अधिसूचित किये। नियम 12 (1) (A) के अनुसार, घटना होने के उचित समय के भीतर CERT-In को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लिये सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कॉर्पोरेट निकायों हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अत: विकल्प (d) सही है।

आपराधिक न्याय प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों की आपराधिक कार्यवाही प्रणाली में कमियों और अक्षमता में सुधार के लिये दिशा-निर्देशों के एक सेट को लागू करने हेतु दो महीने का समय दिया है।

- नए दिशा-निर्देशों को ड्राफ्ट रूल ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020 (Draft Rules of Criminal Practice, 2020) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- ड्राफ्ट रूल में जाँच और परीक्षण में सुधार की सिफारिश की गई है जिसमें जाँच के दौरान व मुकदमे के लिये पुलिस की मदद करने हेतु वकीलों की अलग टीमों को नियुक्त करने का प्रस्ताव शामिल है; स्पॉट पंचनामा का मसौदा तैयार करते समय तथा यहाँ तक कि बॉडी स्केच में सुधार करते समय विवरण को शामिल किया जाना चाहिये।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली:

- आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत हैं।
- उद्देश्य :
  - आपराधिक घटनाओं को रोकना।
  - अपराधियों और दोषियों को दंडित करना।
  - अपराधियों और दोषियों का पुनर्वास।
  - पीड़ितों को यथासंभव मुआवज़ा दिलाना।
  - समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना।
  - अपराधियों को भविष्य में कोई भी आपराधिक कृत्य करने से रोकना

सुधारों की आवश्यकता:

- औपनिवेशिक विरासत: आपराधिक न्याय प्रणाली- मूल और प्रक्रियात्मक दोनोंब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति हैं, जिन्हें भारत पर शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
  - इसलिये 19वीं सदी के इन कानूनों की प्रासंगिकता 21वीं सदी में बहस का एक ज्वलंत मुद्दा है।
- अप्रभावी न्याय वितरण: आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था, लेकिन आजकल यह व्यवस्था आम लोगों के उत्पीड़न का एक साधन बन गई है।
- लंबित मामले: आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, न्यायिक प्रणाली, विशेष रूप से ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं,जो 'न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है', की कहावत को चरितार्थ करता है।
- विचाराधीन कैदी: भारत दुनिया के सबसे अधिक विचाराधीन कैदियों वाले देशों में से एक है।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-जेल सांख्यिकी भारत के अनुसार, हमारी जेलों में बंद कुल कैदियों 'में से 67.2% विचाराधीन कैदी हैं।

- पुलिस का मुद्दा: पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली की अग्रिम पँक्ति है, जिसने न्याय प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्याय के त्वरित और पारदर्शी वितरण में भ्रष्टाचार, वर्कलोड और पुलिस की जवाबदेही एक बड़ी बाधा है।

  सरकार द्वारा की गई संबंधित पहल:
- न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन
- एआई-आधारित पोर्टल:SUPACE
- पुलिस प्रणाली का आधुनिकीकरण

आगे की राह

- पीड़ित और गवाह संरक्षण: पीड़ित और गवाह संरक्षण योजनाओं को शुरू करने, पीड़ित के बयानों का उपयोग, आपराधिक मुकदमे में पीड़ितों की भागीदारी में वृद्धि, पीड़ितों के लिये मुआवज़ा और उनकी बहाली की आवश्यकता है।
- आपराधिक संहिताओं में संशोधन: दंड की मात्रा (Degree) निर्दिष्ट करने के लिये आपराधिक दायित्व को बेहतर ढंग से वर्गीकृत किया जाना चाहिये।
  - नए प्रकार के दंड जैसे- सामुदायिक सेवा आदेश, बहाली आदेश, तथा पुनर्स्थापना और सुधारात्मक न्याय के अन्य पहलुओं को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है।
  - साथ ही भारतीय दंड संहिता के कई अध्याय अनेक जगहों पर अतिभारित (Overloaded) हैं।
  - उदाहरण के लिए लोक सेवकों के खिलाफ अपराध, अधिकार की अवमानना, सार्वजनिक शांति और अतिचार जैसे अध्यायों को फिर से परिभाषित और संकुचित किया जा सकता है।
- न्यायिक सेवा की शक्ति: समाधानों के तहत अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके न्यायिक सेवाओं की शक्ति में वृद्धि करना है, इसके लिये सबसे नीचे से सुधार शुरू होना चाहिये।
  - अधीनस्थ न्यायपालिका को सुदृढ़ करने हेतु उसे प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के साथ पदोन्नति, विकास व प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
  - अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को संस्थापित करना उचित दिशा में कदम हो सकता है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान: यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि सभी वाणिज्यिक मुकदमों पर तभी विचार किया जाएगा जब याचिकाकर्त्ता की ओर से हलफनामें में यह स्वीकार किया गया हो कि मध्यस्थता और सुलह का प्रयास किया गया और यह प्रयास विफल हो गया।
  - ADR (वैकल्पिक विवाद समाधान), लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों जैसे तंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये।

'मेन्थॉल' सिगरेट और 'फ्लेवर्ड' सिगार पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' ने मेन्थॉल सिगरेट और 'फ्लेवर्ड' सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया।

- भारत ने मेन्थॉल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।
- वर्ष 2012 में ब्राज़ील मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना।
- वर्ष 2019 में केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 'फ्लेवर्ड' हुक्का सहित हुक्का सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिये विभिन्न राज्यों के अपने नियम हैं।

WHY THE US PROPOSAL

HEALTH: Menthol reduces the irritation of smoking and increases appeal; it also enhances nicotine's addictive effects, making it more difficult to quit smoking.

RACE: Menthol cigarette use is disproportionately higher among Black Americans (85% of smokers within the community) than White Americans (30%).

संबंधित प्रस्ताव:

- परिचय:
  - इसका उद्देश्य सिगरेट में मेन्थॉल को एक विशिष्ट 'फ्लेवर' के रूप में प्रतिबंधित करना और सिगार के सभी विशेष 'फ्लेवर्स' (तंबाकू के अलावा) को प्रतिबंधित करना है।
  - प्रस्तावित नियम बच्चों को धूम्रपान करने वालों की अगली पीढ़ी बनने से रोकने में मदद करेंगे और वयस्क धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान छोड़ने में मदद करेंगे।
    - प्रस्तावित नियम तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य विषमताओं को कम करके स्वास्थ्य समानता को आगे बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - प्रस्तावित प्रतिबंध में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट शामिल नहीं है।
- दंड:
  - मेन्थॉल सिगरेट या फ्लेवर्ड सिगार रखने या उपयोग करने के मामले में व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं के खिलाफ ये नियम लागू नहीं होंगे।
  - नियम केवल "निर्माताओं, वितरकों, थोक विक्रेताओं, आयातकों और खुदरा विक्रेताओं के लिये हैं जो ऐसे उत्पादों का निर्माण, वितरण या बिक्री करते हैं।

प्रतिबंध का कारण:

- स्वास्थ्य:
  - मेन्थॉल, अपने स्वाद और सुगंध के साथ "धूम्रपान की जलन और कड़वाहट को कम करता है।
    - मेन्थॉल सिगरेट खासकर युवाओं को आकर्षित करता है और इसका उपयोग भी आसान होता है।
- वर्ग:
  - मेन्थॉल सिगरेट का उपयोग करने वालों की संख्या श्वेत अमेरिकियों (30%) की तुलना में अश्वेत अमेरिकियों (समुदाय के भीतर धूम्रपान करने वालों का 85%) के बीच अनुपातहीन रूप से अधिक है।
  - प्रस्तावित प्रतिबंध धूम्रपान करने वालों की आबादी के एक बड़े हिस्से को विशेष रूप से युवा वयस्कों और नस्लीय रूप में वंचित समूहों को प्रभावित करेगा।

भारत में तंबाकू की खपत की वर्तमान स्थिति:

- ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार, भारत में दुनिया के तंबाकू उपयोगकर्त्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (268 मिलियन) है और इनमें से लगभग 13 लाख हर साल तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं।
  - दस लाख मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं, जबकि दो लाख से अधिक लोग 'सेकेंड हैंड' धुएँ' (Second-Hand Smoke) के संपर्क में आने के कारण जान गँवाते हैं। लगभग 35,000 लोगों की मौत धूम्ररहित तंबाकू के उपयोग के कारण होती है।
- भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 27 करोड़ लोग और 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के 8.5 प्रतिशत स्कूली बच्चे किसी-न-किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
  - तंबाकू सेवन के कारण भारत पर 1,77,340 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक आर्थिक भार है।
- तंबाकू का उपयोग कई गैर-संचारी रोगों जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और पुरानी फेफड़ों की बीमारियों के लिये एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 27 प्रतिशत कैंसर के मामले तंबाकू के सेवन के कारण देखे गए हैं।

भारत पर इस तरह के प्रतिबंध का असर:

- यदि भारत मेन्थॉल और अन्य फ्लेवर्ड सिगरेट पर प्रतिबंध लगाता है, तो इसका प्रभाव सीमित हो सकता है, यह देखते हुए कि तंबाकू चबाना, बीड़ी पीना तंबाकू के उपयोग के सबसे सामान्य रूप हैं।
  - अंतिम उपलब्ध ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS 2016-17) के अनुसार, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 26.7 करोड़ तंबाकू उपयोगकर्त्ता हैं जिनमे से 18% आबादी धुआँ रहित तंबाकू, 7% धूम्रपान और 4% दोनों का उपयोग करती है।
- धूम्रपान करने वालों में भी इस तरह के कदम का असर केवल उन युवा वयस्कों और महिलाओं पर होगा जिन्होंने अभी धूम्रपान करना शुरू किया है।
- उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएँ भी होती हैं क्योंकि प्रतिबंध लगाने से उत्पादों की तस्करी बढ़ेगी।
  - वर्तमान में विभिन्न फ्लेवर्स की उपलब्धता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है।

भारत की संबंधित पहलें क्या हैं ?

- भारत:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन- फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल:
    - भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया।
  - सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003:
    - इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम को बदल दिया (बड़े पैमाने पर वैधानिक चेतावनियों तक सीमित- 'सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है' को सिगरेट पैक और विज्ञापनों पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गैर-सिगरेट उत्पाद शामिल नहीं थे)।
    - 2003 के अधिनियम में सिगार, बीड़ी, चेरूट (फिल्टर रहित बेलनाकार सिगार), पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा भी शामिल थे।
  - इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019 की घोषणा:
    - यह ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
  - नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज़ (NTQLS):
    - टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज़ में तंबाकू का उपयोग बंद करने के लिये टेलीफोन आधारित जानकारी, सलाह, समर्थन और रेफरल सेवा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ कई तंबाकू उपयोगकर्त्ताओं तक पहुँचने की क्षमता है।
  - एम-सेसेशन कार्क्रम:
    - एम-सेसेशन, तंबाकू छोड़ने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है।
    - भारत ने वर्ष 2016 में सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पाठ्य संदेशों (Text Messages) का उपयोग कर एम-सेसेशन कार्यक्रम शुरू किया था।

आगे की राह

- असमान दृष्टिकोण :
  - सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य संवर्द्धन हस्तक्षेपों (सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ का एक हिस्सा) से वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु असमान दृष्टिकोण अपनाते हुए तंबाकू नियंत्रण नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
    - तंबाकू नियंत्रण उपायों के संदर्भ में (जो गरीबों को अलग-अलग लक्षित करते हैं), विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना, तंबाकू की कीमतें बढ़ाना, कार्यस्थल में हस्तक्षेप, मुफ्त तंबाकू नियंत्रण सहायता और टेलीफोन हेल्प लाइन को शामिल किया जाता है।
- आवश्यक सुधारात्मक नीति:
  - तंबाकू से संबंधित मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने, साथ ही इस समस्या को समग्र रूप से हल करने के लिये राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण (NCD) कार्यक्रम के तहत बड़े स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के आयोजन और उपयुक्त नीतियों की आवश्यकता है।

एक अधिकारी के इस्तीफे और बहाली के नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2019 में कश्मीर में "बेरोकटोक" हत्याओं के विरोध में सेवा से इस्तीफा देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी को बहाल कर दिया गया है।

IAS अधिकारियों के इस्तीफे के संबंध में नियम:

- तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से किसी एक अधिकारी का इस्तीफा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 5(1) और 5(1)(ए) द्वारा शासित होता है।
  - अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल हैं: आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस)।
- अन्य केंद्रीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे के लिये भी इसी तरह के नियम हैं।

एक अधिकारी के इस्तीफे का अर्थ:

- परिचय:
  - इस्तीफा एक अधिकारी द्वारा या तो तुरंत या भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर उसकी इच्छा से आईएएस छोड़ने के प्रस्ताव के बारे में लिखित रूप में एक औपचारिक सूचना है।
    - इस्तीफा स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिये।
  - सेवा से इस्तीफा सरकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) को स्वीकार करने से बिल्कुल अलग है।
    - VRS लेने वाले पेंशन के हकदार हैं, जबकि इस्तीफा देने वाले नहीं हैं।
- किसके पास प्रस्तुत (Submit) करे?
  - राज्य प्रतिनियुक्ति के मामले में:
    - राज्य के मुख्य सचिव।
  - यदि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का मामला है:
    - संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव।
    - इसके बाद मंत्रालय/विभाग अपनी सिफारिशों के साथ अधिकारी के इस्तीफे को संबंधित राज्य संवर्ग को अग्रेषित करता है।

इस्तीफा जमा करने के बाद की प्रक्रिया:

- राज्य स्तर पर:
  - राज्य जाँच करता है कि क्या अधिकारी के खिलाफ कोई बकाया (dues) तो नही है, साथ ही अधिकारी की सतर्कता की स्थिति या उसके खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के कोई मामले लंबित हैं या नहीं।
    - यदि ऐसा कोई मामला होता है तो आमतौर पर इस्तीफा खारिज कर दिया जाता है।
- केंद्रीय स्तर पर:
  - अधिकारी के त्यागपत्र से संबंधित संवर्ग की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी अर्थात् केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाता है।
  - सक्षम प्राधिकारी:
    - IAS के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में राज्य मंत्री।
    - IPS के संबंध में गृह मंत्री।
    - वन सेवा के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
  - DoPT के प्रभारी मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री IAS के संबंध में निर्णय लेता है।

इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करने की परिस्थितियाँ:

- स्वीकार करने के संबंध में:
  - जब एक सरकारी कर्मचारी जो निलंबन के अधीन है, त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, तो सक्षम प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामले की वास्तविकता के संदर्भ में जाँच करनी चाहिये कि क्या इस्तीफा स्वीकार करना जनहित में होगा।

- अस्वीकार करने के संबंध में:
    - अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले लंबित होने पर इस्तीफा अस्वीकार किया जा सकता है।
        - ऐसे मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की सहमति प्राप्त की जाती है।
    - सरकार यह भी जाँच करती है कि क्या संबंधित अधिकारी ने विशेष प्रशिक्षण, फेलोशिप, या अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त करने के कारण निर्दिष्ट वर्षों तक सरकार की सेवा करने हेतु कोई बॉण्ड निष्पादित किया था।

इस्तीफा प्रस्तुतीकरण के बाद वापस लेने के बारे:

- संशोधित डीसीआरबी नियमों के नियम 5(1ए)(i) के अनुसार, केंद्र सरकार किसी अधिकारी को "जनहित में" अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है।
- जिस तारीख को इस्तीफा प्रभावी हुआ और जिस तारीख को सदस्य को इस्तीफा वापस लेने के परिणामस्वरूप ड्यूटी फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी, के बीच ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि:
    - अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन से जुड़ने पर अपनी सेवा या पद से इस्तीफा देते हैं।
    - यदि एक सदस्य को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना है या किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करना है, या चुनाव में भाग लेना है।
    - यदि कोई अधिकारी, जिसने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति से पहले उसे वापस लेने की लिखित सूचना भेजता है, तो त्यागपत्र स्वत: वापस लिया हुआ समझा जाएगा।

विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियाँ हैं: (2020)

(a) नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन

(b) संविधान संशोधन

(c) सरकार को हटाने की शक्ति

(d) कटौती प्रस्ताव लाना

उत्तर: (b)

- राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं:
    - किसी विषय को राज्य सूची से संघ सूची में एक निर्दिष्ट अवधि के लिये स्थानांतरित करने की शक्ति (अनुच्छेद 249)।
    - अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना (अनुच्छेद 312)।
    - अनुच्छेद 352 के तहत एक सीमित अवधि के लिये जब लोकसभा भंग हो, आपातकाल का समर्थन करना।
- अन्य महत्त्वपूर्ण मामले जिनके संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे हैं: राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान में संशोधन, आपातकाल की घोषणा को मंज़ूरी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल की घोषणा।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि मंत्री तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त है।
- अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन हेतु चर्चा की जा रही मांग का विरोध करने के लिये एक कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक अविश्वास मत के समान होता है और यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है, तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिये बाध्य होती है। अत: विकल्प (B) सही उत्तर है।

आर्थिक घटनाक्रम

साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस (द्वि-वार्षिक) में भारत और पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिये अपने आर्थिक विकास के पूर्वानुमान में कटौती की।

साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस वर्तमान के आर्थिक विकास का वर्णन, यूक्रेन में युद्ध के दक्षिण एशिया पर आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण, विकास के पूर्वानुमान के साथ-साथ जोखिम परिदृश्य प्रदान करता है और इसने यह निष्कर्ष निकाला है कि अर्थव्यवस्थाओं को फिर से आकार देने के लिये मानदंडों को पुन: आकार देने की आवश्यकता है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमान:

- चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिये भारत की विकास दर को 8.7% के पिछले अनुमान से घटाकर 8% कर दिया जाए।
- अफगानिस्तान को छोड़कर 1% की कटौती दक्षिण एशिया के लिये विकास दृष्टिकोण को 6.6% तक इंगित करती है।
- जून में समाप्त होने वाले चालू वर्ष के लिये इस क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान हेतु अपने विकास पूर्वानुमान को 3.4% से बढ़ाकर 4.3% कर दिया और अगले वर्ष के विकास दृष्टिकोण को 4% पर अपरिवर्तित रखा है।

कम जीडीपी अनुमान के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- बिगड़ती आपूर्ति श्रृंखला और यूक्रेन संकट के कारण बढ़ता मुद्रास्फीति जोखिम।
- भारत में महामारी और मुद्रास्फीति के दबाव तथा श्रम बाज़ार की रिकवरी से घरेलू खपत बाधित होगी।
- यूक्रेन में युद्ध के कारण तेल और खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतों का लोगों की वास्तविक आय पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- ऊर्जा आयात पर क्षेत्र की निर्भरता का मतलब है कि कच्चे तेल की उच्च कीमतों ने अर्थव्यवस्थाओं को मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिये मज़बूर किया है, न कि लगभग दो वर्षों की महामारी के दौरान प्रतिबंधों के बाद आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिये।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP):

- यह किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक उपाय है। यह किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य है।
- जीडीपी = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात-आयात।

सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) और जीडीपी (GDP) में अंतर:

- GVA अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय का एक उपाय है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इनपुट और कच्चे माल की लागत में की गई कटौती के बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या के लिये मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है।
- यह किसी विशिष्ट क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था की विशिष्ट तस्वीर भी प्रदान करता है।
- मैक्रो स्तर पर राष्ट्रीय लेखा परिप्रेक्ष्य से GVA किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था में सब्सिडी एवं करों का योग है।
  - सकल मूल्यवर्द्धन = GDP + उत्पादों पर सब्सिडी - उत्पादों पर कर।

महिलाओं से संबंधित निष्कर्ष:

- पारंपरिक दृष्टिकोण: लिंग के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण और गहरी जड़ें सामाजिक मानदंड निर्मित करते रहे हैं या समय के साथ अधिक रूढ़िवादी हो गए हैं।
  - वे लैंगिक समानता, बच्चों के कल्याण के साथ-साथ व्यापक आर्थिक विकास की दिशा में एक प्रमुख बाधा हो सकते हैं।
- महिलाओं द्वारा नुकसान का सामना: दशकों के आर्थिक विकास, बढ़ती शिक्षा और घटती प्रजनन क्षमता के बावजूद महिलाओं को इस क्षेत्र में आर्थिक अवसरों तक पहुँचने में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- श्रम बल में भागीदारी: कई दक्षिण एशियाई देश महिला श्रम शक्ति भागीदारी के साथ-साथ अन्य प्रकार की लैंगिक असमानताओं जैसे- आंदोलन की स्वतंत्रता, सामाजिक संपर्क, संपत्ति के स्वामित्व और बेटे को वरीयता के मामले में वैश्विक स्तर पर सबसे निम्न स्तर पर हैं।

- कम आर्थिक गतिविधि: दुनिया भर में विकास के उच्च स्तर पर महिलाएँ घर के कामों में कम समय और भुगतान वाले रोज़गार में अधिक समय व्यतीत करती हैं। हालाँकि अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों में जुड़ाव अपेक्षा से कम है जो इस क्षेत्र के विकास के स्तर को देखते हुए अपेक्षित होगा।
- रूढ़िवादी विश्वास: कुछ अपवादों के साथ दक्षिण एशियाई देशों में घरेलू श्रम विभाजन संबंधी रूढ़िवादी विश्वास महिलाओं के आर्थिक जुड़ाव में इन बड़े अंतरालों हेतु ज़िम्मेदार है।

प्रमुख सुझाव:

- योजनागत नीतियाँ: सरकारों को बाहरी झटकों का मुकाबला करने और कमज़ोर लोगों की सुरक्षा हेतु मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है।.
- महिलाओं के लिये हस्तक्षेप: देशों को उन हस्तक्षेपों को लागू करने की आवश्यकता है जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधाओं को कम करते हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह वाले मानदंड भी शामिल हैं।
- लो कार्बन डेवलपमेंट: देशों को भी कम कार्बन विकास पथ पर तीव्रता के साथ कार्य करना चाहिये और ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु एक हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिये।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों को 'ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स' रैंकिंग जारी करता है? (2017)

(a) विश्व आर्थिक मंच

(b) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(c) संयुक्त राष्ट्र महिला

(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन

उत्तर: (a)

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है।

निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने 'निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना से लौह, इस्पात, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को हटा दिया है।

इन क्षेत्रों को इस योजना से हटा दिया गया क्योंकि लौह और इस्पात 'पहले से ही उन्नत स्तर पर थे तथा महामारी के दौरान फार्मा उद्योग में भी वृद्धि हुई थी।

'निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना:

- परिचय
  - RoDTEP योजना निर्यातकों को ऐसे अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी, जिन पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था, जिससे भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा था।
  - यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी, जिन पर पहले ही छूट दी जा चुकी है या जिन्हें वापस किया जा चुका है।
- लॉन्च
  - इसे जनवरी 2021 में 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम' (MEIS) के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं थी।
    - MEIS योजना के तहत निर्यात के 'फ्रेट ऑन बोर्ड' (FOB) मूल्य पर 2% से 7% का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा था।
  - परिधान निर्यातकों के लिये 'राज्य और केंद्रीय लेवी तथा कर' (RoSCTL) योजना की छूट अलग से अधिसूचित की गई है।
- दरें
  - विभिन्न क्षेत्रों के लिये कर रिफंड दरें 0.5% से 4.3% तक हैं।
  - यह छूट निर्यात के 'फ्रेट ऑन बोर्ड' मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी जाएगी।
- निर्गमन
  - यह छूट एक 'हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप' (ई-स्क्रिप) के रूप में जारी की जाएगी, जिसे 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' (CBIC) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में रिकॉर्ड किया जाएगा।

महत्त्व:

- भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना:
  - विद्युत् शुल्क पर कर, परिवहन में ईंधन पर मूल्यवर्द्धित कर, कृषि क्षेत्र आदि जैसे करों की प्रतिपूर्ति भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धी बनाएगी।
  - अगले 5-10 वर्षों में भारत द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मकता, व्यापार प्रवाह और निर्यात संख्या को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी:
  - भारतीय निर्यातक, निर्यात के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर होने के बजाय देश के भीतर निर्यातकों को सस्ते परीक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जाएगा।
  - इससे देश के लिये अर्थव्यवस्था और उद्यमों हेतु कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी।
- स्वचालित कर निर्धारण:
  - साथ ही इसके तहत निर्यातकों के लिये टैक्स असेसमेंट/कर मूल्यांकन पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगा। व्यवसायों को एक स्वचालित धन वापसी-मार्ग के माध्यम से GST (वस्तु और सेवा कर) के तहत रिफंड तक पहुँच हो जाएगी।

फ्रेट ऑन बोर्ड:

- इसे फ्री ऑन बोर्ड (FOB) भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यह इंगित करने के लिये किया जाता है कि शिपिंग के दौरान किसी भी वस्तु के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर कौन उत्तरदायी है।
  - "FOB ऑरिज़िन" का अर्थ है कि खरीदार जोखिम में है और विक्रेता द्वारा उत्पाद को शिप किये जाने के बाद माल पर खरीददार का स्वामित्व होता है।
  - "FOB डेस्टिनेशन" का अर्थ है कि जब तक माल खरीदार तक नहीं पहुँचता तब तक किसी भी प्रकार के नुकसान का जोखिम विक्रेता पर बना रहता है।
- FOB की शर्तें खरीदार की माल सूची लागत (Inventory Cost) को प्रभावित करती हैं अर्थात् शिप किये गए माल में देयता को जोड़े जाने से माल सूची लागत बढ़ जाती है तथा शुद्ध आय कम हो जाती है।

निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने 'निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना से लौह, इस्पात, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को हटा दिया है।

इन क्षेत्रों को इस योजना से हटा दिया गया क्योंकि लौह और इस्पात 'पहले से ही उन्नत स्तर पर थे तथा महामारी के दौरान फार्मा उद्योग में भी वृद्धि हुई थी।

'निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना:

- परिचय
  - RoDTEP योजना निर्यातकों को ऐसे अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी, जिन पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था, जिससे भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा था।
  - यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी, जिन पर पहले ही छूट दी जा चुकी है या जिन्हें वापस किया जा चुका है।
- लॉन्च
  - इसे जनवरी 2021 में 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम' (MEIS) के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं थी।
    - MEIS योजना के तहत निर्यात के 'फ्रेट ऑन बोर्ड' (FOB) मूल्य पर 2% से 7% का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा था।
  - परिधान निर्यातकों के लिये 'राज्य और केंद्रीय लेवी तथा कर' (RoSCTL) योजना की छूट अलग से अधिसूचित की गई है।
- दरें
  - विभिन्न क्षेत्रों के लिये कर रिफंड दरें 0.5% से 4.3% तक हैं।
  - यह छूट निर्यात के 'फ्रेट ऑन बोर्ड' मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी जाएगी।
- निर्गमन
  - यह छूट एक 'हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप' (ई-स्क्रिप) के रूप में जारी की जाएगी, जिसे 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' (CBIC) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में रिकॉर्ड किया जाएगा।

महत्त्व:

- भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना:
  - विद्युत् शुल्क पर कर, परिवहन में ईंधन पर मूल्यवर्द्धित कर, कृषि क्षेत्र आदि जैसे करों की प्रतिपूर्ति भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धी बनाएगी।
  - अगले 5-10 वर्षों में भारत द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मकता, व्यापार प्रवाह और निर्यात संख्या को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी:
  - भारतीय निर्यातक, निर्यात के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर होने के बजाय देश के भीतर निर्यातकों को सस्ते परीक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जाएगा।
  - इससे देश के लिये अर्थव्यवस्था और उद्यमों हेतु कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी।

- स्वचालित कर निर्धारण:
    - साथ ही इसके तहत निर्यातकों के लिये टैक्स असेसमेंट/कर मूल्यांकन पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगा। व्यवसायों को एक स्वचालित धन वापसी-मार्ग के माध्यम से GST (वस्तु और सेवा कर) के तहत रिफंड तक पहुँच हो जाएगी।

फ्रेट ऑन बोर्ड:

- इसे फ्री ऑन बोर्ड (FOB) भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यह इंगित करने के लिये किया जाता है कि शिपिंग के दौरान किसी भी वस्तु के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर कौन उत्तरदायी है।
    - "FOB ऑरिज़िन" का अर्थ है कि खरीदार जोखिम में है और विक्रेता द्वारा उत्पाद को शिप किये जाने के बाद माल पर खरीददार का स्वामित्व होता है।
    - "FOB डेस्टिनेशन" का अर्थ है कि जब तक माल खरीदार तक नहीं पहुँचता तब तक किसी भी प्रकार के नुकसान का जोखिम विक्रेता पर बना रहता है।
- FOB की शर्तें खरीदार की माल सूची लागत (Inventory Cost) को प्रभावित करती हैं अर्थात् शिप किये गए माल में देयता को जोड़े जाने से माल सूची लागत बढ़ जाती है तथा शुद्ध आय कम हो जाती है।

उबला चावल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र द्वारा अधिक उबला चावल/पारबॉइल्ड राइस/उसना चावल (Parboiled Rice) की खरीद पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी जिसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक समान धान खरीद नीति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

उबला चावल (Parboiled Rice)

- उबला चावल के बारे में:
    - 'पारबॉइल्ड' (Parboil) का शाब्दिक अर्थ है 'आंशिक रूप से उबालकर पकाया गया' (Partly Cooked by Boiling')।
        - इस प्रकार उबला चावल उस चावल को संदर्भित करता है जिसे चावल/धान (Paddy) के मिलिंग चरण (Milling Stage) से पहले आंशिक रूप से उबाला जाता है।
    - चावल को उबालना कोई नई प्रथा नहीं है तथा भारत में प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है।
        - हालाँकि भारतीय खाद्य निगम या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा उबले हुए चावल की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
- चावल को उबालने की प्रक्रिया (उदाहरण):
    - केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (Central Food Technological Research Institute- CFTRI), मैसूर, एक ऐसी विधि का उपयोग करता है जिसमें धान को 8 घंटे से अधिक समय तक भिगोने की सामान्य विधि के विपरीत, धान को तीन घंटे के लिये ही गर्म पानी में भिगोया जाता है।
        - इसके बाद चावल को पानी से निकाल दिया जाता है और धान को 20 मिनट के लिये स्टीम कर दिया जाता है। साथ ही धान को CFTRI द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि में किसी छायादार स्थान मंस सुखाया जाता है, लेकिन सामान्य विधि में इसे धूप में सुखाया जाता है।
    - धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र (Paddy Processing Research Centre- PPRC), तंजावुर द्वारा एक अन्य विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस (Chromate Soaking Process) के रूप में जाना जाता है।
        - इस विघि में प्रयोग किया जाने वाले क्रोमेट लवण के आयनों में क्रोमियम और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, गीले चावल से गंध को दूर करने में सहायक होते हैं।
- उबालने के लिये उपयुक्त चावल की किस्में:
    - सामान्यत: चावल की सभी किस्मों को उबले चावल में संसाधित किया जा सकता है, लेकिन मिलिंग के दौरान चावल के टूटने की प्रक्रिया को रोकने हेतु लंबी पतली किस्मों (Slender Varieties) का उपयोग करना उचित होता है।
    - हालाँकि सुगंधित किस्मों को उबालने के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इस इसकी सुगंध कम हो सकती है।

फायदे और नुकसान

PARBOILED TICE STOCK WITH FCI (LAKH TONNES)

STATE	STOCKS
Andhra Pradesh	0.66
Telangana	16.52
Chhattisgarh	1.49
Odisha	2.07
Jharkhand	2.98
Kerala	3.00
Tamil Nadu	12.09
West Bengal	0.43
Karnataka	0.1
Bihar	1.09
Haryana	0.11
Punjab	0.04
TOTAL	40.58

As on April 1. Source: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

- फायदे:
  - उबालने से चावल सख्त हो जाते हैं जिससे मिलिंग के दौरान चावल के दाने के टूटने की संभावना कम हो जाती है।
  - हल्का उबालने से चावल के पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं।
  - उबले हुए चावल में कीड़ों और कवक के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है।
- नुकसान:
  - चावल गहरे रंग के हो जाते हैं और लंबे समय तक भिगोने के कारण उनमें गंध आ सकती हैं।
  - इसके अलावा एक उबला चावल मिलिंग इकाई (Parboiling Rice Milling Unit) स्थापित करने के लिये कच्चे चावल मिलिंग इकाई (Raw Rice Milling Unit) की तुलना में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

सरकार द्वारा उबला चावल की खरीद बंद करने का कारण:

- सरकार के अनुसार पर्याप्त स्टॉक होने के कारण भारतीय खाद्य निगम अधिशेष चावल की खरीद नहीं कर सकता है।
- साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के तहत ऐसे अनाज की कोई मांग नहीं है।
  - मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरण हेतु 20 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उबले चावल की मांग है।
  - मंत्रालय के अनुसार हाल के वर्षों में उबले हुए चावल की मांग में कमी आई है।
- पिछले कुछ वर्षों में झारखंड, केरल और तमिलनाडु जैसे उबले चावल की खपत वाले राज्यों में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में इसकी आयात में कमी हुई है।
- इससे पहले भारतीय खाद्य निगम राज्यों को आपूर्ति करने हेतु तेलंगाना जैसे राज्यों से उबले हुए चावल की खरीद करता था। हाल के वर्षों में इन राज्यों में उबले हुए चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
  - तेलंगाना उबले हुए चावल (भुजिया या उसना या सेला चावल) का एक अधिशेष उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ उबले हुए चावल का उपभोग नहीं किया जाता है, यहाँ हमेशा अधिशेष में उत्पादन होता है, जो भारतीय खाद्य निगम (FCI) को दिया जाता है।

चावल की मुख्य विशेषताएँ:

- यह एक खरीफ फसल है जिसके लिये उच्च तापमान (25C◦ से अधिक) तथा 100 सेमी. से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
- चावल उत्तर और उत्तर-पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- चावल उत्पादक राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारत में पिछले पाँच वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है।
2. ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र, तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
3. कपास की खेती का क्षेत्र, गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
4. गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

- चावल/धान सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। चावल/धान की खेती के अंतर्गत भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है।

Area Under Cultivation of Major Crops

Crops	Area (lakh hectare)			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Rice	441.10	434.99	439.93	437.89
Coarse cereals	251.70	243.89	250.08	242.05
Oil seeds	255.96	260.87	261.77	246.45
Sugarcane	50.66	49.27	44.36	47.32
Cotton	128.19	122.92	108.26	124.29

- कथन 1 और 3 सही हैं तथा कथन 2 और 4 सही नहीं हैं। अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

प्रश्न. निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिये:

1. कपास
2. मूँगफली
3. धान
4. गेहूँ

इनमें से कौन-सी खरीफ की फसलें हैं?

(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

- भारत में तीन फसल मौसम रबी, खरीफ और जायद हैं। रबी की फसलों की बुवाई अक्तूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है।
- खरीफ फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती हैं तथा सितंबर-अक्तूबर में काटी जाती हैं।
- रबी के मौसम और खरीफ के मौसम के बीच के एक छोटे मौसम (मुख्य रूप से मार्च से जून तक का मौसम) को जायद कहा जाता है। 'जायद' के अंतर्गत तरबूज़, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियाँ और चारा (पशुभोजन) आदि जैसी कुछ फसलें उगाई जाती हैं।
- खरीफ फसलें: चावल, मक्का, ज्वार, बाज़रा, फिंगर बाजरा या रागी (अनाज), अरहर (दाल), सोयाबीन, मूँगफली (तिलहन), कपास, आदि। अत: 1, 2 और 3 सही हैं।
- रबी की फसलें: गेहूँ, जौ, जई (अनाज), चना या चना (दाल), अलसी, सरसों (तिलहन), आदि। अत: 4 सही नहीं है। अत: विकल्प (c) सही उत्तर है।

एमएसएमई वित्त के लिये संसदीय पैनल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र में ऋण प्रवाह को मज़बूत करने हेतु कई उपाय सुझाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार की आवश्यकता:

- औपचारिकता का अभाव: एमएसएमई के लिये क्रेडिट पारितंत्र को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता को महत्त्व दिया गया है क्योंकि सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 6.34 करोड़ एमएसएमई में से 40% से कम औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से उधार लेते हैं।
    - एमएसएमई क्षेत्र में समग्र ऋण अंतर 20-25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- एकीकृत डेटा का अभाव: अंतिम एमएसएमई सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा छह वर्ष पहले किया गया था, जबकि सरकार ने वर्ष 2020 में एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया था।
    - समिति के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में जो भी डेटा है, वे खंडित तरीके से मौजूद हैं और कई डेटासेट में कोई वास्तविक एकीकरण नहीं है।
    - यही वजह है कि बैंक एमएसएमई क्षेत्रक को ऋण देने से कतरा रहे थे।

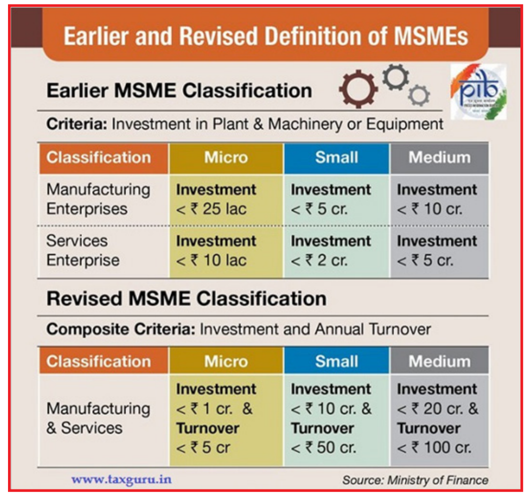
Earlier and Revised Definition of MSMEs

Earlier MSME Classification

Criteria: Investment in Plant & Machinery or Equipment

Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing Enterprises	Investment < ₹ 25 lac	Investment < ₹ 5 cr.	Investment < ₹ 10 cr.
Services Enterprise	Investment < ₹ 10 lac	Investment < ₹ 2 cr.	Investment < ₹ 5 cr.

Revised MSME Classification

Composite Criteria: Investment and Annual Turnover

Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment < ₹ 1 cr. & Turnover < ₹ 5 cr	Investment < ₹ 10 cr. & Turnover < ₹ 50 cr.	Investment < ₹ 20 cr. & Turnover < ₹ 100 cr.

www.taxguru.in Source: Ministry of Finance

पैनल के सुझाव:

- वन-स्टॉप सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी: उद्यम पोर्टल को अन्य डेटाबेस जैसे- सिबिल डेटा, यूटिलिटी बिल डेटा आदि के साथ जोड़कर एमएसएमई क्षेत्र हेतु वन-स्टॉप सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी में विकसित करना।
    - वर्तमान में पोर्टल पहले से ही सरकारी ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace - GeM), आयकर, GST और व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (Trade Receivables Discounting System-TReDS) पोर्टल्स से जुड़ा हुआ है।
    - इसके अलावा बजट 2022 ने एमएसएमई के लिये कौशल और लोगों भागीदारी को बढ़ाने हेतु उद्यम पोर्टल को ई-श्रम पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस (NCS) और 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (Atmanirbhar Skilled Employee-Employer Mapping-ASEEM) से जोड़ने की घोषणा की गई।
- अभिनव उधार प्रणाली/इनोवेटिव लेंडिंग सिस्टम: मोबाइल-आधारित कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और कम लागत वाले तरीके से छोटे-टिकट कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुँचने के लिये औपचारिक क्षेत्र के सभी एमएसएमई हेतु 'एमएसएमई ऋण के लिये एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface-UPI) बनाना।
- व्यापार क्रेडिट कार्ड: पैनल ने एमएसएमई के लिये सिडबी के तहत एक 'व्यापार' किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भी सिफारिश की जो राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के समान है, ताकि स्ट्रीट वेंडर और किराना स्टोर सहित करोड़ों एमएसएमई को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल जा सके।

- क्रेडिट कार्ड कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कर सकता है और केसीसी धारकों को उपलब्ध 1 लाख संपार्श्विक-मुक्त सुविधा जैसे संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
- MSME जनगणना: बदली हुई परिभाषा के अनुरूप एमएसएमई का सर्वेक्षण/जनगणना यथाशीघ्र किया जाए ताकि देश में एमएसएमई की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाने के साथ-साथ उनकी क्रेडिट आवश्यकताओं का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा।

MSMEs क्षेत्र का महत्त्व

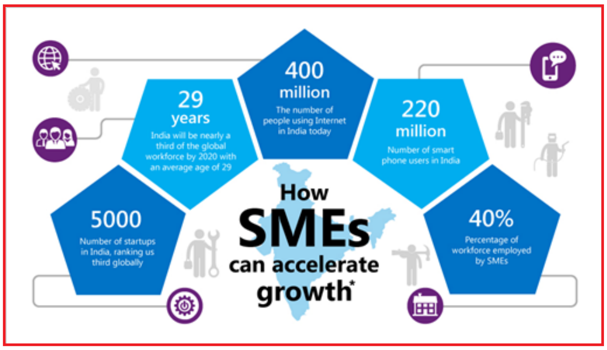

एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित पहलें:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम और जूट उद्योगों सहित MSME क्षेत्र के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को वर्ष 2006 में एमएसएमई को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज़ और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI): इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें आज के बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी कानूनी एमएसएमई को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP): इसका उद्देश्य एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाना है।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS): इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
- CHAMPIONS पोर्टल: इसका उद्देश्य भारतीय एमएसएमई को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
- MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में एमएसएमई की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने तथा व्यापार सुगमता की सुविधा हेतु निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (Export Promotion Capital Goods- EPCG) योजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं में ढील दी है।

पूंजीगत वस्तु (Capital Goods):

- पूंजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) वे भौतिक संपत्तियाँ हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है तथा जिनका बाद में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।

- पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल हैं।
- पूंजीगत वस्तुएँ तैयार माल नहीं होतीं बल्कि उनका उपयोग माल को निर्मित करने के लिये किया जाता है।
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का गुणक प्रभाव होता है और उपयोगकर्त्ता उद्योगों के विकास पर इसका असर पड़ता है क्योंकि यह विनिर्माण गतिविधि के अंतर्गत आने वाले शेष क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण इनपुट, यानी मशीनरी और उपकरण प्रदान करता है।

निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना:

- परिचय:
  - EPCG योजना वर्ष 1990 के दशक में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा हेतु शुरू की गई थी, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है।
  - इस योजना के तहत निर्माता बिना किसी सीमा शुल्क को आकर्षित किये, उत्पादन से पहले, उत्पादन तथा उत्पादन के बाद वस्तुओं के लिये पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं।
  - EPCG योजना के तहत बिना किसी प्रतिबंध के पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का भी आयात किया जा सकता है।
  - पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क के दायित्व का भुगतान करने में छूट प्रदान करने वाली यह योजना प्राधिकरण जारी होने की तारीख से 6 वर्षों के भीतर ऐसे पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के निर्यात मूल्य के बराबर होता है।
    - सरल शब्दों में व्यापार पर विदेशी मुद्रा को शामिल करने की बाध्यता है, जो घरेलू मुद्रा में मापे गए ऐसे आयात पर बचाए गए शुल्क के 600 प्रतिशत के बराबर है। यह निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तुएँ योजना का लाभ उठाने के छह साल के भीतर किया जाना है।

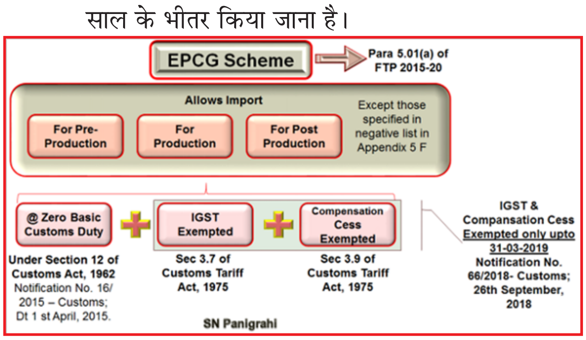

- कवरेज़:
  - निर्माता निर्यातकों के साथ या समर्थन निर्माताओं के बिना,
  - मर्चेंट एक्सपोर्टर्स सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स से जुड़े सेवा प्रदाता तथा
  - सामान्य सेवा प्रदाता (CSP)।
- नए मानदंड:
  - पूंजीगत वस्तुओं के आयात को निर्यात दायित्व के अधीन शुल्क मुक्त करने की अनुमति है।
  - योजना के तहत प्राधिकरण धारक (या निर्यातक) को छह वर्षों में मूल्य के संदर्भ में बचाए गए वास्तविक शुल्क के छह गुना मूल्य के तैयार माल का निर्यात करना होता है।
  - निर्यात दायित्व विस्तार हेतु अनुरोध पूर्व निर्धारित 90 दिनों की अवधि के बजाय समाप्ति के छह महीने के भीतर किया जाना चाहिये। हालाँकि छह महीने के बाद और छह साल तक किये गए आवेदनों पर प्रति प्राधिकरण 10,000 रुपए का विलंब शुल्क आरोपित होगा।
  - बदलावों के अनुसार, ब्लॉक-वार निर्यात दायित्व विस्तार हेतु अनुरोध समाप्ति के छह महीने के भीतर किया जाना चाहिये। हालाँकि छह महीने के बाद और छह साल तक किये गए आवेदनों हेतु प्रति प्राधिकरण 10,000 रुपये का विलंब शुल्क देय होगा।
  - EPCG के तहत चूक के लिये स्क्रिप्स एमईआईएस (भारत से माल निर्यात योजना)/निर्यात उत्पाद (आरओडीटीईपी)/आरओएससीटीएल (राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट) पर शुल्क या कर की छूट के माध्यम से सीमा शुल्क का भुगतान करने की सुविधा वापस ले ली गई है।
- EPCG योजना के लाभ:
  - EPCG का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है तथा भारत सरकार इस योजना की मदद से निर्यातकों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - इस प्रावधान से निर्यातकों को भारी फायदा हो सकता है। हालाँकि उन लोगों के लिये इस योजना के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है जो भारी मात्रा में निर्माण नहीं करते हैं या पूरी तरह से देश के भीतर निर्मित सामान को बेचने की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत निर्धारित दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव हो सकता है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अन्य योजनाएँ:

- भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना:
  - इसको विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 में पेश किया गया था। इसके तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है।

भारत योजना से सेवा निर्यात:

- इसे भारत की विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत अप्रैल 2015 में 5 वर्षों के लिये लॉन्च किया गया था।

- इससे पहले वित्तीय वर्ष 2009-2014 के लिये इस योजना को भारत योजना (SFIS योजना) से सेवा के रूप में नामित किया गया था।
- निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP):
    - यह भारत में निर्यात बढ़ाने में मदद करने हेतु जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिये पूरी तरह से स्वचालित मार्ग है।
- राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवी की छूट
    - मार्च 2019 में घोषित RoSCTL को एम्बेडेड स्टेट (Embedded State) और केंद्रीय शुल्कों (Central Duties) तथा उन करों के लिये पेश किया गया था जो माल एवं सेवा कर (GST) के माध्यम से वापस प्राप्त नहीं होते हैं।

सीवीड की खेती

चर्चा में क्यों?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार करने हेतु तमिलनाडु में एक सीवीड/समुद्री शैवाल पार्क को स्थापित करेगा।

- तमिलनाडु से सीवीड की खेती के लिये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) हेतु स्थान चुनने के लिये कहा गया है।
- वर्ष 2021 में प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) ने एक सीवीड मिशन शुरू किया था।

सीवीड

- सीवीड के बारे में :
    - ये शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
    - सीवीड पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फारेस्ट (Kelp Forest) कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिये नर्सरी का कार्य करते हैं।
    - सीवीड की अनेक प्रजातियाँ हैं जैसे- ग्रेसिलिरिया एडुलिस, ग्रेसिलिरिया क्रैसा, ग्रेसिलिरिया वेरुकोसा, सरगस्सुम एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी आदि।
- लाभ:
    - पोषण के लिये:
        - सीवीड विटामिन, खनिज और फाइबर का स्रोत होते हैं तथा कई सीवीड स्वादिष्ट भी होते हैं ।
    - औषधीय उद्देश्य के लिये:
        - कई सीवीड में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल एजेंट विद्यमान होते हैं। उनके ज्ञात औषधीय प्रभाव हज़ारों वर्षों से विरासत में प्राप्त हुए हैं।
        - कुछ सीवीड में कैंसर से लड़ने वाले शक्तिशाली एजेंट भी पाए जाते हैं अत: शोधकर्त्ताओं को उम्मीद है कि ये अंतत: लोगों में घातक ट्यूमर और ल्यूकेमिया के उपचार में प्रभावी साबित होंगे।
    - आर्थिक विकास के लिये:
        - सीवीड आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। विनिर्माण में उनके कई उपयोगों में, टूथपेस्ट और फलों की जेली जैसे वाणिज्यिक सामानों में प्रभावी बाध्यकारी एजेंट (पायसीकारक) और कार्बनिक सौंदर्य प्रसाधन तथा त्वचा देखभाल उत्पादों में लोकप्रिय सॉफ्नर (इमोलियेंट्स) के रूप में उपयोग किया जाता हैं।
    - जैव संकेतक:
        - जब कृषि, जलीय कृषि (Aquaculture), उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा समुद्र में प्रवेश करता है, तो यह पोषक तत्वों के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom) होता है। सीवीड अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं।
    - आयरन सीक्वेस्टर:
        - सीवीड प्रकाश संश्लेषण के लिये लौह खनिज पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो सीवीड इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचा लेते हैं। सीवीडों द्वारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है।
    - ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों का पूर्तिकर्त्ता:
        - सीवीड प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्त्वों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपने शरीर के हर हिस्से से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये अन्य समुद्री जीवों को भी जैविक पोषक तत्त्वों की आपूर्ति करते हैं।

सीवीड की खेती क्या है और इसका महत्त्व क्या है?

- सीवीड की खेती:
    - यह सीवीड की खेती और कटाई का अभ्यास है।
    - यह अपने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रारूपो के सरलतम रूप का प्रबंधन करता है।
    - अपने सबसे उन्नत रूप में इसमें शैवाल के जीवन चक्र को पूरी तरह से नियंत्रित करना शामिल है।
    - तमिलनाडु और गुजरात तटों तथा लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास सीवीड प्रचुर मात्रा पाया जाता हैं।

- महत्त्व:
  - एक अनुमान के अनुसार यदि सीवीड की खेती भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) क्षेत्र के 10 मिलियन हेक्टेयर या 5% क्षेत्र में की जाती है, तो यह
    - पाँच करोड़ लोगों को रोज़गार मिल सकता है।
    - एक नया सीवीड उद्योग स्थापित हो सकता है।
    - यह राष्ट्रीय जीडीपी में बड़ा योगदान कर सकता है।
    - समुद्री उत्पादों में वृद्धि कर सकता है।
    - शैवालों की जल क्षेत्रों में अनावश्यक भरमार को कम कर सकता है।
    - लाखों टन कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) को अवशोषित कर सकता है।
    - जैव ईंधन का 6.6 अरब टन उत्पादन कर सकता है।

फिनक्लुवेशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank- IPPB) द्वारा फिनक्लुवेशन प्लेटफॉर्म (Finclusion Platform) को लॉन्च किया गया है, ताकि फिनटेक स्टार्टअप्स के सहयोग से अभिनव उपायों को बढ़ावा दिया जा सके और वंचित तथा सेवाओं तक पहुँच वाली आबादी के बीच वित्तीय समावेशन में तेज़ी लाई जा सके।

- फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) शब्द व्यवसायों द्वारा उपयोग किये जाने वाले उन सॉफ्टवेयर और अन्य आधुनिक तकनीकों को संदर्भित करता है जो स्वचालित एवं आयातित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।

प्रमुख बिंदु

फिनक्लुवेशन:

- फिनक्लुवेशन, भाग लेने वाले स्टार्टअप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने हेतु IPPB का एक स्थायी मंच होगा।
  - IPPB और डाक विभाग (Department of Post-DoP) सामूहिक रूप से डाकघरों और उनमें कार्यरत 4,00,000 से अधिक कर्मचारियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से 430 मिलियन ग्राहकों को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं जो इसे विश्व के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद डाक नेटवर्क का निर्माण करते हैं।
- वित्तीय समावेशन के लिये लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप्स समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है।
- स्टार्टअप्स को निम्नलिखित ट्रैक्स के साथ संरेखित समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है:
  - क्रेडिटाइज़ेशन- लक्षित ग्राहकों के साथ संयोजित नवोन्मेषी तथा समावेशी क्रेडिट उत्पादों का विकास करना एवं उन्हें डाक नेटवर्क के माध्यम से उनके द्वार तक पहुँचाना।
  - डिजिटाइज़ेशन- डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक सेवाओं के समन्वयन के माध्यम से सुविधा प्रदान करना, उदाहरण के लिये अंत: पारस्परिक बैंकिंग सेवा के रूप में पारंपरिक मनीऑर्डर सेवा उपलब्ध कराना।
  - बाज़ार आधारित समाधान- बाज़ार आधारित कोई भी समाधान जो लक्षित ग्राहकों की सेवा करने में आईपीपीबी (IPPB) और/या डाक विभाग से संबंधित किसी अन्य समस्या का समाधान करने में सहायता कर सकती है।
- फिनक्लुवेशन मेंटर स्टार्टअप्स के साथ मिलकर कार्य करेंगे ताकि ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादों में बदलाव किया जा सके और आईपीपीबी और डीओपी के ऑपरेटिंग मॉडल के साथ बाज़ार में प्रवेश की रणनीति बनाई जा सके।

भारत में फिनक्लुवेशन की आवश्यकता:

- नए अवसरों को बढ़ावा देना: पारंपरिक वितरण नेटवर्कों से जुड़ी वित्तीय सेवाओं के साथ प्रौद्योगिकी का समन्वयन नए प्रकार के व्यवसाय अवसर उपलब्ध करा रही है।
- उपयोगकर्त्ताओं के अनुभव को बढ़ाना: प्रौद्योगिकी खरीद के पारंपरिक मॉडल के कारण बैंकों द्वारा उत्पाद निर्माण में अक्सर उपयोगकर्त्ता के अनुभव की कमी देखी जाती है जिससे ग्राहकों की अपेक्षाओं और सेवा वितरण के बीच एक बड़ा अंतर उत्पन्न होता है।
- पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की विफलता: उत्पाद निर्माण में स्वामित्व की कमी के कारण पारंपरिक प्रौद्योगिकी फर्म ग्राहकों की सेवा अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है। भारतीय नागरिकों की विविध ज़रूरतें हैं, इसलिये उपयोगकर्त्ताओं के बीच सावधानीपूर्वक विचार करते हुए उत्पाद का डिजाइन और प्रतिरूप तैयार करने की आवश्यकता है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

- IPPB को वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था।
- यह भारतीय डाक विभाग का एक भुगतान बैंक है जो डाकघरों और लगभग 4 लाख डाकियों के नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- बैंकों की स्थापना भारत में आम आदमी के लिये सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बनाने की दृष्टि से की गई है। IPPB का मूल उद्देश्य है बैंक के अभाव और ऐसी बाधाओं को दूर करना तथा अंतिम व्यक्ति तक बैंक की सुविधा पहुँचाना है।
- IPPB कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया के विज़न में योगदान करने के लिये प्रतिबद्ध है।

वित्तीय समावेशन:

- वित्तीय समावेशन मुख्यधारा के संस्थागत प्लेयर्स द्वारा उचित और पारदर्शी तरीके से यथोचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, जिसमें कमज़ोर वर्ग और कम आय वाले समूह शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन के लिये कुछ अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- स्टैंडअप इंडिया योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:(2010)

1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन
3. बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को गोद लेना

भारत में "वित्तीय समावेशन" के लिये उपरोक्त में से कौन-सा/से कदम उठाया/उठाए जाना/जाने चाहिये?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बैंक शाखाओं के विस्तार में मदद की और इस तरह अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँच बनाई। इसके अलावा कृषि, लघु उद्योगों और संबद्ध क्षेत्रों के ऋण में भी वृद्धि हुई है। अत: कथन 1 सही है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत सरकार द्वारा प्रायोजित, क्षेत्र आधारित ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में की गई थी। RRB को हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थानों के रूप में आकार देने के लिये स्थानीय अभिविन्यास और सहकारी समितियों की लघु-स्तरीय ऋण देने की संस्कृति एवं वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिक संस्कृति को आपस में जोड़ा गया था। अत: कथन 2 सही है।
- भारत में 1960 के दशक में कृषि-ऋण को लागत प्रभावी तरीके प्रोत्साहित करने के अलावा अपनी पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से से बैंकों द्वारा एक गाँव को गोद लेने की योजना शुरू की गई थी। अत: कथन 3 सही है।

विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियाँ (SPACs)

चर्चा में क्यों?

कंपनी कानून समिति 2022 (Company Law Committee 2022) की हालिया सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार देश में भारतीय कंपनियों की संभावित लिस्टिंग में सहायता हेतु विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) के लिये एक नियामक ढाँचा स्थापित करने पर विचार कर रही है।

- भारत में व्यापार करने में आसानी प्रदान करने हेतु सिफारिशें करने के लिये वर्ष 2019 में कंपनी लॉ कमेटी का गठन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

SPACs के बारे में:

- एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (SPAC) इनिशियल पब्लिक ऑफ के माध्यम से निवेश हेतु पूंजी जुटाने के एकमात्र उद्देश्य के लिये बनाया गया एक निगम है।
  - उनके आईपीओ के समय SPAC के पास कोई मौजूदा व्यवसाय संचालन या अधिग्रहण के लिये कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है।
- इस तरह की व्यावसायिक संरचना निवेशकों को फंड हेतु धन का उपयोग करने की अनुमति देती है जिसका उपयोग आईपीओ के बाद पहचाने जाने वाले एक या अधिक अनिर्दिष्ट व्यवसायों हेतु किया जाता है।
  - इसलिये इस प्रकार की शेल फर्म संरचना को लोकप्रिय मीडिया में अक्सर "ब्लैंक-चेक कंपनी" कहा जाता है।
- एक बार जब जनता से पैसा जुटा लिया जाता है तो इसे एस्क्रो खाते में रखा जाता है जिसे अधिग्रहण करते समय एक्सेस किया जा सकता है।
  - यदि आईपीओ के दो साल के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो SPAC को हटा दिया जाता है और पैसा निवेशकों को वापस कर दिया जाता है।

कंपनी कानून समिति 2022 की सिफारिशें:

- यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एसपीएसी को मान्यता देने हेतु एक सक्षम ढाँचा प्रस्तुत करने की सिफारिश करती है और उद्यमियों को घरेलू व वैश्विक एक्सचेंजों पर भारत में शामिल एक एसपीएसी को सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान करती है।
- विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (SPACs) को अधिनियम की मौजूदा योजना के साथ संरेखित करने के लिये समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उन शेयरधारकों को एक निकास विकल्प प्रदान किया जाना चाहिये, जो लक्षित कंपनी की पसंद से सहमत नहीं हैं।
- इसके अलावा यह SPACs के लिये अपने आवेदन में कंपनियों को बंद करने से संबंधित प्रावधानों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है, क्योंकि उनका अपना कोई परिचालन व्यवसाय नहीं है।

SPACs का महत्त्व:

- लागत कुशल:
  - एक कंपनी महीनों के भीतर सार्वजनिक कंपनी हो सकती है यदि उसका विलय हो जाता है या एक SPAC द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है।
  - SPACs विशेष रूप से निवेशकों को विशिष्ट भारतीय व्यवसायों के लिये अद्वितीय अवसर पेश करते हैं जो इस प्रक्रिया से जुड़ी विशाल लागतों को वहन किये बिना विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने का इरादा रखते हैं।
    - उदाहरण के लिये अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगमित SPAC के माध्यम से NASDAQ (एक अमेरिकी स्टॉक मार्केट) पर एक भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड की हालिया लिस्टिंग SPAC की लोकप्रियता की बात करती है।
- ज़ोखिम को कम कर सुरक्षा सुनिश्चित करना:
  - SPACs के माध्यम से सूचीबद्ध करना उल्लेखनीय माना जाता है क्योंकि पूरी प्रक्रिया न्यूनतम ज़ोखिम और सुनिश्चित निश्चितता के साथ एक निश्चित समझौते के अनुसार होती है।
- असहमत शेयरधारकों को सुरक्षा प्रदान करना:
  - यह असंतुष्ट SPAC शेयरधारकों के हितों की भी रक्षा करती है क्योंकि प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ वोट देने वालों को SPAC प्रमोटरों को अपने शेयर बेचकर बाहर निकलने की अनुमति है।
- निवेशकों के लिये आकर्षक:
  - अनिवार्य रूप से शेल कंपनियाँ होने के बावजूद ये निवेशकों के लिये आकर्षक हैं क्योंकि ब्लैंक-चेक कंपनियाँ लोगों द्वारा प्रायोजित होती हैं।
- देशों और उपभोक्ता आधारों के लिये एक्सपोज़र का अवसर:
  - कुछ व्यवसायों के लिये SPACs उन देशों और उपभोक्ता आधारों के साथ संपर्क हेतु अवसर भी प्रदान करते हैं जहाँ ऐसे विशिष्ट उत्पादों की मांग है तथा ऐसी कंपनियों को उच्च मूल्यांकन प्राप्त करने अनुमति है।

शेल कंपनियाँ:

- शेल कंपनी एक ऐसी फर्म होती है जिसका अर्थव्यवस्था में कोई संचालन नहीं होता है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से पंजीकृत, निगमित या कानूनी रूप से संगठित होती है।
- इन्हें कभी-कभी अवैध रूप से जैसे कि कानून प्रवर्तन या जनता से व्यावसायिक स्वामित्व को छिपाने के लिये उपयोग किया जाता है|

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग(IPO):

- प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है।
  - प्राथमिक बाज़ार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है। इसे न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है।
  - इसे शेयर बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। जो द्वितीयक बाज़ार से अलग है, जहाँ मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है।
- इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तब प्रस्तुत की जाती है जब एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी या तो प्रतिभूतियों को पहली बार या अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव या दोनों को पहली बार शेयर बाज़ार में बिक्री के लिये जारी करती है।
  - गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ वे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती हैं।

एस्क्रो खाता (Escrow Account):

- यह एक कानूनी अवधारणा है जो एक ऐसे वित्तीय उपकरण को संदर्भित करती है जिसके तहत लेन-देन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये संपत्ति या एस्क्रो मनी को दो अन्य पार्टियों की ओर से एक तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराया जाता है।
- तृतीय-पक्ष निधि को तब तक अपने पास रखता है जब तक कि दोनों पक्ष अपनी संविदात्मक शर्तों को पूरा नहीं कर लेते।

SPAC से संबंधित चिंताएँ:

- खुदरा निवेशकों के लिये रिटर्न सीमित हो सकता है:
  - एसपीएसी के लिये निवेशक फर्मों में उछाल और फिर लक्षित कंपनियों की तलाश ने निवेशित फर्मों के पक्ष में पैमानों को झुका दिया है। इसमें सैद्धांतिक रूप से विलय के बाद खुदरा (व्यक्तिगत) निवेशकों के लिये रिटर्न सीमित करने की क्षमता है।

- प्रत्येक SPAC लक्ष्य आकर्षित करने में सक्षम नहीं है:
  - क्योंकि एसपीएसी को लिस्टिंग के बाद एक लक्षित इकाई की तलाश शुरू करने की आवश्यकता होती है और समग्र लेन-देन एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरा करने की उम्मीद की जाती है, ऐसे में कई एसपीएसी आकर्षक लक्षित व्यवसायों की तलाश करते नज़र आते हैं।
- सौदे के परिणामस्वरूप जल्दबाज़ी में निर्णय लिया जा सकता है:
  - समयबद्ध खोज - एसपीएसी दो साल के लिये मौजूद है, एक आकर्षक सौदे के परिणामस्वरूप जल्दबाज़ी में निर्णय हो सकते हैं, जिससे असंतुष्ट शेयरधारकों को बाहर निकलने हेतु प्रेरित किया जा सकता है और निवेशकों का समग्र लाभ कम हो सकता है।
- निराशाजनक परिणाम जाँच शुरू कर सकते हैं:
  - कई मामलों में निराशाजनक परिणामों के फलस्वरूप शेयरधारकों द्वारा यूएस में एसपीएसी प्रायोजकों के खिलाफ क्लास एक्शन सूट और जाँच शुरू करने का निर्णय लिया गया।
- अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने निवेशकों के लिये अधिक खुलासे की आवश्यकता पर ध्यान दिया है और धोखाधड़ी तथा हितों के टकराव के खिलाफ अधिक सुरक्षा का आह्वान किया गया है।

आगे की राह

- भारत को SPAC का लाभ उठाना चाहिये :
  - भारत, SPACs का संचालन सतर्कता, आशावाद और अधिक नियामक निरीक्षण के साथ किया जा रहा है, यहाँ तक कि SPACs द्वारा किये गए बेहतर प्रदर्शन के उदाहरण धीरे-धीरे धरातल पर दिखने लगे हैं।
  - उन्हें नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे को मज़बूत करने और जोखिम को कम करने के लिये ऐसी कंपनियों को वैधानिक मान्यता प्रदान करना तथा निवेशकों के हितों की रक्षा के उपाय करना आवश्यक है।
- SPAC वैश्विक एक्सचेंजों कीअनुमति:
  - यह आवश्यक है कि भारत में निगमित SPAC को न केवल घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों पर बल्कि वैश्विक एक्सचेंजों पर भी सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिये, ताकि लक्षित कंपनियाँ SPACs की लहर को पार कर अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बन सकें।
- SPAC से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण:
  - कंपनी अधिनियम के अंतर्गत SPACs को मान्यता देना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अभी भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परामर्श से बाज़ार प्रथाओं के आधार पर SPACs से संबंधित मुद्दों के अधिक उत्कृष्टता के साथ विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
    - इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम की धारा 23(3) और धारा 23(4) के लागू होने के बाद ही भारतीय निगमित SPACs की विदेशी सूची प्राप्त की जा सकती है। जो कुछ वर्गों की कंपनियों को अनुमत विदेशी क्षेत्राधिकार के स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है।

10,000 FPOs का गठन और संवर्द्धन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्द्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBOs) के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

10,000 FPOs के गठन और संवर्द्धन की योजना:

- शुभारंभ:
  - फरवरी, 2020 में चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में 6865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ योजना का शुभारंभ किया गया।
- परिचय:
  - वर्ष 2020-21 में FPO के गठन के लिये 2200 से अधिक एफपीओ उत्पादन क्लस्टर आवंटित किये गए हैं।
  - कार्यान्वयन एजेंसियाँ (IAs) प्रत्येक FPO को 5 वर्षों की अवधि के लिये पंजीकृत करने तथा व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (CBBOs) को शामिल कर रही हैं।
    - CBBOs, FPO के प्रचार से संबंधित सभी मुद्दों हेतु संपूर्ण जानकारी का एक मंच होगा।
- वित्तीय सहायता:
  - 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रति FPO के लिये 18.00 लाख रुपए का आवंटन।
  - FPO के प्रत्येक किसान सदस्य को 2 हज़ार रुपए (अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति FPO) का इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  - FPO को संस्थागत ऋण सुलभता सुनिश्चित करने के लिये पात्र ऋण देने वाली संस्था से प्रति FPO 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान किया गया है।
- महत्त्व:
  - किसान की आय में वृद्धि:
    - यह किसानों के खेतों या फार्म गेट से ही उपज की बिक्री को बढ़ावा देगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

- इससे आपूर्ति शृंखला छोटी होने के परिणामस्वरूप विपणन लागत में कमी आएगी जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी।
- रोज़गार सृजन:
  - यह ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करेगा तथा फार्म गेट के निकट विपणन और मूल्य संवर्द्धन हेतु बुनियादी ढाँचे में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
- कृषि को व्यवहार्य बनाना:
  - यह भूमि को संगठित कर खेती को अधिक व्यवहार्य बनाएगा।

- प्रगति:
  - योजना के तहत 5.87 लाख से अधिक किसानों को जोड़ा गया है।
  - लगभग 3 लाख किसानों को FPOs के शेयरधारकों के रूप में पंजीकृत किया गया है।
  - किसान सदस्यों द्वारा इक्विटी योगदान 36.82 करोड़ रुपए है।
  - जारी किये गए इक्विटी अनुदान सहित FPOs का कुल इक्विटी आधार 50 करोड़ रुपए है।

किसानों के लिये अन्य पहल पहलें:

- सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
- पोषक तत्त्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
- परंपरागत कृषि विकास योजना।

किसान उत्पादक संगठन (FPOs):

- FPOs, किसान-सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन हैं, FPOs के सदस्य इसकी नीतियों के निर्माण और निर्णयन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- FPOs की सदस्यता लिंग, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना उन सभी लोगों के लिये खुली होती है जो इसकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और सदस्यता की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।
- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में FPOs ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं तथा इनके माध्यम से किसान अपनी उपज से बेहतर आय प्राप्त करने में सफल रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये राजस्थान के पाली ज़िले में आदिवासी महिलाओं ने एक उत्पादक कंपनी का गठन किया और इसके माध्यम से उन्हें शरीफा/कस्टर्ड एप्पल के उच्च मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।
- FPOs को आमतौर पर संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (आरए) को बढ़ावा देकर निर्मित किया जाता है।
  - लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (Small Farmers' Agribusiness Consortium- SFAC) FPOs को बढ़ावा देने के लिये सहायता प्रदान कर रहा है।
- संसाधन एजेंसियाँ एफपीओ को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) जैसे संस्थानोंऔर एजेंसियों से उपलब्ध सहायता का लाभ उठाती हैं।

आगे की राह:

- CBBOs की भूमिका FPOs को मज़बूत करने की होनी चाहिये ताकि किसानों द्वारा उनका उपयोग किया जा सके।
- FPO केवल एक कंपनी मात्र नहीं है, यह किसानों के लाभ का एक समूह है। अधिक-से-अधिक किसानों को FPOs में शामिल होना चाहिये।
- भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है जिनकी औसत भूमि जोत 1.1 हेक्टेयर से कम है।
- ये छोटे और सीमांत किसान जो कुल जोत के 86 प्रतिशत से अधिक हैं, उत्पादन और पोस्ट-प्रोडक्शन परिदृश्य दोनों में ज़बरदस्त चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- ऐसी ही चुनौतियों का समाधान करने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु एफपीओ के गठन के माध्यम से किसान उत्पादकों का समूहीकरण बहुत महत्त्वपूर्ण है।

वर्टिकल फार्मिंग

संदर्भ:

भारत हर दिन कुछ नया कर रहा है। साथ ही औद्योगिकीकरण में नाटकीय रूप से वृद्धि देखी जा रही है जिसके कारण कृषि योग्य भूमि अधिक जोखिम में हैं। भारत के संदर्भ में वर्टिकल फार्मिंग इन सभी समस्याओं का समाधान है।

वर्टिकल फार्मिंग:

- पृष्ठभूमि:
  - 1915 में गिल्बर्ट एलिस बेली ने वर्टिकल फार्मिंग शब्द गढ़ा और उन्होंने इस पर एक किताब लिखी।
  - इस आधुनिक अवधारणा को पहली बार वर्ष 1999 में प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनकी अवधारणा इस विचार पर केंद्रित थी कि शहरी क्षेत्रों को अपना भोजन खुद उगाना चाहिये जिससे परिवहन के लिये आवश्यक समय और संसाधनों की बचत हो सके।

- परिचय:
  - वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक खेती की तरह ज़मीन पर क्षैतिज रूप से खेती करने के बजाय ऊर्ध्वाधर रूप में खेती की जाती है तथा भूमि और जल संसाधनों पर अत्यधिक प्रभाव डाले बिना ऊर्ध्वाधर परतों में फसल उगाई जाती हैं।
  - इसमें मिट्टी रहित कृषि तकनीक व अन्य कारक शामिल हैं।
  - एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स जैसी ऊर्ध्वाधर कृषि प्रणालियाँ 'संरक्षित खेती' के व्यापक दायरे में आती हैं, जहाँ एक कारक पानी, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता आदि जैसे कई कारकों को नियंत्रित कर सकता है।
  - बड़े पैमाने पर संरक्षित खेती उपभोक्ता के नज़दीक भोजन उपलब्ध कराकर हमारी फार्म-टू-प्लेट आपूर्ति श्रृंखला को छोटा और अनुकूलित करने की एक विशाल क्षमता प्रदान कर सकती है तथा इस तरह हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सुधार के लिये एक लंबा मार्ग तय कर आयात निर्भरता को कम कर सकती है।

वर्टिकल फार्मिंग के प्रकार:

- हाइड्रोपोनिक्स:
  - हाइड्रोपोनिक्स जल आधारित, पोषक तत्त्वों के घोल में पौधों को उगाने की एक विधि है।
  - इस विधि में जड़ प्रणाली को एक अक्रिय माध्यम जैसे- पेर्लाइट, मिट्टी के छर्रों, पीट, काई या वर्मीक्यूलाइट का उपयोग करके उगाया जाता है।
  - इसका मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन तक पहुँच प्रदान करना है जो उचित विकास के लिये आवश्यक है।

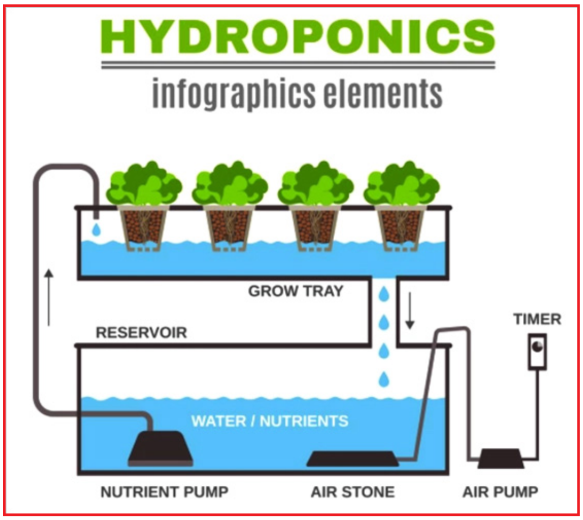

- एरोपोनिक्स:
  - एरोपोनिक्स खेती का एक पर्यावरण के अनुकूल तरीका है जिसमें जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और पौधे बिना मिट्टी के आर्द्र वातावरण में बढ़ते हैं।
  - यह हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है जहाँ पौधों के बढ़ने का माध्यम और बहते पानी दोनों अनुपस्थित होते हैं।
    - इस विधि में पौधों की जड़ों पर पानी और पोषक तत्त्वों के घोल का छिड़काव किया जाता है।
    - यह तकनीक किसानों को ग्रीनहाउस के अंदर आर्द्रता, तापमान, पीएच स्तर और जल चालकता को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है।

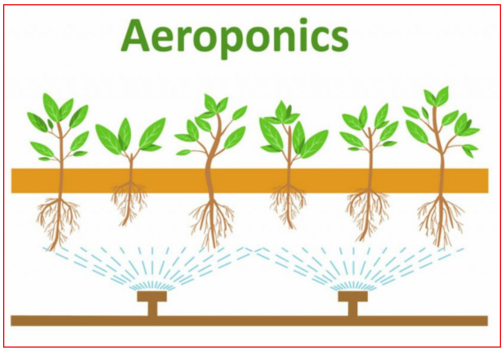

- एक्वापोनिक्स:
  - एक्वापोनिक्स एक प्रणाली है जिसमें एक बंद प्रणाली के भीतर हाइड्रोपोनिक्स और जलीय कृषि की जाती है।
  - एक्वापोनिक्स प्रक्रिया में तीन जैविक घटक होते हैं: मछलियाँ, पौधे और बैक्टीरिया।
    - इस प्रणाली में पौधों और मछलियों के बीच एक सहजीवी संबंध पाया जाता है; अर्थात् मछली का मल पौधों के लिये उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि पौधे मछली हेतु जल को साफ करते हैं।

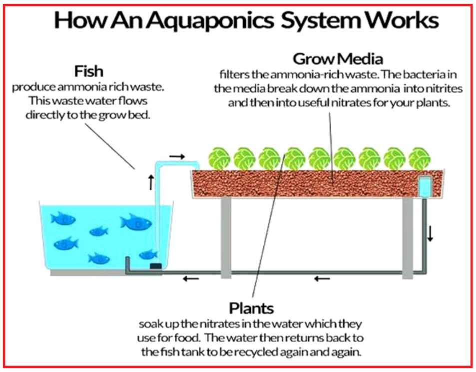

वर्टिकल फार्मिंग का महत्त्व:

- वित्तीय व्यवहार्यता:
  - यद्यपि ऊर्ध्वाधर खेती/वर्टिकल फार्मिंग में शामिल प्रारंभिक पूंजी लागत आमतौर पर अधिक होती है लेकिन यदि संपूर्ण फसल

उत्पादन की परिकल्पना आवश्यकतानुसार उचित तरीके से की जाए तो यह प्रक्रिया पूरी तरह से लाभ प्रदान करने वाली बन जाती है और पूरे वर्ष या किसी विशिष्ट अवधि के दौरान एक विशेष फसल को ऊर्ध्वाधर खेती के माध्यम से उगाने, उसकी कटाई करने तथा उत्पादन करने वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो सकती है।

- अत्यधिक जल कुशल:
  - पारंपरिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में वर्टिकल फार्मिंग विधि के माध्यम से उगाई जाने वाली सभी फसलें आमतौर पर 95% से अधिक जल कुशल होती हैं।
- पानी की बचत:
  - भारत जैसे देश के लिये, जिसमें दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है, ऊर्ध्वाधर कृषि-आधारित प्रौद्योगिकियाँ न केवल हमारे खाद्य उत्पादन की दक्षता व उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं, बल्कि पानी की बचत के मामले में भी सुधार कर सकती हैं, जो बदले में अपने खाद्य उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्बन-तटस्थता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकाँक्षी लक्ष्यों को समर्थन और प्रोत्साहन देगा।
- बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य:
  - इसके अतिरिक्त चूँकि अधिकांश फसलें "कीटनाशकों के उपयोग के बिना" उगाई जाती हैं, इससे "समय के साथ-साथ बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक योगदान" प्रदान करता है; इसलिये उपभोक्ता शून्य-कीटनाशक उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं, जो ग्रह के लिये स्वस्थ, ताज़ा और टिकाऊ भी है।
- रोज़गार:
  - अंत में इस बात पर ज़ोर देना महत्त्वपूर्ण है कि संरक्षित खेती में हमारे देश के कृषि छात्रों के लिये नए रोज़गार, कौशल सेट और आर्थिक अवसर पैदा करने की क्षमता है, जो सीखने की अवस्था के अनुकूल होने के साथ तेज़ी से आगे बढ़ने में सक्षम है।

आगे की राह

- खाद्य सुरक्षा के लिये मिट्टी रहित तकनीकों को प्रोत्साहित करना: भूख से लड़ने और कुपोषण के बोझ से निपटने के लिये खाद्य उत्पादन व वितरण प्रणाली को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है।
  - एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के विकास में खाद्य सुरक्षा के सभी आयाम शामिल हैं।
  - सरकार इन विधियों को पारंपरिक खेती के लिये व्यवहार्य विकल्प के रूप में मानती है और इन तकनीकों को बड़ी संख्या में किसानों के लिये सस्ती बनाने में सहायता प्रदान करेगी।
- ज्ञान और कौशल प्रदान करना: हालाँकि इन वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जा सकता है, घरेलू उपयोग के लिये कृषि करने वाले किसानों व छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसानों तक सुरक्षित, सफल व टिकाऊ कार्यान्वयन हेतु उनमें विशिष्ट ज्ञान तथा कौशल विकसित किया जाना चाहिये।
- सतत् खेती को सुगम बनाना: भारत जैसे देश में कृषि भूमि पर लगातार दबाव बना रहता है, अत: इसे अन्य विकल्प के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
  - एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली के तहत खेती द्वारा भूमि की कमी को दूर कर स्थायी कृषि तकनीकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- स्कूलों के लिये आगे की रणनीति: ऐसी प्रणालियाँ कठिन हैं लेकिन इन्हें बनाए रखना असंभव नहीं है, इन प्रणालियों की कम-से-कम बुनियादी समझ होना आवश्यक है।
  - स्कूली छात्रों को गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे मुख्य एसटीईएम विषयों के व्यावहारिक ज्ञान के साथ कृषि कार्य के रूप में स्कूलों में एक्वापोनिक सिस्टम स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।

घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

शीघ्र ही अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (All-India Household Consumer Expenditure Survey) लंबे अंतराल के बाद इस वर्ष (2022) फिर से शुरू होने वाला है।

- परिणामों में ग्रामीण और शहरी भागों के लिये अलग-अलग डेटा सेट तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिये अलग-अलग खर्च का पैटर्न, साथ ही विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूह शामिल होंगे।

प्रमुख बिंदु

सरकार द्वारा सर्वेक्षण को बंद करने का कारण:

- सरकार द्वारा "डेटा गुणवत्ता" (Data Quality) मुद्दों का हवाला देते हुए वर्ष 2017-18 में किये गए पिछले सर्वेक्षण के निष्कर्षों को बंद कर दिया था।
  - वर्ष 2019 में सरकार द्वारा उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया था जिसमें उपभोक्ता खर्च में गिरावट को दर्शाते हुए प्रतिकूल परिणामों के कारण वर्ष 2017-18 के सर्वेक्षण के निष्कर्षों को रोक दिया गया था।

- यह भी देखा गया कि न केवल उपभोग पैटर्न के स्तरों में बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन जैसे अन्य प्रशासनिक डेटा स्रोतों की तुलना में परिवर्तन की दिशा में भी अंतर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।
- "विशेष रूप से परिवारों द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में खपत के लिये सर्वेक्षण की क्षमता/संवेदनशीलता (Ability/Sensitivity) के बारे में चिंता व्यक्त की गई।

घरेलू उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण:

- समय अंतराल:
  - यह एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय के (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MOSPI) के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- क्षेत्र/विस्तार:
  - पूरे देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह घरेलू स्तर पर होने वाले व्यय के पैटर्न को दर्शाता है।
- सूचना प्रदाता:
  - माल (खाद्य और गैर-खाद्य) एवं सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है।
  - प्राप्त आँकड़ों के आधार पर किसी परिवार द्वारा वस्तुओं (खाद्य एवं गैर-खाद्य) तथा सेवाओं पर किये जाने वाले औसत खर्च एवं मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (Monthly Per Capita Expenditure-MPCE) का अनुमान लगाया जाता है।
- सामान्य महत्त्व:
  - यह अर्थव्यवस्था की मांग की गतिशीलता की गणना करने में मदद करता है।
  - वस्तुओं और सेवाओं के बास्केट्स के संदर्भ में स्थानांतरण प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है, इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादकों व सेवाओं के प्रदाताओं को संकेत प्रदान करता है।
  - विभिन्न स्तरों पर जीवन स्तर तथा विकास प्रवृत्तियों का आकलन करता है।
- नीति निर्माताओं के लिये महत्त्व:
  - CES एक विश्लेषणात्मक और साथ ही एक पूर्वानुमान उपकरण है जो सरकार को आवश्यक हस्तक्षेपों व नीतियों हेतु योजना बनाने में मदद करता है।
  - संभावित संरचनात्मक विसंगतियों का पता लगाने और उन्हें संबोधित करने के लिये जो जनसंख्या के एक विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक या क्षेत्रीय विभाजन में एक विशेष तरीके से बदलाव की मांग कर सकते हैं।
  - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और अन्य समष्टि-आर्थिक संकेतकों को पुन: आधार बनाना।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: आईएमएफ

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर 8.2% कर दिया गया है। इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी विकास दर चीन के 4.4% की तुलना में लगभग दो गुनी है।

IMF के वृद्धि संबंधी अनुमान:

- भारतीय परिदृश्य:
  - इसने वर्ष 2021 की इसी अवधि के दौरान अपने पिछले पूर्वानुमान (9%) को वर्ष 2022-23 के लिये भारत में वृद्धि अनुमान को 0.8% अंक कम कर दिया है।
    - वर्ष 2021 में भारत ने 8.9% की वृद्धि दर दर्ज की।
    - वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
  - IMF का अनुमान है कि वस्तु और ईंधन की उच्च कीमतों के कारण आयात बिल बढ़ने के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2021-22 के 1.6% से बढ़कर 3.1% हो जाएगा।
  - भारत "रूस-यूक्रेन युद्ध औरकी वजह से लागू नकारात्मक व्यापार शर्तों के कारण कई अन्य देशों की तरह पीड़ित था" क्योंकि उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतें व्यापार संतुलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थीं।
  - इसके अतिरिक्त बाहरी मांग में भी नरमी आ रही थी क्योंकि शेष विश्व की वृद्धि प्रभावित हुई थी।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - IMF द्वारा वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो जनवरी 2022 के पूर्वानुमान की तुलना में क्रमशः 0.8 और 0.2 फीसदी कम है।
    - वैश्विक विकास में गिरावट भारत की विकास संभावनाओं को विशेष रूप से कमज़ोर करती है क्योंकि इससे भारतीय निर्यात की मांग कम हो जाएगी।
  - यह गिरावट काफी हद तक रूस और यूक्रेन युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभावों को दर्शाती है।

- कोविड के मामलों के बढ़ने के कारण शेनझेन और शंघाई (चीन) जैसे प्रमुख विनिर्माण और व्यापारिक केंद्रों में हालिया लॉकडाउन की वजह से इस क्षेत्र में तथा इसके बाहर आपूर्ति बाधित होने की संभावना है।

आईएमएफ के सुझाव:

- मौद्रिक सख्ती:
  - इसने यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के बीच मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखने के लिये केंद्रीय बैंकों से मौद्रिक सख्ती की सिफारिश की।
    - आईएमएफ ने चेतावनी दी कि युद्ध "वैश्विक सुधार को बुरी तरह से प्रभावित करने, विकास की गति को धीमा करने के साथ ही मुद्रास्फीति को बढ़ा देगा।
- बढ़ती कीमतों की निगरानी:
  - मौद्रिक प्राधिकरणों को घरेलू मुद्रास्फीति की संभावनाओं के चलते बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारणों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिये।
- परिवारों को लक्षित आय सहायता:
  - आईएमएफ रिपोर्ट ने अत्यधिक मूल्य वृद्धि का सामना कर रहे देशों में घरेलू बजट पर दबाव को कम करने के लिये सरकारों द्वारा परिवारों हेतु लक्षित आय का समर्थन किया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष:

- परिचय:
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई।
    - अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी। इसलिये इन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ संतानों यानी ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में भी जाना जाता है।
  - IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, यह उन 189 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की।
  - IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
    - वर्ष 2012 में एक कोष के जनादेश के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिये इसको अद्यतित किया गया।
- IMF की रिपोर्ट:
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
  - यह IMF का एक सर्वेक्षण है जिसे आमतौर पर वर्ष में दो बार- अप्रैल और अक्तूबर के महीनों में प्रकाशित किया जाता है।
  - यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है।
  - पूर्वानुमान के अपडेट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल व अक्तूबर में प्रकाशित होने वाली मुख्य WEO रिपोर्ट्स के बीच का समय है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs):

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' किसके द्वारा तैयार की जाती है? (2016)

(a) यूरोपीय सेंट्रल बैंक

(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(c) पुनर्निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक और विकास

(d) आर्थिक सहयोग के लिये संगठन और विकास

उत्तर: B

भारत में पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण का मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कई विपक्ष शासित राज्यों से नागरिकों पर आर्थिक बोझ को कम करने तथा सहकारी संघवाद की भावना का पालन करते हुए इस वैश्विक संकट के समय में एक टीम के रूप में कार्य कर पेट्रोल और डीज़ल पर करों में कटौती का आग्रह किया गया है।

- महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा झारखंड राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीज़ल पर मूल्यवर्द्धित कर (Value-added tax- VAT) को कम नहीं किया गया है।
- वैट, उपभोग कर है जिसे आपूर्ति श्रृंखला के उत्पादन में शामिल हर बिंदु पर जोड़ा जाता है।

प्रमुख बिंदु

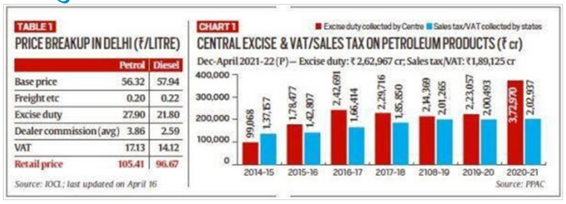

TABLE 1

PRICE BREAKUP IN DELHI (₹/LITRE)

	Petrol	Diesel
Base price	56.32	57.94
Freight etc	0.20	0.22
Excise duty	27.90	21.80
Dealer commission (avg)	3.86	2.59
VAT	17.13	14.12
Retail price	105.41	96.67

Source: IOCL; last updated on April 16

- ईंधन की खुदरा कीमतों के घटक:
- पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतें मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बनी होती हैं:
    - आधार मूल्य (अंतर्राष्ट्रीय तेल की लागत को दर्शाता है)
    - केंद्रीय उत्पाद शुल्क
    - राज्य कर (वैट)
- भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय और राज्य कर है।
- उत्पाद शुल्क पूरे भारत में एक समान है, राज्य कर (बिक्री कर और मूल्यवर्द्धित कर) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए दरों के आधार पर भिन्न होते हैं।
    - ये कर उपभोक्ताओं के लिये ईंधन को और भी महंगा बनाते हैं।
- केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में ग्राहकों को कुछ राहत देने के लिये पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया था।
    - उत्पाद शुल्क के रूप में पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीज़ल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई।
    - केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती करने के बाद भी ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं।
    - हालाँकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की ऊँची कीमतों की वजह से भारत में भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
- वैट दरों में अंतर के कारण विभिन राज्यों के पेट्रोल और डीज़ल की कीमत अलग-अलग हैं।
    - उच्च वैट वाले राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी अधिक कमी देखी गई।
- पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा दरें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों द्वारा नियंत्रित होती हैं क्योंकि भारत अपनी 85% तेल ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है।

ईंधन की कीमतों से सरकार को राजस्व:

- ईंधन पर उत्पाद शुल्क और वैट केंद्र और राज्यों के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- बजट 2020-21 के अनुसार, ईंधन पर उत्पाद शुल्क केंद्र के सकल कर राजस्व का लगभग 18.4% है।
    - पेट्रोलियम और अल्कोहल राज्यों के अपने कर राजस्व में औसतन 25-35% का योगदान करते हैं।
        - राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में से केंद्रीय कर हस्तांतरण में 25-29% और स्वयं के कर राजस्व में 45-50% शामिल हैं।
- अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर करों से केंद्र को 3.10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जिसमें उत्पाद शुल्क के रूप में 2.63 लाख करोड़ रुपए और कच्चे तेल पर उपकर के रूप में 11,661 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
    - इसी अवधि में राज्य के कोष में कुल 2.07 लाख करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें से 1.89 लाख करोड़ रुपए वैट के माध्यम से संगृहीत हुये थे।

ईंधन कर कम करने के संदर्भ में राज्यों की समस्याएँ:

- राजस्व का प्रमुख स्रोत:
    - पेट्रोलियम और अल्कोहल पर कर के माध्यम से राज्य अपने राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा प्राप्त करते हैं, अत: राज्य इन करों में कमी को एक बड़ी हानि के रूप में देखते हैं।
- महामारी का प्रभाव:
    - आर्थिक मंदी और महामारी के कारण राज्य के खर्च में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी आई थी।
        - राज्यों का समेकित राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 4.7% हो गया था।

मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय:

- चूँकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिये तैयार उत्पाद पर करों को कम करने या सब्सिडी को पुन: वितरित करने के अलावा ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति को कम करने का कोई तरीका नहीं है।
- सब्सिडी राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन के खुदरा विक्रेताओं को कम कीमत पर विक्रय में सक्षम बनाती है, जबकि निजी रिफाइनरी जिन्हें सरकार से सब्सिडी प्राप्त नहीं होती है, इस से नुकसान उठाना पड़ता है।
- यह देखते हुए कि उच्च ईंधन की कीमतों का प्रभाव परिवहन पर भी पड़ा है जिससे अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है, अत: सख्त मौद्रिक नीति का पालन इस समस्या का सही समाधान होगा।

आगे की राह

- भारत अपने तेल और गैस आयात के स्रोत में विविधता लाने, रणनीतिक तेल भंडार बनाने, ऑटो फ्यूल के साथ इथेनॉल मिश्रण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना पर कार्य कर रहा है।

- हालाँकि कच्चे तेल, गैस, पेट्रोल और डीज़ल की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल की स्थिति में ऊर्जा की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिये इन उपायों को को अपनाना आवश्यक है।
- सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों को बढ़ने से रोकने का सबसे आसान तरीका है कि उन पर करों में कटौती की जाए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से कम लाभांश लिया जाए।.
- सरकार को ईंधन और अन्य पेट्रो उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित करना चाहिये।
  - यह रिफाइनरियों को अपने उत्पाद को घरेलू बाज़ार में बेचने के लिये मजबूर करेगा, जिससे उन्हें सुनिश्चित व्यापार-समानता मूल्य देने से छुटकारा मिलेगा।

विगत वर्षों का प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक तेल कीमतों के संदर्भ में "ब्रेंट क्रूड ऑयल" को अक्सर समाचारों में संदर्भित किया जाता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? (2011)

1. यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है।
2. यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है।
3. इसमें सल्फर नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- ब्रेंट क्रूड ऑयल स्रोत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर किये गए कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में से एक है।

मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मुद्रा और वित्त (RCF) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड -19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में एक दशक से अधिक समय लग सकता है।

- रिपोर्ट का विषय "रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट" है, जो कोविड से मज़बूती से उबरने और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है।

रिपोर्ट में उजागर चिंता:

- कोविड-19, सबसे खराब स्वास्थ्य संकट: कोविड-19 महामारी को दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक के रूप में माना गया है।
- आकड़ों में वृद्धि: पूर्व-कोविड विकास की प्रवृत्ति दर 6.6% और मंदी के वर्षों को छोड़कर यह 7.1% तक रही है।.
  - वर्ष 2020-21 के लिये (-) 6.6% की वास्तविक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2021-22 के लिये 8.9% तथा वर्ष 2022-23 के लिये 7.2% की विकास दर को आगे बढ़ाते हुए 7.5% के साथ भारत द्वारा वर्ष 2034-35 में कोविड-19 के नुकसान को दूर करने की उम्मीद है।
- महामारी की आर्थिक चुनौतियाँ: इसका आर्थिक प्रभाव कई और वर्षों तक बना रह सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को आजीविका के पुनर्निर्माण, व्यवसायों की सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - महामारी द्वारा भारत के उत्पादन, जीवन और आजीविका के मामले में विश्व मां सबसे सबसे अधिक नुकसान हुआ है जिसे ठीक होने में कई साल लग सकते हैं।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष: रूस-यूक्रेन संघर्ष ने भी सुधार की गति को कम कर दिया है, इसके प्रभाव रिकॉर्ड उच्च कमोडिटी कीमतों, कमज़ोर वैश्विक विकास दृष्टिकोण और सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों के माध्यम से प्रदर्शित हुए हैं।
- डीग्लोबलाइज़ेशन का खतरा: भविष्य के व्यापार, पूंजी प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले डीग्लोबलाइज़ेशन (Deglobalisation) के बारे में चिंताओं ने कारोबारी माहौल के लिये अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट में सुझाए गए सुधार:

- आर्थिक प्रगति के सात चक्र: रिपोर्ट में प्रस्तावित सुधारों का खाका आर्थिक प्रगति के सात चक्रों के इर्द-गिर्द घूमता है:
  - कुल मांग।
  - सकल आपूर्ति
  - संस्थान, बिचौलिये और बाज़ार
  - व्यापक आर्थिक स्थिरता और नीति समन्वय
  - उत्पादकता और तकनीकी प्रगति
  - संरचनात्मक परिवर्तन
  - वहनीयता
  - भारत में मध्यम अवधि के स्थिर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि के लिये एक व्यवहार्य सीमा 6.5-8.5% है, जो सुधारों के ब्लूप्रिंट के अनुरूप है।
- मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का पुनर्संतुलन: मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का समय पर पुनर्संतुलन इस प्रक्रिया का पहला कदम होगा।
- मूल्य स्थिरता: मज़बूत और सतत् विकास के लिये मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

- सरकारी ऋण को कम करना: भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को सुरक्षित करने के लिये अगले पाँच वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 66% से कम करना आवश्यक है।
- संरचनात्मक सुधार: सुझाए गए संरचनात्मक सुधारों में शामिल हैं:
  - मुकदमेबाज़ी से मुक्त कम लागत वाली भूमि तक पहुँच बढ़ाना।
  - शिक्षा और स्वास्थ्य एवं स्किल इंडिया मिशन पर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से श्रम की गुणवत्ता बढ़ाना।
  - नवाचार और प्रौद्योगिकी पर ज़ोर देते हुये अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाना।
  - स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के लिये एक अनुकूल वातावरण बनाना।
  - अक्षमताओं को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना।
  - आवास और भौतिक बुनियादी ढाँचे में सुधार करके शहरी समुदायों (Urban Agglomerations) को प्रोत्साहित करना।
- औद्योगिक क्रांति 4.0 को बढ़ावा: औद्योगिक क्रांति 4.0, नेट-ज़ीरो-उत्सर्जन लक्ष्य वाले पारिस्थितिक तंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है जो व्यापार हेतु जोखिम पूंजी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी माहौल के लिये पर्याप्त सुविधा प्रदान करता है।
- FTA वार्ता: भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर वार्ता कर रहा है ताकि भविष्य में उच्च गुणवत्ता की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ उचित व्यापार शर्तों के आधार पर भागीदार देशों से घरेलू विनिर्माण के संदर्भ में आयात-निर्यात के दृष्टिकोण में सुधार किया जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू):

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. भारत के संविधान में प्रावधान हैं कि केंद्र सरकार जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी कर सकती है
3. RBI के गवर्नर को RBI अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
- हालाँकि रिज़र्व बैंक मूल रूप से निजी स्वामित्व में था लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।
- आरबीआई के मामले केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुरूप की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

काला सागर और रूस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में काला सागर में रूसी जहाज़ी बेड़े के प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा का डूबना चाहे वह यूक्रेनी मिसाइल हमले के कारण हो या जैसा कि रूस का दावा है कि यह बोर्ड पर आग लगने के कारण डूबा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के लिये एक गंभीर झटका है।

प्रमुख बिंदु

काला सागर की भौगोलिक स्थिति:

- तटीय भौगोलिक स्थिति: काला सागर उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस तथा जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की एवं पश्चिम में बुल्गारिया व रोमानिया से घिरा हुआ है।
- समुद्री भौगोलिक स्थिति: यह बोस्पोरस जलडमरूमध्य के माध्यम से मरमारा सागर से तथा डारडेनेल्स जलडमरूमध्य के माध्यम से एजियन सागर से जुड़ा है।

रूस के लिये काला सागर का महत्त्व:

- सामरिक महत्त्व: काला सागर क्षेत्र पर प्रभुत्व रूस की एक भू-रणनीतिक अनिवार्यता है जो भूमध्य सागर में रूसी शक्ति को संरक्षित करने और दक्षिणी यूरोप के प्रमुख बाज़ारों के लिये आर्थिक प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
  - भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार: यह परंपरागत रूप से यूरोप के लिये रूस का गर्म पानी का प्रवेश द्वार रहा है।
  - सामरिक बफर: यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और रूस के बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है।
- ब्लैक सी फ्लीट: रूस वर्ष 2014 के क्रीमिया संकट के बाद से काला सागर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने हेतु प्रयास कर रहा है।
  - इस प्रकार रूस ने काला सागर में अपने काला सागर नौसैनिक बेड़े को तैनात कर दिया है।
  - काला सागर बेड़ा: काला सागर बेड़े का एक लंबा इतिहास है और माना जाता है कि इसकी स्थापना वर्ष 1783 में हुई थी।
    - इसमें काला सागर, आज़ोव सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में रूसी नौसेना के युद्धपोत शामिल हैं तथा इसका मुख्यालय क्रीमिया प्रायद्वीप के प्रमुख बंदरगाह सेवस्तोपोल (Sevastopo) में है।

काला सागर में रूस का हित:

- मौजूदा आक्रमण के दौरान, काला सागर पर वर्चस्व स्थापित करना रूस का प्रमुख उद्देश्य रहा है।
- मारियुपोल पर कब्ज़ा: रूस द्वारा डोनेट्स्क के पूर्वी यूक्रेनी ओब्लास्ट में आज़ोव बंदरगाह के सागर मारियुपोल पर कब्ज़ा करने के प्रयास किये गए हैं।t
- ओडेसा पर कब्ज़ा: रूस से उम्मीद की जा रही थी कि वह क्रीमिया के पश्चिम में ओडेसा पर अपने सैन्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - यदि रूस ओडेसा क्षेत्र को घेर लेता है तो यूक्रेन अपने काला सागर तट का उपयोग नहीं कर पाएगा और वास्तव में एक भूमि से घिरे देश के रूप में सिमट कर रह जाएगा।
  - यह यूक्रेन का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा एवं परिवहन गलियारे के रूप में है।
  - राइन-मेन-डेन्यूब नहर काला सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा ओडेसा का बंदरगाह यूक्रेन और बाहरी दुनिया के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

रूस की संभावनाएँ:

- युद्धपोत मोस्कवा के नुकसान से 'ओडेसा' शहर पर एक प्रत्याशित हमले पर रोक लगने की उम्मीद है।
- इस घटना का मतलब है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस की अब तक दो प्रमुख नौसैनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचा है, इनमें पहला रूस का एलीगेटर क्लास लैंडिंग जहाज़ सेराटोव था।

- दोनों घटनाओं के चलते रूस द्वारा काला सागर में अपनी समुद्री स्थिति और क्षमता की समीक्षा करने की संभावना है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2019)

	सागर		सीमावर्ती देश
1.	एड्रियाटिक सागर	:	अल्बानिया
2.	काला सागर	:	क्रोएशिया
3.	कैस्पियन सागर	:	कज़ाखस्तान
4.	भूमध्य सागर	:	मोरक्को
5.	लाल सागर	:	सीरिया

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न. तुर्की अवस्थित है: (2014)

(a) काला सागर और कैस्पियन सागर

(b) काला सागर और भूमध्य सागर

(c) स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर

(d) अकाबा की खाड़ी और मृत सागर

उत्तर: (b)

रूस को 'आतंकवाद के राज्य प्रायोजक' के रूप में नामित करने का अनुरोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को "आतंकवाद के राज्य प्रायोजक" के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है।

- इसके परिणामस्वरूप रूस के खिलाफ अमेरिका के पास उपलब्ध सभी प्रतिबंधों में से सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे।

आतंकवाद के राज्य प्रायोजक से तात्पर्य

- परिचय:
  - इसके तहत अमेरिकी विदेश मंत्री के पास "आतंकवाद के राज्य प्रायोजक" के रूप में "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिये बार-बार समर्थन प्रदान करने वाले देशों" को नामित करने की शक्ति होती है।
  - अमेरिका इस सूची में शामिल देशों पर चार तरह के प्रतिबंध लगा सकता है:
    - अमेरिकी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध
    - रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध
    - दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण
    - विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध
  - इसके तहत उन देशों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो निर्दिष्ट देशों के साथ व्यापार में संलग्न हैं।
- इस सूची में शामिल देश:
  - अब तक आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में चार देश हैं:
    - सीरिया (29 दिसंबर 1979 को नामित)
    - ईरान (19 जनवरी 1984 को नामित),
    - उत्तर कोरिया (20 नवंबर 2017 को नामित)।
    - 12 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में दोबारा नामित किया गया था।

आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामांकन वाले कानून

- वर्तमान में तीन कानून हैं जो विदेश मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिये बार-बार समर्थन प्रदान करने हेतु एक देश को नामित करने के लिये अधिकृत करते हैं:
    - 1961 का विदेशी सहायता अधिनियम: यह अधिकांश सहायता के हस्तांतरण पर रोक लगाता है;
    - शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम (AECA): यह निर्यात, क्रेडिट, गारंटी, अन्य वित्तीय सहायता और राज्य विभाग द्वारा नियंत्रित निर्यात लाइसेंसिंग को प्रतिबंधित करता है; और
    - 2018 का निर्यात नियंत्रण अधिनियम
- इन तीन कानूनों में से केवल AECA ही आपत्तिजनक गतिविधियों को आतंकवाद के रूप में सीमित स्तर परिभाषित करती है, जबकि तीनों अधिनियमों में से कोई भी "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद" को व्यापक अर्थ में परिभाषित नहीं करता है।
    - किसी देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने के लिये विदेश मंत्री को यह निर्धारित करना होगा कि देश की सरकार ने बार-बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों जैसे कि हत्या या आतंकवादी समूहों को वित्तपोषण के लिये समर्थन प्रदान किया है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का क्या रुख रहा है?

- प्रारंभ में भारत अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के उस प्रस्ताव में अनुपस्थित रहा जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई।
- भारत ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर रूस द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर यूएनएससी में मतदान में भी अनुपस्थित रहा, जिसमें नागरिकों की सुरक्षित, तीव्र, स्वैच्छिक और निर्बाध निकासी को सक्षम करने के लिये बातचीत के जरिए संघर्ष विराम का आह्वान करने की मांग की गई थी।
    - यूक्रेन से संबंधित पिछली अनुपस्थिति के विपरीत, यह पहली बार था कि भारत ने इस संघर्ष में पश्चिम का साथ दिया।
- भारत जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान से दूर रहा। परिषद ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों की जाँच के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव पेश किया।
- भारत, चीन और 33 अन्य देशों की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव में अनुपस्थिति रही से जिसमें यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई हेतु उसकी निंदा की गई थी।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रस्ताव से भी अनुपस्थित रहा जो चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेर्नोबिल सहित कई परमाणु अपशिष्ट स्थलों पर सुरक्षा से संबंधित था, क्योंकि रूस द्वारा उन पर नियंत्रण कर लिया था।

आगे की राह:

- यूक्रेन पर रूस का हमला, हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, इस एक प्रकार का आतंकवादी प्रयोजनों नहीं है, लेकिन रूस ने इसके लिये पिछले एक दशक में आतंकवादी प्रयोजनों के संबंध में कई अन्य आधार प्रदान किये हैं।
- भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। यदि दोनों अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत के लिये रिश्तों को तर्कसंगत रूप से संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है।
    - रूस के साथ भारत के संबंध उतने बहुआयामी नहीं हैं जितने कि अमेरिका, यूरोप या जापान के साथ भारत के संबंध हैं। रूस के साथ भारत के संबंध मुख्य रूप से ऊर्जा और रक्षा पर केंद्रित हैं।
    - भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार केवल 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन रूसी सैन्य उपकरणों की भारतीय खरीद इसका सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है।

भारत-फिनलैंड संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री ने भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री से मुलाकात की।

- उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की।
- भारतीय द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर हेतु तीन प्रमुख संस्थानों आईआईटी मद्रास, आईआईएसईआर पुणे और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) पुणे की पहचान की है।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत फिनलैंड अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग को विकसित करने और फिनलैंड उद्योग के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग विकसित करने का इच्छुक है, विशेष रूप से निम्नलिखित

प्रौद्योगिकी डोमेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जैसे कि:

- सतत् ऊर्जा प्रौद्योगिकी (उत्पादन, रूपांतरण, भंडारण और संरक्षण), पर्यावरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ।
- विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु जैव आधारित अर्थव्यवस्था, बायोबैंक और जैव आधारित सामग्री।
- जल और समुद्री प्रौद्योगिकी।
- खाद्य और कृषि प्रौद्योगिकी।
- वहनीय स्वास्थ्य सेवा (फार्मास्यूटिकल्स और बायोमेडिकल इंस्ट्रुमेंटेशन सहित),
- सभी क्षेत्रों में उन्नत विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण और मशीन लर्निंग के लिये प्रौद्योगिकियाँ।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन, साइबर-भौतिक प्रणाली, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन आदि जैसे कई नए मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किये गए हैं तथा सामाजिक चुनौतियों के मुद्दों को हल करने में फिनलैंड के साथ संयुक्त सहयोग की मांग की है।
- दौरे पर आए फिनलैंड के मंत्री ने आश्वासन दिया कि फिनलैंड कंपनियाँ कार्बन-तटस्थ प्रौद्योगिकियों के लिये भारत के साथ साझेदारी करेंगी और जलवायु परिवर्तन में स्थिरता हेतु सहयोग को बढ़ाएंगी।
- फिनलैंड के मंत्री ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले नए उत्पादों और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने हेतु चिकित्सा अनुसंधान के लिये उच्च गुणवत्ता वाले मानव नमूनों की मध्यस्थता के लिये फिनलैंड की बायोबैंक परियोजना में सहयोग हेतु भी आमंत्रित किया।

फिनलैंड-भारत संबंधों का इतिहास:

- पृष्ठभूमि: फिनलैंड और भारत के बीच परंपरागत रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
  - हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों ने दोनों पक्षों द्वारा अनुसंधान, नवाचार और निवेश में सहयोग के साथ विविधता को स्थापित किया है।
  - वर्ष 2019 ने दोनों देशों के बीच 70 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिह्नित किया।
- परस्पर महत्त्व: फिनलैंड भारत को अपने उत्पादों के लिये एक बाज़ार और अपने उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिये एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में देखता है।
  - भारत फिनलैंड को यूरोपीय संघ के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य और आधुनिक प्रौद्योगिकी के भंडार के रूप में देखता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत तथा फिनलैंड के बीच मज़बूत संबंध हैं।
  - भारत और फिनलैंड दोनों अंटार्कटिक संधि के सलाहकार सदस्य हैं, साथ ही उनके अंटार्कटिका में उनके सक्रिय स्टेशन भी हैं।
    - फिनलैंड वर्ष 2023 में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक (ATCM) तथा वर्ष 2024 में भारत की मेजबानी करेगा।
  - भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान (FMI) वर्ष 2014 से वायुमंडलीय पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं।
    - इस सहयोग के तहत FMI द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडल (Air Quality Forecasting models) को भारतीय क्षेत्र के लिये अनुकूलित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण की घटनाओं को सूक्ष्म स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक पूर्वानुमानित करने की क्षमता में वृद्धि हुई है ताकि प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण उचित कार्रवाई कर सकें।
  - फिनलैंड 5G/6G प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, जिसके साथ ही शीर्ष भारतीय आईटी कंपनियाँ इस क्षेत्र में सहयोग करना चाहती हैं।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
  - वर्ष 2020 में फिनलैंड के साथ भारत का कुल व्यापार (वस्तुओं और सेवाओं) 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो भारत के पक्ष में है।
  - वर्ष 2020 में वस्तुओं का व्यापार लगभग 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा फिनलैंड के पक्ष में लगभग 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - भारत से फिनलैंड की शीर्ष आयातित वस्तुएँ (जनवरी-दिसंबर 2020):
    - औषधीय उत्पाद
    - कपड़ों से निर्मित वस्तुएँ
    - कच्चा धागा
    - धातुओं के उत्पाद
    - इलेक्ट्रिक मशीनरी और पाट्र्स
  - फिनलैंड से भारत की शीर्ष आयातित वस्तुएँ (जनवरी-दिसंबर 2020):
    - विशेष उद्योगों के लिये मशीनरी
    - इलेक्ट्रिक मशीनरी और पाट्र्स
    - कागज, पेपरबोर्ड और उनसे संबंधित उपकरण

- धात्विक अयस्क और धातु स्क्रैप
- सामान्य औद्योगिक मशीनरी

- सांस्कृतिक संबंध:
  - फिनलैंड भारतीय संस्कृति के प्रति ग्रहणशील है।
  - फिनलैंड में कई भारतीय नृत्य विद्यालय और योग विद्यालय हैं।
  - भारतीय नृत्य और संगीत (शास्त्रीय और समकालीन दोनों) को बढ़ावा देने वाले भारतीय संघों तथा अन्य सांस्कृतिक संगठनों द्वारा नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
  - फिनिश इंडिया सोसायटी वर्ष 1956 से सक्रिय है।

येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी और इज़रायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसा से फिर तनाव बढ़ गया।

- येरुशलम के पुराने शहर में स्थित यह स्थल दशकों से फिलिस्तीनियों कट्टरपंथी समूहों और इज़रायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसा का एक फ्लैशपॉइंट रहा है और ऐतिहासिक दावों के लिये प्रतिस्पर्धा के केंद्र में रहा है।
- ये आवर्ती संघर्ष चल रहे इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का हिस्सा हैं।

अल-अक्सा मस्जिद और संबद्ध संघर्ष क्या है?

- अल-अक्सा मस्जिद येरुशलम के मान्यता प्राप्त स्मारकों में से एक है।
- यह स्थल येरुशलम के पुराने शहर का हिस्सा है, जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों का पवित्र स्थल है।
  - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने पुराने शहर येरुशलम और इसकी दीवारों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया है।
- मस्जिद का परिसर इज़रायल और फिलिस्तीन (इस्लाम और यहूदी धर्म) के बीच संघर्ष का कारण है।
  - अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है और टेंपल माउंट यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है।
- टेंपल माउंट येरुशलम में पुराने शहर के अंदर एक चारदीवारी वाला परिसर है और यहाँ दो संरचनाएँ हैं:
  - उत्तर में डोम ऑफ द रॉक और दक्षिण में अल-अक्सा मस्जिद है।
  - टेंपल माउंट के दक्षिण-पश्चिम में, पश्चिमी दीवार, दूसरे मंदिर का अवशेष और यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है।
- इस्लाम में डोम ऑफ द रॉक एक सातवीं शताब्दी की संरचना है, जो एक महत्त्वपूर्ण इस्लामी स्थापत्य है, माना जाता है कि जहाँ पैगंबर मुहम्मद स्वर्ग में चढ़े थे।
  - इस क्षेत्र में आधुनिक सीमाओं को तैयार करने से पहले, मुस्लिम पवित्र शहरों मक्का और मदीना के तीर्थयात्री इस मस्जिद में प्रार्थना करने के लिये येरूसलम में रुकते थे।
- यहूदी धर्म में, यह वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान ने आदम को बनाने के लिये धूल इकट्ठी की थी।
  - बाइबिल के अनुसार, 1000 ईसा पूर्व में राजा सुलेमान ने इस पहाड़ पर यहूदियों का पहला मंदिर बनवाया था, जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के आदेश पर बेबीलोन के सैनिकों ने लगभग 400 वर्षों बाद तोड़ दिया था।
  - पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, यहूदी अपने निर्वासन से लौटे और उन्होंने दूसरा मंदिर बनाया।

येरुशलम पर संघर्ष की भू-राजनीति क्या हैं?

- येरुशलम इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के केंद्र में रहा है।
- वर्ष 1947 की मूल संयुक्त राष्ट्र (यूएन) विभाजन योजना के अनुसार, येरुशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- हालाँकि वर्ष 1948 के पहले अरब इज़रायल युद्ध में, इज़रायलियों ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने पुराने शहर सहित पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें हराम अल-शरीफ भी शामिल है।

- 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के बाद, इज़रायल और अरब राज्यों के गठबंधन जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र शामिल थे, के बीच एक सशस्त्र संघर्ष के बाद, अल-अक्सा मस्जिद का नियंत्रण रखने वाले जॉर्डन के वक्फ मंत्रालय ने, देखरेख करना बंद कर दिया।
- इज़रायल ने 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में जॉर्डन से पूर्वी येरुशलम पर कब्जा कर अपना हिस्सा घोषित कर दिया।
- अपने विलय के बाद से इज़रायल ने पूर्वी येरुशलम में बस्तियों का विस्तार किया है।
- इज़रायल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है, जबकि राजनीतिक स्पेक्ट्रम में फिलिस्तीनी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि वे भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिये किसी भी समझौते के फार्मूले को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि पूर्वी येरुशलम इसकी राजधानी न हो।

आगे की राह

- बड़े पैमाने पर दुनिया में शांतिपूर्ण समाधान के लिये एक साथ आने की ज़रूरत है लेकिन इज़रायल सरकार और अन्य शामिल दलों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक जटिल कर दिया है।
  - इस प्रकार, एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों और इज़रायल के बीच अनुकूल संबंधों को बनाए रखने में मदद करेगा।
- इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच हालिया सामान्यीकरण समझौते, जिन्हें अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाता है, इसी दिशा में एक कदम हैं।
  - सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम समझौते के अनुरूप दोनों देशों के बीच शांति की परिकल्पना करनी चाहिये।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (Colombo Security Conclave- CSC) का वर्चुअल आयोजन किया गया था।

- प्रतिभागियों ने अपने-अपने देशों में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की और आतंकवाद के मामलों के अभियोजन, विदेशी लड़ाकों से निपटने की रणनीति तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुकाबला करने में अपने अनुभव साझा किये।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC):

- परिचय: CSC का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था।
  - इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पाँचवीं बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरीशस शामिल किया गया।
  - बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया तथा उन्हें समूह में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया।
- परिकल्पित लक्ष्य: CSC के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पाँचवीं बैठक ने निम्नलिखित पाँच स्तंभों में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और मज़बूत करने के लिये सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई:
  - सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा
  - आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला
  - अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना करना
  - साइबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा
  - मानवीय सहायता और आपदा राहत
- महत्त्व: CSC को क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिये हिंद महासागर में भारत की पहुँच के रूप में देखा जा रहा है।
  - चीन का मुकाबला: CSC रणनीतिक महत्त्व के क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिबंधित करने तथा सदस्य देशों में चीन की उपस्थिति को कम करने की उम्मीद करता है।
  - समुद्री सुरक्षा: भारत के पास रणनीतिक चोकपॉइंट के द्वीपों के साथ-साथ लगभग 7500 किलोमीटर की एक बड़ी तटरेखा है। समुद्री सुरक्षा देश के लिये प्राथमिक है, जिसमें CSC महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - सागर विजन के साथ तालमेल: यह समूह भारत के "'सागर: क्षेत्रों में सभी के लिये सुरक्षा और विकास" और भारत क्वाड ग्रुपिंग का सदस्य होने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
  - उभरते उप-क्षेत्रवाद: 6 हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का एक सामान्य समुद्री और सुरक्षा मंच पर एक साथ आना उप-क्षेत्रवाद के विकास का संकेत देता है तथा यह व्यापक वैश्विक संदर्भ में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- संबद्ध चुनौती: भले ही छह देशों के रणनीतिक हित हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में संरेखित है परंतु चीन के प्रभाव का मुकाबला करने हेतु CSC को एक संस्था के रूप में ढालने का प्रयास दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) को पूरा करना चाहिये।

आगे की राह:

- क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता: सुरक्षा मुद्दों की बढ़ती प्रासंगिकता और अनिश्चितताओं को देखते हुए IOR में सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है।

- CSC के सफल होने की अधिक संभावना है यदि इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव से प्रभाव को सीमित करते हुए यह एक समान रणनीतिक दृष्टि बनाए रखता है।
- अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद के बिंदुओं से बचने के लिये, भारत को यह स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिये कि IOR वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्षों के प्रश्न (पीवाईक्यू)

प्रश्न: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2017)

1. वर्ष 2015 में आईओएनएस का उद्घाटन भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में भारत में आयोजित किया गया था।
2. IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा हेतु एक खुला और समावेशी मंच प्रदान कर हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है।

कुरील द्वीप विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान द्वारा राजनयिक/डिप्लोमैटिक ब्लूबुक (Diplomatic Bluebook) के नवीनतम संस्करण में चार द्वीपों का वर्णन किया गया है जिनके स्वामित्व को लेकर जापान का रूस के साथ विवाद है।

- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच दोनों पक्षों ने अपने सामान्य संबंधों को रेखांकित किया।
- रूस इन द्वीपों को कुरील द्वीप समूह के रूप में संदर्भित करता है, जबकि जापान उन्हें उत्तरी क्षेत्र कहता है।
- दक्षिण कोरिया के साथ उत्तरी क्षेत्रों को लेकर जापान का भी कुछ ऐसा ही विवाद है। दक्षिण कोरिया द्वारा इसे दोक्दो द्वीप (Dokdo Islands) कहा जाता है।

राजनयिक/डिप्लोमैटिक ब्लूबुक:

- जापान की डिप्लोमैटिक ब्लूबुक जापान की विदेश नीति और जापान में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक वार्षिक रिपोर्ट है।
- सितंबर 1957 में इसके पहले अंक के बाद से प्रतिवर्ष इसका प्रकाशन किया जाता है।

कुरील द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति और इसका महत्त्व:

- अवस्थिति:
  - कुरील द्वीप होक्काइदो जापानी द्वीप से रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैले हुए हैं जो ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं।
  - द्वीपों की यह श्रृंखला प्रशांत (रिंग ऑफ फायर) की परिक्रमा करते हुए भूगर्भीय रूप से अस्थिर बेल्ट का हिस्सा है तथा इसमें कम-से-कम 100 ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें से 35 अभी भी सक्रिय हैं और कई गर्म झरने विद्यमान हैं।
- महत्त्व:
  - प्राकृतिक संसाधन: द्वीप समृद्ध मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं और माना जाता है कि तेल व गैस के अपतटीय भंडार भी हैं।
  - सांस्कृतिक महत्व: जापानी लोग विशेष रूप से होक्काइदो में द्वीपों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं।

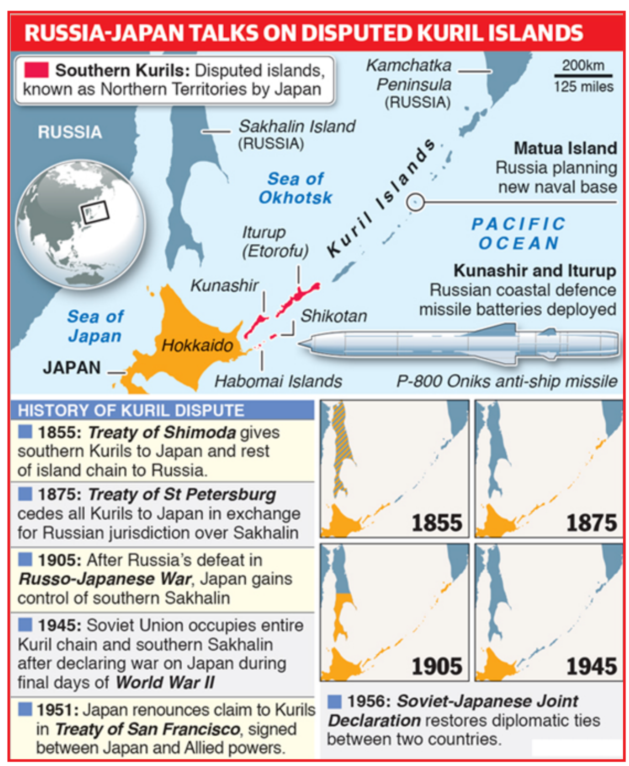

कुरील द्वीप विवाद (Kuril Islands Dispute):

- भूमिका:
  - जापान और रूस के बीच कुरील द्वीप विवाद दक्षिण कुरील द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर है।
  - दक्षिण कुरील द्वीप समूह में एटोरोफू द्वीप (Etorofu Island), कुनाशीरी द्वीप (Kunashiri Island), शिकोटन (Shikotan) द्वीप और हबोमाई द्वीप (Habomai Island) शामिल हैं।
    - इन द्वीपों पर जापान द्वारा दावा किया जाता है लेकिन रूस द्वारा सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में इस पर कब्ज़ा कर लिया गया है।
- शिमोडा की संधि (1855):
  - वर्ष 1855 में जापान और रूस ने शिमोडा की संधि का समापन किया, जिसने जापान को चार सबसे दक्षिणी द्वीपों और शेष शृंखला का नियंत्रण रूस को दिया।
- सेंट पीटर्सबर्ग की संधि (1875):
  - वर्ष 1875 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सेंट पीटर्सबर्ग की संधि में रूस ने सखालिन द्वीप के निर्विरोध नियंत्रण के बदले कुरील का कब्ज़ा जापान को सौंप दिया।
  - हालाँकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ द्वारा इन द्वीपों को फिर से जब्त कर लिया गया था।
- याल्टा समझौता (1945):
  - वर्ष 1945 में याल्टा समझौतों (वर्ष 1951 में जापान के साथ औपचारिक रूप से शांति संधि) के हिस्से के रूप में द्वीपों को सोवियत संघ को सौंप दिया गया था और जापानी आबादी को स्वदेश लाया गया तथा सोवियत संघ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- सैन फ्रांसिस्को शांति संधि (1951):
  - वर्ष 1951 में मित्र राष्ट्रों और जापान के बीच हस्ताक्षरित सैन फ्रांसिस्को शांति संधि में कहा गया है कि जापान को "कुरील द्वीपों पर सभी अधिकार एवं दावा" छोड़ देना चाहिये, लेकिन यह उन पर सोवियत संघ की संप्रभुता को भी मान्यता नहीं देता है।
    - द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल मुख्य राष्ट्र:
    - धुरी शक्तियाँ (जर्मनी, इटली और जापान)
    - मित्र राष्ट्र (फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा चीन)।
- जापान-सोवियत संयुक्त घोषणा (1956):
  - द्वीपों पर विवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिये एक शांति संधि के समापन को रोक दिया है।
  - वर्ष 1956 में जापान-सोवियत संयुक्त घोषणा द्वारा जापान और रूस के बीच राजनयिक संबंध बहाल किये गए।
  - उस समय रूस ने जापान के निकटतम दो द्वीपों को देने की पेशकश की लेकिन जापान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि दोनों द्वीपों में विचारधीन भूमि का केवल 7% ही हिस्सा था।

वर्तमान परिदृश्य:

- समझौतों की एक लंबी शृंखला के बावजूद विवाद जारी है और जापान अभी भी दक्षिणी द्वीपों पर ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करता है तथा सोवियत संघ वर्ष 1991 से रूस को उन द्वीपों को जापानी संप्रभुता में वापस करने के लिये बार-बार मनाने का प्रयास करता रहा है।
- वर्ष 2018 में रूसी राष्ट्रपति और जापानी प्रधानमंत्री ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की और जापानी प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1956 की घोषणा के आधार पर बातचीत करने के लिये सहमत होने पर क्षेत्रीय विवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया।
  - इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जापान ने रूस के साथ शांति बनाए रखने के लिये दो द्वीपों को छोड़ दिया है।
- हालाँकि रूस ने संकेत दिया कि वर्ष 1956 में जापान और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा में न तो हबोमाई व शिकोटन को वापस करने के आधार का उल्लेख है, न ही यह स्पष्ट करता है कि द्वीपों पर किस देश की संप्रभुता है।
- इसके अलावा वर्ष 2019 में जापानी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका देश द्वीपों पर नियंत्रण वापस लेने के पक्ष में नहीं है।
- जापान यह भी मानता है कि द्वीप राष्ट्र के क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं।
- इसलिये जापान ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय मुद्दे के समाधान के बाद उसका उद्देश्य शांति-संधि पर हस्ताक्षर करना है।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को दूसरे वर्ष अर्थात् 2021 में भी धार्मिक स्वतंत्रता का सर्वाधिक उल्लंघन करने के लिये 'कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' (प्रमुख चिंता वाले देशों) की श्रेणी में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की गई है।

- इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों पर एक सशक्त और आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की थी।

USCIRF के बारे में:

- USCIRF एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, जो विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिये समर्पित है।
- यह अमेरिकी प्रशासन के लिये एक सलाहकार निकाय है।
- USCIRF's की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अमेरिकी सरकार के प्रचार को बढ़ाने के लिये सिफारिशें प्रदान करती है।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है।
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की निष्क्रियता के बाद 1998 में अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापित USCIRF की सिफारिशें राज्य विभाग पर गैर-बाध्यकारी हैं।
    - परंपरागत रूप से भारत USCIRF के दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता है।

रिपोर्ट की विशेषताएँ:

- रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस देशों के दो समूहों पर है:
    - विशेष चिंता वाले देश (CPC): यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1998 (IFRA) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर देशों को विशेष चिंता वाले देश (Countries of Particular Concern-CPC) में नामित करने के लिये अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव को सिफारिश करता है।
    - विशेष निगरानी सूची (SWL): SWL में उन देशों को शामिल किया जाता है, जिन देशों की सरकारों द्वारा गंभीर रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है या जिन पर ऐसा करने का आरोप है।
- रिपोर्ट में वित्तीय विश्लेषण की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा (IRFA) के तहत यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा हिंसक गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के लिये 'एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' (EPC) के रूप में USCIRF की सिफारिशें भी शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित महत्त्वपूर्ण वैश्विक विकास और प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें वे देश भी शामिल हैं जो CPC या SWL सिफारिशों के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
    - इनमें कोविड-19 महामारी और धार्मिक स्वतंत्रता, ईश निंदा तथा हेट स्पीच कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय दमन, यूरोप में धार्मिक असहिष्णुता, दक्षिण एशिया में धार्मिक स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति एवं धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताओं को बढ़ाने वाली राजनीतिक उथल-पुथल शामिल हैं।

USCIRF की नवीनतम सिफारिशें:

- CPC सूची के लिये:
    - भारत के अलावा CPC के लिये अनुशंसित देश अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम हैं।
    - CPC के रूप में म्याँमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पुन: नामित करने की अनुशंसा की गई है।
- विशेष निगरानी सूची के लिये:
    - अल्जीरिया, क्यूबा और निकारागुआ को वर्ष 2021 में इस सूची रखा गया।
    - अन्य दशों में अज़रबैजान, सीएआर, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कज़ाखस्तान, मलेशिया, तुर्की और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं।
- EPCs के लिये:
    - अल-शबाब, बोको हराम, हौथिस, हयात तहरीर अल-शाम (HTS), इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा (ISGS), इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP या ISIS-वेस्ट अफ्रीका) और जमात नस्र अल-इस्लाम वाल मुस्लिमिन (जेएनआईएम)।

भारत के बारे में चिंताएँ:

- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सरकार ने "महत्त्वपूर्ण आवाज़ों का दमन किया", विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और उन पर रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्तियों की।
    - इसमें कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्त्ता खुरान परवेज की गिरफ्तारी और जुलाई 2021 में ऑक्टोजेरियन फादर स्टेन स्वामी की मौत का उल्लेख है, जिसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहत अक्तूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था।
- रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से विदेशी फंडिंग के बारे में भी बात की गई है।
- यह धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर भी प्रकाश डालता है। अक्तूबर 2021 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में चर्चों और पुजारियों के सर्वेक्षण का आदेश दिया तथा पुलिस को ईसाई धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को खोजने के लिये घर-घर निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है।
    - अनुच्छेद 25 (अंत:करण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता)।

- अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 27 (किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय को लेकर स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 28 (कुछ विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को लेकर स्वतंत्रता)।

- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान हैं।

चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीनी राष्ट्रपति द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI) का प्रस्ताव रखा गया है। GSI को अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्वाड (भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ग्रुप) के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है।

- हालाँकि चीन ने प्रस्तावित वैश्विक सुरक्षा पहल के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।

GSI के बारे में:

- अविभाज्य सुरक्षा का सिद्धांत: एकाधिकारवाद (Unilateral-ism), आधिपत्य और सत्ता की राजनीति से उत्पन्न खतरों, शांति, सुरक्षा, विश्वास और शासन की कमी के कारण मानव जाति अधिक समस्याओं और सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है।
  - अत:चीन का कहना है कि "अविभाज्य सुरक्षा" के सिद्धांत को बनाए रखने के लिये वैश्विक सुरक्षा पहल की परिकल्पना की गई है।
  - "अविभाज्य सुरक्षा" के सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी देश दूसरे देश की सुरक्षा कीमत पर अपनी सुरक्षा को मज़बूत नहीं कर सकता है।
- एशियाई सुरक्षा मॉडल: GSI एक "साझा, व्यापक, सहकारी और टिकाऊ" सुरक्षा एवं आपसी सम्मान, खुलेपन तथा एकीकरण के लिये एशियाई सुरक्षा मॉडल के निर्माण की बात करता है।
- प्रतिबंध का विरोध: यह मॉडल पश्चिमी प्रतिबंधों को संदर्भित करने के लिये एकतरफा प्रतीत होने वाले प्रतिबंधों और लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र के उपयोग का विरोध करेगा।
- नए शीत युद्ध का समाधान: यूएस की इंडो-पैसिफिक रणनीति इस क्षेत्र को विभाजित करने और 'नया शीत युद्ध' शुरू होने की स्थिति में 'उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सैन्य गठबंधनों का उपयोग एशिया में करना है।
  - चीन के अनुसार, क्वाड समूह ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा,अमेरिका और यूके ऑकस संधि से जुड़े "फाइव आईज़" खुफिया गठबंधन के समकक्ष है, जिसे अमेरिका के "नाटो के एशियन संस्करण" के निर्माण की योजना के प्रमुख तत्त्व के रूप में देखा जा रहा है।

क्वाड सदस्यों की प्रतिक्रियाएँ:

- क्वाड एक सैन्य गठबंधन नहीं है: क्वाड के सदस्यों ने इस धारणा को खारिज किया है कि यह नाटो का एक एशियन संस्करण या एक सैन्य गठबंधन है, बल्कि उन्होंने इसे वैक्सीन और प्रौद्योगिकी सहित एक व्यापक सहयोग आधारित समझौता कहा है।
- चीन के दोहरे मानदंड: चीन द्वारा जब भी एकाधिकारवाद, आधिपत्य और दोहरे मानकों की आलोचना की जाती है उसमें प्राय: अमेरिका को लक्षित किया जाता है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव: प्रशांत क्षेत्र में चीन की नई प्रगति यूक्रेन युद्ध के कारण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ठहराव से संबंधित हो सकती है।

एक नए शीत युद्ध का संकेत देने वाली घटनाएँ:

- चीन का विकास: कई दशकों तक देंग शियाओपिंग (Deng Xiaoping) और उनके उत्तराधिकारियों के अपेक्षाकृत प्रबुद्ध अधिनायकवाद के अंतर्गत चीन के आक्रामक विकास को संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक रूप से देखा गया था।
  - हालाँकि शी जिनपिंग (राष्ट्रपति) के शासन के अधीन चीन नरम से कठोर अधिनायकवाद के रूप में विकसित हुआ है।
  - उदीयमान व्यक्तित्व के साथ अब वह जीवन भर के लिये चीन के राष्ट्रपति हैं।
- अमेरिका द्वारा प्रतिरोध: चीन की बढ़ती दृढ़ता पर अंकुश लगाने के लिये अमेरिका ने अपनी 'एशिया के लिये धुरी' (Pivot to Asia) नीति के तहत क्वाड इनिशिएटिव एंड इंडो पैसिफिक नैरेटिव की शुरुआत की है।
  - हाल ही में अमेरिका ने चीन को शामिल किये बिना G7 को G-11 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा।
- दक्षिण चीन सागर पर चीन का रुख: दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों, पहले भूमि पुनर्ग्रहण और फिर अतिरिक्त-क्षेत्रीय दावे का विस्तार करने के लिये कृत्रिम द्वीपों के निर्माण की नीति की अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तीखी आलोचना की है।
- आर्थिक आधिपत्य को चुनौती देना: चीन अमेरिका के प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के लिये वैकल्पिक शासन तंत्र के साथ सामने आया है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का आकस्मिक रिज़र्व समझौता (सीआरए) बेल्ट एंड रोड पहल तथा एशिया अवसंरचना निवेश बैंक जैसे संस्थान शामिल हैं।

भारत की भूमिका:

- भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और इसके महत्त्व को देखते हुए अमेरिका और चीन दोनों भारत को अपने खेमे में आकर्षित करने की कोशिश करते रहे। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत नए शीत युद्ध में अमेरिका का एक स्वाभाविक सहयोगी है।
- दूसरी ओर भारत में चीनी राजदूत ने "मानवता के लिये एक साझा भविष्य" के साथ "एक साथ एक नया अध्याय" लिखने का सुझाव दिया है तथा इसी संदर्भ में:
  - भारत वसुधैव कुटुम्बकम के तत्त्वावधान में नए बहुपक्षवाद को बढ़ावा दे सकता है जो समान सतत् विकास हेतु आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार दोनों के पुनर्गठन पर निर्भर करता है।
  - भारत को वैश्विक शक्तियों के साथ गहन कूटनीति अपनानी चाहिये ताकि एशिया की इस सदी को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और वैश्विक हित के संदर्भ में परिभाषित किया जा सके।
  - इसके अलावा भारत को यह स्वीकार करना चाहिये कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर और अंतरिक्ष में तकनीकी श्रेष्ठता पर निर्भर करती है, न कि महंगे पूंजीगत उपकरणों पर।
    - इस प्रकार भारत को महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिये।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration's- NASA) के हबल स्पेस टेलीस्कोप (Hubble Space Telescope) द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि विशाल बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु वास्तव में खगोलविदों द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला धूमकेतु है।

- नाभिक को C/2014 UN271 कहा जाता है जिसका अनुमानित व्यास लगभग 129 किलोमीटर है।
- नाभिक अधिकांश ज्ञात धूमकेतुओं की तुलना में लगभग 50 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान लगभग 500 ट्रिलियन टन होने का अनुमान है।

हबल स्पेस टेलीस्कोप:

- इसे 1990 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका नाम एडविन हबल के सम्मान में रखा गया था, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी खगोलशास्त्री थे।
- यह टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला है, इसने प्लूटो के चारों ओर चंद्रमा तथा बृहस्पति में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले धूमकेतु सहित अंतर-तारकीय वस्तुओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण अवलोकन किये हैं।
- वर्तमान में यह टेलीस्कोप 30 वर्षों से अधिक समय से परिचालन में है।
- दिसंबर 2021 में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप,जो एक क्रांतिकारी उपकरण है, को लॉन्च किया गया, यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक दूरी तक देखने के लिये बनाया गया था।
    - इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी माना जाता है तथा यह अपनी खोजों का विस्तार और बड़े स्तर पर करेगा।

बर्नार्डिनेली-बरस्टीन धूमकेतुः

- धूमकेतु की खोज खगोलविदों- पेड्रो बर्नार्डिनेली और गैरी बर्नस्टीन ने चिली में एक खगोलीय वेधशाला में डार्क एनर्जी सर्वे से प्राप्त अभिलेखीय छवियों के आधार पर की थी।
    - इसे नवंबर 2010 में खोजा गया था और तब से इसका गहन अध्ययन किया जा रहा है।
- यह धूमकेतु एक लाख से अधिक वर्षों से सूर्य की ओर गतिशील है और माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऊर्ट क्लाउड (धूमकेतुओं का बादल) में हुई थी।
    - ऊर्ट क्लाउड सौरमंडल का एक दूरस्थ क्षेत्र है और अनुमान है कि यह अधिकांश धूमकेतुओं का स्रोत है।
    - ऊर्ट क्लाउड अभी भी केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है, धूमकेतुओं को सीधे देखा जाना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत धुंधले और दूरी पर स्थित हैं। वर्ष 1950 में पहली बार इसकी परिकल्पना डच खगोलशास्त्री जान औरट द्वारा की गई थी।
- बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन धूमकेतु 3 मिलियन वर्ष तथा लंबी अंडाकार कक्षा का अनुसरण करता है तथा इसका अनुमानित तापमान माइनस 348 डिग्री फारेनहाइट है।
    - यह इतना गर्म है कि अपनी सतह से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) को उर्ध्वपातित कर देता है जिससे धूलयुक्त कोमा (Dusty Coma) उत्पन्न होता है।

'कार्बन मोनोआक्साइड' के विषय में:

- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अत्यधिक ज़हरीली गैस है, जो हवा से थोड़ी कम सघन होती है।
- यह वातावरण में अल्पकालिक (केवल कुछ महीनों तक) अवधि के लिये रहती है।
- यह आंतरिक दहन इंजनों के निकास एवं विभिन्न अन्य ईंधनों के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है।

धूमकेतु क्या है ?

- धूमकेतु धूल और बर्फ से बनी बड़ी वस्तुएँ हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं।
    - धूमकेतु शब्द लैटिन शब्द 'कोमेटा' से आया है जिसका अर्थ है 'लंबे बालों वाला'।
- धूमकेतु देखे जाने का सबसे पहला ज्ञात रिकॉर्ड 1059 ईसा पूर्व एक ज्योतिषी द्वारा बनाया गया था।
- धूमकेतु या 'डर्टी स्नोबॉल' ज्यादातर धूल, चट्टानों और बर्फ से बने होते हैं तथा उनकी चौड़ाई कुछ मील से लेकर 10 मील तक हो सकती है।

- जब वे सूर्य के करीब परिक्रमा करते हैं, तो गर्म हो जाते हैं और धूल एवं गैसों का मलबा छोड़ते हैं।
    - धूमकेतु के ठोस भाग जिनमें अधिकतर पानी, बर्फ और धूल के कण होते हैं, सूर्य से दूर होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं।
    - जब सूर्य के पास बर्फीली धूमकेतु सतहें वाष्पीकृत हो जाती हैं और बड़ी मात्रा में गैस व धूल फेंकती हैं, तो धूमकेतु के आसपास विशाल वातावरण का निर्माण होता है।
    - इसके कारण एक चमकते आवरण का निर्माण होता है, जो अक्सर एक ग्रह से बड़ा हो सकता है और मलबा एक पूँछ जैसी आकृति का निर्माण करता है, जो लाखों मील तक फैली हो सकती है।
    - हर बार जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास से गुज़रता है, तो वह अपनी कुछ सामग्री खो देता है और अंततः यह पूरी तरह से गायब हो जाता है।
    - गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूमकेतु कभी-कभी सूर्य एवं पृथ्वी के आस-पास की कक्षाओं में आ जाते हैं।

धूमकेतु कहाँ से आते हैं?

- नासा के अनुसार, लाखों धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वहीं अब तक 3,650 से अधिक ज्ञात धूमकेतु हैं।
    - पूर्वानुमेय धूमकेतु:
        - पूर्वानुमेय धूमकेतु लघु अवधि के धूमकेतु होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 200 वर्ष से कम समय लेते हैं।
        - ये प्रायः 'कुइपर बेल्ट' में पाए जा सकते हैं, जहाँ कई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
        - सबसे प्रसिद्ध लघु-अवधि के धूमकेतुओं में से एक 'हैली' धूमकेतु है, जो प्रत्येक 76 वर्षों में फिर से प्रकट होता है। हैली को अगली बार वर्ष 2062 में देखा जाएगा।
    - कम पूर्वानुमेय धूमकेतु:
        - कम-अनुमानित धूमकेतु ऊर्ट क्लाउड में पाए जा सकते हैं जो सूर्य से लगभग 100,000 AU (खगोलीय इकाई जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है तथा लगभग 150 मिलियन किमी. है) या पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी से 100,000 गुना अधिक दूरी पर स्थित है।
        - इस क्लाउड में धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 30 मिलियन वर्ष तक का समय ले सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. क्षुदग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? (2011)

1. क्षुदग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ (प्लेनेटॉयड) हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बाँधे रखता है।
2. क्षुद्रग्रह अधिकांशतः वृहस्पति और मंगल के परिक्रमा-पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं।
3. धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह यह नहीं दर्शाते।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- क्षुद्रग्रह छोटे और चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालाँकि क्षुद्रग्रह ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वे ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं।
- हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्रग्रह हैं। उनमें से अधिकांश मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट (मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का क्षेत्र) में पाए जाते हैं।
- धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल (Snowballs) हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब धूमकेतु की कक्षा इसे सूर्य के करीब लाती है, तो यह गर्म हो जाता है तथा अधिकांश ग्रहों की तुलना में बड़े चमकदार धूल और गैस निकलती है जो एक पूँछ बनाती है तथा सूर्य से लाखों मील दूर तक फैली होती हैं। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।
- कुइपर बेल्ट और उससे भी अधिक दूर ऊर्ट क्लाउड में सूर्य की परिक्रमा करने वाले अरबों धूमकेतुओं के होने की संभावना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (Data Security Council of India-DSCI) द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की अवधारणा की गई थी। रिपोर्ट में भारत के लिये एक सुरक्षित,सुदृढ़, भरोसेमंद, लचीला और जीवंत साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिये 21 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- हालाँकि भारत में साइबर हमलों में वृद्धि के बीच, केंद्र ने अभी तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति लागू नहीं किया है।

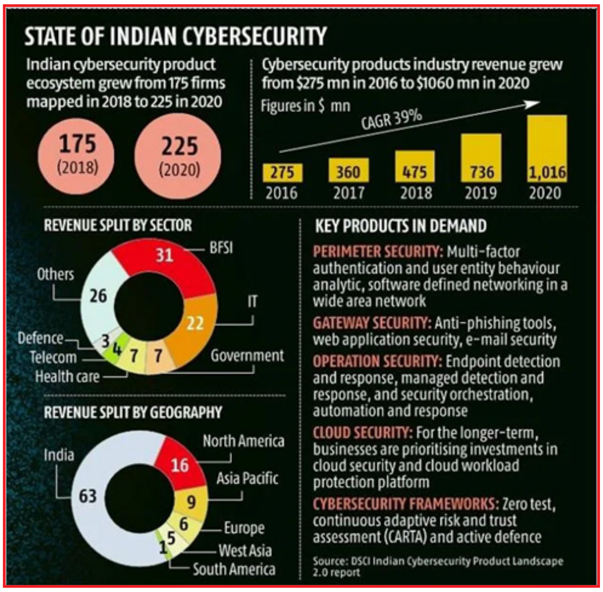

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की क्या आवश्यकता है?

- साइबर हमलों की बढ़ती संख्या: अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक लक्षित (सभी रैंसमवेयर हमलों का 42% सामना करने वाला) राज्य था
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हैकर समूहों के लिये अधिक आर्थिक रूप से लाभदायक क्षेत्रों में से एक है और इसलिये हैकर भारतीय फर्मों की डेटा तक पहुँच प्राप्त करके आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग फिरौती का भुगतान करने के लिये करते हैं।
  - चार भारतीय संगठनों में से एक को वर्ष 2021 में रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा, जो वैश्विक औसत के स्तर से 21% अधिक है।
- साइबर युद्ध के अपराध:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसने न केवल साइबर हमले से बचाव की रणनीति विकसित करने में काफी अधिक धनराशि का निवेश किया है, बल्कि उसके पास साइबर युद्ध अपराधियों से निपटने के लिये आवश्यक क्षमता भी मौजूद है।
  - जिन देशों की साइबर युद्ध क्षमता सबसे अधिक है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इज़रायल और यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं।
- महामारी के बाद डिजिटलीकरण में बढ़ोतरी:
  - कोरोना वायरस महामारी के बाद से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का तेज़ी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय सेवाएँ, बैंक, बिजली, विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि शामिल हैं।
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा:
  - विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की बढ़ती परस्परता और 5G के साथ इंटरनेट के प्रयोग में होने वाली बढ़ोतरी के मद्देनज़र यह काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
  - भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो केवल वर्ष 2020 के प्रारंभिक आठ महीनों में ही कुल 6.97 लाख साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएँ दर्ज हुई थीं, जो कि पिछले चार वर्षों में हुई कुल साइबर घटनाओं के बराबर हैं।
- हालिया साइबर घटनाएँ:
  - भारत के बिजली क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर लक्षित करने के लिये 'रेड इको' नामक चीन के एक समूह द्वारा मैलवेयर आदि के उपयोग में वृद्धि देखी गई है।
    - 'रेड इको' द्वारा 'शैडोपैड' (ShadowPad) नामक नए मैलवेयर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सर्वर तक पहुँच प्राप्त करने के लिये बैकडोर का प्रयोग शामिल है।
  - 'स्टोन पांडा' नाम से प्रचलित चीन के एक हैकर समूह द्वारा 'भारत बायोटेक' और 'सीरम इंस्टीट्यूट' की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में कई सुभेद्यताएँ खोजी गई थीं।
- सरकार के लिये:
  - एक स्थानीय, राज्य या केंद्र सरकार देश (भौगोलिक, सैन्य रणनीतिक संपत्ति आदि) एवं नागरिकों से संबंधित विभिन्न गोपनीय डेटा एकत्रित करती है और इस डेटा की सुरक्षा काफी महत्त्वपूर्ण होती है।
- आम लोगों के लिये:
  - सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किसी व्यक्ति द्वारा साझा की गई तस्वीरों, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को अनुचित रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिससे गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा घटनाएँ भी हो सकती हैं।
- व्यवसायों के लिये:
  - कंपनियों के पास उनके सिस्टम में बहुत सा डेटा और जानकारी मौजूद होती है। साइबर हमले के माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धी सूचनाओं (जैसे-पेटेंट और मूल कार्य) और कर्मचारियों/ग्राहकों के निजी डेटा की चोरी होने का खतरा रहता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के मुख्य घटक क्या हैं?

- सार्वजनिक सेवाओं का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण: सभी डिजिटलीकरण पहलों में डिज़ाइन के शुरुआती चरणों में ही सुरक्षा पर ध्यान देना।

- मूल उपकरणों के मूल्यांकन, प्रमाणन और रेटिंग के लिये संस्थागत क्षमता का विकास करना।
- सुभेद्यता और घटनाओं की समय-समय पर रिपोर्टिंग।

- आपूर्ति शृंखला सुरक्षा: इंटीग्रेटेड सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की आपूर्ति शृंखला की निगरानी तथा मैपिंग।
    - सामरिक और तकनीकी स्तरों पर वैश्विक स्तर पर देश की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमताओं का लाभ उठाना।
- महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण: पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) सुरक्षा को एकीकृत करना
    - सुभेद्यता को सुरक्षित बनाए रखना।
    - क्षेत्रक की समग्र स्तर की सुरक्षा आधार रेखा तैयार करना और उसके नियंत्रणों पर नज़र रखना।
    - खतरे की तैयारी और साइबर-बीमा उत्पादों के विकास के लिये ऑडिट पैरामीटर तैयार करना।
- डिजिटल भुगतान: तैनात उपकरणों और प्लेटफार्मों की मैपिंग तथा मॉडलिंग, आपूर्ति शृंखला, लेनदेन करने वाली संस्थाएँ, भुगतान प्रवाह, इंटरफेस एवं डेटा एक्सचेंज को मज़बूती प्रदान करना।
- राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा: राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा नीतियाँ विकसित करना,
    - समर्पित धन का आवंटन,
    - डिजिटलीकरण योजनाओं की गंभीर जाँच,
    - सुरक्षा संरचना, संचालन और शासन के लिये दिशानिर्देश।
- छोटे और मध्यम व्यवसायों की सुरक्षा: साइबर सुरक्षा तैयारियों के उच्च स्तर के प्रोत्साहन देने के लिये साइबर सुरक्षा में नीतिगत हस्तक्षेप।
    - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और औद्योगीकरण को अपनाने के लिये सुरक्षा मानकों, ढाँचे और संरचना का विकास करना।

रिपोर्ट के सुझाव

- बजटीय प्रावधान: इस क्षेत्र में वर्तमान वार्षिक बजट आवंटन 0.25% के स्तर से बढ़ाकर 1% तक किया जाना चाहिये इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा के लिये अलग बजट की सिफारिश की गई है।
    - अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के संदर्भ में आईटी/प्रौद्योगिकी व्यय का 15-20% साइबर सुरक्षा के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये।
    - यह साइबर सुरक्षा के लिये कोष स्थापित करने और उसी क्षेत्र में क्षमताओं के निर्माण हेतु राज्यों को केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान करने का भी सुझाव देता है।
- अनुसंधान, नवाचार, कौशल-निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास: रिपोर्ट आईसीटी के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण में निवेश करने, परिणाम-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिये एक लघु तथा दीर्घकालिक एजेंडा स्थापित करने एवं डीप-टेक साइबर सुरक्षा नवाचार में निवेश प्रदान करने का सुझाव देती है।
    - DSCI भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं से चुने गए संवर्गों के साथ एक 'साइबर सुरक्षा सेवाएँ' बनाने की सिफारिश करता है।
- संकट प्रबंधन: किसी संकट से निपटने के लिये पर्याप्त तैयारी के लिये, DSCI साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने की सिफारिश करता है जिसमें वास्तविक जीवंत परिदृश्य उनके प्रभाव के साथ शामिल हैं।
- साइबर बीमा: साइबर बीमा पर अभी शोध किया जाना बाकी है इसलिये व्यापार और प्रौद्योगिकी परिदृश्यों में साइबर सुरक्षा जोखिमों को संबोधित करने के साथ-साथ खतरे के जोखिम की गणना करने के लिये एक बीमांकिक विज्ञान होना चाहिये।
- साइबर कूटनीति: साइबर कूटनीति भारत के वैश्विक संबंधों को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिये बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे प्रमुख क्षेत्रीय ब्लॉकों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को कार्यक्रमों, आदान-प्रदान तथा औद्योगिक समर्थन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
    - बेहतर कूटनीति के लिये, सरकार को साइबर सुरक्षा में एक ज़िम्मेदार प्लेयर के रूप में ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना चाहिये और प्रमुख देशों/क्षेत्रों के लिये 'साइबर दूत' भी बनाना चाहिये।
- साइबर अपराध जाँच: दुनिया भर में साइबर अपराध में वृद्धि के साथ, रिपोर्ट स्पैमिंग और फेक न्यूज को रोकने के लिये कानून बनाकर न्यायिक प्रणाली को कम करने की सिफारिश करती है।
    - यह संभावित प्रौद्योगिकी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष का रोडमैप तैयार करने, साइबर अपराधों से निपटने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना और साइबर अपराध के बैकलॉग को दूर करने का भी सुझाव देती है।
    - इसके अलावा DSCI एजेंसियों को AI/ML, ब्लॉकचैन, IoT, क्लाउड, ऑटोमेशन आदि के युग में उन्नत फोरेंसिक प्रशिक्षण का सुझाव देती है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- 'साइबर सुरक्षित भारत' पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

हाल ही में कभी-कभी खबरों में आने वाले शब्द 'वानाक्राई, पेट्या और इंटर्नलब्लू' निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं (2018)

(a) एक्सोप्लैनेट

(b) क्रिप्टोकरेंसी

(c) साइबर हमले

(d) मिनी उपग्रह

उत्तर: (c)

- रैंसमवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (या मैलवेयर) का एक रूप है। एक बार जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है, तो यह आमतौर पर डेटा तक पहुँच कर उपयोगकर्त्ताओं को नुकसान पहुँचाता है। भुगतान करने पर डेटा तक पहुँच बहाल करने का वादा करते हुए हमलावर पीड़ित से फिरौती की मांग करते है।
- 'वानाक्राई, पेट्या और इंटर्नलब्लू कुछ रैनसम वेयर हैं, जिन्होंने बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) में फिरौती के भुगतान की मांग की थी।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (Data Security Council of India-DSCI) द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की अवधारणा की गई थी। रिपोर्ट में भारत के लिये एक सुरक्षित,सुदृढ़, भरोसेमंद, लचीला और जीवंत साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिये 21 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- हालाँकि भारत में साइबर हमलों में वृद्धि के बीच, केंद्र ने अभी तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति लागू नहीं किया है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की क्या आवश्यकता है?

- साइबर हमलों की बढ़ती संख्या: अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक लक्षित (सभी रैंसमवेयर हमलों का 42% सामना करने वाला) राज्य था
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हैकर समूहों के लिये अधिक आर्थिक रूप से लाभदायक क्षेत्रों में से एक है और इसलिये हैकर भारतीय फर्मों की डेटा तक पहुँच प्राप्त करके आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग फिरौती का भुगतान करने के लिये करते हैं।
  - चार भारतीय संगठनों में से एक को वर्ष 2021 में रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा, जो वैश्विक औसत के स्तर से 21% अधिक है।
- साइबर युद्ध के अपराध:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसने न केवल साइबर हमले से बचाव की रणनीति विकसित करने में काफी अधिक धनराशि का निवेश किया है, बल्कि उसके पास साइबर युद्ध अपराधियों से निपटने के लिये आवश्यक क्षमता भी मौजूद है।
  - जिन देशों की साइबर युद्ध क्षमता सबसे अधिक है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इज़रायल और यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं।
- महामारी के बाद डिजिटलीकरण में बढ़ोतरी:
  - कोरोना वायरस महामारी के बाद से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का तेज़ी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय सेवाएँ, बैंक, बिजली, विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि शामिल हैं।
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा:
  - विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की बढ़ती परस्परता और 5G के साथ इंटरनेट के प्रयोग में होने वाली बढ़ोतरी के मद्देनज़र यह काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
  - भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो केवल वर्ष 2020 के प्रारंभिक आठ महीनों में ही कुल 6.97 लाख साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएँ दर्ज हुई थीं, जो कि पिछले चार वर्षों में हुई कुल साइबर घटनाओं के बराबर हैं।
- हालिया साइबर घटनाएँ:
  - भारत के बिजली क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर लक्षित करने के लिये 'रेड इको' नामक चीन के एक समूह द्वारा मैलवेयर आदि के उपयोग में वृद्धि देखी गई है।
    - 'रेड इको' द्वारा 'शैडोपैड' (ShadowPad) नामक नए मैलवेयर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सर्वर तक पहुँच प्राप्त करने के लिये बैकडोर का प्रयोग शामिल है।
  - 'स्टोन पांडा' नाम से प्रचलित चीन के एक हैकर समूह द्वारा 'भारत बायोटेक' और 'सीरम इंस्टीट्यूट' की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में कई सुभेद्यताएँ खोजी गई थीं।
- सरकार के लिये:
  - एक स्थानीय, राज्य या केंद्र सरकार देश (भौगोलिक, सैन्य रणनीतिक संपत्ति आदि) एवं नागरिकों से संबंधित विभिन्न गोपनीय डेटा एकत्रित करती है और इस डेटा की सुरक्षा काफी महत्त्वपूर्ण होती है।

- आम लोगों के लिये:
  - सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किसी व्यक्ति द्वारा साझा की गई तस्वीरों, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को अनुचित रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिससे गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा घटनाएँ भी हो सकती हैं।
- व्यवसायों के लिये:
  - कंपनियों के पास उनके सिस्टम में बहुत सा डेटा और जानकारी मौजूद होती है। साइबर हमले के माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धी सूचनाओं (जैसे-पेटेंट और मूल कार्य) और कर्मचारियों/ग्राहकों के निजी डेटा की चोरी होने का खतरा रहता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के मुख्य घटक क्या हैं?

- सार्वजनिक सेवाओं का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण: सभी डिजिटलीकरण पहलों में डिज़ाइन के शुरुआती चरणों में ही सुरक्षा पर ध्यान देना।
  - मूल उपकरणों के मूल्यांकन, प्रमाणन और रेटिंग के लिये संस्थागत क्षमता का विकास करना।
  - सुभेद्यता और घटनाओं की समय-समय पर रिपोर्टिंग।
- आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा: इंटीग्रेटेड सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी तथा मैपिंग।
  - सामरिक और तकनीकी स्तरों पर वैश्विक स्तर पर देश की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमताओं का लाभ उठाना।
- महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण: पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) सुरक्षा को एकीकृत करना
  - सुभेद्यता को सुरक्षित बनाए रखना।
  - क्षेत्रक की समग्र स्तर की सुरक्षा आधार रेखा तैयार करना और उसके नियंत्रणों पर नज़र रखना।
  - खतरे की तैयारी और साइबर-बीमा उत्पादों के विकास के लिये ऑडिट पैरामीटर तैयार करना।
- डिजिटल भुगतान: तैनात उपकरणों और प्लेटफार्मों की मैपिंग तथा मॉडलिंग, आपूर्ति श्रृंखला, लेनदेन करने वाली संस्थाएँ, भुगतान प्रवाह, इंटरफेस एवं डेटा एक्सचेंज को मज़बूती प्रदान करना।
- राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा: राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा नीतियाँ विकसित करना,
  - समर्पित धन का आवंटन,
  - डिजिटलीकरण योजनाओं की गंभीर जाँच,
  - सुरक्षा संरचना, संचालन और शासन के लिये दिशानिर्देश।
- छोटे और मध्यम व्यवसायों की सुरक्षा: साइबर सुरक्षा तैयारियों के उच्च स्तर के प्रोत्साहन देने के लिये साइबर सुरक्षा में नीतिगत हस्तक्षेप।
  - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और औद्योगीकरण को अपनाने के लिये सुरक्षा मानकों, ढाँचे और संरचना का विकास करना।

रिपोर्ट के सुझाव

- बजटीय प्रावधान: इस क्षेत्र में वर्तमान वार्षिक बजट आवंटन 0.25% के स्तर से बढ़ाकर 1% तक किया जाना चाहिये इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा के लिये अलग बजट की सिफारिश की गई है।
  - अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के संदर्भ में आईटी/प्रौद्योगिकी व्यय का 15-20% साइबर सुरक्षा के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये।
  - यह साइबर सुरक्षा के लिये कोष स्थापित करने और उसी क्षेत्र में क्षमताओं के निर्माण हेतु राज्यों को केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान करने का भी सुझाव देता है।
- अनुसंधान, नवाचार, कौशल-निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास: रिपोर्ट आईसीटी के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण में निवेश करने, परिणाम-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिये एक लघु तथा दीर्घकालिक एजेंडा स्थापित करने एवं डीप-टेक साइबर सुरक्षा नवाचार में निवेश प्रदान करने का सुझाव देती है।
  - DSCI भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं से चुने गए संवर्गों के साथ एक 'साइबर सुरक्षा सेवाएँ' बनाने की सिफारिश करता है।
- संकट प्रबंधन: किसी संकट से निपटने के लिये पर्याप्त तैयारी के लिये, DSCI साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने की सिफारिश करता है जिसमें वास्तविक जीवंत परिदृश्य उनके प्रभाव के साथ शामिल हैं।
- साइबर बीमा: साइबर बीमा पर अभी शोध किया जाना बाकी है इसलिये व्यापार और प्रौद्योगिकी परिदृश्यों में साइबर सुरक्षा जोखिमों को संबोधित करने के साथ-साथ खतरे के जोखिम की गणना करने के लिये एक बीमांकिक विज्ञान होना चाहिये।
- साइबर कूटनीति: साइबर कूटनीति भारत के वैश्विक संबंधों को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिये बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे प्रमुख क्षेत्रीय ब्लॉकों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को कार्यक्रमों, आदान-प्रदान तथा औद्योगिक समर्थन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - बेहतर कूटनीति के लिये, सरकार को साइबर सुरक्षा में एक ज़िम्मेदार प्लेयर के रूप में ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना चाहिये और प्रमुख देशों/क्षेत्रों के लिये 'साइबर दूत' भी बनाना चाहिये।
- साइबर अपराध जाँच: दुनिया भर में साइबर अपराध में वृद्धि के साथ, रिपोर्ट स्पैमिंग और फेक न्यूज को रोकने के लिये कानून बनाकर न्यायिक प्रणाली को कम करने की सिफारिश करती है।

- यह संभावित प्रौद्योगिकी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष का रोडमैप तैयार करने, साइबर अपराधों से निपटने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना और साइबर अपराध के बैकलॉग को दूर करने का भी सुझाव देती है।
- इसके अलावा DSCI एजेंसियों को AI/ML, ब्लॉकचैन, IoT, क्लाउड, ऑटोमेशन आदि के युग में उन्नत फोरेंसिक प्रशिक्षण का सुझाव देती है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- 'साइबर सुरक्षित भारत' पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

हाल ही में कभी-कभी खबरों में आने वाले शब्द 'वानाक्राई, पेट्या और इंटर्नलब्लू' निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं (2018)

(a) एक्सोप्लैनेट

(b) क्रिप्टोकरेंसी

(c) साइबर हमले

(d) मिनी उपग्रह

उत्तर: (c)

- रैंसमवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (या मैलवेयर) का एक रूप है। एक बार जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है, तो यह आमतौर पर डेटा तक पहुँच कर उपयोगकर्त्ताओं को नुकसान पहुँचाता है। भुगतान करने पर डेटा तक पहुँच बहाल करने का वादा करते हुए हमलावर पीड़ित से फिरौती की मांग करते है।
- 'वानाक्राई, पेट्या और इंटर्नलब्लू कुछ रैनसम वेयर हैं, जिन्होंने बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) में फिरौती के भुगतान की मांग की थी।

आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने आनुवंशिक रूप से इंजीनियर मच्छरों (Engineered Mosquitoes) का खुली हवा में एक अध्ययन किया जिसके आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

- इस अध्ययन का उद्देश्य जंगली एडीज़ इजिप्टी मच्छरों (Aedes Aegypti Mosquitoes) की आबादी को कम करना है, जो कि चिकनगुनिया, डेंगू, ज़ीका और येलो फीवर/पीत-ज्वर जैसे वायरस का वाहक हैं।
- ब्राज़ील, पनामा, कैमन आइलैंड और मलेशिया में मच्छरों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

Vector		Disease caused	Type of pathogen
Mosquito	*Aedes*	Chikungunya	Virus
		Dengue	Virus
		Lymphatic filariasis	Parasite
		Rift Valley fever	Virus
		Yellow Fever	Virus
		Zika	Virus
	Anopheles	Lymphatic filariasis	Parasite
		Malaria	Parasite
	Culex	Japanese encephalitis	Virus
		Lymphatic filariasis	Parasite
		West Nile fever	Virus

आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर क्या हैं?

- आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) मच्छरों का उत्पादन दो प्रकार के जीन के लिये प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर जाता है:
  - स्व-सीमित जीन (Self-Limiting Gene) जो मादा मच्छरों को वयस्कता तक जीवित रहने से रोकता है।
  - फ्लोरोसेंट मार्कर जीन (Fluorescent Marker Gene) जो एक विशेष प्रकार के लाल प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है। यह शोधकर्त्ताओं को जंगल में जीएम मच्छरों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- प्रयोगशाला में उत्पादित जीएम मच्छर जब अंडे देते हैं तो इन अंडों में स्व-सीमित और फ्लोरोसेंट मार्कर जीन होते हैं।
- जीएम मच्छर के स्व-सीमित जीन वाले अंडों को एक क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है और जब वे परिपक्व हो जाते हैं तथा वयस्क अवस्था में विकसित हो जाते हैं, तो वे जंगली मादाओं के साथ मिलन के लिये सक्षम होते हैं एवं ये जीन संतानों स्थानांतरित हो जाते हैं।
  - नर मच्छरों में एक प्रोटीन (tTAV-OX5034 प्रोटीन) होता है जो मादा OX5034 मच्छरों के (जंगली मादा मच्छरों) के साथ संभोग करने पर मादा संतान को जीवित रहने से रोकता है।
- मादा संतान वयस्क होने से पहले ही मर जाती है। परिणामत: क्षेत्र में एडीज़ इजिप्टी मच्छरों की संख्या कम हो जाती है।

संबंधित चिंताएँ:

- किसी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिये मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने हेतु मच्छरों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करना कोई नया विचार नहीं है। इसी तरह के प्रयास एक दशक पहले भी शुरू हुए थे, अब वैज्ञानिक बीमारियों को रोकने के लिये टिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

- संशोधित मच्छरों से लोगों को नुकसान पहुँचाने से लेकर मच्छरों को खाने वाली प्रजातियों पर इसके प्रभाव और अन्य अनपेक्षित परिणामों जैसे घातक वायरस के उद्भव को लेकर भी चिंताएँ हैं ।
- विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि संभावित प्रकोप को रोकने के लिये वायरस फैलाने वाले मच्छरों की आबादी को कम करना ही पर्याप्त नहीं है।

ज़ीका वायरस (Zika Virus):

- ज़ीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेविवायरस है जिसे पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था।
- इसे बाद में वर्ष 1952 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में पहचाना गया। ज़ीका वायरस रोग का प्रकोप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दर्ज किया गया है।
- ज़ीका वायरस रोग मुख्य रूप से एडीज़ मच्छरों द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है और गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में जा सकता है।
- ज़ीका वायरस का यौन संचरण भी संभव है।
- ज़ीका के लिये कोई टीका या दवा नहीं है। इसके बजाय लक्षणों से राहत पाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसमें बुखार व दर्द के निवारण के लिये आराम, पुनर्जलीकरण तथा एसिटामिनोफेन शामिल हैं।

डेंगू:

- डेंगू का प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज़ (Genus Aedes) प्रजातियों मुख्य रूप से एडीज़ इजिप्टी (Aedes Aegypti) द्वारा होता है।
- इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द तथा खसरे के समान त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं।
- डेंगू के टीके CYD-TDV या डेंगवाक्सिया (CYD-TDV or Dengvaxia) को लगभग 20 देशों में स्वीकृति प्रदान की गई है।

चिकनगुनिया:

- चिकनगुनिया मच्छर जनित वायरस के कारण होता है।
- यह एडीज़ एजिप्टी (Aedes Aegypti) और एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छरों (Albopictus Mosquitoes) द्वारा फैलता है।
- इसके लक्षणों में अचानक बुखार, जोड़ों का तेज़ दर्द, अक्सर हाथों और पैरों में दर्द, साथ ही इसमें सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में सूजन या दाने हो सकते हैं।
- चिकनगुनिया के उपचार के लिये न तो कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध है और न ही कोई वाणिज्यिक चिकनगुनिया (Commercial Chikungunya) टीका।

पीत ज्वर (Yellow Fever):

- पीत ज्वर मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। यह पीलिया (Jaundice) के समान होती है, इसीलिये इसे पीत/पीला (Yellow) ज्वर के नाम से भी जाना जाता है।
- पीत ज्वर के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, पीलिया, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी और थकान शामिल हैं।
- पीत-ज्वर को सामान्यत: '17D' भी कहा जाता है। आमतौर पर यह टीका (Vaccine) सुरक्षित माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, पीत ज्वर को एक अत्यंत प्रभावी टीके की सिर्फ एक खुराक से रोका जा सकता है, जो सुरक्षित और किफ़ायती होने के साथ-साथ इस बीमारी के खिलाफ निरंतर प्रतिरक्षा एवं जीवन भर सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त है।
- हालाँकि इसके संबंध में किये गए अनुसंधानों एवं कुछ रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीत ज्वर संबंधी टीकाकरण के बाद शरीर के कई तंत्रों के खराब होने या सही से काम न करने की बातें सामने आई हैं, यहाँ तक कि इसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़ीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा फैलता है जो डेंगू का प्रसार करता है।
2. ज़ीका वायरस रोग यौन संचरण द्वारा संभव है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर पानी की मौजूदगी की संभावना व्यक्त की है जो सौरमंडल में जीवन के लिये एक प्रमुख उम्मीद है।

- इससे पहले नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के डॉन अंतरिक्षयान द्वारा बौने ग्रह सेरेस (Dwarf Planet Ceres) पर कथित तौर पर खारे पानी की भूमिगत उपस्थिति का पता लगाया था।

- पूर्व के शोधों में वैज्ञानिकों को K2-18b के वातावरण में जलवाष्प की मौजूदगी के निशान भी मिले थे।

यूरोपा के बारे में:

- यूरोपा पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक-चौथाई है।
- भले ही यूरोपा में ऑक्सीजन का वातावरण बहुत पतला है, फिर भी इसे सौरमंडल में सबसे आशाजनक स्थानों में से एक माना जाता है जहाँ वर्तमान वातावरण पृथ्वी से परे जीवन के लिये उपयुक्त हैं।
- यह भी माना जाता है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी की मात्रा पृथ्वी की तुलना में दोगुनी है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर बर्फ की 15-25 किमी मोटी परत है जो एक समुद्र पर तैर रही है तथा जिसकी गहराई 60-150 किमी के बीच होने का अनुमान है।
- दिलचस्प बात यह है कि इसका व्यास पृथ्वी से कम है, यूरोपा पर संभवतः पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में पानी की मात्रा दोगुनी है।
- वर्ष 2024 में नासा द्वाराअपना यूरोपा क्लिपर (Europa Clipper) लॉन्च किये जाने की उम्मीद है।
  - मॉड्यूल बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और चंद्रमा के वातावरण, सतह तथा इसके आंतरिक भाग पर डेटा एकत्र करने हेतु यूरोपा के पास से करीबी उड़ानों का संचालन करेगा।

निष्कर्ष:

- यूरोपा की सतह पर ज़्यादातर ठोस बर्फ है और इसके नीचे पानी मौजूद है।
- डबल रीजेज़ (Double Ridges)- संरचनाएँ जो यूरोपा की सतह पर सबसे आम हैं और पृथ्वी की ग्रीनलैंड बर्फ की चादर पर देखी गई हैं।
- चंद्रमा की डबल रीजेज़ संरचनाएँ पानी की उथले या उठे हुए स्थानों के ऊपर बनती हैं।

हाल के निष्कर्षों के निहितार्थ:

- यूरोपा की डबल रीजेज़ चंद्रमा की संभावित आवासीय क्षमता को बढ़ाती हैं।
- बर्फ का आवरण, जिसकी संभावित मोटाई मीलों तक है वैज्ञानिकों के लिये इसका सैंपल/नमूना लेना एक कठिन कार्य है लेकिन स्टैनफोर्ड टीम द्वारा एकत्र किये गए नए नमूनों के अनुसार, माना जाता है कि बर्फ के गोलाकार आवरण कम अवरोधक तथा अधिक गतिशील होते हैं।
  - इसका मतलब यह है कि बर्फ का गोला/आवरण बर्फ के एक निष्क्रिय ब्लॉक की तरह व्यवहार नहीं करता है, बल्कि विभिन्न भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रियाओं से गुज़रता है।
  - एक संभावना है कि यदि बर्फ के गोले में पानी की उपस्थिति है तो जीवन संभव है।
- यूरोपा पर ये सभी परिस्थितियाँ यदि विद्यमान है तो यदि तंत्र ग्रीनलैंड से समानता दिक्ताना है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि यूरोपा पर हर जगह पानी है।

बृहस्पति:

- सूर्य से पाँचवीं पंक्ति में बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो अन्य सभी ग्रहों के मुकाबले दोगुने से अधिक बड़ा है।
  - बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। इनमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है जिसमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है।
- बृहस्पति का प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट (Great Red Spot) पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है।
- बृहस्पति लगभग हर 10 घंटे में एक बार घूर्णन (एक जोवियन दिवस) करता है, परंतु सूर्य की परिक्रमा (एक जोवियन वर्ष) करने में इसे लगभग 12 वर्ष लगते हैं।
- बृहस्पति के 75 से अधिक चंद्रमा हैं।
  - बृहस्पति के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं को इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली जिन्होंने पहली बार वर्ष 1610 में इन ग्रहों को देखा था, के नाम पर गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है।
  - इनके नाम आयो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो हैं।
- वर्ष 1979 में वॉयजर मिशन ने बृहस्पति की धुँधली वलय प्रणाली की खोज की।
- नौ अंतरिक्षयानों को बृहस्पति पर भेजा जा चुका है। सबसे बाद में जूनो वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुँचा।

ब्ल्यू स्ट्रैग्लर तारे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स), बंगलूरू के वैज्ञानिकों कों ब्लू स्ट्रैगलर तारे के विशिष्ट लक्षण को समझने के तरीके के लिये समर्थन प्राप्त हुआ है।

- शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में भारत की पहली विज्ञान वेधशाला, एस्ट्रोसैट के यूवीआईटी उपकरण (पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप) द्वारा अवलोकन किया है।
- इससे पहले सितंबर 2021 में ब्लू स्ट्रैगलर (Blue Stragglers) का पहला व्यापक विश्लेषण करते हुए भारतीय शोधकर्त्ताओं ने इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी।

ब्लू स्ट्रैगलर तारों के विषय में:

- ब्लू स्ट्रैगलर्स खुले या गोलाकार समूहों में सितारों का एक ऐसा वर्ग है जो अन्य तारों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े और नीले रंग के होने के कारण अलग ही दिखाई देते हैंI
- कुछ तारे ऐसे होते हैं कि जब उनके आकार में विस्तार और शीतलन की उम्मीद की जाती है, तो वे इसके ठीक विपरीत होते हैं।
- इनके नीले रंग की वजह से संकेत मिलता है कि वे चमकीले और गर्म होते हैं।
    - इस प्रकार ये रंग-परिमाण आरेख में अपने आसपास के ठंडे लाल तारों से बाहर की ओर दिखाई देते हैं।
- चूँकि वे विकास के क्रम में अपने समूह केअन्य तारों से पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसलिये उन्हें उनके गर्म, नीले रंग के कारण विशेष रूप से नीले रंग के स्ट्रैगलर कहा जाता है।
- एलन सैंडेज (कैलिफोर्निया के पासाडेना में कार्नेगी ऑब्ज़र्वेटरीज़ के एक खगोलशास्त्री) ने वर्ष 1952-53 में गोलाकार क्लस्टर M3 में ब्लू स्ट्रैगलर की खोज की थी।
- अधिकांश ब्लू स्ट्रैगलर सूर्य से कई हज़ार प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं और इनमें से ज़्यादातर लगभग 12 बिलियन वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं।
- मिल्की वे आकाशगंगा का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ग्लोबुलर ओमेगा सेंटॉरी (Omega Centauri) है।

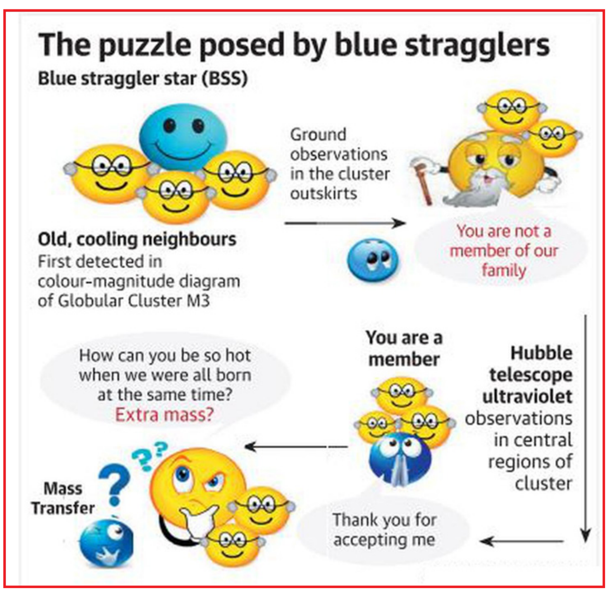

इस विशेषता के संभावित कारण:

- संभावना 1: ये समूह में तारों के परिवार से संबंधित नहीं हैं, इसलिये इनमें समूह के गुण होने की संभावना नहीं होती।
- संभावना 2: यदि वे समूह से संबंधित हैं, तो इन तारों के बाइनरी साथी से द्रव्यमान प्राप्त करने के कारण उत्क्रमणीय व्यवहार होता है।
    - इस दूसरे परिदृश्य में स्ट्रैगलर विशाल साथी तारे से पदार्थ खींचता है और अधिक बड़े पैमाने पर गर्म एवं नीले रंग में बढ़ता है तथा लाल रंग के एक सामान्य या छोटे सफेद बौने तारे के रूप में समाप्त होता है।
    - शोध में वैज्ञानिकों को सफेद बौने साथियों के नीले स्ट्रैगलरों के निर्णायक सबूत मिले।
- संभावना 3: स्ट्रैगलर एक साथी तारे से पदार्थ खींचता है लेकिन एक तीसरा तारा है जो इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है।

तारे की आयु या विकास का अध्ययन:

- तारे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिये किसी तारे के रंग और उसके परिमाण के बीच एक ग्राफ तैयार किया जाता है।
    - यह तारे की सतह के तापमान का संकेत देता है, जो इसके द्वारा दी गई कुल ऊर्जा से संबंधित है।
    - यदि सभी तारों को एक गोलाकार समूह में लाया जाता है, तो कई तारे एक बैंड के भीतर स्थान ग्रहण करते दिखते हैं जिसे मुख्य अनुक्रम के रूप में जाना जाता है।
    - इस ग्राफ को हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल आरेख कहा जाता है।
    - यह आरेख, तारों के तापमान को उनके प्रकाश के प्रतिकूल अथवा तारों के रंग को उनके संपूर्ण परिमाण के प्रतिकूल प्रदर्शित करता है।
    - यह सितारों के एक समूह को उनके विकास क्रम के विभिन्न चरणों में प्रदर्शित करता है।
- उदाहरण के लिये सूर्य, जिसे मुख्य अनुक्रम तारा भी कहा जाता है।
    - इसके द्रव्यमान और उम्र को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि एक बार जब यह अपने संपूर्ण हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देगा, तो इसका कोर सघन हो जाएगा, जबकि इसके बाहरी परतों का विस्तार होगा।
        - तब यह बड़े आकार के एक रेड जायंट (Red Giant) में बदल जाएगा।
    - इस चरण के बाद इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और यह एक छोटा, शीत तारा (Cooling Star) बन जाता है तथा अपने जीवन के अंतकाल में यह एक सफेद बौना तारा (White Dwarf) कहलाता है।

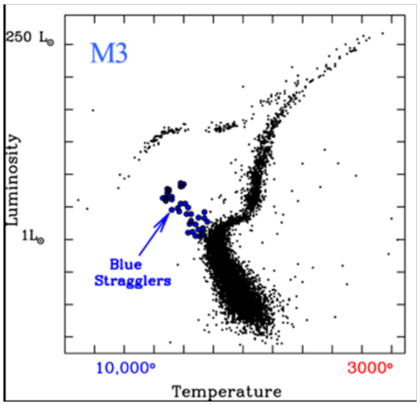

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA):

- IIA का मुख्यालय बंगलूरू में है तथा यह एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है जो पूरी तरह से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित है।
- IIA मुख्य रूप से खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों के विषयों में अनुसंधान करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी।

पर्सिवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर ली गईं ग्रहण की तस्वीरें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सूर्यग्रहण की तस्वीरें लीं।

- पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल के दो चंद्रमाओं में से एक फोबोस पर ग्रहण के कारण पड़ने वाले प्रभावों से युक्त विशेषताओं वाली तस्वीरें लीं। फोबोस बहुत धीरे-धीरे मंगल की ओर बढ़ रहा है और अब से लाखों वर्षों बाद वे टकराएंगे।
- ये अवलोकन वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा को बेहतर ढंग से समझने और इसका गुरुत्वाकर्षण कैसे मंगल की सतह पर आकर्षित करता है तथा अंततः लाल ग्रह के क्रस्ट व मेंटल को आकार देता है, को जानने में मदद कर सकते हैं।

सूर्यग्रहण :

- जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अँधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्यग्रहण कहते हैं।
- चंद्रमा की छाया के दो भाग होते हैं: एक मध्य क्षेत्र छाया (Umbra) और एक बाहरी क्षेत्र उपच्छाया (Penumbra)। छाया का कौन सा भाग पृथ्वी के ऊपर से गुज़रता है, इसके आधार पर तीन प्रकार के सूर्यग्रहण देखे जा सकते हैं:
  - पूर्ण सूर्यग्रहण- सूर्य का पूरा मध्य भाग चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध/ढक लिया जाता है।
  - आंशिक सूर्यग्रहण- सूर्य की सतह का केवल एक हिस्सा की अवरुद्ध होता है।
  - वलयाकार सूर्यग्रहण- सूर्य को इस प्रकार ढका जाता है कि सूर्य की डिस्क से केवल एक छोटा वलय जैसा प्रकाश का गोलाकर छल्ला दिखाई देता है। इस रिंग को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है।
    - वलयाकार सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, इस कारण यह छोटा लगता है और सूर्य के पूरे दृश्य को अवरुद्ध करने या ढकने में असमर्थ होता है, जिसके कारण अँगूठी जैसी संरचना देखी जा सकती है।

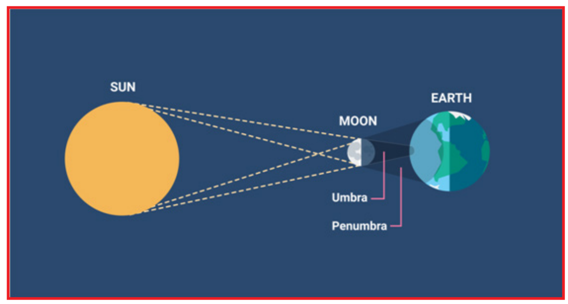

पर्सिवरेंस रोवर:

- पर्सिवरेंस रोवर के बारे में:
  - पर्सिवरेंस अत्यधिक उन्नत, महँगी और परिष्कृत चलायमान प्रयोगशाला है जिसे मंगल ग्रह पर भेजा गया है।
  - यह मिशन पिछले मिशनों से भिन्न है क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण चट्टानों और मिट्टी के नमूनों की खुदाई करने एवं उन्हें एकत्रित करने में सक्षम है तथा इन्हें मंगल की सतह पर एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित किया जा सकता है।
  - यह नासा के मार्स 2020 मिशन का केंद्रबिंदु है जिसमें छोटा रोबोट और समाक्षीय (Coaxial) हेलीकॉप्टर इनजेनिटी भी शामिल है।
- लॉन्च: 30 जुलाई 2020
- लैंडिंग: 18 फरवरी 2021
- शक्ति का स्रोत:
  - इसमें एक बहु-मिशन रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर है जो प्लूटोनियम (प्लूटोनियम डाइऑक्साइड) के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से गर्मी को बिजली में परिवर्तित कर देता है।

- उद्देश्य:
  - पर्सिवरेंस का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन सूक्ष्मजीवों के जीवन के संकेतों की तलाश करना है।
  - पर्सिवरेंस रोवर लाल ग्रह के रेजोलिथ, चट्टान और धूल का अध्ययन व विश्लेषण कर रहा है, यह गुप्त रूप से छुपे हुए नमूने एकत्र करने वाला पहला रोवर है।

मंगल ग्रह:

- आकार और दूरी:
  - यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है।
  - मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है।
- पृथ्वी से समानता (कक्षा और घूर्णन):
  - मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमण 24.6 घंटे में पूरा करता है, जो पृथ्वी पर लगभग एक दिन (23.9 घंटे) के समान है।
  - मंगल ग्रह का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष 25 डिग्री झुका हुआ है। यह पृथ्वी के अक्षीय झुकाव 23.4 डिग्री के समान है।
  - पृथ्वी की भाँति मंगल ग्रह पर भी अलग-अलग मौसम पाए जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के मौसम की तुलना में अधिक समय तक अपरिवर्तित रहते हैं क्योंकि मंगल ग्रह की अवस्थिति दूर है जिससे इसे सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है।
  - मंगल ग्रह के दिनों को सोल कहा जाता है- 'सौर दिवस' का छोटा रूप।
- सतह:
  - इसकी सतह भूरी, सुनहरी और हल्के पीले रंग जैसी है। मंगल ग्रह चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण या जंग लगने तथा धूल के कारण लाल दिखाई देता है। इसलिये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
  - मंगल ग्रह परओलंपस मॉन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह न्यू मैक्सिको राज्य के आकार के समान आधार वाले पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से तीन गुना लंबा है।
- वातावरण:
  - मंगल ग्रह का वातावरण पतला है जो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसों से बना है।
- मैग्नेटोस्फीयर:
  - मंगल ग्रह में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन दक्षिणी गोलार्द्ध क्षेत्र में मंगल ग्रह की भू-पर्पटी अत्यधिक चुंबकीय है, जो इसके चुंबकीय क्षेत्र होने का संकेत डेता है।
- उपग्रह:
  - मंगल के दो छोटे उपग्रह- फोबोस और डीमोस हैं।

अन्य मंगल मिशन:

- एक्सोमार्स रोवर (2021):
  - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने सितंबर 2022 में मंगल पर एक संयुक्त मिशन भेजने की योजना बनाई है।
    - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से इसे निलंबित कर दिया गया है।
- तियानवेन-1: चीन का मंगल मिशन:
  - चीन का पहला मंगल मिशन सतह के नीचे पानी की तलाश करेगा ताकि जीवन की खोज की जा सके।
- यूएई का होप मार्स मिशन (यूएई का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन) (2021):
  - यूएई का होप मार्स मिशन मंगल के जलवायु की पूरी जानकारी प्रदान करेगा।
- भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान (2013):
  - इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
- मार्स 2 और मार्स 3 (1971):
  - सोवियत संघ द्वारा मार्स 2 और मार्स 3 अंतरिक्षयान वर्ष 1971 में लॉन्च किये गए।

भारत की तकनीकी क्षमता का दोहन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश की तकनीकी क्षमता का दोहन करने के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी (International Centre for Entrepreneurship and Technology- iCreate) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी (iCreate):

- iCreate गुजरात सरकार की उत्कृष्टता का एक स्वायत्त केंद्र है तथा टेक इनोवेशन पर आधारित स्टार्टअप को व्यवसायों में परिवर्तित करने हेतु भारत का सबसे बड़ा संस्थान है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR):

- CSIR को विविध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास तथा औद्योगिक ज्ञान के आधार हेतु जाना जाता है।

- यह एक समकालीन अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- CSIR के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली तीन इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है।
- CSIR के पास 8366 भारतीय पेटेंट और 7806 विदेशी पेटेंट का पेटेंट पोर्टफोलियो है।
- CSIR समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, दवाओं, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरण इंजीनियरिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक विज्ञान व प्रौद्योगिकी के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है।
- यह सामाजिक प्रयासों से संबंधित कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करता है।
    - सामाजिक प्रयासों में पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र शामिल हैं।
- इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास में सीएसआईआर की भूमिका उल्लेखनीय है।

समझौता ज्ञापन के प्रमुख बिंदु:

- समझौता ज्ञापन के तहत CSIR और iCreate देश में उद्यमियों और नवप्रवर्तनकर्त्ताओं के लिये संयुक्त संसाधन उपलब्ध कराकर नवाचार तकनीकी स्टार्टअप हेतु एक सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित करने का इरादा रखते हैं।
- यह साझेदारी वैज्ञानिक नवोन्मेष और हाई-टेक स्टार्टअप्स की मार्केटिंग क्षमता को भी उत्प्रेरित करेगी।
    - फिनटेक, नियोबैंक और ई-कॉमर्स उद्यमी डिजिटल वातावरण का निर्माण करते है तथा उनका उद्यम इसका पूरा लाभ उठा सकता है जिससे डिजिटल बूम की स्थिति पैदा हो सकती है।
- इसके अलावा iCreate चिह्नित CSIR प्रयोगशालाओं में नए इन्क्यूबेटरों को स्थापित करने में मदद करेगा।
    - ऐसे स्टार्टअप CSIR के उपकरण, सुविधाओं और वैज्ञानिक जनशक्ति का उपयोग करेंगे।
- CSIR उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये बौद्धिक संपदा सहायता प्रदान करेगा तथा भारत के अभिनव स्टार्टअप को वित्तीय रूप से समर्थन देने के तरीकों का पता लगाएगा।
- CSIR वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से संबोधित की जा सकने वाली वास्तविक ज़रूरतों की पहचान करने के लिये iCreate अपने गहरे उद्योग संबंध और बाज़ार संपर्कों का भी लाभ उठाएगा।
    - इस प्रकार यह CSIR से निकलने वाले नवाचारों के तेज़ी से व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगा।

भारत में स्टार्टअप की स्थिति:

- स्टार्टअप के बारे में:
    - वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश है (स्टार्टअप की संख्या के अनुसार)। वर्ष 2020 तक भारत में 15,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित किये जा चुके हैं जो वर्ष 2010 तक स्थापित 5000 स्टार्टअप्स की तुलना में कहीं अधिक हैं।
    - इस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत स्मार्टफोन और इंटरनेट की पैठ, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और एक राष्ट्रीय भुगतान स्टैक शामिल हैं।
    - इसके अतिरिक्त भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान, वर्ष 2011-20 की अवधि में स्थापित स्टार्टअप्स से कहीं अधिक केवल वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाले स्टार्टअप) स्थापित हुए हैं।
    - हालाँकि अभी भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो भारत में स्टार्टअप्स की वास्तविक क्षमता को साकार करने में बाधा के रूप में कार्य करती हैं जैसे- भारतीय स्टार्टअप का निर्माण और स्केलिंग, विविधता व डिजिटल डिवाइड, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एन्वायरनमेंट आदि।
- अन्य संबंधित पहलें:
    - स्टास्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग: यह एक विकसित मूल्यांकन उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समर्थन के लिये समग्र रूप से अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
    - SCO स्टार्टअप मंच: स्टार्टअप मंच को पहली बार शंघाई सहयोग संगठन में उद्देश्य से अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
    - प्रारंभ: 'प्रारंभ ' शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्टअप्स और युवाओं को एक मंच प्रदान करना है ताकि वे नए विचार, नवाचार और आविष्कार प्रस्तुत कर सकें।
    - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: इसका उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण (POC), प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण आदि के संदर्भ में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
    - फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज: मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्य पालन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन किया।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन देखा जा रहा है। कुछ स्थानों पर इस तत्त्व की अधिकता है तो वही कुछ जगहों पर इसकी कमी बनी हुई है।

प्रमुख बिंदु

कमी के कारण:

- कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और अन्य वैश्विक परिवर्तनों ने पौधों तथा रोगाणुओं में नाइट्रोजन की मांग में वृद्धि की है।
  - उच्च कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) सांद्रता के संपर्क में आने पर पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं।
  - पौधों में CO_2 का उच्च स्तर उनमे नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देता है इस प्रकार पौधों में नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है।
- नाइट्रोजन के स्तर में गिरावट या कमी लाने वाले अन्य कारकों में वनाग्नि सहित ग्लोबल वार्मिंग शामिल हैं।
  - विश्व के कई क्षेत्रों जहाँ लोग मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं वहाँ से प्राप्त दीर्घकालिक रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं कि उन स्थानों पर नाइट्रोजन की उपलब्धता घट रही है जो पौधों और जानवरों के विकास हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
  - जीवाश्म ईंधन के दहन, नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उपयोग और अन्य गतिविधियों से पारिस्थितिक तंत्र में जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है।

नाइट्रोजन असंतुलन के परिणाम:

- नाइट्रोजन की कमी:
  - नाइट्रोजन के घटते स्तर या कमी को कीट के विनाश/सर्वनाश (Insect Apocalypse) से जोड़कर देखा जा सकता है।
    - जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों के उपयोग, शाकनाशी, प्रकाश प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियाँ, कृषि और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण हर साल पृथ्वी से लगभग 1-2% कीट समाप्त हो रहे हैं। इस परिघटना को "कीट सर्वनाश" (Insect Apocalypse)कहा जा रहा है।
  - यह टिड्डियों की कुछ प्रजातियों की संख्या बढ़ा सकता है।
  - इसके अलावा कम नाइट्रोजन की उपलब्धता वातावरण से CO_2 को अवशोषित करने की पौधों की क्षमता को सीमित कर सकती है।
- नाइट्रोजन की उच्च मात्रा:
  - जब नदियों, अंतर्देशीय झीलों और पानी के तटीय निकायों में अत्यधिक नाइट्रोजन की मात्रा इकट्ठा हो जाती है, तो यह कभी-कभी यूट्रोफिकेशन (Eutrophication) का परिणाम हो सकती है जिससे हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन (Algal Blooms) की घटना हो सकती है तथा डेड ज़ोन और मछलियों की मृत्यु तक हो जाती है।
    - यूट्रोफिकेशन (Eutrophication): जब एक जल निकाय खनिजों और पोषक तत्त्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाती है जो शैवाल या शैवाल के अत्यधिक विकास को प्रेरित करती है। इस स्थिति में उपलब्ध जलीय ऑक्सीजन कम हो जाती जिससे अन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है।
- भूजल में नाइट्रोजन का उच्च स्तर मनुष्यों में आँत के कैंसर और गर्भपात जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है और शिशुओं के लिये घातक हो सकता है।

नाइट्रोजन की मुख्य विशेषताएँ:

- नाइट्रोजन सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिये महत्त्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्त्वों में से एक है।
- वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की 78% मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन जीवन के आवश्यक कई अणुओं का हिस्सा है जिनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड (डीएनए और आरएनए) और कुछ विटामिन शामिल हैं।
- नाइट्रोजन अन्य जैविक रूप से महत्त्वपूर्ण यौगिकों जैसे एल्कलॉइड और यूरिया में भी पाया जाता है।
- इस प्रकार नाइट्रोजन सभी जीवों के लिये एक आवश्यक पोषक तत्व है तथा जीवन के लिये ये सभी जीव सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करते है।
- यद्यपि नाइट्रोजन गैस (N_2) के रूप में वातावरण में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, किंतु जीवों द्वारा इसका उपभोग काफी हद तक दुर्गम है, जिससे अक्सर कई पारिस्थितिक तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकता सीमित होती है।

- केवल जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस से अमोनिया (NH_3) में परिवर्तित किया जाता है, तो यह पौधों जैसे प्राथमिक उत्पादकों के लिये उपयोग में लाई जा सकती है।
- नाइट्रोजन गैस के प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं:
  - नाइट्रोजन स्थिरीकरण (अमोनिया हेतु नाइट्रोजन गैस),
  - नाइट्रीकरण (अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट),
  - डीनाइट्रीकरण (नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैसों में)
- नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन गैस (N_2) को जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन अर्थात् अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है।
  - कुछ नाइट्रोजन-फिक्सिंग जीव (Nitrogen-fixing organisms) मुक्त-जीवित होते हैं, जबकि अन्य सहजीवी नाइट्रोजन-फिक्सर (Nitrogen-fixers) होते हैं, जिन्हें प्रक्रिया को पूरा करने के लिये मेजबान के साथ घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है।
  - इनमें से कुछ बैक्टीरिया एरोबिक, जबकि अन्य अवायवीय होते हैं; जिसमे से कुछ प्रकाशपोषी होते हैं तथा कुछ अन्य रसायनपोषी होते हैं (प्रकाश के बजाय रसायनों को उनके ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना)।
  - इन सभी में एक समान एंज़ाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसे नाइट्रोजनेज़ (Nitrogenase) कहा जाता है, जो N_2 की कमी को NH_3 (अमोनिया) में उत्प्रेरित करता है।

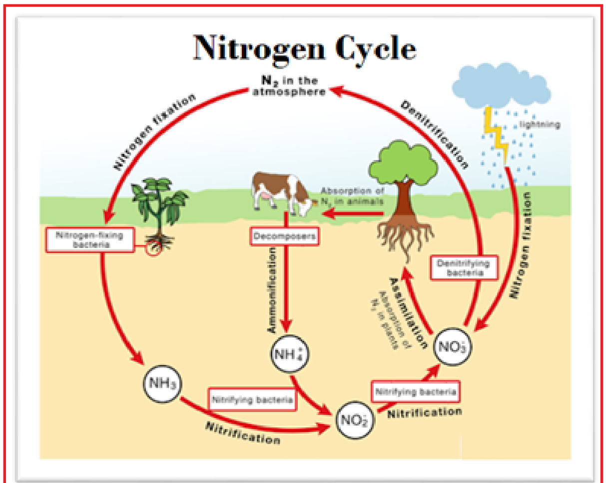

विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से, मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है/बढ़ाते हैं?

1. जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन
2. मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना
3. वनस्पति की मृत्यु

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

- मानव सहित स्तनधारी यूरिया के प्राथमिक उत्पादक हैं। क्योंकि वे यूरिया को प्राथमिक नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट उत्पाद के रूप में स्रावित करते हैं, इन्हें यूरियोटेलिक जानवर कहा जाता है। ये अपशिष्ट मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। अत: 1 सही है।
- कोयले के दहन से कार्बन के ऑक्साइड (COx), सल्फर के ऑक्साइड (SOx), नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx) और फ्लाई-ऐश, ग्रिप गैस और स्क्रबर कीचड़ सहित कई तरह के उपोत्पाद बनते हैं। हालाँकि यह सीधे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को नहीं बढ़ाते करते है। अत: 2 सही नहीं है।
- जब वनस्पति तथा जानवर की मृत्यु हो जाती हैं, तो कार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित होते हैं, जिन्हें अपघटक (Decomposers) के रूप में जाना जाता है। यह अपघटन अमोनिया उत्पन्न करता है, जो नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरता है, अर्थात् मिट्टी में नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट (NO_2) और फिर नाइट्रेट (NO_3) में परिवर्तित करते हैं। अत: 3 सही है। अत: विकल्प (c) सही उत्तर है

ब्लू ब्लॉब

चर्चा में क्यों?

हाल के एक शोध के अनुसार आइसलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंढे ठंडे जल के क्षेत्र, जिसे "ब्लू ब्लॉब" (Blue Blob) कहा जाता है, के द्वारा आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने में सहायक हो सकता है।

- हालाँकि शोध में यह भी कहा गया है कि अगर तापमान को नियंत्रित नहीं रखा गया तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बर्फ के बड़े भागों तक पहुँच जाएगा।

प्रमुख बिंदु

ब्लू ब्लॉब क्या के बारे में तथा ग्लेशियर के पिघलने की गति को धीमा करने में इसकी भूमिका:

- यह आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित एक ठंडा क्षेत्र है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है।

- वर्ष 2014-2015 की सर्दियों के दौरान जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस था तो इस क्षेत्र में कोल्ड पैच (Cold Patch) सबसे अधिक थे।
- आर्कटिक क्षेत्र कथित तौर पर वैश्विक औसत से चार गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है और आइसलैंड के ग्लेशियर वर्ष 1995 से वर्ष 2010 तक लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे प्रति वर्ष औसतन 11 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है।
- वर्ष 2011 में इसके पिघलने की प्रक्रिया शुरू हुई हालाँकि, आइसलैंड के ग्लेशियरों के पिघलने की गति धीमी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक लगभग आधा ग्लेशियर की मात्रा के बराबर ही बर्फ पिघली और ब्लू ब्लॉब को आइसलैंड के ग्लेशियरों और ठंडे जल पर कूलर हवा के तापमान से जोड़ा गया है।
  - यह प्रवृत्ति ग्रीनलैंड और स्वालबार्ड के आस-पास के बड़े ग्लेशियरों में नहीं देखी गई थी।
- ब्लू ब्लॉब से पहले उसी क्षेत्र में एक दीर्घकालिक शीतलन प्रवृत्ति, जिसे अटलांटिक वार्मिंग होल कहा जाता है, ने पिछली शताब्दी के दौरान समुद्र की सतह के तापमान को लगभग 0.4 से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया और भविष्य में इस क्षेत्र के ठंडे होने की प्रक्रिया जारी रह सकती है।
  - वार्मिंग होल (Warming Hole) का एक संभावित कारण अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (Atlantic Meridional Overturning Circulation- AMOC) का धीमा होना है।
    - AMOC एक महासागरीय धारा है जो उष्ण कटिबंध से आर्कटिक तक गर्म जल का प्रसार करती है इस प्रकार इस क्षेत्र में वितरित गर्मी की मात्रा को कम करती है।

आर्कटिक के बारे में:

- आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित ध्रुवीय क्षेत्र है।
- आर्कटिक क्षेत्र के तहत भूमि पर मौसमी रूप से अलग-अलग हिम के आवरण की प्रकृति होती है।
- आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है।
- वर्ष 2013 से भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जो आर्कटिक के पर्यावरण और विकास पहलुओं पर सहयोग के लिये प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है।
  - आर्कटिक परिषद एक उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना आर्कटिक राज्यों, स्थानिक समुदायों और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देने के लिये (विशेष रूप से आर्कटिक में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर) की गई थी।
  - आर्कटिक परिषद के सदस्य: ओटावा घोषणा ने कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्कटिक परिषद के सदस्य के रूप में घोषित किया है।

भारत के लिये आर्कटिक की प्रासंगिकता:

- आर्कटिक क्षेत्र शिपिंग मार्गों के कारण महत्त्वपूर्ण है।
- मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, आर्कटिक के प्रतिकूल प्रभाव न केवल खनिज और हाइड्रोकार्बन संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक शिपिंग मार्गों को भी बदल रहे हैं।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत एक स्थिर आर्कटिक को सुरक्षित करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।
- यह क्षेत्र अत्यधिक भू-राजनीतिक महत्त्व रखता है क्योंकि आर्कटिक के वर्ष 2050 तक बर्फ मुक्त होने का अनुमान है साथ ही वैश्विक शक्तियाँ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र का दोहन करने के लिये आगे बढ़ रही हैं।
- मार्च, 2022 में भारत की आर्कटिक नीति का 'भारत और आर्कटिक: सतत् विकास के लिये एक साझेदारी का निर्माण' शीर्षक से अनावरण किया गया था।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2014)

1. डेनमार्क
2. जापान

3. रूसी संघ
4. यूनाइटेड किंगडम
5. संयुक्त राज्य अमेरिका

उपर्युक्त में से कौन-से 'आर्कटिक परिषद' के सदस्य हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 4 और 5
(d) 1, 3 और 5

उत्तर: (d)

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये बैटरी स्वैपिंग ड्राफ्ट पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिये बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया।

- नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिये बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम की दक्षता में सुधार करना है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाया जा सके।
- मसौदा नीति के अनुसार, पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिये 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैटरी स्वैपिंग क्या है?

- बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत चार्ज की गई बैटरी को चार्ज खत्म हो चुकी बैटरी (Discharged Batteries) से बदला जाता है।
- यह इन बैटरियों को अलग से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करता है और नगण्य डाउनटाइम के साथ वाहन को परिचालन मोड में रखता है।
- बैटरी की अदला-बदली आमतौर पर छोटे वाहनों जैसे- दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिये किया जाता है, जिनमें छोटी बैटरी इस्तेमाल होती है, साथ ही चार पहिया और ई-बसों की तुलना में स्वैप करना आसान होता है, हालाँकि इन बड़े वाहनों के लिये भी समाधान खोजा जा रहां है।

मसौदा नीति के मुख्य बिंदु:

- परिचय: मसौदा नीति के अनुसार, बैटरी की अदला-बदली बैटरी-एज़-ए-सर्विस (Battery-as-a-Service - BaaS) व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत की जाएगी तथा ऐसे मॉडलों को वैकल्पिक रूप से बैटरी स्वैपिंग के लिये ईवीएस और बैटरी के बीच अंतर-संचालन सुनिश्चित करना होगा।
- उद्देश्य:
  - न्यूनतम तकनीकी मानक: यह नीति बैटरी-स्वैपिंग बुनियादी ढाँचे के प्रभावी, कुशल, विश्वसनीय, सुरक्षित और ग्राहक-अनुकूल कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिये बैटरी स्वैपिंग पारिस्थितिकी तंत्र हेतु आवश्यक न्यूनतम तकनीकी व परिचालन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
  - वित्तीय सहायता: बैटरी प्रदाताओं (बैटरी की लागत के लिये) और ईवी उपयोगकर्त्ताओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - कर को कम करना: मसौदा नीति में सुझाव दिया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर दरों में अंतर को कम करने पर विचार कर रही है।
    - पूर्व में वर्तमान कर की दर 18% थी, जो बाद में 5% कर दी गई।
  - विशिष्ट पहचान संख्या: नीति में विनिर्माण स्तर पर स्वैपेबल बैटरियों को ट्रैक तथा उनकी निगरानी करने हेतु एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।
- नोडल एजेंसी: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) केंद्रीय नोडल एजेंसी है, जो ईवी (EV) पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रोलआउट तथा देश भर में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार होगी।

नीति की आवश्यकता क्यों है?

- EVs पारंपरिक रूप से "फिक्स्ड" बैटरी के साथ खरीदे जाते हैं जिन्हें केवल EV के भीतर रखे जाने पर बिजली का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है।
- पारंपरिक वाहनों के लिये ईंधन स्टेशनों की तरह बड़े पैमाने पर EV अपनाने के लिये पर्याप्त, किफायती, सुलभ और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क ज़रूरी है।
- भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
- हालाँकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में अभी भी काफी समय लग सकता है और शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी है।
- इसलिये भारत सरकार ने बजट भाषण 2022-23 में घोषणा की थी कि ईवी पारिस्थितिकी तंत्र दक्षता में सुधार हेतु केंद्रीय बैटरी स्वैपिंग नीति और इंटरऑपरेबिलिटी मानकों को पेश किया जाएगा।

नीति का महत्त्व:

- डीकार्बोनाइज़िंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर: भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, जिस पर भारत द्वारा वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किये गए थे।

- जनादेश के तहत भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- परिवहन को डीकार्बोनाइज़ करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के नेतृत्व में स्वच्छ गतिशीलता के लिये यह परिवर्तन आवश्यक है।
- सड़क परिवहन क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्त्ताओं में से एक है और लगभग 33% पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन करता है।

- ईवी बाज़ार का लाभ उठाना: वर्ष 2021 में समग्र भारतीय ईवी बाज़ार 1,434.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर आँका गया था तथा जिसके वर्ष 2027 तक 47.09% CAGR से बढ़कर 15,397.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।

ईवी को बढ़ावा देने हेतु संबंधित सरकारी योजनाएँ:

- सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2015 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को फेम-इंडिया (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles-FAME) योजना शुरू की थी।
- इसके अलावा इसने वर्ष 2021 में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियों के निर्माण के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को भी मंज़ूरी दी गई।
- एक अन्य PLI योजना, जिसमें ईवी स्टार्टअप भी शामिल हैं, को भी बजटीय परिव्यय के साथ मोटर वाहन क्षेत्र हेतु अनुमोदित किया गया था।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तावित वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- स्थायी समिति ने पाया है कि कुछ प्रजातियों, जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है, को वन्यजीवों और पौधों की विभिन्न अनुसूचियों से बाहर रखा गया है तथा इन प्रजातियों को शामिल करने हेतु अनुसूचियों की संशोधित सूची की सिफारिश की गई है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में पौधों और जानवरों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर निगरानी की जाती है।
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है, अंतिम संशोधन 2006 में किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- CITES के प्रावधान: यह विधेयक वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है।
  - प्रबंधन प्राधिकरण, जो विशिष्ट प्रजातियों के व्यापार हेतु आयात या निर्यात का परमिट प्रदान करताहै।
    - अनुसूचित नमूने के व्यापार में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को लेन-देन का विवरण या रिपोर्ट प्रबंधन प्राधिकरण को सौपना होगा।
    - CITES के अनुसार, प्रबंधन प्राधिकरण नमूने के लिये पहचान चिह्न का प्रयोग कर सकता है।
    - यह बिल किसी भी व्यक्ति को नमूने के पहचान चिह्न को संशोधित करने या हटाने से प्रतिबंधित करता है।
    - इसके अतिरिक्त अनुसूचित जीवित पशुओं के नमूने रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रबंधन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  - वैज्ञानिक प्राधिकरण, व्यापार किये जा रहे जानवरों के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े पहलुओं पर अपनी सलाह देता है।
- अनुसूचियों की प्रासंगिकता: वर्तमान अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पौधों (एक), विशेष रूप से संरक्षित जानवरों (चार) और कृमि प्रजातियों (एक) के लिये कुल छह अनुसूचियाँ हैं।
  - इसमें वे प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं जो CITES द्वारा सूचीबद्ध वन्यजीवों एवं पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति में हैं।
  - अनुसूची II में ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्ती से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती हैं।
  - अनुसूची III उन प्रजातियों की सूची है जिन्हें किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया जाता है, जिनका व्यापार पक्षकार द्वारा पहले से ही विनियमित किया जा रहा है तथा शामिल की गईं प्रजातियों के अधारणीय एवं अत्यधिक दोहन को रोकने के लिये दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता है।
  - यह कृमि (वर्मिन) प्रजातियों की अनुसूची को निष्कासित करता है। कृमि प्रजाति छोटे जानवरों को संदर्भित करती है जो बीमारियों में वृद्धि के साथ ही भोजन को नष्ट करती हैं।

- यह CITES के अंतर्गत परिशिष्टों में जंतु नमूनों की नवीन अनुसूची को शामिल करता है।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ: यह बिल केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्ज़े या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
  - आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ उन पौधों या जानवरों की प्रजातियों को संदर्भित करती हैं जो भारतीय मूल की नहीं हैं और जो वन्यजीव या इनके आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
  - केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को ज़ब्त करने और उनका निपटान करने के लिये अधिकृत कर सकती है।
- अभयारण्यों का नियंत्रण: अधिनियम मुख्य वन्यजीव वार्डन को एक राज्य में सभी अभयारण्यों को नियंत्रित, प्रबंधित करने और बनाए रखने का काम सौंपता है।
  - मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
  - बिल निर्दिष्ट करता है कि मुख्य वार्डन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई अभयारण्य के लिये प्रबंधन योजनाओं के अनुसार होनी चाहिये।
  - विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों के लिये संबंधित ग्राम सभा के साथ उचित परामर्श के बाद प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिये।
  - विशेष क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र या वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू है।
  - अनुसूचित क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं जहां मुख्य रूप से आदिवासी आबादी रहती है, जिसे संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित किया गया है।
- संरक्षण रिज़र्व: अधिनियम के तहत राज्य सरकारें वनस्पतियों और जीवों तथा उनके आवास की रक्षा के लिये राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों को संरक्षण रिज़र्व के रूप में घोषित कर सकती हैं।:
- बिल केंद्र सरकार को भी एक संरक्षण रिज़र्व को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- बंदी जानवरों का समर्पण: बिल किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी भी बंदी जानवर या पशु उत्पाद को मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंपने का प्रावधान करता है।
  - ऐसी वस्तुओं को अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति को कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा।
  - अभ्यर्पित वस्तुएँ राज्य सरकार की संपत्ति होंगी।
- दंड: अधिनियम, प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान करता है। विधेयक दंड के प्रावधानों में भी वृद्धि करता है।

उल्लंघन के प्रकार	अधिनियम, 1972	विधेयक, 2021
सामान्य उल्लंघन	25,000 रुपए तक	1,00,000 रुपए तक
विशेष रूप से संरक्षित जानवर	कम-से-कम 10,000 रुपए	कम-से-कम 25,000 रुपए

H3N8 बर्ड फ्लू से संबंधित पहला मानव केस

चर्चा में क्यों?

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (NHC) ने बताया की एक चार वर्षीय लड़का बर्ड फ्लू के H3N8 वेरिएंट के कारण बुखार सहित कई लक्षणों के साथ संक्रमित पाया गया है।

- H3N8 वेरिएंट इससे पहले विश्व में घोड़ों, कुत्तों, पक्षियों व सील में पाया गया है।
- हालाँकि इससे पहले H3N8 का कोई मानवीय मामला सामने नहीं आया है।

बर्ड फ्लू:

- एवियन इन्फ्लूएंज़ा जिसे अनौपचारिक रूप से एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, इसे "पक्षियों के अनुकूल वायरस के कारण होने वाला इन्फ्लूएंज़ा" के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  - अधिकांश एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस मनुष्यों को संक्रमित नहीं करते हैं; हालाँकि कुछ, जैसे- A (H5N1) और A (H7N9) लोगों में गंभीर संक्रमण का कारण बनते हैं।
- H5N1 हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- अधिकांश एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस मनुष्यों को संक्रमित नहीं करते हैं, हालाँकि कुछ, जैसे- A (H5N1) और A (H7N9), प्रजातियों की बाधा को पार करते हुए मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में भी बीमारी या उप-संक्रमण का कारण बनते हैं।
- एवियन (H5N1) वायरस उप-प्रकार, एक अत्यधिक रोगजनक वायरस ने वर्ष 1997 में हाँगकाँग, चीन में एक पोल्ट्री महामारी के प्रकोप के दौरान पहली बार मनुष्यों को संक्रमित किया था।

इन्फ्लूएंज़ा वायरस के प्रकार:

- इन्फ्लूएंज़ा वायरस चार प्रकार के होते हैं: इन्फ्लूएंज़ा A, B, C और D
  - इन्फ्लूएंज़ा A और B दो प्रकार के इन्फ्लूएंज़ा लगभग प्रत्येक वर्ष मौसमी संक्रमण जनित महामारी का कारण बनते हैं।

- इन्फ्लूएंज़ा विषाणु C सामान्यत: मनुष्यों में प्रभाव डालता है लेकिन यह विषाणु कुत्तों एवं सूअरों को भी प्रभावित करता है।
- इन्फ्लूएंज़ा D मुख्य रूप से मवेशियों में पाया जाता है। इस विषाणु के अब तक मनुष्यों में संक्रमण या बीमारी उत्पन्न करने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
- एवियन इन्फ्लूएंज़ा टाइप A वायरस

- इन्फ्लूएंज़ा A वायरस को दो प्रकार के प्रोटीन HA (Hemagglutinin) और NA (Neuraminidase) के आधार पर 18HA और 11NA उप-प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
- इन दो प्रोटीनों के कई संयोजन संभव हैं जैसे- H_5N_1, H_7N_2, H_9N_6, $H_{17}N_{10}$, $H_{18}N_{11}$ आदि।
- इन्फ्लूएंज़ा A के सभी ज्ञात उप-प्रकार $H_{17}N_{10}$ और $H_{18}N_{11}$ उप-प्रकारों को छोड़कर अन्य सभी वायरस पक्षियों को संक्रमित कर सकते हैं, जो केवल चमगादड़ों में पाए गए हैं।

बर्ड फ्लू वायरस संबंधी चिंता का कारण:

- SARS-CoV-2 की उत्पत्ति के बारे में अटकलों ने पशु और पक्षी-जनित वायरस के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- नए स्ट्रेन का उद्भव, विशेष रूप से पालतू जानवरों और पक्षियों के बीच विकास व अनिवार्यता का क्रम है तथा मनुष्यों को संक्रमित करने वाले नए वायरस की छिटपुट रिपोर्टें मिली हैं।
- जब तक एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस पोल्ट्री में फैलते हैं, तब तक मनुष्यों में एवियन इन्फ्लूएंज़ा का हल्के स्तर पर संक्रमण होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है लेकिन यह इन्फ्लूएंज़ा महामारी के लगातार बढ़ते खतरे के प्रति एक चेतावनी के रूप में कार्य कर रहा है।

मनुष्यों में प्रसार का तरीका:

- एवियन इन्फ्लूएंजज़ा वायरस के कई उप-प्रकार और स्ट्रेन अब विश्व भर में पाए जाते हैं, उनमें से कुछ मनुष्यों की मौत का कारण बने हुए हैं और अन्य कुक्कुट किसानों को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं।
- हालाँकि मानव से मानव संचरण जो ज़्यादातर अंतरंग और निरंतर शारीरिक संपर्क के बाद होता है दुर्लभ माना जाता है जो बड़े स्तर पर घातक है तथा अनुमानित 60% मामलों में घातक साबित होता है।
- पक्षी के अंतर्ग्रहण के माध्यम से फैलने वाले फ्लू के कोई ज्ञात उदाहरण नहीं हैं, भले ही लोग किसी संक्रमित पक्षी का सेवन करते समय उचित सुरक्षा और सावधानी बरतते हो।
- मनुष्यों में पक्षी संक्रमण के लक्षण किसी भी अन्य मौसमी फ्लू के समान होते हैं जैसे-बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश, नाक बहना, सिरदर्द, थकान, आदि। हालाँकि यह बहुत जल्दी गंभीर रूप धारण कर सकता है और श्वसन संकट का कारण बन सकता है।

बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के उपाय:

- एक बड़े पोल्ट्री उद्योग के साथ एक प्रमुख कृषि राष्ट्र के रूप में भारत ने एवियन इन्फ्लूएंज़ा से निपटने के लिये केंद्र के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा तैयार की गई एक कार्य योजना को लागू किया है।
  - इसमें प्रकोप की सूचना देने, प्रभावित क्षेत्र से पक्षियों को हटाने और किसानों को मुआवज़ा देने के लिये निवारक जाँच और परीक्षण हेतु एक स्पष्ट प्रोटोकॉल शामिल है।
  - वायरस के उप-प्रकारों का शीघ्र पता लगाने व पहचान करने से रोकथाम के उपायों को शुरू करने में मदद मिलती है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश, प्रकोप के दौरान कुक्कुट खपत पर सलाह के साथ साथ-साथ अफवाह फैलने से रोकना आवश्यक है।
- उपायों की प्रभावशीलता स्वाभाविक रूप से उस तत्परता पर निर्भर करती है जिसके साथ राज्य स्तर पर पशुपालन विभाग नमूने एकत्र करता है और जब किसी बीमारी का प्रकोप बढ़ने वाला हो तो चेतावनी जारी करता है।

विगत वर्ष के प्रश्न:

H_1N_1 वायरस का कभी-कभी समाचारों में उल्लेख किया जाता है, निम्नलिखित में से यह किस रोग से संबंधित है? (2015)

(a) एड्स

(b) बर्ड फ्लू

(c) डेंगू

(d) स्वाइन फ्लू

उत्तर: (D)

व्याख्या:

- H_1N_1 वायरस स्वाइन फ्लू से संबंधित है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2009 में H_1N_1 के कारण होने वाले फ्लू को वैश्विक महामारी घोषित किया था।
- स्वाइन फ्लू के लक्षणों में बुखार, खाँसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमज़ोरी और शरीर में दर्द शामिल हैं।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

ज्वालामुखियों पर पूर्व-विस्फोट चेतावनी संकेत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नए शोध में न्यूज़ीलैंड के व्हाकारी व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी और अन्य सक्रिय ज्वालामुखियों में पूर्व-विस्फोट चेतावनी संकेतों का पता लगाया गया।

नया शोध किस बारे में है ?

- प्रत्येक ज्वालामुखी की प्रकृति आलग होती है: कुछ में क्रेटर झीलें होती हैं तो कुछ में क्रेटर "शुष्क" होते हैं। ज्वालामुखी के मैग्मा में विभिन्नता के कारण उनकी ऊँचाई में भी भिन्नता होती है।
- इन अंतरों के बावजूद न्यूज़ीलैंड में व्हाकारी (Whakaari), रुआपेहू (Ruapehu) और टोंगारियो (Tongariro) जैसे ज्वालामुखियों में उनके क्रेटर के नीचे स्थित उथली उपसतह में सामान्य प्रक्रियाओं द्वारा विस्फोट हो सकता है।
- नए शोध में, न्यूज़ीलैंड के ज्वालामुखियों और दुनिया भर के तीन अन्य ज्वालामुखियों से 40 वर्षों के भूकंपीय डेटा का अध्ययन करने के लिये मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया है।
- शोधकर्त्ताओं ने पिछले एक दशक में सभी ज्ञात व्हाकारी आइलैंड ज्वालामुखी, रूपेहु और टोंगारियो विस्फोटों में विशेषत: एक पैटर्न देखा।
- यह पैटर्न एक धीमी मात्रा का सुदृढ़ीकरण (slow strengthening) है जिसे विस्थापन भूकंपीय आयाम अनुपात {Displacement Seismic Amplitude Ratio (DSAR)} कहते है, जो प्रत्येक घटना से कुछ दिन पहले चरम पर होता है।
  - DSAR एक अनुपात है जो ज्वालामुखी की सतह पर उन कई सौ मीटर गहराईयों तक तरल पदार्थ (गैस, गर्म पानी, भाप) की "गतिविधियों" की तुलना करता है। जब DSAR बढ़ता है, सतही तरल पदार्थ शांत होते हैं, लेकिन यह अभी भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं और जमीन के नीचे सख्ती से घूम रहे हैं।
  - भूकंपीय तरंगें भूकंप या विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली वे ऊर्जा तरंगें हैं जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती हैं और सीस्मोग्राफ पर प्रदर्शित होती हैं।
- इस प्रकार का विश्लेषण इतना नया है कि शोधकर्त्ताओं के पास यह परीक्षण करने के लिये कोई अवसर नहीं मिला है जिससे कि DSAR और अन्य स्वचालित उपाय पूर्वानुमान के लिये कितने विश्वसनीय हैं।

व्हाकारी और रुआपेहू

- व्हाकारी (Whakaari):
  - व्हाकारी/व्हाइट आइलैंड, केप रनवे से 43 मील दूरी पर पश्चिम में बे ऑफ प्लेंटी के समीप न्यूज़ीलैंड का एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
  - यह ताउपो-रोटोरुआ ज्वालामुखी क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक सबमरीन वेंट (Submarine Vent) का शीर्ष है। यह लगभग 1,000 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र में विस्तृत माउंट गिस्बोर्न में 1,053 फीट तक बढ़ जाता है। अधिकांश द्वीप पर स्क्रब वनस्पति मिलना सामान्य है।

- इस द्वीप को वर्ष 1769 में कैप्टन जेम्स कुक ने खोजा एवं इसका नामकरण किया था। इसमें कई हॉट स्प्रिंग्स, गीजर और फ्यूमरोल हैं; इसमें अंतिम विस्फोट दिसंबर, 2019 में हुआ था।

- रुआपेहू (Ruapehu):
  - न्यूजीलैंड के मध्य उत्तरी द्वीप में माउंट रुआपेहू, 2800 मीटर ऊँची स्ट्रैटो ज्वालामुखी है।
  - यह एक हाइड्रोथर्मल सिस्टम और एक गर्म क्रेटर झील द्वारा प्रच्छादित है।
  - ज्वालामुखी स्थायी हिम रेखा के नीचे वनाच्छादित है। रेखा के ऊपर, हिमनद शिखर से बहते हैं। क्रेटर के समीप झील है से वांगाहु नदी निकलती है।
  - इसकी झील का तापमान और स्तर चक्रों में भिन्न होने के लिये तथा इसके आधार में जारी गैस में परिवर्तन, स्थानीय मौसम या गैस के सामयिक गठन का गठन, के लिये जाना जाता है।
  - झील इतनी बड़ी है कि यह सतह की गतिविधियों को नियंत्रित करती है जो व्हाकारी जैसे ज्वालामुखियों के निदान के लिये उपयोगी है।

ज्वालामुखी:

- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटन है जो मैग्मा के रूप में गर्म तरल और अर्द्ध-तरल चट्टानों, ज्वालामुखीय राख तथा गैसों के रूप में बाहर निकलता है।

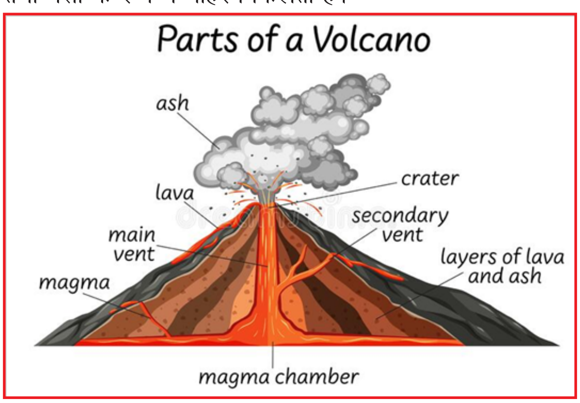

-
- शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। इनसे तीव्र विस्फोट हो सकता है जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का निष्कासन होता है।
- पृथ्वी पर विस्फोटित सामग्री तरल चट्टान ("लावा" जब यह सतह पर हो, "मैग्मा" जब यह भूमिगत हो), राख और/या गैस हो सकती है।
- मैग्मा की अधिक मात्रा में बाहर आने और पृथ्वी की सतह पर विस्फोट होने के तीन कारण हो सकते हैं
  - मैग्मा तब बाहर आ सकता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी गति करते हैं। मैग्मा खाली स्थान को भरने के लिये ऊपर उठता है। जब ऐसा होता है तो जल के भीतर भी ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है।
  - जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो मैग्मा भी ऊपर उठता है। जब ऐसा होता है, तो प्लेट के हिस्से को इसके आंतरिक भाग में गहराई में चली जाती हैं। उच्च ताप और दबाव के कारण पर्पटी पिघल जाती है और मैग्मा के रूप में ऊपर उठ जाती है।
  - मैग्मा अंतिम अंत में हॉट स्पॉट से बाहर निकलता है। हॉट स्पॉट पृथ्वी के अंदर के गर्म क्षेत्र होते हैं। ये क्षेत्र मैग्मा को गर्म करते हैं। मैग्मा का घनत्व कम हो जाता है जिससे यह ऊपर की ओर गति करता है। मैग्मा के बाहर आने के कारण ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. बैरेन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
2. बैरेन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किमी पूर्व में स्थित है।
3. पिछली बार वर्ष 1991 में बैरेन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और तब से यह निष्क्रिय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 1 और 3

उत्तर: (a)

- बैरेन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अत: कथन 1 सही है।
- यह अंडमान सागर में अंडमान द्वीप के दक्षिणी भाग पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किमी. की दूरी पर स्थित है। बैरेन द्वीप से ग्रेट निकोबार के बीच की दूरी दी गई दूरी से अधिक है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड विस्फोट वर्ष 1787 में हुआ था। पिछले 100 वर्षों मेंइसमें कम से कम पांच बार विस्फोट हो चुका है। फिर अगले 100 वर्षों तक यह शांत रहा। वर्ष 1991 में बड़े पैमाने पर फिर से इसमें विस्फोट हुआ तथा तब से हर दो-तीन वर्षों में इसमें विस्फोट दर्ज किया गया है इस श्रृंखला में नवीनतम फरवरी 2016 में हुआ था। अत: कथन 3 सही है।

पश्चिमी विक्षोभ

चर्चा में क्यों?

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances-WD) की तीव्रता और स्थानों में बदलाव के कारण कुछ महीनों के दौरान दिल्ली में भारी वर्षा हुई तथा कभी-कभी लू की चपेट में आने के कारण शहर शुष्क भी रहा।

पश्चिमी विक्षोभ:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर-पश्चिम भारत में गैर-मानसूनी वर्षा के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
- इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक 'बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान' के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ इसके नाम में निहित है।
  - यह विक्षोभ 'पश्चिम' से 'पूर्व' दिशा की ओर आता है।
    - ये विक्षोभ अत्यधिक ऊँचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली 'वेस्टरली जेट धाराओं' (Westerly Jet Streams) के साथ यात्रा करते हैं।
  - विक्षोभ का तात्पर्य 'विक्षुब्ध' क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है।
    - प्रकृति में संतुलन मौजूद है जिसके कारण एक क्षेत्र में हवा अपने दबाव को सामान्य करने की कोशिश करती है।
- "बहिरूष्ण कटिबंधीय तूफान" शब्द तूफान, कम दबाव के क्षेत्र को संदर्भित करता है तथा "अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय" का अर्थ है उष्णकटिबंधीय के अतिरिक्त। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिये "बहिरूष्ण कटिबंधीय" शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है।
  - पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरे से जुड़ा है। यह पाकिस्तान व उत्तरी भारत में वर्षा एवं हिमपात के साथ आता है। पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ जो नमी ले जाते हैं वह भूमध्य सागर और/या अटलांटिक महासागर से आती है।
  - पश्चिमी विक्षोभ सर्दी और मानसून पूर्व बारिश करते हैं तथा उत्तरी उपमहाद्वीप में रबी की फसल के विकास में महत्त्वपूर्ण है।
  - पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते हैं। कभी-कभी ये अचानक बाढ़, भूस्खलन, धूल भरी आँधी, ओलावृष्टि और शीत लहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर सकते हैं तथा लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं।

पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव:

- वर्ष 2021 के अक्तूबर माह में दिल्ली में 65 वर्षों में सबसे अधिक बारिश देखी गई, जिसे सफदरजंग मौसम वेधशाला ने सामान्य बारिश 28 मिमी के मुकाबले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 122.5 मिमी बारिश दर्ज की।
- फरवरी 2022 में कई पश्चिमी विक्षोभों के आने के कारण आसमान में बादल छाए रहे जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई। तापमान में यह कमी पिछले 19 वर्षों में सबसे निम्नतम थी।
- इस वर्ष जनवरी और फरवरी माह में भी अधिक बारिश दर्ज की गई थी। इसके विपरीत नवंबर 2021 और मार्च 2022 में वर्षा नहीं हुई थी तथा गर्मियों में मार्च 2022 के अंत में गर्म लहरों के साथ असामान्य रूप से वर्षा की शुरुआत देखी गई।
- बादल छाए रहने से कई पश्चिमी विक्षोभों के कारण फरवरी 2022 में तापमान कम रहा था तथा 19 वर्षों में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था।
- मार्च 2022 में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत से दूर हो गया तथा बादल छाए रहने और बारिश के अभाव के कारण तापमान अधिक बना रहा।

पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव के संभावित कारण:

- पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है लेकिन आंशिक रूप से गर्म वातावरण (ग्लोबल वार्मिंग) के चलते उनके कारण होने वाली वर्षा की स्थिति नहीं देखी गई।
- पश्चिमी विक्षोभ कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं। कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ में वर्षण हेतु पर्याप्त नमी नहीं होती है।
- वर्षण के लिये नमी की आवश्यकता होती है तथा गर्म वातावरण के कारण वर्षण हेतु नमी की मात्रा कम उपलब्ध होती है।
- साथ ही वातावरण में गर्माहट की वजह से पश्चिमी विक्षोभ की ऊँचाई बढ़ रही है। सामान्य तौर पर वे उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट में प्रवाहित होते हैं तथा भार में कमी के कारण उनका दबाव 200 हेक्टोपास्कल से भी ऊपर बढ़ रहा है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हो सकते हैं, यह निर्धारित करने के लिये अगले कुछ वर्षों में विविधताओं की निगरानी करनी होगी।

सागर नितल प्रसरण

चर्चा में क्यों?

पिछले 19 मिलियन वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन के अनुसार, सागर नितल प्रसरण की दर (Seafloor Spreading Rates) वैश्विक स्तर पर लगभग 35% तक धीमी हो गई है।

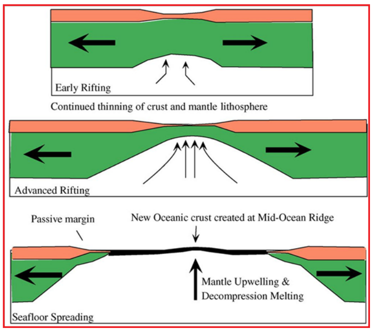

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ:

- इस अध्ययन हेतु शोधकर्त्ताओं द्वारा विश्व की सबसे बड़ी फैली हुई कटकों (मध्य-महासागरीय कटक) में से 18 का चयन किया।
  - कटक या पर्वत कटक एक भौगोलिक विशेषता है जिसमें पर्वतों या पहाड़ियों की एक श्रृंखला होती है जो एक विस्तारित दूरी के लिये निरंतर ऊँचा शिखर बनाती हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा समुद्री क्रस्ट पर चट्टानों में चुंबकीय रिकॉर्ड का अध्ययन कर गणना की गई कि पिछले 19 मिलियन वर्षों में समुद्री क्रस्ट कितना बना।
  - समुद्री क्रस्ट की बेसाल्ट चट्टानों में चुंबकीय गुण विद्यमान होता है।
  - जब मैग्मा सतह पर पहुँच जाता है और क्रस्ट बनाने के लिये ठंडा होना शुरू हो जाता है तब इन चट्टानों का चुंबकत्व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है।
- लेकिन ये रिकॉर्ड अधूरे हैं क्योंकि सबडक्शन ज़ोन में क्रस्ट नष्ट हो जाते हैं।
  - सबडक्शन ज़ोन (Subduction Zone) एक ऐसा बिंदु है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं तथा उनमें से एक प्लेट दूसरी के नीचे पृथ्वी के मेंटल में डूब जाती है।

सागर नितल प्रसरण:

- वर्ष 1960 में अमेरिकी भूभौतिकीविद् हैरी एच. हेस द्वारा सागर नितल प्रसरण परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी।
- सागर नितल प्रसरण मैग्मा के दरार में ऊपर उठने की प्रक्रिया है क्योंकि पुरानी पपड़ी खुद को विपरीत दिशाओं में खींचती है। ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा करता है, जिससे एक नया क्रस्ट बनता है।
- मैग्मा के ऊपर की ओर गति करने और अंततः इसके शीतल होने में लगे लाखों वर्षों में समुद्र तल पर ऊँचे उभार/रिज (High Ridges) निर्मित हो गए हैं।
  - हालाँकि सागर नितल क्षेत्र (Seafloor) निम्नस्खलन क्षेत्र/सबडक्शन ज़ोन (Subduction Zones) में विलीन हो जाते हैं, जहाँ महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपों के नीचे तैरते रहते हैं तथा पुनः मेंटल में मिलकर (Mantle) फैलते हुए समुद्र नितल प्रसरण रिज पर जमा हो जाते हैं।
- रिंग ऑफ फायर में पूर्वी प्रशांत उत्थान सागर नितल प्रसरण का एक प्रमुख स्थल है।
  - यह प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट (मध्य अमेरिका के पश्चिम में), नज़्का प्लेट (दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में), उत्तर-अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट की अपसारी सीमा पर स्थित है।

सागर नितल प्रसरण में कमी का कारण:

- महाद्वीपों पर बढ़ते पर्वत सागर नितल प्रसरण में कमी के प्रमुख कारकों में से एक हो सकते हैं (क्योंकि यह सागर नितल प्रसरण प्रतिरोध का कारण बनता है)।
  - लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले जब पैंजिया महाद्वीप टूटने लगा था, तब किसी भी बड़ी प्लेट के टकराने की घटना या संबंधित पर्वत शृंखलाएँ विद्यमान नहीं थीं।
  - उस समय महाद्वीप समतल थे।
- पैंजिया महाद्वीप के खंडन/विभाजन की परिपक्व अवस्था: जैसे-जैसे पैंजिया टूटता गया, नए महासागरीय बेसिन निर्मित होते गए और अंततः खंडित महाद्वीप एक-दूसरे में टकराने लगे।
  - यह भारत और यूरेशिया, अरब प्रायद्वीप तथा यूरेशिया के साथ-साथ अफ्रीका व यूरेशिया के बीच विभाजित हुआ।
    - यह पैंजिया महाद्वीप के विभाजन एवं फैलाव के 'परिपक्व' चरण (Mature Stage) का एक स्वाभाविक परिणाम है।
- मेंटल कन्वेक्शन (Mantle Convection) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के कोर से ऊष्मा को सतह पर ऊपर की ओर स्थानांतरित किया जाता है।
  - मेंटल पृथ्वी की आतंरिक परतो में से एक है जो नीचे कोर से और ऊपर क्रस्ट से घिरा होता है।
  - मेंटल कन्वेक्शन से मेंटल के गतिशील होने का पता चलता है क्योंकि यह सफेद-गर्म कोर (White-Hot Core) से भंगुर लिथोस्फीयर (Brittle Lithosphere) में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है।
    - मेंटल नीचे से गर्म तथा ऊपर से ठंडा होता है और इसका समग्र तापमान लंबे समय के बाद कम हो जाता है।

सागर नितल प्रसरण का प्रभाव:

- सागर नितल प्रसरण समुद्र के जल स्तर और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है।
  - समुद्र का जल स्तर:
    - सागर नितल प्रसरण के साथ कटक (रिज) का भी विस्तार होता है तथा गर्म और नए स्थलमंडल (लिथोस्फीयर) का तेज़ी से निर्माण होने के साथ कटक से तेज़ गति से दूर जाने, ठंडा होने एवं सिकुड़ने के फलस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि होती है।
  - कार्बन चक्र:
    - समुद्र तल के अधिक फैलाव के कारण ज्वालामुखी घटनाएँ बढ़ रही हैं, इससे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है।

इतिहास

गुरु तेग बहादुर

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर (1621-1675) की 401वीं जयंती के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया।

गुरु तेग बहादुर:

- तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल, 1621 को अमृतसर में माता नानकी और छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी की और योद्धा संतों की अवधारणा पेश की।
- तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्याग मल (Tyag Mal) कहा जाता था। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन भाई गुरदास के संरक्षण में अमृतसर में बिताया, जिन्होंने उन्हें गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सिखाया, जबकि बाबा बुद्ध ने उन्हें तलवारबाज़ी, तीरंदाज़ी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया।
- जब वह केवल 13 वर्ष के थे तब उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया।
- उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' में शामिल किया गया है।
- वह एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचार केंद्र स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ऐसे ही एक मिशन के दौरान उन्होंने पंजाब में चक-ननकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया।
- वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी।

सिख धर्म:

- पंजाबी भाषा में 'सिख' शब्द का अर्थ है 'शिष्य'। सिख भगवान के शिष्य हैं, जो दस सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं।
- सिख एक ईश्वर (एक ओंकार) में विश्वास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरुमत (गुरु का मार्ग- The Way of the Guru) कहते हैं।
- सिख परंपरा के अनुसार, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक (1469-1539) द्वारा की गई थी और बाद में नौ अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया।
- सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था।
- इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है।
  - खालसा का आशय उन 'पुरुष' और 'महिलाओं' से है, जो सिख दीक्षा समारोह के माध्यम से पंथ में शामिल हुए हैं तथा जो सिख आचार संहिता एवं संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करते हैं।
  - वे निर्धारित दिनचर्या जिसमें (5K): केश (बिना कटे बाल), कंघा (एक लकड़ी की कंघी), कारा (एक लोहे का कंगन), कचेरा (सूती जाँघिया) और कृपाण (एक लोहे का खंजर)) शामिल हैं, का पालन करते हैं।
- सिख धर्म अंध अनुष्ठानों जैसे- उपवास, तीर्थ स्थलों का दौरा, अंधविश्वास, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा आदि की निंदा करता है।
- यह उपदेश देता है कि ईश्वर की दृष्टि में विभिन्न जातियों, धर्मों या लिंग के लोग सभी समान हैं।
- सिख साहित्य:
  - आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और इसी कारण इसे 'गुरु ग्रंथ साहिब' के नाम से जाना जाता है।
  - दशम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद है।
- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति:
  - शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर, पंजाब (भारत) को दुनिया भर में रहने वाले सिखों का एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय, धार्मिक मामलों, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल के लिये वर्ष 1925 में संसद के एक विशेष अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।

सिख धर्म के दस गुरु

गुरु नानक देव (1469-1539)	• ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। • इन्होंने 'गुरु का लंगर' की शुरुआत की। • वह बाबर के समकालीन थे। • गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था।
गुरु अंगद (1504-1552)	• इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और 'गुरु का लंगर' प्रथा को लोकप्रिय बनाया।
गुरु अमर दास (1479-1574)	• इन्होंने आनंद कारज विवाह (Anand Karaj Marriage) समारोह की शुरुआत की। • इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया। • ये अकबर के समकालीन थे।
गुरु राम दास (1534-1581)	• इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई ज़मीन पर अमृतसर की स्थापना की। • इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) का निर्माण शुरू किया।
गुरु अर्जुन देव (1563-1606)	• इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। • इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा किया। • वे शाहिदीन-दे-सरताज (Shaheed-en-de-Sartaj) के रूप में प्रचलित थे। • इन्हें जहाँगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया।
गुरु हरगोबिंद (1594-1644)	• इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इन्हें "सैनिक संत" (Soldier Saint) के रूप में जाना जाता है। • इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मज़बूत किया। • इन्होंने जहाँगीर और शाहजहाँ के खिलाफ युद्ध छेड़ा।
गुरु हर राय (1630-1661)	• ये शांतिप्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगज़ेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया।
गुरु हरकिशन (1656-1664)	• ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। • इनके खिलाफ औरंगज़ेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिये सम्मन जारी किया गया था।
गुरु तेग बहादुर (1621-1675)	• इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की।
गुरु गोबिंद सिंह (1666-1708)	• इन्होंने वर्ष 1699 में 'खालसा' नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की। • इन्होंने एक नया संस्कार "पाहुल" (Pahul) शुरू किया। • ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने 'गुरु ग्रंथ साहिब' को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया।

कला एवं संस्कृति
सामाजिक न्याय

समेकित बाल विकास योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services- ICDS) की निरंतरता बनाए रखने हेतु पोषण आपूर्ति, टीकाकरण और स्वास्थ्य जाँच आदि की निरंतरता के साथ प्रवासी श्रमिकों/मज़दूरों की आवाजाही को चित्रित करने के उद्देश्य से एक माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Migration Tracking System- MTS) एप्लीकेशन विकसित किया है।

- MTS एक वेबसाइट आधारित एप्लीकेशन है जो व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से मौसमी प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करता है।
- आँगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक के बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं सहित प्रवासी लाभार्थियों को उनके मूल स्थानों पर लौटने तक राज्य के भीतर या बाहर उनके गंतव्य ज़िलों में उनके परिवारों के लिये आईसीडीएस की पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु ट्रैक किया जाएगा।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS):

- ICDS के बारे में:
  - आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था।

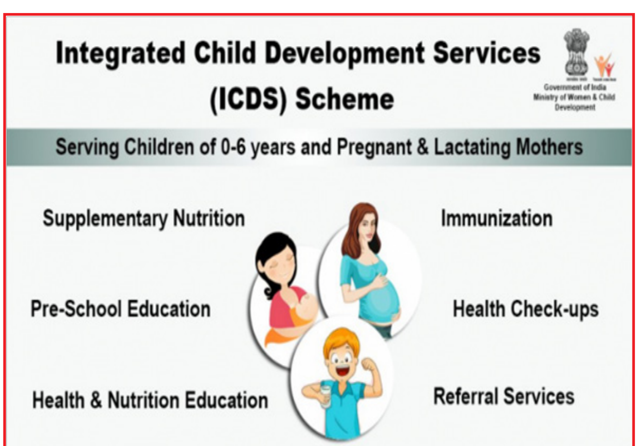

ICDS के तहत योजनाएँ:

- आँगनवाड़ी सेवा योजना:
  - यह बचपन की देखभाल और विकास के लिये एक अनूठा कार्यक्रम है।
  - इस योजना के लाभार्थी 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ हैं।
  - यह छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा रेफरल सेवाएँ शामिल हैं।
  - पूरक पोषण में टेक होम राशन (Take Home Ration- THR), गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिये इसका विशेष महत्त्व है क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:
  - PMMVY के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को तीन किश्तों में 5,000 रुपए दिये जाते हैं और शेष 1000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं।
- राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना:
  - इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।
  - शिशुगृह एक महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन साढ़े सात घंटे के लिये खुला रहता है।
  - इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड कैयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है।
- किशोरियों के लिये योजना:
  - इसका उद्देश्य 11-14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल एवं घरेलू कौशल प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना है।
  - इस योजना में पोषक और गैर-पोषक तत्त्व शामिल हैं जो इस प्रकार हैं; लौह तथा फोलिक एसिड पूरकता; स्वास्थ्य जाँच एवं

रेफरल सेवा; स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के अलावा अन्य बाह्य किशारियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना है।

- बाल संरक्षण योजना:
  - इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण हेतु योगदान देना है, साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना।
- पोषण अभियान:
  - इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण/अल्पपोषण, एनीमिया को कम करके, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है।

ICDS का उद्देश्य:

- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना।
- किशोर लड़कियों (AGs) को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें।

अन्य समान सरकारी योजनाएँ:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था, जिसके उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित किया गया था।
  - इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - कार्यक्रम के मुख्य घटकों में प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) और संचारी व गैर-संचारी रोगों के लिये ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना शामिल है।
- मध्याह्न भोजन योजना:
  - मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी।
  - इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
  - यह शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है।
- राष्ट्रीय पोषण रणनीति:
  - रणनीति का उद्देश्य सबसे कमज़ोर और महत्त्वपूर्ण आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है।
  - इसका उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना भी है।
  - इसे नीति आयोग ने जारी किया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित मे से कौन-से मूलत: 'समावेशी शासन' के अंग कहे जा सकते हैं? (2012)

1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देना
2. सभी ज़िलों में प्रभावी ज़िला योजना समितियाँ संगठित करना
3. जन-स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना
4. मध्याह्न भोजन योजना का सशक्तीकरण करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

- शासन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें अधिक लोगों और हितधारकों को शामिल किया जाता है। समावेशी शासन, नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से समग्र स्वीकृति का पक्षधर है जो नीतियों के कार्यान्वयन को आसान बनाता है।

- ज़िला योजना समिति की स्थापना से अपने क्षेत्र की विकास योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही इससे समावेशी शासन सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। अत: 2 सही है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से देश की मानव पूंजी में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप समावेशी विकास होगा। अत: 3 सही है।
- मध्याह्न भोजन योजना के सुदृढ़ होने से नामांकन अनुपात के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। अत: 4 सही है।
- एनबीएफसी को बैंकिंग की अनुमति देने का समावेशी शासन से कोई सीधा संबंध नहीं है। अत: 1 सही नहीं है।

विश्व हीमोफीलिया दिवस

चर्चा में क्यों ?

विश्व हीमोफीलिया दिवस (World Haemophilia day) प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

- वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया (WHF) के संस्थापक फ्रैंक श्नाबेल (Frank Schnabel) के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।
- इस वर्ष (2022) की थीम "सभी के लिये पहुँच: साझेदारी: नीति: प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिली रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना" है।

हीमोफीलिया क्या है ?

- परिचय:
  - हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट में भी गंभीर रक्तस्राव हो सकता है।
    - हीमोफीलिया जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिये आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने के लिये निर्देश प्रदान करता है।
    - यह परिवर्तन या उत्परिवर्तन क्लॉटिंग प्रोटीन को ठीक से कार्य करने या पूरी तरह समाप्त होने से रोक सकता है। ये जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं।
  - एक बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के तरीके में शामिल आनुवंशिकी के कारण, महिलाओं की तुलना में पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - यह काफी दुर्लभ बीमारी है, लगभग 10,000 लोगों में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित होता है।
- प्रकार
  - हीमोफीलिया A हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें रक्त में थक्के बनने के लिये आवश्यक 'फैक्टर 8' की कमी हो जाती है।
  - हीमोफीलिया B बेहद कम सामान्य है। हीमोफीलिया B में थक्के बनने के लिये आवश्यक फैक्टर-9 की कमी हो जाती है।
    - हीमोफीलिया A, लगभग 5,000 में से एक में 1 व्यक्ति में होता है, जबकि हीमोफीलिया B इससे भी दुर्लभ है जो कि लगभग 20,000 में से 1 व्यक्ति को होता है।
- लक्षण:
  - बड़े घाव।
  - माँसपेशियों और जोड़ों में रक्तस्राव।
  - सहज रक्तस्राव (बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर के अंदर अचानक रक्तस्राव)।
  - चोट लगने, दाँत निकालने या सर्जरी कराने के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव।
- उपचार:
  - हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है।
  - रक्त का थक्का जमने के लिये उत्तरदायी कारक यानी क्लॉटिंग फैक्टर VIII (हीमोफीलिया A के लिये) या क्लॉटिंग फैक्टर IX (हीमोफीलिया B के लिये) के सांद्रण को धीरे-धीरे ड्रिप के माध्यम से नसों में पहुँचाया जाता है या इसे नस में इंजेक्ट किया जाता है। यह क्लॉटिंग फैक्टर को बदलने में मदद करते हैं जो यह तो हैं ही नहीं या कम है।

भारत में हीमोफीलिया का परिदृश्य:

- वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, 2017 में दुनिया भर में 1.96 लाख से अधिक लोग हीमोफीलिया से पीड़ित थे।
- देश-वार आँकड़ों के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लगभग 19,000 मामलें हैं।
- अनुमान है कि भारत में लगभग 80% मामले अपंजीकृत हो जाते हैं, जिससे हीमोफीलिया मामलों वास्तविक संख्या 2 लाख के करीब हो सकती है।

REGISTERED CASES

India	18,966
US	17,750
China	14,390
Brazil	12,432
France	7,524
World	1,96,706

Source: Annual Global Survey 2017 (released October 2018), World Federation of Haemophilia

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया (WFH)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जिसे 1963 में स्थापित किया गया था।
- यह 140 देशों में रोगी संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।
- इसका मिशन दुनिया भर में वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले लोगों की देखभाल में सुधार और नियंत्रित करना है।

विश्व हीमोफीलिया दिवस

चर्चा में क्यों?

विश्व हीमोफीलिया दिवस (World Haemophilia day) प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

- वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया (WHF) के संस्थापक फ्रैंक श्नाबेल (Frank Schnabel) के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।
- इस वर्ष (2022) की थीम "सभी के लिये पहुँच: साझेदारी: नीति: प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिली रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना" है।

हीमोफीलिया क्या है?

- परिचय:
  - हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट में भी गंभीर रक्तस्राव हो सकता है।
    - हीमोफीलिया जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिये आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने के लिये निर्देश प्रदान करता है।
    - यह परिवर्तन या उत्परिवर्तन क्लॉटिंग प्रोटीन को ठीक से कार्य करने या पूरी तरह समाप्त होने से रोक सकता है। ये जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं।
  - एक बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के तरीके में शामिल आनुवंशिकी के कारण, महिलाओं की तुलना में पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - यह काफी दुर्लभ बीमारी है, लगभग 10,000 लोगों में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित होता है।
- प्रकार
  - हीमोफीलिया A हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें रक्त में थक्के बनने के लिये आवश्यक 'फैक्टर 8' की कमी हो जाती है।
  - हीमोफीलिया B बेहद कम सामान्य है। हीमोफीलिया B में थक्के बनने के लिये आवश्यक फैक्टर-9 की कमी हो जाती है।
    - हीमोफीलिया A, लगभग 5,000 में से एक में 1 व्यक्ति में होता है, जबकि हीमोफीलिया B इससे भी दुर्लभ है जो कि लगभग 20,000 में से 1 व्यक्ति को होता है।
- लक्षण:
  - बड़े घाव।
  - माँसपेशियों और जोड़ों में रक्तस्राव।
  - सहज रक्तस्राव (बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर के अंदर अचानक रक्तस्राव)।
  - चोट लगने, दाँत निकालने या सर्जरी कराने के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव।
- उपचार:
  - हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है।
  - रक्त का थक्का जमने के लिये उत्तरदायी कारक यानी क्लॉटिंग फैक्टर VIII (हीमोफीलिया A के लिये) या क्लॉटिंग फैक्टर IX (हीमोफीलिया B के लिये) के सांद्रण को धीरे-धीरे ड्रिप के माध्यम से नसों में पहुँचाया जाता है या इसे नस में इंजेक्ट किया जाता है। यह क्लॉटिंग फैक्टर को बदलने में मदद करते हैं जो यह तो हैं ही नहीं या कम है।

भारत में हीमोफीलिया का परिदृश्य:

- वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, 2017 में दुनिया भर में 1.96 लाख से अधिक लोग हीमोफीलिया से पीड़ित थे।
- देश-वार आँकड़ों के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लगभग 19,000 मामलें हैं।
- अनुमान है कि भारत में लगभग 80% मामले अपंजीकृत हो जाते हैं, जिससे हीमोफीलिया मामलों वास्तविक संख्या 2 लाख के करीब हो सकती है।

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया (WFH)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जिसे 1963 में स्थापित किया गया था।
- यह 140 देशों में रोगी संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।
- इसका मिशन दुनिया भर में वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले लोगों की देखभाल में सुधार और नियंत्रित करना है।

पोलियो

चर्चा में क्यों?

नए कोविड -19 वेरिएंट की संभावना के साथ मामलों में केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे सभी प्रहरी साइटों (Sentinel Sites) पर सीवेज़ के नमूने भेजें जो वर्तमान में पोलियो वायरस की निगरानी कर रहे हैं।

- प्रहरी निगरानी (Sentinel surveillance) "एक आबादी के स्वास्थ्य के स्तर में स्थिरता या परिवर्तन का आकलन करने के लिये डॉक्टरों, प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के एक स्वैच्छिक नेटवर्क के माध्यम से विशिष्ट बीमारियों/स्थितियों की घटना की दर की निगरानी" है।

पोलियो क्या है?

- परिचय:
  - पोलियो अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
  - प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यत: पोलियो वायरस के तीन अलग-अलग उपभेद हैं:
    - वाइल्ड पोलियो वायरस 1 (WPV1)
    - वाइल्ड पोलियो वायरस 2 (WPV2)
    - वाइल्ड पोलियो वायरस 3 (WPV3)
  - लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्षाघात तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
  - हालाँकि इनमें आनुवंशिक और वायरोलॉजिकल अंतर पाया जाता है, जो इन तीन उपभेदों के अलग-अलग वायरस बनाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को एकल रूप से समाप्त किया जाना आवश्यक होता है।
- प्रसार:
  - यह वायरस मुख्य रूप से 'मलाशय-मुख मार्ग' (Faecal-Oral Route) के माध्यम से या दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
  - यह मुख्यत: 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। आँत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती, जहाँ से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और जो पक्षाघात का कारण बन सकता है।
- लक्षण:
  - पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण जैसे- बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिरदर्द, हाथ-पैर में दर्द आदि पाए जाते हैं।
  - दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के कारण माँसपेशियों में पक्षाघात होता है।
  - यदि साँस लेने के लिये उपयोग की जाने वाली माँसपेशियाँ लकवाग्रस्त हो जाएं या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए तो पोलियो घातक हो सकता है।
- रोकथाम और इलाज:
  - इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है।
- टीकाकरण:
  - ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV): यह संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही दी जाती है, उसके बाद प्राथमिक तीन खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में और एक बूस्टर खुराक 16-24 महीने की उम्र में दी जाती है।
  - इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (IPV): इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत DPT (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दिया जाता है।
- हाल के प्रकोप:
  - वर्ष 2019 में पोलियो का प्रकोप फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्याँमार, चीन, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में दर्ज किया गया था, जो ज़्यादातर वैक्सीन-व्युत्पन्न थे, जिसमें वायरस का एक दुर्लभ स्ट्रेन आनुवंशिक रूप से वैक्सीन में स्ट्रेन से उत्परिवर्तित हुआ।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यदि वायरस को उत्सर्जित किया जाता है और कम-से-कम 12 महीनों के लिये एक अप्रतिरक्षित या कम-प्रतिरक्षित आबादी में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह यह संक्रमण का कारण बन सकता है।
- भारत और पोलियो:
  - तीन वर्ष के दौरान शून्य मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में WHO द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ।

- यह उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान के बाद प्राप्त हुई जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी।
- देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला 13 जनवरी, 2011 को पता चला था।

पोलियो उन्मूलन उपाय

वैश्विक:

- वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल:
  - इसे वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) के तहत राष्ट्रीय सरकारों और WHO द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में विश्व की 80% आबादी पोलियो मुक्त है।
    - पोलियो टीकाकरण गतिविधियों के दौरान विटामिनA के व्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से अनुमानित 1.5 मिलियन नवजातों की मौतों को रोका गया है।
- विश्व पोलियो दिवस:
  - यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को मनाया जाता है ताकि देशों को बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान किया जा सके।

भारत:

- पल्स पोलियो कार्यक्रम:
  - इसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत शत्-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0:
  - यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (वर्ष 2019-20) के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:
  - इसे वर्ष 1985 में 'प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम' (Expanded Programme of Immunization) में संशोधन के साथ शुरू किया गया था।
  - इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में टीकाकरण कवरेज में तेज़ी से वृद्धि, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

भारत में गरीबी की स्थिति पर शोध पत्र: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 'पावर्टी हैज़ डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट अस मच अस यूथ थॉट' (Poverty has Declined over the Last Decade But Not As Much As Previously Thought) शीर्षक से शोध पत्र प्रकाशित किया गया है।

- यह पत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर से समानता रखता है जिसमे जिसमें कहा गया था कि भारत ने राज्य द्वारा वित्त पोषित खाद्य हैंड आउट्स (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के माध्यम से अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया गया है और जिससे 40 वर्षों में उपभोग असमानता अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच चुकी है।

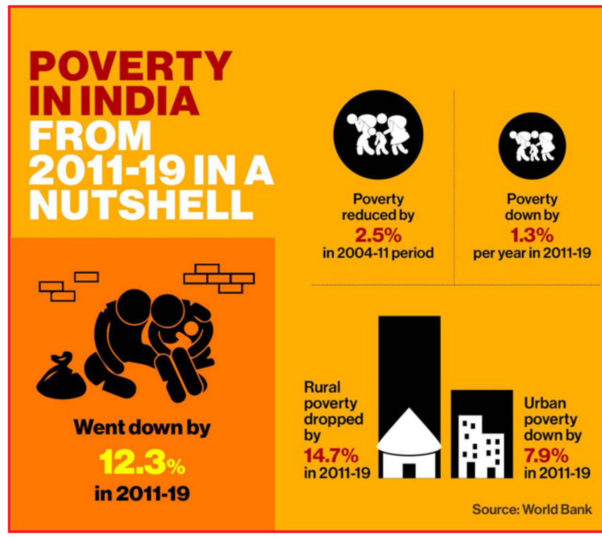

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- अत्यधिक गरीबी में गिरावट: भारत में अत्यधिक गरीबी की स्थिति में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में 12.3% अंक की कम आयी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से तेज़ से गिरावट के साथ गरीबी वर्ष 2019 में वर्ष 2011 के स्तर 22.5% से घटकर10.2% हो गई है।
  - वर्ष 2011 के बाद से खपत असमानता में मामूली कमी हुई है लेकिन अप्रकाशित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण-2017 की तुलना में यह अंतर बहुत कम है।
  - वर्ष 2015-2019 के दौरान गरीबी में कमी की सीमा राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों में रिपोर्ट किये गए निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि के आधार पर पहले के अनुमानों की तुलना में काफी कम होने का अनुमान है।
  - विश्व बैंक ने द्वारा "अत्यधिक गरीबी" (Extreme Poverty) को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर रहने के रूप में परिभाषित किया है।

- ग्रामीण बनाम शहरी गरीबी: शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी क्योंकि ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011 में 26.3% से घटकर वर्ष 2019 में 11.6% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में गिरावट 14.2% से 6.3% तक ही हुई है।
  - वर्ष 2011-2019 के दौरान ग्रामीण और शहरी गरीबी में क्रमश: 14.7 और 7.9% की गिरावट आई है।
  - वर्ष 2016 में भारत में विमुद्रीकरण के साथ शहरी गरीबी में 2% की बढ़ोत्तरी हुई तथा वर्ष 2019 में ग्रामीण गरीबी में 10% की वृद्धि दर्ज की गई।
- छोटे किसान: छोटे किसानों द्वारा उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया गया है। सबसे छोटी जोत वाले किसानों के लिये वास्तविक आय में दो सर्वेक्षण के दौरों (2013 और 2019) के मध्य वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि बड़ी जोत वाले किसानों के लिये 2% की वृद्धि हुई है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे भूमिधारकों की आय में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता में कमी को दर्शाती है।
  - सबसे छोटे भूमि धारकों में गरीब आबादी का एक बड़ा हिस्सा होता है। इस आय में मज़दूरी, फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्ति, पशु खेती से शुद्ध प्राप्ति तथा गैर-कृषि व्यवसाय से शुद्ध प्राप्ति शामिल है। भूमि को पट्टे पर देने से होने वाली आय पर छूट दी गई है।

रिपोर्ट का महत्त्व:

- विश्व बैंक का यह शोधपत्र महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास हाल की अवधि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। अंतिम व्यय सर्वेक्षण वर्ष 2011 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा जारी किया गया था, जब देश ने गरीबी और असमानता के आधिकारिक अनुमान भी जारी किये थे।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा स्थापित एक नए घरेलू पैनल सर्वेक्षण में उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण का उपयोग करके वर्ष 2011 के बाद से गरीबी और असमानता कैसे विकसित होने पर प्रकाश डाला गया है।
- भारत के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम:
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- अन्नपूर्णा योजना
- 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना;

विश्व बैंक:

- परिचय:
  - इसे वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना गया।
  - विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये काम कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है।
- सदस्य:
  - इसके 189 सदस्य देश हैं।
  - भारत भी एक सदस्य देश है।.
- प्रमुख रिपोर्ट
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। (हाल ही में प्रकाशित करना बंद कर दिया)।
  - ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स।
  - वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
- पाँच विकास संस्थान:
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
    - भारत इसका सदस्य नहीं है।

विश्व मलेरिया दिवस 2022

चर्चा में क्यों?

मलेरिया को नियंत्रित करने और इसके उन्मूलन के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।

- विश्व मलेरिया दिवस पहली बार वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। इसे 'अफ्रीका मलेरिया दिवस' से विकसित किया गया था, यह वर्ष 2001 से विभिन्न अफ्रीकी देशों की सरकारों द्वारा मनाया जा रहा था।

- वर्ष 2022 की थीम है- "मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिये नवाचार का उपयोग करें।"

मलेरिया:

- परिचय:
  - मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग (Mosquito Borne Blood Disease) है जो प्लाज़्मोडियम परजीवी (Plasmodium Parasites) के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
  - इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छरों (Female Anopheles Mosquitoes) के काटने से होता है।
    - मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells- RBC) को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप RBCs की क्षति होती है।
    - ऐसी 5 परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण का कारण हैं, इनमें से 2 प्रजातियाँ- प्लाज़्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium Falciparum) और प्लाज़्मोडियम विवैक्स (Plasmodium Vivax) हैं, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान है।
    - मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है।
    - इस रोग की रोकथाम एवं इलाज़ दोनों संभव हैं।

मलेरिया का टीका:

- RTS,S/AS01 जिसे मॉसक्यूरिक्स (Mosquirix) के नाम से भी जाना जाता है, एक इंजेक्शन वैक्सीन है। इस टीके को एक लंबे वैज्ञानिक परीक्षण के बाद प्राप्त किया गया है जो कि पूर्णत: सुरक्षित है। इस टीके के प्रयोग से मलेरिया का खतरा 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है तथा इसके परिणाम अब तक के टीकों में सबसे अच्छे देखे गए हैं।
- इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GlaxoSmithKline- GSK) कंपनी द्वारा विकसित किया गया था तथा इसे वर्ष 2015 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (European Medicines Agency) द्वारा अनुमोदित किया गया।
- RTS,S वैक्सीन मलेरिया परजीवी, प्लाज़्मोडियम पी. फाल्सीपेरम (Plasmodium P. Falciparum) जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है, के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है।
- भारतीय परिदृश्य:
  - मलेरिया बर्डन: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट (WMR) 2020, जो कि दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों की जानकारी देती है, के अनुसार भारत ने अपने मलेरिया के बोझ को कम करने में काफी प्रगति की है।
    - भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है।

मलेरिया नियंत्रण के प्रयास:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी 'ई-2025 पहल' के अंतर्गत वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है।
- भारत में मलेरिया उन्मूलन के प्रयास वर्ष 2015 में शुरू किये गए थे तथा वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (NFME) की शुरुआत के बाद इन प्रयासों में और अधिक तेज़ी आई।
  - NFME मलेरिया के लिये WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016–2030 (GTS) के अनुरूप है। ज्ञात हो कि वैश्विक तकनीकी रणनीति WHO के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (GMP) का मार्गदर्शन करती है, जो मलेरिया को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिये WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है।
- मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-22) जुलाई 2017 में शुरू की गई थी जिसमें आगामी पाँच वर्षों हेतु रणनीति निर्धारित की गई है।
  - यह मलेरिया की स्थानिकता के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष-वार उन्मूलन का लक्ष्य प्रदान करता है।
- 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (High Burden to High Impact-HBHI) पहल का कार्यान्वयन जुलाई 2019 में चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में शुरू किया गया था।
- उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (LLINs) के वितरण से इन राज्यों में मलेरिया के प्रसार में कमी आई है।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-India) की स्थापना की है जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है।

विश्व बाल और किशोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में विश्व के बाल और किशोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (Child and Adolescent Healthcare Systems of the World) पर एक सीरीज़ प्रकाशित हुई।

- चार पत्रों की इस सीरीज़ ने वर्तमान स्थिति को विश्व स्तर पर किये गए लाभ के साथ निर्धारित किया है, जो वैश्विक परिदृश्य में स्पष्ट भिन्नताओं को इंगित करता है, कुछ देशों ने दूसरों की तुलना में अधिक उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किये हैं।

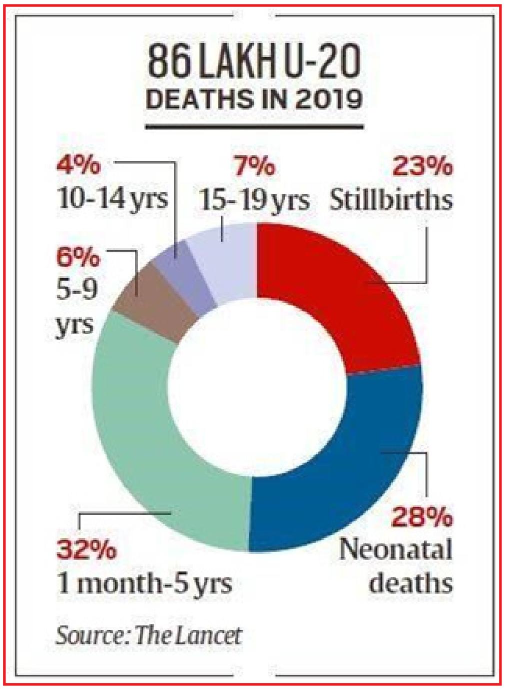

सीरीज़ के प्रमुख निष्कर्ष:

- अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में 28 सप्ताह के गर्भ के दौरान और 20 वर्ष की आयु के बीच 8.62 मिलियन से अधिक मौतें हुईं।
  - इन मौतों में आधे से अधिक हिस्सेदारी मातृ मृत्यु (23%) और नवजात मृत्यु (28%) के मामलों की थी, जबकि इनके अलावा अन्य एक-तिहाई (32%) में एक से पाँच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु शामिल थी।
  - इन मौतों में से आधे से अधिक मृत्यु जन्म के दौरान (23%) और नवजात शिशुओं (28%) की थी , जबकि एक तिहाई (32%) मौतें एक महीने से पाँच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों कीं हुईं।
- यह बाल मृत्यु दर और रुग्णता में कमी को प्रगति के रूप में दर्ज करता है।
  - हालाँकि इसमें अत्यधिक असमानताएँ देखी जा सकती हैं, कई बच्चे और किशोर जीवित नहीं बचते क्योंकि इनके लिये कम लागत वाली सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

महामारी का प्रभाव:

- कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों कि देखभाल और शिक्षा में जो अंतराल आया है, इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।
  - समान और लचीली सेवाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास के रूप में बच्चों एवं परिवारों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने हेतु स्वास्थ्य व सामाजिक प्रणालियों को एक साथ काम करने के लिये उचित ढंग से संगठित किया जाना चाहिये।
- कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों और परिवारों की \ज़रूरतों को पूरा करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है उसे वैश्विक समुदाय के समक्ष चेतावनी के रूप में रेखांकित करते हुए वैश्विक स्तर पर बाल व किशोर स्वास्थ्य एजेंडा को बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

सिफारिशें:

- विखंडित दृष्टिकोण :
  - श्रृंखला में बच्चों को पालन-पोषण में मदद करने वाली सेवाओं की फिर से कल्पना करने के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि विखंडित दृष्टिकोण केवल कुछ आयु समूहों के लिये खाद्य संकट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है।
- व्यापक देखभाल की आवश्यकता:
  - जर्नल में पोषण, निवारक स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और सामुदायिक सहायता, पूर्व की निर्मित अवधारणा से लेकर 20 वर्ष की आयु तक के सभी आयु समूहों को केंद्रित किया गया है।
    - इसमे परिवारों की निकट भागीदारी, विशेष रूप से गर्भावस्था के चरण से ही सहायता प्रदान करने, प्रासंगिक वर्षों के दौरान बच्चे को भोजन उपलब्ध कराने हेतु भी दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की गई है।
- साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता:
  - इसमें पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिये साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप को बढ़ाने का आह्वान करते हुए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये हस्तक्षेप और बचपन से किशोरावस्था में संक्रमण की अवधि पर प्रकाश डाला गया है।
    - इसमें मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने, अनजाने में लगी चोटों, गैर-संचारी रोगों और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को दूर करने हेतु सिफारिशें की गई हैं।

भारत द्वारा की गई संबंधित पहलें:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- मध्याह्न भोजन योजना
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान
- प्रधानमंत्री पोषण योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(PMMVY)
- समेकित बाल विकास योजना

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के उद्देश्य हैं? (2017)

1. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना।
2. छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की घटनाओं को कम करना।
3. बाजरा, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किये चावल की खपत को बढ़ावा देना।
4. मुर्गी के अंडों की खपत को बढ़ावा देना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 3 और 4

उत्तर: (a)

- राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो आँगनवाड़ी सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ-भारत मिशन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का लक्ष्य 2017-18 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों के दौरान 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। अत: कथन 1 सही है।
- एनएनएम का लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) को कम करना और बच्चों के जन्म के समय कम वज़न की समस्या को कम करना है। अत: 2 सही है।
- एनएनएम के तहत बाजरा, बिना पॉलिश किये चावल, मोटे अनाज और अंडों की खपत से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अत: कथन 3 और 4 सही नहीं हैं।

आंतरिक सुरक्षा

नगा युद्धविराम समझौते का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने केंद्र सरकार और तीन नगा समूहों के बीच संघर्ष विराम समझौते को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया है जिस पर 19 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किये गए थे।

नगा युद्धविराम समझौता:

- नगा समूहों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-एनके ((NSCN-NK), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-रिफॉर्मेशन (NSCN-R) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-के-खांगो (NSCN-K-Khango) शामिल हैं।
    - ये सभी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN-IM) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग (NSCN-K) के अलग-अलग गुट हैं।

- यह समझौता नगा शांति प्रक्रिया के लिये एक महत्त्वपूर्ण है तथा यह भारत के प्रधानमंत्री के 'उग्रवाद मुक्त, समृद्ध उत्तर पूर्व' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- सितंबर 2021 में केंद्र ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (K) निकी ग्रुप के साथ एक वर्ष के लिये संघर्ष विराम समझौता किया था।
- केंद्र ने इससे पहले अगस्त, 2015 में NSCN (IM) के साथ एक "फ्रेमवर्क एग्रीमेंट" पर हस्ताक्षर किये थे।

नगा शांति प्रक्रिया

- वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 'नगा' क्षेत्र प्रारंभ में असम का हिस्सा बना रहा। हालाँकि एक मज़बूत राष्ट्रवादी आंदोलन ने नगा जनजातियों के राजनीतिक संघ की मांग करना शुरू कर दिया और कुछ चरमपंथियों ने भारतीय संघ से पूरी तरह से अलग होने की मांग की।
- वर्ष 1957 में असम के 'नगा पहाड़ी क्षेत्र' और उत्तर-पूर्व में 'त्वेनसांग फ्रंटियर' डिवीज़न को भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशासित एक इकाई के तहत एक साथ लाया गया था।
- वर्ष 1960 में यह तय किया गया कि नगालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनना चाहिये। नगालैंड ने वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया और वर्ष 1964 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सत्तासीन हुई।

उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर का दृष्टिकोण (विज़न)

- यह माना जाता हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर राज्य देश के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- इसलिये इसका उद्देश्य 2022 तक पूर्वोत्तर में सभी प्रकार के विवादों को समाप्त करना तथा वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर में शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत करना है।
- इसके तहत सरकार पूर्वोत्तर की गरिमा, संस्कृति, भाषा, साहित्य और संगीत को समृद्ध कर रही है।
- हालिया वर्षों में सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में सैन्य संगठनों के साथ कई शांति समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं। उदाहरण
    - कार्बी एंगलोंग समझौता, 2021: इसमें असम के पाँच विद्रोही समूहों, केंद्र और असम की राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    - ब्रू समझौता, 2020 : ब्रू समझौते के तहत त्रिपुरा में 6959 ब्रू परिवारों के लिये वित्तीय पैकेज सहित स्थायी बंदोबस्त पर भारत सरकार, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बीच ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ सहमति व्यक्त की गई है।

- बोडो शांति समझौता, 2020: वर्ष 2020 में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई।
- यह शांति समझौता एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर), एनएससीएन (के)- खांगो, एनएससीएन (आईएम) जैसे नगा विद्रोह में शामिल विभिन्न सैन्य संगठनों के साथ किया

पूर्वोत्तर भारत में संघर्ष की स्थिति:

- राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष: इसमें एक अलग राष्ट्र के रूप में एक विशिष्ट 'मातृभूमि' की अवधारणा को शामिल है।
  - नगालैंड: नगा विद्रोह, स्वतंत्रता की मांग के साथ शुरू हुआ।
    - हालाँकि आजादी की मांग काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन 'ग्रेटर नगालैंड' या 'नगालिम' की मांग सहित अंतिम राजनीतिक समझौते का लंबित मुद्दा बना हुआ है।
- जातीय संघर्ष: प्रमुख जनजातीय समूह की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावशाली समूहों के खिलाफ संख्यात्मक रूप से छोटे और कम प्रभावशाली जनजातीय समूहों के दावे को शामिल करना।
  - त्रिपुरा: वर्ष 1947 के बाद से राज्य की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल परिवर्तित हुई है, जब नए उभरे पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर पलायन ने बड़ी तादात में आदिवासी क्षेत्र से बंगाली भाषी लोगों के बहुमत वाले क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया।
    - आदिवासियों को सीमितमूल्यों पर उनकी कृषि भूमि से वंचित कर दिया गया और उन्हें जंगलों में रहने के लिये मजबूर कर दिया गया।
    - परिणामी तनाव बड़ी हिंसा और व्यापक आतंक का कारण बना।
- उप-क्षेत्रीय संघर्ष: उप-क्षेत्रीय संघर्ष में ऐसे आंदोलनों को शामिल किया जाता है जो उप-क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देने को प्रेरित करते हैं और प्राय: राज्य सरकारों या यहाँ तक कि स्वायत्त परिषदों के साथ सीधे संघर्ष में व्याप्त हो जाते हैं।
  - मिज़ोरम: हिंसक विद्रोह के अपने इतिहास और उसके बाद शांति की ओर लौटने वाला यह राज्य अन्य सभी हिंसा प्रभावित राज्यों के लिये एक उदाहरण है।
    - वर्ष 1986 में केंद्र सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच 'मिज़ो शांति समझौते' और अगले वर्ष राज्य का दर्जा दिये जाने के बाद मिज़ोरम में पूर्ण शांति और सद्भाव कायम है।
  - इसके अलावा मिज़ोरम के गठन के समय से ही असम और मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद व्याप्त है।
- अन्य कारण: प्रायोजित आतंकवाद, सीमापार से प्रवासियों की निरंतर आवाजाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न संघर्ष, महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को और मज़बूत करने के उद्देश्य के परिणामत: आपराधिक स्थितियाँ बन गई हैं।
  - असम: राज्य में प्रमुख जातीय संघर्ष 'विदेशियों' की आवाजाही के कारण है यहाँ विदेशियों से तात्पर्य सीमा पार (बांग्लादेश) से असमिया से काफी अलग भाषा और संस्कृति वाले लोगों से है।
    - असम में हालिया तनाव नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बहस से उत्पन्न हुआ है।
- संघर्ष समाधान के तरीके:
  - सुरक्षा बलों/पुलिस कार्रवाई' को मज़बूत करना।
  - राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, संविधान के भाग XXI के तहत विशेष प्रावधान जैसे तंत्र के माध्यम से अधिक स्थानीय स्वायत्तता।
  - उग्रवादी संगठनों से बातचीत।
  - विशेष आर्थिक पैकेज सहित विकास गतिविधियाँ।

देशों का सैन्य व्यय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) द्वारा प्रकाशित नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक गिरावट के बावजूद विश्व सैन्य व्यय में बढ़ोतरी देखी गई जो 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

- वर्ष 2021 में तीव्र आर्थिक सुधार के परिणामस्वरूप वैश्विक सैन्य बोझ कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में 0.1 प्रतिशत अंक से बढ़कर वर्ष 2020 में 2.2% हो गया जो वर्ष 2021 में 2.3% रहा।

SIPRI:

- SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिये समर्पित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में हुई थी।

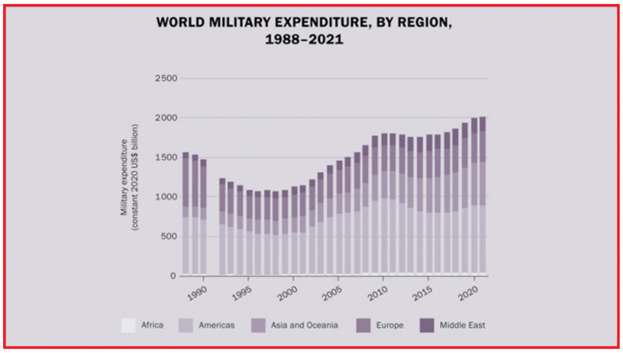

वैश्विक परिदृश्य:

- सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश:
    - वर्ष 2021 में पाँच सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्त्ता देशों में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस शामिल थे।
    - इन्होने कुल वैश्विक सैन्य व्यय का 62% अपने सैन्य क्षेत्र में व्यय किया जिसमें अकेले अमेरिका और चीन ने 52% का व्यय किया।
- एशिया और ओशिनिया:
    - वर्ष 2021 में एशिया और ओशिनिया का सैन्य व्यय कुल 586 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
        - इस क्षेत्र में किया गया व्यय वर्ष 2020 की तुलना में 3.5% अधिक था, जिसकी वर्ष 1989 से लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति को जारी है।
        - वर्ष 2021 में हुई वृद्धि का मुख्य कारण चीनी और भारतीय सैन्य व्यय में वृद्धि थी।
        - वर्ष 2021 के दौरान कुल सैन्य खर्च में दोनों देशों का हिस्सा 63% है।
- रूस के सैन्य खर्च में वृद्धि:
    - ऐसे समय में जब रूस, यूक्रेन सीमा पर अपनी सेना बढ़ा रहा था, उसने वर्ष 2021 में अपने सैन्य खर्च को 2.9% बढ़ाकर 65.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया।
- नाटो सदस्यों का व्यय:
    - यूरोपीय उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के आठ सदस्य वर्ष 2021 में अपने सशस्त्र बलों पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% या अधिक खर्च करने के लक्ष्य तक पहुँच गए।

भारत के संबंध में मुख्य तथ्य:

- भारत का सैन्य खर्च 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
    - यह वर्ष 2020 से 0.9% और वर्ष 2012 से 33% अधिक था।
- चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव तथा सीमा विवादों के बीच जो कभी-कभी सशस्त्र संघर्षों में बदल जाते हैं, को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण व हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है।
- स्वदेशी हथियार उद्योग को मज़बूत करने के संदर्भ में वर्ष 2021 के भारतीय सैन्य बजट में पूंजी परिव्यय का 64% घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिये निर्धारित किया गया है।

चर्चा में

वीर कुंवर सिंह

सरकार स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह (1777-1858) को उनकी जयंती (23 अप्रैल) पर श्रद्धांजलि देगी।

कुंवर सिंह कौन थे?

- वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर ज़िले का एक हिस्सा है।
- वह बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य महानायक थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है।
- वीर कुंवर सिंह ने बिहार में वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। वह तब लगभग 80 वर्ष के थे जब उन्हें हथियार उठाने के लिये बुलाया गया और उनका स्वास्थ्य भी खराब था।
- उनके भाई, बाबू अमर सिंह और उनके सेनापति, हरे कृष्ण सिंह दोनों ने उनकी सहायता की थी। कुछ लोगों का मानना है कि कुंवर सिंह की प्रारंभिक सैन्य सफलता के पीछे का असली कारण यही था।
- उन्होंने बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और लगभग एक साल तक ब्रिटिश सेना को परेशान किया तथा अंत तक अजेय रहे। वह गुरिल्ला युद्ध कला के विशेषज्ञ थे।
- 26 अप्रैल, 1858 को उनका निधन हो गया।
- भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिये 23 अप्रैल 1966 को भारत गणराज्य द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
- वर्ष 1992 में बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा की स्थापना की गई।
    - वर्ष 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु, जिसे आरा-छपरा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिये किया गया था।
    - वर्ष 2018 में कुंवर सिंह की मृत्यु की 160वीं वर्षगाँठ मनाने के लिये बिहार सरकार ने उनकी एक प्रतिमा को हार्डिंग पार्क में स्थानांतरित कर दिया था। पार्क को आधिकारिक तौर पर 'वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क' का नाम भी दिया गया था।

आयल बॉण्ड्स

हाल ही में वित्त मंत्री ने तेल की ऊँची कीमतों की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि सरकार करों और तेल की कीमतों में कमी नहीं कर सकती क्योंकि उसे पिछली सरकार द्वारा जारी आयल बॉण्ड्स के लिये भुगतान करना पड़ता है।

- हालाँकि आलोचकों का दावा है कि सरकार को आयल बॉण्ड के लिये जो भुगतान करना पड़ा है वह इस क्षेत्र में अर्जित राजस्व की तुलना में अधिक नहीं है।

TABLE 1

OIL BONDS NDA INHERITED

DETAILS (INTEREST RATE, DATE OF MATURITY)	PRINCIPAL (₹ cr)
7.61% GOI spl. Bonds,2015*	1,750.00
7.59% GOI spl. Bonds,2015*	1,750.00
8.13% GOI spl. Bonds,2021*	5,000.00
7.75% GOI spl. Bonds,2021*	5,000.00
8.20% GOI spl. Bonds,2023	22,000.00
8.01% GOI spl. Bonds,2023	4,150.00
8.20% GOI spl. Bonds,2024	5,000.00
8.20% GOI spl. Bonds,2024	10,306.33
6.35% GOI spl. Bonds,2024	22,000.00
7.95% GOI spl. Bonds,2025	11,256.92
8.40% GOI spl. Bonds,2025	9,296.92
8.40% GOI spl. Bonds,2026	4,971.00
6.90% GOI spl. Bonds,2026	21,942.00
8.00% GOI spl. Bonds,2026	10,000.00
TOTAL	1,34,423.17

*These bonds have been paid in full (total paid ₹13,500 crore)
Source (Table 1 & Chart 1): Union Budgets, Express Research

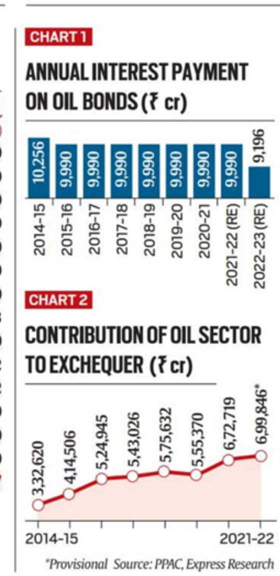

*Provisional Source: PPAC, Express Research

ईंधन मूल्य का कितना प्रतिशत कर है?

- घरेलू खुदरा मूल्य के दो घटक हैं - कच्चे तेल की कीमत तथा इस मूल कीमत पर लगाए गए कर।

- साथ ही वे खुदरा मूल्य को निर्धारित करते हैं। कर एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद के मामले में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिये अब तक एक लीटर पेट्रोल के लिये कुल खुदरा मूल्य का 50% और एक लीटर डीज़ल के लिये 44% कर है।

आयल बॉण्ड:

- जब घरेलू उपभोक्ताओं के लिये ईंधन की कीमतें बहुत अधिक थीं, तो अतीत में सरकारें अक्सर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से उपभोक्ताओं से पूरी कीमत वसूलने से बचने को कहती थीं।
  - लेकिन अगर तेल कंपनियों को भुगतान नहीं मिलता है तो वे लाभहीन हो जाएंगे। इसे संबोधित करने के लिये सरकार ने कहा कि वह अंतर का भुगतान करेगी।
  - अगर सरकार ने उस राशि का भुगतान नकद में किया होता, तो यह व्यर्थ होता, क्योंकि तब सरकार को OMCs को भुगतान करने हेतु धन इकट्ठा करने के लिये उन्हीं लोगों पर कर लगाना पड़ता, जहाँ से आयल बॉण्ड आते हैं।
- एक आयल बॉण्ड एक आई ओव यू (I owe you- IOU) या सरकार द्वारा OMCs को जारी किया गया एक वचन पत्र (Promissory Note) होता है जो नकद राशि के बदले सरकार उन्हें देती है ताकि कंपनियाँ जनता से ईंधन की पूरी कीमत की वसूली न करें।
  - एक IOU, "आई ओव यू" शब्दो के एक ध्वन्यात्मक संक्षिप्त नाम का दस्तावेज होता है जो ऋण के अस्तित्व को स्वीकार करता है।
  - एक वचन पत्र ऐसा ऋण साधन होता है जो एक पार्टी (नोट जारीकर्त्ता या निर्माता) द्वारा किसी अन्य पार्टी (नोट प्राप्तकर्त्ता) को या तो मांग पर या एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख में एक निश्चित राशि का भुगतान करने हेतु एक लिखित वचन होता है।
- एक आयल बॉण्ड द्वारा सरकार तेल विपणन कंपनियों को क्षतिपूर्ति हेतु 10 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी तथा जब तक बॉण्ड परिपक्व न हो जाए तब तक सरकार सीधे भुगतान न कर हर साल 8% (या 80 करोड़ रुपए) का भुगतान करेगी।
- आयल बॉण्ड वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio- SLR) प्रतिभूतियों के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, जिससे अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में उनमे तरलता कम होती है।
  - SLR: शुद्ध मांग (Net Demand) और समय देयता का हिस्सा जो एक बैंक के लिये सुरक्षित और तरल संपत्ति बनाए रखने हेतु आवश्यक है, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियाँ, नकद और सोना।

महत्त्व:

- इस प्रकार के आयल बॉण्ड जारी कर सरकार OMCs की लाभप्रदता को बनाए रखते हुए बिना या स्वयं बजट घाटे के बिना उपभोक्ताओं को रक्षा/सब्सिडी देने में सक्षम है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक तेल कीमतों के संदर्भ में 'ब्रेंट क्रूड आयल' को अक्सर समाचारों में संदर्भित किया जाता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? (2011)

1. यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है।
2. यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है।
3. इसमें सल्फर नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- 'ब्रेंट क्रूड आयल' भौगोलिक स्थिति के आधार पर किये गए कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में से एक है। 'ब्रेंट क्रूड आयल' उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। भौगोलिक आधार पर अन्य प्रमुख प्रकार के कच्चे तेल हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (USA) और दुबई/ओमान (फारस की खाड़ी) हैं।

विश्व धरोहर दिवस

प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक-ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिये 'अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस' (International Day for Monuments and Sites) अथवा 'विश्व धरोहर दिवस' (World Heritage Day) का आयोजन किया जाता है।

- वर्ष 2022 के लिये विश्व धरोहर दिवस की थीम "धरोहर और पर्यावरण" (Heritage and Climate) है।

परिचय:

- इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS) ने वर्ष 1982 में 'विश्व धरोहर दिवस' की स्थापना की थी और वर्ष 1983 में इसे 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (UNESCO) की मंज़ूरी प्राप्त हुई थी।
- इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल:

- विश्व धरोहर/विरासत स्थल का आशय एक ऐसे स्थान से है, जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्त्व के कारण सूचीबद्ध किया गया है।
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची को 'विश्व धरोहर कार्यक्रम' द्वारा तैयार किया जाता है, यूनेस्को की 'विश्व धरोहर समिति' द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है।
- यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।

भारत में विश्व धरोहर स्थल:

- वर्तमान में भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं।
- इनमें से 30 'सांस्कृतिक' श्रेणी में हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएँ, फतेहपुर सीकरी और हम्पी स्मारक आदि, जबकि 7 'प्राकृतिक' श्रेणी में हैं, जिनमें काजीरंगा, मानस और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।
  - गुजरात के हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है।
  - रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल था।
  - सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान "मिश्रित विश्व विरासत स्थल" के रूप में नामित भारत का पहला और एकमात्र स्थल है।
- वर्ष 2022 में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 के लिये विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने हेतु होयसल मंदिरों के पवित्र समागम को नामित किया है।

यूनेस्को

- यूनेस्को को वर्ष 194लन के कार्यान्वयन हेतु विश्व धरोहर समिति के एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है।
  - यह पेरिस, फ्राँस में स्थित है।
- यूनेस्को की प्रमुख पहलें
  - मानव व जीवमंडल कार्यक्रम
  - विश्व विरासत कार्यक्रम
  - यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क
  - यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क
  - एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS)

- यह यूनेस्को से संबद्ध एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन है। यह भी पेरिस, फ्राँस में स्थित है।
- इसका प्राथमिक मिशन स्मारकों, परिसरों और स्थलों के निर्माण, संरक्षण, उपयोग और बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देना है।
- यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मे विरासतों के नामांकन की समीक्षा करता है और उनकी संरक्षण स्थिति सुनिश्चित करता है।
  - इस रूप में यह सांस्कृतिक विश्व5 में स्थायी शांति के निर्माण के साधन के रूप में 'मानव जाति में बौद्धिक और नैतिक एकजुटता' विकसित करने हेतु स्थापित किया गया था।
- वर्ष 1965 में इसकी स्थापना वास्तुकारों, इतिहासकारों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच शुरू हुई वार्ता का तार्किक परिणाम है, जो बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई और वर्ष 1964 में 'वेनिस चार्टर' के रूप में संपन्न हुई।

यू.पी.एस.सी. सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? (2009)

(a) दिलवाड़ा मंदिर
(b) कालका-शिमला रेलवे
(c) भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र
(d) विशाखापत्तनम से अराकू घाटी रेलवे लाइन

उत्तर: (b)

- कालका-शिमला रेलवे: यह 96 किलोमीटर लंबा, सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है, जिसे 19वीं शताब्दी के मध्य में शिमला के पहाड़ी शहर को सेवा प्रदान करने के लिये बनाया गया था।
- लगभग 111 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक कालका-शिमला रेलवे लाइन, 2008 में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर रेलवे लाइन बनी और इसे "भारत के पर्वतीय रेलवे" के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

40वाँ 'हुनर हाट'

हाल ही में मुंबई में 'हुनर हाट' (Hunar Haat) के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस संस्करण में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- हुनर हाट के बारे में:
  - वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में हुनर हाट की अवधारणा देश की कला और शिल्प की पुश्तैनी विरासत की रक्षा एवं उसे बढ़ावा देने, पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों का समर्थन करने के लिये प्रस्तुत की गई है।

- हुनर हाट प्रदर्शनी में वे चुने गए कारीगर शामिल होते हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्तनिर्मित कार्यों में शामिल थे और अभी भी इस पेशे में संलग्न हैं।
- थीम:
  - "वोकल फॉर लोकल" (Vocal for Local) और "बेस्ट फ्रॉम वेस्ट"(Best from Waste)
- उद्देश्य:
  - कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाकशाला विशेषज्ञों को बाज़ार तक पहुँच प्रदान करने तथा रोज़गार के अवसर प्रदान करना।
  - उन शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देना जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी कार्यों में संलग्न हैं।
- आयोजककर्त्ता:
  - हुनर हाट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 'उस्ताद' (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) योजना के तहत आयोजित किया जाता है।
    - उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है।
- महत्त्व:
  - हुनर हाट जैसी पहलों से आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मज़बूत किया जा रहा है।
  - इनके तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि लोगों को रोज़गार तलाशने वाले के स्थान पर रोज़गार देने वाला बनाया जा सके। उदाहरण के लिये:
    - 'तेजस' कौशल कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
    - तेजस' कौशल कार्यक्रम के तहत भारत की योजना संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में कुशल कामगारों भेजने की है। एक वर्ष के भीतर नौकरी चाहने वाले 30,000 कुशल श्रमिकों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा।
  - हुनर हाट के माध्यम से 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना स्पष्ट होगी और 'विविधता में एकता' के सार का अनुभव करने का मौका मिलेगा।

आगे की राह:

- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को देश भर में नियोजित हुनर हाट के भविष्य के संस्करण में एक साथ अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने की व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिये।
- साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के साथ गठजोड़ कर सकता है ताकि छात्रों को एक्सपो में लाया जा सके तथा 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' की अवधारणा को मूर्तरूप प्रदान किया जा सके।

वैक्विटा पोरपोइज़

यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर एनवायर्नमेंटल कोऑपरेशन (CEC) के अनुसार, वैक्विटा पोरपोइज़ (Phocoena sinus) विलुप्त होने के करीब है और इसकी शेष आबादी को बचाने के लिये तत्काल सुरक्षा उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

पोरपोइज़

- पोरपोइज़, सीतासियन फैमिली (व्हेल, पोर्पोइज़ और डॉल्फिन) के सबसे छोटे सदस्यों में से एक हैं।
- वे दूरस्थ रूप से केवल डॉल्फिन से संबंधित हैं (लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले इनके पूर्वज एक ही थे)।
- पोरपोइज़ की केवल सात प्रजातियाँ हैं; इनकी सबसे सबसे लोकप्रिय प्रजाति व्यापक रूप से पाई जाने वाली हार्बर पोरपोइज़ है।
- वैक्विटा सहित कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनका अध्ययन शायद ही किया जाता है। उनके बारे में में हमें जो भी जानकारी प्राप्त है वह उन्हीं जीवों के अध्ययन के बाद प्राप्त हुई है जो सागर तरंगों के साथ बहकर तटों पर पहुँच जाती हैं।

वैक्विटा पोरपोइज़:

- वैक्विटा (Phocoena sinus) विश्व का सबसे छोटा सीतासियन है। स्पेनिश भाषा में इसके नाम का अर्थ "छोटी गाय" है।
- इसकी आँखों के चारों ओर एक गहरा वलय होता है जो इसकी सबसे खास विशेषता है साथ ही, इसके पृष्ठीय पंख (Fins) आनुपातिक रूप बड़े होते हैं।
- सभी पोरपोइज़ में यह अद्वितीय है क्योंकि यह उस फैमिली की एकमात्र प्रजाति है जो गर्म जल में पाई जाती है और यह माना जाता है कि गर्म जल में रहने हेतु अनूकूलता इसके पृष्ठीय पंखों से प्राप्त होती है, जिससे शरीर की अतिरिक्त गर्मी अनुकूलित हो जाती है।
- पोरपोइज़ की कई अन्य प्रजातियों की तरह, वैक्विटा शर्मीली और चालाक होती है और नावों से संपर्क में आने दौरान ये बचकर निकल जाती हैं।

आवास:

- यह प्रजाति केवल कैलिफोर्निया की उत्तरी खाड़ी (कॉर्टेज़ सागर) में पाई जाती है। आमतौर पर ये उथले पानी में (50 मीटर की गहराई तक) पाई जाती हैं।

खतरा:

- दशकों से वाक्विटा की आबादी में भारी गिरावट आई है। हाल के समय में सुभेद्य श्रेणी की मछली टोटोआबा (एक बड़ी मछली जिसके स्विम ब्लैडर के कारण अधिक माँग होती है) को पकड़ने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले गिल-नेट के कारण इनकी संख्या और तेज़ी से कम हुई है।
    - मछली पकड़ने के लिये प्रयुक्त फिक्स्ड फिशिंग नेट (गिल-नेट) में प्राय: छोटे जीव फंस जाते हैं, जिसे बाई-कैच के रूप में जाना जाता है।

सुरक्षा की स्थिति:

- IUCN की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)।
- CITES: परिशिष्ट I

एनसीएक्स इंडिया

हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (National Cyber Security Incident Response Exercise- NCX India) का आयोजन किया।

- एनसीएक्स इंडिया का आयोजन 18 से 29 अप्रैल 2022 तक दस दिनों की अवधि तक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य सरकार/महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा तकनीकी कर्मियों को समकालीन साइबर खतरों एवं साइबर घटनाओं व प्रतिक्रिया के प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद:

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (NSC) एक त्रिस्तरीय संगठन है, जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करता है।
- 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' (NSA) 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' की अध्यक्षता करता है और वह प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी होता है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं।
- इसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है।

एनसीएक्स इंडिया:

- मंच: प्रशिक्षण हेतु मंच साइबरएक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रदान किया जा रहा है जो एक एस्टोनियाई साइबर सुरक्षा कंपनी है जिसे विश्व स्तर पर कई बड़े साइबर अभ्यास आयोजित करने के लिये मान्यता प्राप्त है।
- आवश्यकता: देश में हो रही डिज़िटल क्रांति और सरकार द्वारा बड़ी संख्या में डिज़िटल सेवाओं का शुभारंभ करने हेतु।
    - इस संदर्भ में साइबर सुरक्षा किसी भी सफल डिजिटल प्लेटफार्म का आधार होता है।
    - साइबरस्पेस में कोई भी खतरा सीधे तौर पर हमारी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। अत: हमारे साइबरस्पेस को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल: प्रतिभागियों को विभिन्न प्रमुख साइबर सुरक्षा क्षेत्रों जैसे घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, मैलवेयर सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (MISP), सुभेद्यता प्रबंधन और प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा डेटा प्रवाह, डिजिटल फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- परिकल्पित लक्ष्य: एनसीएक्स इंडिया साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझने, आकलन करने और साइबर संकट प्रबंधन एवं सहयोग के लिये कौशल विकसित करने में मदद करेगा।
    - इससे साइबर सुरक्षा कौशल, टीम वर्क, योजना, संचार, महत्त्वपूर्ण विचार तथा निर्णय लेने के विकास और परीक्षण में भी मदद मिलेगी।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- साइबर सुरक्षित भारत' पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

अल्लूरी सीताराम राजू

भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश के पंडरंगी में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू (1897 - 1924) के जन्मस्थान का दौरा किया।

अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे?

- अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वह 18 साल की उम्र में संत बन गए।
- वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे सीताराम राजू ने वर्ष 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए।
    - इस अधिनियम ने आदिवासियों (आदिवासी समुदायों) के उनके वन आवासों में मुक्त आवाजाही और उन्हें पारंपरिक रूप का पोडु (स्थानांतरित खेती झूम कृषि) को प्रतिबंधित कर दिया।
- अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रम्पा विद्रोह/मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
- स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिये उन्हें "मन्यम वीरुडु" (जंगल का नायक) उपनाम दिया गया था।
- वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, एक पेड़ से बाँध कर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।

'एनएटीपीओएलआरईएक्स-VIII

हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard-ICG) द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOLREX-VIII के 8वें संस्करण का आयोजन गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर किया गया।

- NATPOLREX के अलावा ICG चेन्नई में हिंद महासागर परिधि संघ (IORA) के सदस्य राष्ट्रों सहित 18 देशों के 45 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु समुद्री तेल प्रतिक्रिया और तैयारी (Marine Oil Response and Preparedness) में एक क्षमता निर्माण पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रही है।

NATPOLREX-VIII

- NATPOLREX-VIII के बारे में:
    - इस अभ्यास में टेबल-टॉप अभ्यास की विशेषता वाला दो दिवसीय कार्यक्रम, समुद्री तेल और HNS प्रसार पर प्रदूषण प्रतिक्रिया कार्यशाला के बाद समुद्र में अभ्यास शामिल था।
    - इस अभ्यास के दौरान राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (NOSDCP) के विभिन्न घटकों को आकस्मिक योजनाओं की पुष्टि व सुधार करने और समुद्र में किसी भी समुद्री रिसाव आपदा से निपटने हेतु संसाधन एजेंसियों के साथ-साथ हितधारकों की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिये लागू किया गया।
    - इस आयोजन में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 22 मित्र देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक और श्रीलंका व बांग्लादेश के दो तटरक्षक पोत शामिल हैं।
- उद्देश्य:
    - समुद्री रिसाव से निपटने के लिये सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है।
    - इसके अलावा इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (South Asia Cooperative Environment Programme-SACEP) समझौता ज्ञापन के अधीन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (NOSDCP) में निहित प्रक्रियाओं तथा दिशा-निर्देशों को लागू करना है, जिसमें भारत भी एक भागीदार सदस्य राष्ट्र है।

पूर्वी तिमोर

हाल ही में पूर्वी तिमोर (तिमोर लेस्ते) जिसे एशिया के सबसे नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा और अंतिम दौर संपन्न हुआ ।

पूर्वी तिमोर के बारे में प्रमुख बिंदु:

- इतिहास:
    - 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया गया तथा वर्ष 1975 तक यह क्षेत्र पुर्तगाल के नियंत्रण में रहा।
    - जब पुर्तगाली इस क्षेत्र से वापस गए, तो इंडोनेशिया के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया और पूर्वी तिमोर को अपने 27वें प्रांत के रूप में स्थापित कर लिया।

- पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिये एक लंबा और खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कम से कम 1,00,000 लोग मारे गए।
- वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण जनमत संग्रह में पूर्वी तिमोरीस (East Timorese) द्वारा स्वतंत्रता के लिये मतदान किया गया लेकिन यह हिंसक गतिविधियों को तक तक बढ़ावा मिला जब तक कि इस क्षेत्र में शांति-रक्षक बलों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।
  - वर्ष 2002 में देश को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी।
- पूर्वी तिमोर द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) का सदस्य बनने हेतु भी आवेदन किया गया है।
  - वर्तमान में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- भौगोलिक स्थिति:
  - पूर्वी तिमोर दक्षिण-पूर्व में तिमोर सागर, उत्तर में वेटार जलडमरूमध्य, उत्तर-पश्चिम में ओमबाई जलडमरूमध्य और दक्षिण-पश्चिम में पश्चिमी तिमोर (पूर्वी नुसा तेंगारा के इंडोनेशियाई प्रांत का हिस्सा) से घिरा हुआ है।
  - पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप का पूर्वी भाग शामिल है, जिसका पश्चिमी आधा भाग इंडोनेशिया का हिस्सा है।
  - यह इज़रायल से थोड़ा छोटा 15,000 वर्ग किमी भूमि क्षेत्र में फैला है तथा इसके 1.3 मिलियन लोग मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक हैं।

अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में:

- राजनीति:
  - आज़ादी के बाद से लगभग 20 वर्षों में, पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में एक जैसे कई लोगों का वर्चस्व रहा है।
  - इसकी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति कुछ कार्यकारी शक्तियों को भी साझा करता है और सरकार की नियुक्ति करता है तथा मंत्रियों को वीटो करने या संसद को भंग करने की शक्ति रखता है।
- अर्थव्यवस्था:
  - यह देश अपने अपतटीय तेल और गैस भंडार के राजस्व पर निर्भर करता है जो कि इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 90% हिस्सा है।
  - ग्रेटर सनराइज गैस क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका एक समझौता है, जिसका अनुमानित मूल्य 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - बेयू अंडरन गैस क्षेत्र (Bayu Undan gas field), इसका मुख्य राजस्व क्षेत्र वर्ष 2023 तक सूखने के कगार पर है तथा देश अब इसे कार्बन कैप्चर सुविधाओं में बदलने के लिये ऑस्ट्रेलिया में कंपनियों के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है।

लीवर से जुड़ी रहस्यमयी बीमारी

हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ-साथ स्पेन, डेनमार्क और नीदरलैंड में लीवर से संबंधित एक रहस्यमयी बीमारी के कुछ मामले सामने आए हैं।

क्या है यह रहस्यमयी बीमारी?

- परिचय:
  - 1 से 6 साल की उम्र के बच्चे इस बीमारी के शिकार हुए हैं।
  - रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बीमारी आमतौर पर सर्दी-जुकाम से जुड़े विषाणु के कारण हो सकती है।
  - अभी तक यह बीमारी बहुत गंभीर बताई जा रही है। हालाँकि इससे अब तक किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में छह बच्चों का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा है।
- लक्षण:
  - इसके लक्षण सामान्य यकृत रोग जैसे हेपेटाइटिस या यकृत की सूजन के समान ही हैं लेकिन इसका कारण अभी भी अज्ञात है।
  - पीलिया, डायरिया (दस्त) और पेट दर्द जैसे लक्षण भी देखे गए हैं ।
- संभावित कारण:
  - प्रयोगशाला परीक्षण में बीमारी के लिये हेपेटाइटिस प्रकार A, B, C और E वायरस के संक्रमण की संभावना से इंकार किया गया है जो आमतौर पर ऐसी बीमारियों का कारण बनते हैं। यदि इस बिमारी के प्रसार में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की कोई भूमिका है तो वह अभी तक ज्ञात नहीं है।
  - संभवत: इसके लिये एडेनोवायरस (adenoviruses) नामक वायरस का एक समूह उत्तरदायी है जो श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे सामान्य सर्दी-जुकाम का कारण बनता है।
  - कुछ यूरोपीय बच्चे एडेनोवायरस पॉजिटिव पाए गए है जबकि कुछ कोविड -19 पॉजिटिव पाए गए हैं।
    - टीकों के लिये सामान्यत: एडेनोवायरस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनका डीएनए (DNA) दोहरी कुंडली युक्त (Double Stranded)होता है जो उन्हें आनुवंशिक रूप से अधिक स्थिर बनाता है और इंजेक्शन के बाद उनके बदलने की संभावना कम होती है।
  - अत: विश्लेषण के अनुसार, हेपेटाइटिस संभावित रूप से एडेनोवायरस 41 के साथ जुड़ा हो सकता है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण

हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) ने वरिष्ठ नागरिकों/पेंशनभोगियों जैसे आवेदकों के मामलों के समाधान के लिये अधिकरण की सभी 19 पीठों में एक विशेष अभियान चलाया।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण:

- स्थापना: इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी।
    - यह संघ के नियंत्रणाधीन अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों व शिकायतों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।
- कानूनी ढाँचा: संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया।
    - अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने हेतु अधिकृत करता है।
    - इस अधिनियम द्वारा पीड़ित लोक सेवकों को शीघ्र एवं किफायती न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया मार्ग प्रशस्त किया गया।
    - CAT की स्थापना राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी।
- पीठ/बेंच: पूरे भारत में CAT की 19 पीठें हैं।
- उद्देश्य और संरचना: CAT एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं जो अपने विशेष ज्ञान के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
    - किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है।
- संचालन सिद्धांत: न्यायाधिकरण मामलों को तय करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है और नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होता है।
    - प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत, अधिकरण को उच्च न्यायालय के समान ही स्वयं अवमानना के संबंध में उसी अधिकार क्षेत्र और अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- स्वतंत्रता: अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।
- आदेशों के खिलाफ अपील: CAT के आदेशों से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थापना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के काल में की गई थी ।
2. CAT के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

मगर :क्रोकोडाइल

हाल ही में भारतीय रेलवे ने पश्चिमी राजस्थान के पाली ज़िले में मगर क्रोकोडाइल या मार्श मगरमच्छ के अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु पानी पहुँचाया है क्योंकि इस क्षेत्र के जल निकाय मार्च महीने मे अधिक तापमान होने के कारण, सूख गए हैं।

मगर क्रोकोडाइल या मार्श मगरमच्छ

- वैज्ञानिक नाम: क्रोकोडिलस पोरोसस (Crocodylus palustris)
- विवरण:
    - यह अंडा देने वाली और होल-नेस्टिंग स्पेसीज़ (Hole-Nesting Species) है जिसे खतरनाक भी माना जाता है।
- आवास:
    - यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है जहाँ यह मीठे जल के स्रोतों और तटीय खारे जल के लैगून एवं मुहानों में भी पाई जाता है।
    - यह भूटान और म्याँमार में यह पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं।
- खतरे:
    - आवासों का विनाश और विखंडन एवं परिवर्तन, मछली पकड़ने की गतिविधियाँ तथा औषधीय प्रयोजनों हेतु मगरमच्छ के अंगों का उपयोग।
- संरक्षण स्थिति:
    - IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट: सुभेद्य
    - CITES: परिशिष्ट- I
    - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I

मगरमच्छ की अन्य प्रजातियाँ

- खारे पानी का मगरमच्छ:
  - यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति है, जिसे विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर (Maneater) के रूप में जाना जाता है।
  - यह मगरमच्छ ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।
    - यह दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है।
- संरक्षण की स्थिति:
  - IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: कम चिंतनीय (Least Concern)
  - CITES: परिशिष्ट- I (ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की आबादी को छोड़कर, जो परिशिष्ट- II में शामिल हैं)।
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
- घड़ियाल:
  - इन्हें गेवियल भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है और अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होते हैं जो कि एक बर्तन (घड़ा) जैसा दिखता है।
  - घड़ियाल की उपस्थिति स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है।
  - यह प्रजाति ज़्यादातर हिमालयी नदियों के ताज़े पानी में पाई जाती है।
  - विंध्य पर्वत (मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी को घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है।
  - अन्य हिमालयी नदियाँ जैसे- घाघरा, गंडक, गिरवा, रामगंगा और सोन नदियाँ इसके द्वितीयक आवास हैं।
  - संरक्षण स्थिति:
    - IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - CITES: परिशिष्ट- I
    - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
  - ओडिशा ने महानदी नदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिये 1,000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है ?(2017)

(a) भितरकनिका मैन्ग्रोव

(b) चम्बल नदी

(c) पुलिकट झील

(d) दीपोर बील

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित भारतीय प्राणिजात पर विचार कीजिये:(2013)

1- घड़ियाल

2- चर्मपीठ कूर्म (लेदरबैक टर्टल)

3- अनूप मृग

उपर्युक्त में से कौन-सा/से संकटापन्न है/हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) 1, 2 और 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

पनडुब्बी वाग्शीर

हाल ही में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने प्रोजेक्ट-75 की छठी स्कॉर्पीन सबमरीन 'वाग्शीर' लॉन्च की।

स्कॉर्पीन श्रेणी सबमरीन क्या है ?

- प्रोजेक्ट-75 स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियाँ डीजल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित हैं।
- स्कॉर्पीन सबसे परिष्कृत पनडुब्बियों में से एक है, जो सतह-विरोधी जहाज़ युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, खदान बिछाने और क्षेत्र की निगरानी सहित कई मिशनों को पूरा करने में सक्षम है।

- स्कॉर्पीन वर्ग आईएनएस सिंधुशास्त्र के बाद से लगभग दो दशकों में नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी श्रृंखला है, जिसे जुलाई 2000 में रूस से खरीदा गया था।

वाग्शीर:

- परिचय:
  - वाग्शीर का नामकरण सैंड फिश के नाम पर किया गया है, जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली एक शिकारी प्रजाति है।
  - रूस से प्राप्त वाग्शीर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अप्रैल 1997 में इसे सेवामुक्त कर दिया गया था।
  - वाग्शीर P75 परियोजना के तहत बनाई गई स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है जो समुद्री परीक्षण के बाद 12-18 महीनों के भीतर नौसेना के बेड़े में शामिल की जा सकती है।
- विशेषताएँ:
  - वाग्शीर एक डीज़ल अटैक पनडुब्बी (Diesel Attack Submarine) है, जिसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह समुद्र में दुश्मन की निगरानी से बचने में सक्षम है।
  - यह C303 एंटी-टारपीडो काउंटरमेजर सिस्टम से युक्त है ।
  - यह टॉरपीडो के स्थान पर 18 टॉरपीडो या एक्सोसेट एंटी-शिप मिसाइल या 30 माइन तक ले जा सकती है।
  - इसकी बेहतर विशेषताओं में निगरानी से बच निकलने वाली क्षमताएँ, उन्नत ध्वनि अवशोषक तकनीक, कम विकिरण वाले शोर स्तर, हाइड्रो-डायनामिक रूप से अनुकूलित आकार आदि शामिल हैं जो सटीक निर्देशित हथियारों से पानी के नीचे या सतह पर एक अप्रत्याशित हमला कर सकती है।

प्रोजेक्ट-75:

- यह पी 75 पनडुब्बियों की दो पंक्तियों में से एक है, दूसरा P75I है, यह विदेशी फर्मों से ली गई तकनीक के साथ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिये 1999 में अनुमोदित योजना का हिस्सा है।
- P75 के तहत छह पनडुब्बियों का अनुबंध अक्तूबर 2005 में मझगांव डॉक को दिया गया था और डिलीवरी 2012 से शुरू होनी थी, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट देरी का सामना कर रहा है।
  - इस कार्यक्रम को फ्राँसीसी कंपनी नेवल ग्रुप (जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था) से मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ शुरू किया गया है।
- P75 के तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को चालू किया गया है।
- वागीर का समुद्री परीक्षण जारी है।
- वाग्शीर छठी पनडुब्बी है जिसके निर्माण में महामारी के कारण देरी हुई है।

पृथ्वी दिवस

22 अप्रैल, 2022 को पृथ्वी दिवस की 52वीं वर्षगाँठ मनाई गई। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिये समर्थन का संकल्प लेने हेतु दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

- पृथ्वी दिवस, 2022 की थीम "हमारे ग्रह में निवेश करें" (Invest In our Planet) है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि: प्रथम बार पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) के उस आह्वान के बाद हुई जिसके फलस्वरूप लगभग 20 मिलियन लोग पर्यावरणीय गिरावट के विरोध में सड़कों पर उतरे थे।
  - इसे वर्ष 1969 की सांता बारबरा(Santa Barbara) में तेल रिसाव की घटना के साथ-साथ स्मॉग और प्रदूषित नदियों जैसे अन्य मुद्दों ने बढ़ावा दिया।
  - संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस' ('International Mother Earth Day) के रूप में मनाने की घोषणा की।

पृथ्वी दिवस के विषय में:

- पृथ्वी दिवस को वैश्विक स्तर पर एक गैर-लाभकारी संगठन EARTHDAY.ORG द्वारा समायोजित किया जाता है। इसे पहले अर्थ डे नेटवर्क (Earth Day Network) के रूप में जाना जाता था।
  - इसका उद्देश्य "लोगों और पृथ्वी में परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना है।"
  - यह एक सामूहिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार करता है, जैसा कि वर्ष 1992 के रियो घोषणापत्र (पृथ्वी शिखर सम्मेलन) में प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये कहा गया है ताकि मानवता की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
  - गौरतलब है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के कारण वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के लिये पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल, 2016) के दिन को ही चुना गया था।

अन्य महत्त्वपूर्ण दिवस:

- 22 मार्च: विश्व जल दिवस
- 22 अप्रैल: पृथ्वी दिवस
- 22 मई: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
- 5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस
- अर्थ ओवरशूट डे

अर्थ आवर:

- अर्थ आवर' वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर (WWF) की वार्षिक पहल है, जो वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। यह प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है।
- यह 180 से अधिक देशों के लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार रात 8.30 बजे से रात 9.30 बजे तक लाइट बंद करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- पर्यावरण संरक्षण के लिये इस प्रतीकात्मक आह्वान में ऊर्जा बचाने हेतु गैर-आवश्यक प्रकाश के उपयोग को कम करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू):

प्रश्न: 'अर्थ ऑवर' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2014)

1. यह यूएनईपी और यूनेस्को की एक पहल है।
2. यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन पर एक घंटे के लिये लाइट बंद कर देते हैं।
3. यह जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक अभियान है।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

IDEX और डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2.0 (DefConnect 2.0) के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC 6) लॉन्च किया।

- डेफकनेक्ट 2.0 रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिये स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों तथा सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक साथ लाने हेतु एक दिवसीय कार्यक्रम है।

iDEX नवाचार :

- iDEX, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी रूप से उन्नत समाधान देने हेतु नए अन्वेषक और उद्यमियों को शामिल करके रक्षा व एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगा।
- मुख्य उद्देश्य:
  - स्वदेशीकरण: नई, स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास।
  - नवाचार: सह-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये उन्नत स्टार्टअप संस्कृति का निर्माण करना।
- यह अनुसंधान और विकास के लिये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग(MSMEs), स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों व शिक्षाविदों को अनुदान प्रदान करता है।
- 'iDEX प्राइम' का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्टार्टअप की मदद के लिये 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है।
- iDEX को "रक्षा नवाचार संगठन" द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित किया जाता है।
- iDEX पोर्टल को व्यापक प्रचार और बेहतर दृश्य क्षेत्र प्रदान करने एवं iDEX गतिविधियों के बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों से अधिक कुशल तरीके निपटने के लिये लॉन्च किया गया है।

रक्षा नवाचार संगठन (DIO):

- DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा वित्तपोषित है।
- यह iDEX को उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है।

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज क्या है?

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा (National Defence and Security) के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप/व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्टअप/MSMEs/इनोवेटर्स का समर्थन करना है।
- पहला डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) 4 अगस्त, 2018 को बंगलूरू में लॉन्च किया गया था।
- इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) हमारे देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने संबंधी भारत सरकार की प्रमुख पहल है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप, भारतीय कंपनियाँ और व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्त्ता (अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित) भाग ले सकते हैं।
- DISC 6 में पहली बार नवगठित सात रक्षा कंपनियों, भारतीय तटरक्षक बल और गृह मंत्रालय के अधीन संगठनों की भागीदारी देखी गई।

स्वदेशीकरण से संबंधित सरकार की पहलें:

- प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- रक्षा क्षेत्र में नई एफडीआई नीति
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
- रक्षा औद्योगिक गलियारे

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले (National Apprenticeship Mela) का आयोजन किया गया।

- कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति, 2015 प्रशिक्षुता उचित मानदेय के साथ एक कुशल कार्यबल को लाभकारी रोज़गार प्रदान करने के साधन के रूप में मान्यता देती है।
- प्रशिक्षुता एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें एक व्यक्ति एक कंपनी द्वारा प्रशिक्षु के रूप में संलग्न होता है तथा अल्पावधि का प्रशिक्षण प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला :

- इसका उद्देश्य एक लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को उचित प्रतिभा का दोहन करने व बेहतर प्रशिक्षण के साथ अलग-अलग प्रकार के व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता करना है।
- आवेदकों को नए कौशल विकसित करने के लिये सरकारी मानकों के अनुसार मासिक वजीफा मिलेगा, अर्थात् आवेदकों को सीखने के साथ कमाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- पीएम अपरेंटिसशिप मेले (PM Apprenticeship Mela) में भाग लेने हेतु 5वीं - 12वीं कक्षा पास प्रमाणपत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आईटीआई डिप्लोमा या स्नातक डिग्री रखने वाले व्यक्ति पात्र हैं।
- आवेदकों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे प्रशिक्षण के बाद उनके रोज़गार की संभावना बढ़ जाएगी।
  - NCVET को MSDE द्वारा 5 दिसंबर, 2018 को अधिसूचित किया गया था।

प्रशिक्षुता से संबंधित सरकारी नीतियाँ:

- प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नौकरी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
  - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार प्रशासनिक मंत्रालय है।
- सरकार ने उद्योग और युवाओं दोनों के लिये तथा इसे अधिक आकर्षक बनाने हेतु दिसंबर 2014 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किये हैं।
  - संशोधन में शामिल प्रमुख परिवर्तन हैं:
    - कुल कार्यबल (संविदा कर्मचारियों सहित) के 2.5% से 10% के बैंड के साथ अप्रेंटिस के व्यापार-वार और इकाई-वार विनियमन की पुरानी प्रणाली को बदलना, वैकल्पिक ट्रेडों की शुरुआत, कारावास जैसे कड़े प्रावधानों को हटाना व उद्योगों को बुनियादी प्रशिक्षण को आउट-सोर्स करने की अनुमति देना।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना:

- सरकार ने प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की प्रेरणा देने के लिये 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना (National Apprenticeship Enhancement Plan-NAPS) की शुरुआत की थी।
  - NAPS ने अपरेंटिस प्रोत्साहन योजना (APY) का स्थान ले लिया है।
  - योजना में निम्नलिखित दो घटक हैं:
    - निर्धारित वजीफे के 25% की प्रतिपूर्ति अधिकतम 1500 रुपए प्रति माह प्रति प्रशिक्षु को भारत सरकार द्वारा उन सभी नियोक्ताओं के लिये जो प्रशिक्षुओं को नियुक्त करते हैं, प्रदान की जाती है।
    - बिना किसी शिक्षुता प्रशिक्षण के सीधे आने वाले प्रशिक्षुओं के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं (BTPs) को भारत सरकार द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 500 घंटे/3 महीने के लिये 7500/- रुपए की सीमा तक) औपचारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की जाती है।

शिक्षुता को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें:

- शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षित युवाओं के लिये योजना (श्रेयस)
- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना (स्ट्राइव)
- युवाह यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार (Lata Deenanath Mangeshkar Award) प्रदान किया गया।

- मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा करने हेतु उन्हें यह पुरस्कार मिला।

लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार

- लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार, यह पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिये अभूतपूर्व, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है।

लता मंगेशकर के बारे में:

- लता मंगेशकर, जिन्हें 'भारत की कोकिला' (Nightingale of India) के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक थीं।
- उन्होंने एक हज़ार से अधिक हिंदी और 36 क्षेत्रीय फिल्मों में 5,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज़ दी।

- वर्ष 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल (यूके) में परफर्म करने वाली वह पहली भारतीय बनीं। उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बांग्ला फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व पुरस्कार, 2 फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य पुरुस्कारों से सम्मनित किया जा चुका है।
- वर्ष 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
- वर्ष 2007 में फ्राँस की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार (ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर) से सम्मानित किया।
- वर्ष 1974 में लता मंगेशकर ने गिनीज़ रिकॉर्ड में भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे अधिक दर्ज की गई कलाकार होने का गौरव प्राप्त किया।
- सितंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा उनके 90वें जन्मदिन पर उन्हें डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड (Daughter of the Nation Award) से सम्मानित किया गया।

भारतीय प्रधानमंत्री को दिये गये अन्य पुरस्कार:

- भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार (2021): उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 'ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो' से सम्मानित किया गया है, जिसे "नगदग पेल जी खोरलो" के नाम से भी जाना जाता है।
- वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार (2021): उन्हें वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता के लिये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स सीईआरए द्वारा सम्मानित किया गया।
- अमेरिकी सरकार द्वारा लीज़न ऑफ मेरिट (2020): यह उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिये दिया जाने वाला संयुक्त राज्य सशस्त्र बल पुरस्कार है।
- पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार (2019): यह किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता को दिया जाता है।
- ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड: स्वच्छ भारत अभियान (2019) के लिये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- ऑर्डर ऑफ ज़ायद अवार्ड (2019): संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
- ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड (2019): रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।

- ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन (2019): मालदीव का सर्वोच्च सम्मान जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है।
- पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश- प्रथम श्रेणी (2019): बहरीन का सर्वोच्च सम्मान।
- फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार (2018): विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान।
- सियोल पीस प्राइज़ (2018): सियोल पीस प्राइज़ कल्चरल फाउंडेशन का द्विवार्षिक पुरस्कार (दक्षिण कोरिया) उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव विकास में सुधार, राष्ट्र और विश्व में शांति तथा लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान करने हेतु कार्य किये हैं।
- चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड (2018): संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान।
- अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ऑर्डर (2016): यह सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है जो गैर-मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है।
- गाज़ी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर (2016): अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।

ड्यूल और जॉइंट डिग्री के लिये यूजीसी मानदंड

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) द्वारा संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और जुड़वाँ कार्यक्रम विनियम, 2022 (Joint Degree, Dual Degree, and Twinning Programmes Regulations, 2022) को प्रस्तुत करने के लिये भारतीय व विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग जारी किया गया है।

- इन नियमों के तहत सहयोगी संस्थानों को तीन तरह के कार्यक्रमों- ट्विनिंग (Twinning), संयुक्त डिग्री (Joint Degrees) और दोहरी डिग्री (Dual Degrees) की पेशकाश करने की अनुमति होगी।

नए नियमों के प्रमुख बिंदु:

- दोहरी डिग्री कार्यक्रम: अनुमोदित संशोधनों में "दोहरी डिग्री कार्यक्रमों" का प्रावधान शामिल है- जिसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों संस्थान एक ही पाठ्यक्रम के लिये तथा एक ही स्तर पर अलग-अलग व एक साथ डिग्री प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- आसान नियमन: न्यूनतम शैक्षणिक मानकों को पूरा करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिये यूजीसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- संयुक्त डिग्री: इन कार्यक्रमों के लिये नामांकन करने वाले छात्रों को क्रेडिट अर्जित करने के लिये विदेश जाना होगा, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें अलग से प्रवेश नहीं लेना होगा।
  - मसौदा संशोधनों में विदेशी भागीदार संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 1,000 में शामिल होना आवश्यक था।
- दोहरी डिग्री: दोहरी डिग्री के लिये छात्रों को विदेशी संस्थान में अपने पाठ्यक्रम क्रेडिट का कम-से-कम 30% पूरा करना होगा।
  - भारतीय और विदेशी दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित संस्थानों में अर्जित क्रेडिट को इंगित करेगी।
  - पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को भारतीय और विदेशी संस्थान द्वारा अलग-अलग व एक साथ दो डिग्री प्रदान की जाएगी।
- जुड़वाँ व्यवस्था : एक विद्यार्थी आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से विदेशी विश्वविद्यालय में एक ही प्रोग्राम का अध्ययन कर सकता है, लेकिन डिप्लोमा या डिग्री सिर्फ भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
  - विद्यार्थियों को विदेशी संस्थान में एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से कोर्स के क्रेडिट का 30% तक पूरा करना होगा।
- अपवाद: नए नियम ऑनलाइन, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में होने वाले कार्यक्रमों पर लागू नहीं होते हैं।
- महत्त्व: नया विनियमन भारतीय छात्रों को विदेशी डिग्री प्राप्त करने और उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालयी शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिये वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय बनाया गया।
- UGC का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान

भारत का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जनभागीदारी आंदोलन के रूप में 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान' के तहत 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन करेगा।

किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान:

- परिचय:
  - इस अभियान के तहत सभी बीमा कंपनियाँ कम-से-कम 100 किसानों की भागीदारी के साथ अभियान अवधि के सभी 7 दिनों तक ब्लॉक/ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY)- 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन करेंगी।

- इस अभियान में स्थानीय आपदाओं के दौरान फसल के नुकसान की सूचना और फसल के बाद के नुकसान एवं किसानों के आवेदन की निगरानी, जिनसे किसान शिकायत निवारण के लिये संपर्क कर सकते हैं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी तथा योजना का अधिकतम लाभ पाने हेतु किसानों को विस्तार से समझाया जाएगा।

- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य किसानों को PMFBY योजना के प्रमुख पहलुओं जैसे- योजना के प्रावधान, फसलों का निर्धारण और योजना का लाभ कैसे प्राप्त करना है आदि से अवगत कराना है। इसमें किसानों को चल रहे खरीफ सीज़न 2022 के लिये PMFBY योजना का लाभ प्रदान करना भी शामिल है।
  - PMFBY/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के महत्व और किसान इस योजना के तहत कैसे नामांकन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं, पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

- शुभारंभ:
  - इसका शुभारंभ वर्ष 2016 में किया गया जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचलित किया जा रहा है।
    - इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को प्रतिस्थापित किया है।
- उद्देश्य:
  - फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके।
- क्षेत्र/दायरा:
  - वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके लिये पिछली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।
- बीमा किस्त::
  - इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है।
  - किसानों के हिस्से की प्रीमियम लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया जाता है।
  - हालाँकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% हिस्सा वहन किया जाता है।
- कार्यान्वयन:
  - इसका कार्यान्वयन पैनल में शामिल सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी (IA) का चयन संबंधित राज्य सरकार बोली के माध्यम से करती है।.
- संशोधित PMFBY:
  - संशोधित PMFBY को अक्सर PMFBY 2.0 कहा जाता है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:
  - पूर्ण रूप से स्वैच्छिक: वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है।
    - इससे पहले अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिये यह योजना अनिवार्य थी।
  - केंद्रीय सब्सिडी की सीमा: कैबिनेट ने इस योजना के तहत प्रीमियम दरों को असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों हेतु 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इन प्रीमियम दरों के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सिडी का वहन किया जाता है।
  - राज्यों को अधिक नम्यता: सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को PMFBY को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं का चयन करने का विकल्प दिया है।
  - सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों में निवेश: बीमा कंपनियों को अब सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना होगा।

विगत वर्षों के प्रश्न:

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. इस योजना के तहत किसानों को साल के किसी भी मौसम में किसी भी फसल की खेती के लिय दो प्रतिशत का एक समान प्रीमियम देना होगा।
2. इस योजना में चक्रवात और बेमौसम बारिश से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022

विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन 24-30 अप्रैल तक किया जा रहा है।

- विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय है 'सभी के लिये लंबा जीवन' और इसका उद्देश्य लोगों को इस विचार के लिये एकजुट करना है कि टीके हमारे सपनों को पूरा करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने और एक लंबा, स्वस्थ जीवन जीना संभव बनाते हैं।

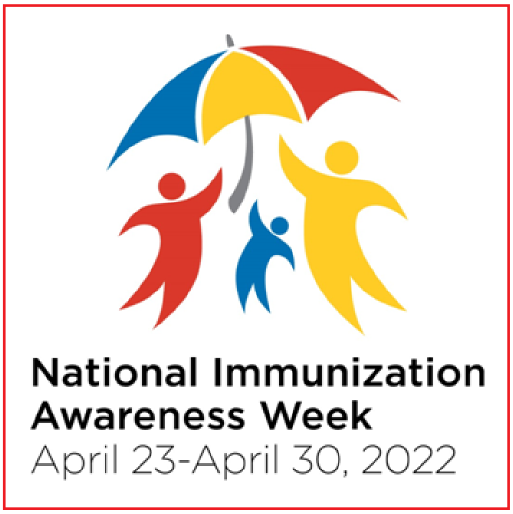

विश्व टीकाकरण सप्ताह:

- विश्व टीकाकरण सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा समन्वित एक स्वास्थ्य अभियान है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- टीकाकरण वैश्विक स्वास्थ्य और विकास की सफलता को प्रदर्शित करता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान बचती है।
- अभी भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन टीकारहित और कम टीकाकरण वाले बच्चे हैं।

टीकाकरण पहले से अधिक महत्त्वपूर्ण:

- 200 से अधिक वर्षों से टीकों ने हमें उन बीमारियों से बचाया है जो जीवन को खतरे में डालती हैं और हमारे विकास को रोकती हैं।
  - दो शताब्दियों से अधिक समय से टीकों ने लोगों को स्वस्थ रखने में मदद की है- चेचक से बचाव के लिये विकसित किये गए पहले टीके से लेकर कोविड-19 के गंभीर मामलों को रोकने हेतु उपयोग किये जाने वाले नवीनतम टीकों तक।
- टीकों की मदद से हम चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों के बोझ के बिना प्रगति कर सकते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ी।

टीके की कार्यप्रणाली:

- टीके प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिये ठीक उसी तरह प्रशिक्षित करते हैं, जैसे किसी वास्तविक बीमारी के संपर्क में आने पर प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करता है।
  - ऐसा इसलिए है क्योंकि टीकों में रोगाणुओं के केवल मृत या कमजोर रूप होते हैं, जो न तो बीमारी का कारण बनते हैं और न ही व्यक्ति की जान जोखिम में डालते हैं।
- जन्म से लेकर बचपन तक अलग-अलग उम्र में टीके लगाए जाते हैं और इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिये टीकाकरण कार्ड दिया जाता है।
  - यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये सभी टीके अद्यतित हों।
- बच्चों का सुरक्षित रूप से संयुक्त टीकाकरण किया जा सकता है (जैसे- डिप्थीरिया, काली खाँसी और टेटनस के लिये), ताकि बच्चों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके।
- टीके के कुछ गौण दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे- हल्का बुखार, इंजेक्शन की जगह पर दर्द या लालिमा, जो कुछ ही दिनों में अपने आप दूर हो जाते हैं।
  - गंभीर या लंबे समय तक चलने वाले दुष्प्रभाव अत्यंत दुर्लभ होते हैं।
- हल्की बीमारी के दौरान टीके सुरक्षित रूप से लगाए जा सकते हैं लेकिन बुखार के साथ या बिना बुखार वाले मध्यम या गंभीर बीमारी वाले बच्चों को खुराक पाने के लिये ठीक होने तक इंतजार करना पड़ सकता है।

भारत में टीकाकरण की हालिया पहल:

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम
- सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 3.0 योजना
- पल्स पोलियो कार्यक्रम

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. 'रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टीके' के संबंध में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इन टीकों के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है।
2. बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर.(c)

व्याख्या:

- रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन को आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निर्मित किया जाता है। बैक्टीरिया या वायरस के लिये प्रोटीन निर्मित करने वाले जीन को अलग कर दूसरी कोशिका के जीन में प्रविष्ट कराया जाता है। जब वह कोशिका पुनरुत्पादन करती है तो इस वैक्सीन द्वारा प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जिसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन को पहचान कर शरीर को इससे सुरक्षित करेगी।

सौर ऊर्जा उत्पादन और वनाग्नि

आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज़ (ARIES) और नेशनल ऑब्ज़र्वेटरी ऑफ एथेंस (NOA), ग्रीस के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि वनाग्नि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकती है।

- वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के लिये रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल करते हुए मॉडल सिमुलेशन और गहन विश्लेषण के साथ भारतीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता पर एरोसोल व बादलों के प्रभाव का अध्ययन किया।
- सौर ऊर्जा प्रणाली के बड़े पैमाने पर विकास के लिये उचित योजना और सौर क्षमता का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है।

वनाग्नि

- इसे झाड़ी या वनस्पति की आग या जंगल की आग भी कहा जाता है, इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या प्राकृतिक व्यवस्था जैसे कि जंगल, घास के मैदान, ब्रश भूमि या टुंड्रा में पौधों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन की खपत करता है तथा पर्यावरण की स्थिति के आधार पर फैलता है। (जैसे, हवा, स्थलाकृति)।
- वनाग्नि की घटनाओं में मानव गतिविधियों, जैसे- भूमि की सफाई, अत्यधिक सूखा या दुर्लभ मामलों में बिजली गिरने से वृद्धि होती है।
- वनाग्नि के लिये तीन स्थितियों की आवश्यकता होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा स्रोत।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष:

- विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न बादल, एरोसोल और प्रदूषण जैसे कई कारक सौर विकिरण को सीमित करते हैं जिससे फोटोवोल्टिक तथा केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिष्ठानों के समक्ष उनके कार्य प्रदर्शन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- बादलों और एरोसोल के अलावा वनाग्नि सौर ऊर्जा उत्पादन को कम करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष देश स्तर पर ऊर्जा प्रबंधन और योजना पर वनाग्नि के प्रभाव के बारे में निर्णय लेने वालों के बीच जागरूकता में वृद्धि करेंगे।
- इसके अलावा यह शोध जलवायु परिवर्तन के लिये शमन प्रक्रियाओं एवं नीतियों व सतत् विकास पर इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के अध्ययन में सहायता कर सकता है।
- सौर संयंत्रों के उत्पादन पर वनाग्नि के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण ऊर्जा और वित्तीय नुकसान के इस तरह के विश्लेषण से ग्रिड ऑपरेटरों को बिजली उत्पादन की योजना बनाने तथा शेड्यूल करने में मदद मिल सकती है, साथ ही बिजली उत्पादन के वितरण, आपूर्ति, सुरक्षा और समग्र स्थिरता में भी मदद मिल सकती है।

मालचा महल

दिल्ली सरकार द्वारा 14वीं सदी के स्मारक मालचा महल (Malcha Mahal) का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

मालचा महल के बारे में:

- 1325 ईस्वी में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया तथा लंबे समय तक इसका उपयोग हंटिंग लॉज (Hunting Lodge) के रूप में किया गया।
- बाद में यह अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थान बन गया।
- ऐसा माना जाता है कि अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे 'विलायत महल' कहा जाने लगा, उन्होंने दावा किया कि वह अवध के शाही परिवार की सदस्य थीं। उन्हें वर्ष 1985 में सरकार द्वारा महल का स्वामित्व प्रदान किया गया था।
- वर्ष 1993 में बेगम द्वारा आत्महत्या करने के बाद मालचा महल उनकी बेटी सकीना महल और बेटे राजकुमार अली रज़ा (साइरस) के स्वामित्व में आ गया। वर्ष 2017 में राजकुमार की मृत्यु हो गई तथा उनकी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले उनकी बहन का देहांत हो चुका था।

फिरोज शाह तुगलक:

- इसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और अपने चचेरे भाई मुहम्मद-बिन-तुगलक के निधन के बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था।
- यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। मुहम्मद-बिन-तुगलक 1351ईस्वी से 1388 ईस्वी तक सत्ता में रहा।
- इसने ही जजिया कर लगाने की शुरुआत की थी।
  - जजिया' या 'जीज्या' का तात्पर्य राज्य के सार्वजनिक व्यय हेतु निधि प्रदान करने के लिये इस्लामी कानून द्वारा शासित राज्य के स्थायी गैर-मुस्लिम विषयों पर वित्तीय प्रभार के रूप में प्रति व्यक्ति वार्षिक कराधान से है।
- इसने सशस्त्र बलों में उत्तराधिकार के सिद्धांत को लागू किया जहाँ अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों को उस स्थान पर सेना में भेजने की अनुमति थी। हालाँकि उन्हें भुगतान, वास्तविक मुद्रा की बजाय ज़मीन के रूप में किया जाता था।
- अंग्रेज़ों द्वारा उसे 'सिंचाई विभाग का जनक' कहकर संबोधित किया गया क्योंकि उसने कई बगीचे और नहरों का निर्माण करवाया था।

तुगलक वंश:

- तुगलक वंश तुर्क मूल के मुस्लिम परिवार से संबंधित था। मुहम्मद-बिन-तुगलक द्वारा सैन्य अभियान का नेतृत्व किये जाने के परिणामस्वरुप 1330-1335 ईस्वी के बीच यह राजवंश अपने चर्मोत्कर्ष पर पहुँच गया।
- इसका शासन यातना, क्रूरता और विद्रोहों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1335 ईस्वी के बाद इस वंश की क्षेत्रीय पहुँच का तेज़ी से विघटन हुआ।
- तुगलक वंश में तीन महत्त्वपूर्ण शासक थे- गयासुद्दीन तुगलक (1320-1325 ईस्वी), मुहम्मद-बिन- तुगलक (1325-1351 ईस्वी) और फिरोज शाह तुगलक (1351 से 1388 ईस्वी)।
- गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक था।

क्वार जलविद्युत परियोजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंज़ूरी दे दी है।

क्वार जलविद्युत परियोजना:

- यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और ज़िले में आने वाली कम-से-कम चार परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की किरू जलविद्युत परियोजना शामिल है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के जल को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं।
  - इनमें से तीन पूर्वी नदियों- सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों- चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है।
- क्वार परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPPL) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JKSPDC) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- इस परियोजना से 90% निर्भरता के साथ वर्ष में 1975.54 मिलियन यूनिटउत्पादन होने की उम्मीद है।
- परियोजना के निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा।

चिनाब नदी के संबंध में:

- स्रोत: यह हिमाचल प्रदेश राज्य केलाहुलऔर स्पीतिज़िले के ऊपरी हिमालय से निकलती है।
  - चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति ज़िले के तांडी (कीलोंग से 8 किमी दक्षिण पश्चिम) में दो नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है।
    - भागा नदी सूर्य ताल झील से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में बारा-लाचा ला दर्रे से कुछ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
    - चंद्र नदी उसी दर्रे (चंद्र ताल के पास) के पूर्व के ग्लेशियरों से निकलती है।
- प्रवाह: यह सिंधु नदी में मिलने से पहले जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र, पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी भागों से होकर बहती है।
- चिनाब पर कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ/बाँध:
  - रतले जल विद्युत परियोजना:
  - सलाल बाँध- रियासी के पास पनबिजली परियोजना।
  - दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट- किश्तवाड़ ज़िले में बिजली परियोजना।
  - पाकल दुल बाँध (निर्माणाधीन)- किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब की एक सहायक नदी मरुसादर पर।

ब्रह्मोस मिसाइल का पोत-रोधी संस्करण

हाल ही में भारतीय नौसेना एवं अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के पोत-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

- अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है।

ब्रह्मोस के बारे में:

- ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (The Defence Research and Development Organisation) तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है।
    - इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।
- यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे ज़मीन, हवा और समुद्र में बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो खराब मौसम के बावजूद दिन और रात दोनों में काम कर सकती है।
- यह "दागो और भूल जाओ" के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती है।
- ब्रह्मोस सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइलों में से एक है जो वर्तमान में 2.8 मैक की गति (ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना) के साथ सक्रिय रूप से तैनात है।
- इससे पहले भारतीय वायु सेना (IAF) ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर में स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
    - जून 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime-MTCR) क्लब में भारत के शामिल होने के बाद मिसाइल की रेंज को बाद के चरण में 450 किमी. और 600 किमी. तक विस्तारित करने की योजना है।
    - ब्रह्मोस मिसाइल को शुरू में 290 किमी. की सीमा के साथ विकसित किया गया था।

भारत द्वारा रूस से खरीदे गए रक्षा उपकरण:

- पनडुब्बियाँ: पी75-आई परियोजना (P75-I Project) के तहत छह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (Air Independent Propulsion-AIP-powered) पारंपरिक पनडुब्बियाँ।
    - भारत द्वारा दो परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियों को लीज पर देने हेतु बातचीत चल रही है ।
- फ्रिगेट और गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर: नौसेना के 10 गाइडेड-मिसाइल विध्वंसकों में से चार रूसी काशीन श्रेणी के हैं और इसके 17 युद्धपोतों में से छह रूसी तलवार श्रेणी के हैं।
- विमान वाहक: भारत की सेवा में एकमात्र विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य एक सोवियत निर्मित कीव-श्रेणी का पोत है जो वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- लड़ाकू विमान: रूस भी भारत को लड़ाकू विमानों के मुख्य निर्यातकों में से एक रहा है, जिसमें सैकड़ों सुखोई (Sukhoi) और मिग जेट (MiG jets) शामिल हैं।
    - सेवा में शामिल सभी छह एयर टैंक रूस निर्मित IL-78S हैं।
- टैंक: भारतीय सेना का प्रमुख युद्धक टैंक बल मुख्य रूप से रूसी T-72M1 (66%) और T-90S (30%) से बना है।
- मिसाइल डिफेंस सिस्टम: S-400 एंटी-मिसाइल सिस्टम।

संग्रहालय अनुदान योजना

संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Culture and Tourism) ने संग्रहालय अनुदान योजना (Museums Grant Scheme) के एक हिस्से के रूप में 'संग्रहालयों के उन्नयन की योजना' के तहत आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में 5 करोड़ रुपए की लागत वाली एक परियोजना हेतु 3.75 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है।

संग्रहालय अनुदान योजना:

- परिचय:
    - यह योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी।
    - संस्कृति मंत्रालय नए संग्रहालयों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों और सोसायटी अधिनियम,1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों तथा ट्रस्ट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
    - इसका उद्देश्य क्षेत्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर मौजूदा संग्रहालयों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना है।
    - इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष राज्य की राजधानी में कम-से-कम एक केंद्रीय/राज्य संग्रहालय विकसित करना है।
- मुख्य घटक:
    - ज़िला और क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना एवं विकास:
        - इस घटक के तहत संग्रहालयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
        - श्रेणी-I: सरकार के स्वामित्व वाले राज्य स्तरीय संग्रहालय और उत्कृष्ट संग्रह के साथ प्रसिद्ध संग्रहालय।
        - श्रेणी- II: अन्य सभी संग्रहालय।
        - इस घटक के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि 10 करोड़ रुपए है।

- राज्यों की राजधानियों में संग्रहालयों का विकास:
  - इस घटक के तहत राजधानी शहरों में स्थित केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा प्रसिद्ध संग्रहालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - इस घटक के तहत प्रति संग्रहालय अधिकतम 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर संग्रहालयों की स्थापना और विकास:

- इस घटक के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में राज्य सरकारों और नागरिक समाज के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में बड़े पैमाने पर संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- इस घटक के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 40% है जो अधिकतम 20 करोड़ रुपए प्रति संग्रहालय होगी।

संग्रहालय के बारे में:

- संग्रहालय ऐसी संस्था है जिसमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कलात्मक या सांस्कृतिक रुचि की वस्तुओं को संग्रहीत और प्रदर्शित किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद (ICOM), संग्रहालय को परिभाषित करता है, इसके अनुसार "संग्रहालय एक गैर-लाभकारी संस्था है, यह समाज की सेवा और विकास की स्थायी संस्था है, जो सभी के लिये खुला है, यह शिक्षा, अध्ययन व मनोरंजन के प्रयोजनों के साथ मानवता और उसके पर्यावरण की मूर्त एवं अमूर्त विरासत का संरक्षण, शोध, संचार तथा प्रदर्शन को बढ़ावा देता है"।
  - ICOM एक गैर-सरकारी संगठन है जो संग्रहालयों को समर्पित है, यह यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के साथ औपचारिक संबंध बनाए रखता है तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के साथ परामर्शी की भूमिका में है।

संग्रहालय से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- भारतीय संग्रहालयों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी (संस्कृति मंत्रालय के तहत) को संग्रहालयों के डिजिटलीकरण के लिये शुरू किया गया है।
- जतन: आभासी संग्रहालय सॉफ्टवेयर: जतन (JATAN) एक आभासी संग्रहालय निर्माता सॉफ्टवेयर है, जो भारतीय संग्रहालयों को डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली के निर्माण में सक्षम बनाता है तथा यह पूरे भारत में कई राष्ट्रीय संग्रहालयों में तैनात है।

हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय

केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में हट्टी समुदाय को शामिल करने पर विचार कर रहा है।

- यह समुदाय 1967 से इस अधिकार की मांग कर रहा है, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके (जिसकी सीमा सिरमौर ज़िले से लगती है) में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा प्रदान किया गया था।
- आदिवासी दर्जे की उनकी इस मांग को वर्षों से विभिन्न महा खुंबलियों में पारित प्रस्तावों के कारण बल मिला है।

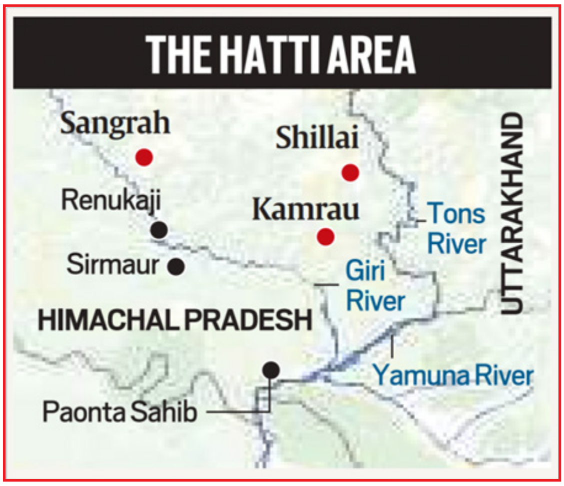

हट्टी समुदाय:

- हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है, जिसे कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सब्जियाँ, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की परंपरा से यह नाम मिला है।
- हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं, यह समुदाय सिरमौर से गिरि और टोंस नामक दो नदियों द्वारा विभाजित हो जाता है।
  - टोंस इसे उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से विभाजित करती है
- वर्ष 1815 में जौनसार बावर क्षेत्र के अलग होने तक उत्तराखंड के ट्राँस-गिरि क्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सिरमौर की शाही रियासत का हिस्सा थे।
  - दोनों कुलों में समान परंपराएँ हैं और अंतर्जातीय-विवाह आम बात है।
- हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जाति व्यवस्था है- भट और खश उच्च जातियाँ हैं, जबकि बधोई उनसे नीची जाति है।
- अंतर्जातीय विवाह अब परंपरागत रूप से सख्त नहीं रहे हैं।

- स्थलाकृतिक असुविधाओं के कारण कामरौ, संगरा और शिलियाई क्षेत्रों में रहने वाले हट्टी शिक्षा व रोज़गार में पीछे रह गए हैं।
- हट्टी समुदाय खुंबली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होती है, जो हरियाणा के खाप पंचायत की तरह सामुदायिक मामलों को देखती है।
- पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्ति को कोई चुनौती नहीं मिली है।

अनुसूचित जनजाति:

- संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित हैं।
- अनुच्छेद 342 के अनुसार, केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
- अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है और एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय के लिये दूसरे राज्य में भी ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है।
- किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है।
    - आदिमता, भौगोलिक अलगाव, शर्म और सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं।
- कुछ अनुसूचित जनजातियाँ, जिनकी संख्या 75 है, को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में जाना जाता है, इनकी विशेषता है:
    - प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर
    - स्थिर या घटती जनसंख्या
    - अत्यंत कम साक्षरता
    - अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर
- STs हेतु सरकार की पहल:
    - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA)
    - पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
    - लघु वनोपज अधिनियम 2005
    - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और जनजातीय उप-योजना रणनीति जो कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं।

MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME सस्टेनेबल (ZED-Zero Defect Zero Effect) प्रमाणन योजना शुरू की है।

योजना के बारे में:

- परिचय:
    - यह योजना MSME को ZED विधियों और ZED प्रमाणन को अपनाने में सक्षम बनाने व सुविधा प्रदान के साथ उन्हें MSME चैंपियन बनने के लिये प्रेरित तथा प्रोत्साहित करती है।
    - ZED शपथ लेने और पंजीकरण करने के बाद MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन तीन स्तरों में प्राप्त किया जा सकता है:
        - प्रमाणन स्तर 1: ब्रोंज़
        - प्रमाणन स्तर 2: सिल्वर
        - प्रमाणन स्तर 3: गोल्ड
    - ZED शपथ लेने के बाद MSME किसी भी प्रमाणन स्तर के लिये आवेदन कर सकता है यदि उसे लगता है कि वह प्रत्येक स्तर में आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।
    - ZED शपथ लेने का अर्थ है कि एमएसएमई को ज़ीरो इफ़ेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट के मूल्यों का अनुसरण करने एवं ZED के मार्ग में आगे बढ़ने हेतु "पूर्व-प्रतिबद्धता" लेनी है।
- सब्सिडी:
    - योजना के तहत MSMEs को ZED प्रमाणीकरण की लागत पर निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:
        - सूक्ष्म उद्यम: 80%
        - लघु उद्यम: 60%
        - मध्यम उद्यम: 50%
    - ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट समाधान की ओर बढ़ने में मदद के लिये ZED प्रमाणन के तहत MSMEs को हैंडहोल्डिंग और कंसल्टेंसी मदद हेतु 5 लाख रुपए (प्रति एमएसएमई) उपलब्ध कराए जाएंगे।
    - MSMEs राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा ZED प्रमाणन हेतु दिये जाने वाले कई अन्य प्रोत्साहनों का भी लाभ उठा सकते हैं और MSMEs कवच (कोविड-19 मदद) पहल के तहत मुफ्त ZED प्रमाणन के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के घटक:
    - उद्योग जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशाला।
    - प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- मूल्यांकन और प्रमाणन।
- हैंड होल्डिंग।
- लाभ/प्रोत्साहन।
- पीआर अभियान, विज्ञापन और ब्रांड प्रचार।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म।

- संभावित लाभ:
  - ZED प्रमाणन की प्रक्रिया के माध्यम से MSME काफी हद तक अपव्यय को कम कर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं तथा पर्यावरण का प्रति जागरूकता बढ़ाकर ऊर्जा की बचत कर प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं और अपने बाज़ारों का विस्तार कर सकते हैं।

ZED योजना

- परिचय:
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई यह योजना एक एकीकृत और व्यापक प्रमाणन प्रणाली है।
  - यह योजना उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषण शमन, ऊर्जा दक्षता, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन और अभिकल्पना तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सहित तकनीकी कार्यों के लिये ज़िम्मेदार है।
  - इसका मिशन ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट के सिद्धांत के आधार पर भारत में 'ZED' संस्कृति को विकसित और कार्यान्वित करना है।
- ज़ीरो डिफेक्ट:
  - ज़ीरो डिफेक्ट अवधारणा एक ग्राहक केंद्रित अवधारणा है।
  - शून्य गैर-अनुरूपता या गैर-अनुपालन।
  - ज़ीरो वेस्ट
- ज़ीरो इफेक्ट:
  - शून्य वायु प्रदूषण, तरल निर्वहन, ठोस अपशिष्ट।
  - प्राकृतिक संसाधनों का शून्य अपव्यय।
- योजना का उद्देश्य:
  - एमएसएमई क्षेत्र में एक ‘ज़ीरो डिफेक्ट’ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
  - गुणवत्तापूर्ण उपकरणों/प्रणालियों के अनुकूलन और ऊर्जा दक्ष विनिर्माण को बढ़ावा देना।
  - गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण के लिये एमएसएमई को सक्षम बनाना।
  - उत्पादों और प्रक्रियाओं में अपने गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नत करने के लिये एमएसएमई को प्रोत्साहित करना।
  - ZED निर्माण और प्रमाणन के क्षेत्र में पेशेवरों का विकास करना।
  - 'मेक इन इंडिया' अभियान का समर्थन करना।

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (स्फूर्ति)
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये एक योजना (एस्पायर)
- एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिये ब्याज सबवेंशन योजना
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये ऋण गारंटी योजना
- चैंपियंस पोर्टल

जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन (गगन)

हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने गगन (जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन) आधारित एलपीवी (ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन के साथ स्थानीय प्रदर्शन) दृष्टिकोण प्रक्रियाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक हल्का परीक्षण (Light Trial) किया।

- गगन आधारित एलपीवी उपकरण दृष्टिकोण प्रक्रियाओं के विकास के लिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत कई हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।
- ऐसा इसलिये किया जा रहा है ताकि उपयुक्त रूप से सुसज्जित विमान लैंडिंग के दौरान बेहतर सुरक्षा, समय की बचत,विमान का मार्ग परिवर्तन और रद्दीकरण, ईंधन की खपत में कमी आदि के संदर्भ में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

LPV के बारे में:

- LPV उपग्रह आधारित प्रक्रिया है जिसका उपयोग विमान द्वारा लैंडिंग हेतु किया जाता है।
- LPV उन छोटे क्षेत्रीय और स्थानीय हवाई अड्डों पर विमान को उतरना संभव बनाता है जहाँ महंगे इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम के साधन उपलब्ध नही हैं।
- खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति में विमान की ऊँचाई को 250 फीट तक कम करने का निर्णय परिचालन में मदद करता है।
- इस प्रकार कोई ऐसा हवाई अड्डा जिसे दृश्यता संबंधी न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे हवाई अड्डे सुदूर हवाई अड्डों (जो सटीक दृष्टिकोण क्षमता वाले उपकरणों से रहित हैं) से आने वाले विमानों को स्वीकार करने में सक्षम होगा।

गगन:

- यह सैटेलाइट बेस्ड ऑग्मेंटेशन सिस्टम (Space Based Augmentation System- SBAS) है जिसे इसरो और AII द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है ताकि सीमावर्ती उड़ान सूचना क्षेत्र (Flight Information Region-FIR) तक विस्तार करने की क्षमता के साथ भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र में सर्वोत्तम संभव नौवहन सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- गगन उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों की एक प्रणाली है जो जीपीएस सिग्नल में सुधार करती है, जिससे स्थिति की बेहतर सटीकता प्राप्त होती है।
- यह भूमध्यरेखीय क्षेत्र में भारत और पड़ोसी देशों के लिये विकसित इस तरह की पहली प्रणाली है।
- गगन प्रणाली को DGCA द्वारा 2015 में एप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस (APV 1) और एन-रूट (RNP 0.1) संचालन के लिये प्रमाणित किया गया था।
    - दुनिया में केवल चार देश- भारत (GAGAN), अमेरिका (WAAS), यूरोप (EGNOS) और जापान (MSAS) के पास अंतरिक्ष-आधारित संवर्द्धन प्रणालियाँ हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U 2.0)

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) ने 'कचरा मुक्त शहरों' के लिये चल रहे जन आंदोलन को मज़बूत करने हेतु (BCC) कचरा मुक्त शहरों के लिये 'राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क' लॉन्च किया है।

राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क :

- कचरा मुक्त शहरों के लिये BCC फ्रेमवर्क राज्यों और शहरों हेतु गहन और केंद्रित अंतर-व्यक्तिगत संचार अभियानों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिये एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ व ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगा।
- यह फ्रेमवर्क भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिये स्रोत पर पृथक्करण, संग्रह, परिवहन और कचरे के प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा डंप साइट पर उपचार जैसे विषयों पर अभियान को तेज़ करने पर केंद्रित है।

SBM-U 2.0 के बारे में:

- परिचय:
    - बजट 2021-22 में घोषित SBM-U 2.0, SBM-U के पहले चरण की निरंतरता है।
    - इसे अगले पाँच वर्षों में 'कचरा मुक्त शहरों' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये 1 अक्तूबर 2021 को लॉन्च किया गया था।
        - सरकार शौचालयों से सुरक्षित प्रवाह, मल कीचड़ के निपटान और सेप्टेज का उपयोग करने का भी प्रयास कर रही है।
    - इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
        - शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free- ODF) बनाने और नगरपालिका के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 2014 को SBM-U का पहला चरण शुरू किया गया था जो अक्तूबर 2019 तक चला।
- लक्ष्य:
    - यह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी पुराने डंप साइट के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है।
    - इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा और सरकार अधिकतम पुन: उपयोग (Reuse) को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है।
- मिशन का परिणाम:
    - सभी वैधानिक शहर ODF+ प्रमाणित हो जाएंगे (पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित)।
    - 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर (कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित) ओडीएफ ++ प्रमाणित हो जाएंगे।
    - 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों का 50% जल + प्रमाणित हो जाएगा (जिसका उद्देश्य पानी के उपचार और पुन: उपयोग करके शौचालयों को बनाए रखना है)।
    - कचरा मुक्त शहरों के लिये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी वैधानिक कस्बों को कम-से-कम कचरा मुक्त 3-स्टार दर्जा दिया जाएगा।
    - सभी पुराने डंपसाइट्स का जैव उपचार।

चर्चा में

विश्व चगास रोग दिवस

विश्व चगास रोग दिवस प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 14 अप्रैल, 2020 को पहली बार विश्व चगास रोग दिवस (World Chagas Disease Day) मनाया गया। गौरतलब है कि 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 24 मई, 2019 को चगास रोग दिवस के पदनाम को मंज़ूरी दी थी। इस दिवस का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह बीमारी धीरे-धीरे फैलती है और मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करती है जिनके पास उचित स्वास्थ्य देखभाल की कमी होती है। इसलिये इसे साइलेंट एवं साइलेंस्ड (Silent And Silenced) बीमारी भी कहा जाता है। इस बीमारी का 'चगास' नाम डॉ कार्लोस रिबेइरो जस्टिनिआनो चगास (Dr Carlos Ribeiro Justiniano Chagas) के नाम से लिया गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल, 1909 को ब्राज़ील में इस बीमारी के पहले रोगी का निदान किया था। यह एक संक्रामक रोग है जो ट्रायटोमिन में मौजूद प्रोटोजन पैरासाइट से होता है किंतु यह सर्दी एवं फ्लू की तरह संक्रामक रोग नहीं है अर्थात् यह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं पहुँचता है।

सियाचिन दिवस

भारतीय सेना प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को 'सियाचिन दिवस' का आयोजन करती है। यह दिवस 'ऑपरेशन मेघदूत' के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति को चिह्नित करता है। यह दिवस दुश्मन से अपनी मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं की याद में मनाया जाता है। भारतीय सेना के 'हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल' (HAWS) के कमांडेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने वर्ष 1977 में कुछ सैन्य अभियानों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य काराकोरम दर्रे के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करने की पाकिस्तानी योजना के विषय में पता लगाना था। गौरतलब है कि इसी बीच पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने नागरिकों द्वारा पर्वतारोहण अभियानों के लिये खोल दिया और वह सैन्य नियंत्रण हासिल करने हेतु आगे की ओर बढ़ने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में 13 अप्रैल, 1984 को 'ऑपरेशन मेघदूत' की शुरुआत की गई। इस अभियान के परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने साल्टोरो रिज, सिया ला और बिलाफोंड ला के मुख्य दर्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ज्ञात हो कि सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊँचा युद्ध का मैदान है, जहाँ भारत-पाकिस्तान वर्ष 1984 के बाद से समय-समय पर लड़ते रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के चार प्रमुख निकायों के लिये चुना गया है, जिसमें विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य भी शामिल हैं। यह सतत् विकास पर वार्ता एवं अभिनव विचार-विमर्श के लिये संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, दस कार्यात्मक आयोगों और पाँच क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है, नौ संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिये नीतिगत सिफारिशें जारी करता है।

'समानता दिवस'

तमिलनाडु ने बी.आर. अंबेडकर जयंती को प्रत्येक वर्ष 'समानता दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की। चेन्नई में अंबेडकर स्मारक में बाबा साहब की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही अंबेडकर के बारे में कुछ चुनिंदा पुस्तकों का तमिल में अनुवाद करने के बाद उन्हें प्रकाशित किया जाएगा। 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। 14 अप्रैल, 1891 को जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों (दलितों) के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं एवं श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया। वर्ष 1990 में बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

महाराष्ट्र प्रवासन ट्रैकिंग प्रणाली

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या (Individual Unique Identification Numbers) के माध्यम से संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों (Vulnerable Seasonal Migrant Workers) की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु एक वेबसाइट-आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Migration Tracking System – MTS) विकसित

किया गया है। MTS परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जाँच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services – ICDS) की निरंतरता को बनाए रखने हेतु की गई है, जिसमें स्तनपान कराने वाली माताएँ, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे और पंजीकृत गर्भवती महिलाएँ शामिल हैं। इस डेटा का उपयोग कर राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य योजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों आदि में सुधार करने में सक्षम होगी और मनरेगा का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

विश्व कला दिवस

सामान्य लोगों के बीच कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। यह पहली बार 15 अप्रैल, 2012 में मनाया गया था। 15 अप्रैल, 1452 को इटली के महान चित्रकार लिओनार्दो दा विंची की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। लिओनार्दो दा विंची इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। कला हमेशा से ही अभिव्यक्ति और भावनाओं को तलाशने का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है इस दिन को आधिकारिक रूप से वर्ष 2015 में लॉस एंजिल्स में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुसार विश्व कला दिवस का लक्ष्य समाज में कलात्मक अभिव्यक्तियों को दृढ़ता से एकीकृत करना तथा समाज के विकास में कला के महत्त्व और योगदान को प्रोत्साहित करना है। इस दिन दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कला संघ और यूनेस्को साथ मिलकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना:

हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिये 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive – PLI) योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंज़ूरी प्रदान की गई है। PLI योजना कपड़ा से संबंधित उत्पादों जैसे- मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, और अन्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिये है। इस योजना को दो भागों में बाँटा गया है जिसमे भाग 1 के तहत, 300 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश और 600 करोड़ रुपए का आवश्यक न्यूनतम कारोबार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भाग 2 के तहत 100 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश है और 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कारोबार आवश्यक है।

विश्व यकृत दिवस

लिवर/यकृत के महत्त्व और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस का आयोजन किया जाता है। यकृत, मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिये डिटॉक्सिफिकेशन और पाचन सहित विभिन्न जटिल कार्य करता है। ज्ञात हो कि यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और पाचनतंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत मानव शरीर मे मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों से निपटने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, शरीर से विषाक्त पदार्थों के निस्यंदन, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और रक्त का थक्का जमने में मदद करने आदि कार्य करता है। एक व्यक्ति में विभिन्न कारणों की वजह से यकृत संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें अस्वास्थ्यकर जीवन एवं खानपान की शैली, एल्कोहॉल एवं फास्ट फूड का अत्यधिक प्रयोग और अत्यधिक वज़न तथा टाइप 2 डायबिटीज आदि शामिल हैं। इसके अलावा यकृत संबंधी रोग अनुवांशिक भी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में यकृत की बीमारियाँ मृत्यु का 10वाँ सबसे आम कारण है।

गुरु तेग बहादुर

21 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी (Guru Tegh Bahadur) के 400वें पर्व को संबोधित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को नई दिल्ली के लाल किले में किया जाएगा तथा इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर नौवें सिख गुरु थे, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा 'मानवता के रक्षक' (श्रीष्ट-दी-चादर) के रूप में याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक, ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' (Guru Granth Sahib) में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। ये एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्ख उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक-नानकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के आदेश के बाद मार दिया गया।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख घोषित किये गए। केंद्र सरकार ने नए सेनाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कई विशेष सैन्य आपरेशनों में हिस्सा ले चुके लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इस समय देश के उप सेना प्रमुख हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसम्बर,1982 में कार्प्स ऑफ इंजीनियर में बतौर सेना अधिकारी कमीशन हासिल किया था। उन्होंने

जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान प्लांवाला सेक्टर में इंजीनियर रेजीमेंट का नेतृत्व किया। उप सेना प्रमुख बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पूर्वी कमान के कमांडिंग आफिसर और अंडमान-निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाल चुके हैं। इन्हें अपनी सेवाओं के लिये परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि से सम्मानित किया जा चुका है।

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति

हाल ही में बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्च माह में भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55% तक हो हो गई। मार्च 2021 में WPI आधारित महंगाई दर 7.89% रही। इस वृद्धि का कारण खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा बुनियादी धातुओं की कीमतों में दर्ज़ की गई बढ़ोत्तरी थी क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। थोक मूल्य सूचकां थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिये आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था।

एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र

स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission – SCM) के तहत देश के 100 शहरों का विकास किया जा रहा है, उनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres – ICCC) को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र किये जाएगे। इस परियोजना का उद्देश्य 100 आत्मनिर्भर, नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियों को विकसित करना है। गृह मंत्रालय का उद्देश्य ICCC मॉडल को अंतिम रूप देने के साथ ही इस योजना को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में एक पायलट परियोजनाके रूप में लागू करना है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों को वास्तविक समय की निगरानी हेतु डिज़ाइन किया गया है और पहले इसका उद्देश्य बिजली तथा पानी, यातायात, स्वच्छता, शहर की कनेक्टिविटी, एकीकृत भवन प्रबंधन तथा इंटरनेट बुनियादी ढाँचे की निगरानी और नियंत्रण करना था। हालाँकि, ICCCs को अब गृह मंत्रालय के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) से भी जोड़ा जाएगा। COVID-19 महामारी के दौरान, ये कमांड सेंटर वॉर रूम के रूप में भी कार्य करते थे।

उत्सव पोर्टल

केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री द्वारा 12 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले समागम सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को विश्वभर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने हेतु वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों एवं त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को को प्रदर्शित करना है साथ ही श्रद्धालुओं और यात्रियों को लाइव दर्शन के रूप में भारत के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थलों का दर्शन और अनुभव प्रदान करना है। उत्सव पोर्टल बेबसाइट पर कला और संस्कृति, अध्यात्म, संगीत, पाक कला, नृत्य, साहसिक खेल, फसल और एक्सपो व प्रदर्शनी जैसे विभिन्न श्रेणियों के तहत थ्री-डाइमेंशनल वाले अनुभव पर आधारित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है।

पर्यावरण मंज़ूरी प्रक्रिया में बदलाव

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकास परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मंज़ूरी प्रक्रिया में कई बदलाव किये गए हैं। 39 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मंज़ूरी (Environmental Clearance) की आवश्यकता है। विकासात्मक परियोजनाओं में जल विद्युत, खनन और ताप विद्युत आदि शामिल हैं। वर्ष 2006 में जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) अधिसूचना द्वारा मंज़ूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को निर्णय लेने से पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने हेतु उपयोग किये जाने वाले उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन का लक्ष्य परियोजना नियोजन और डिज़ाइन के प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीके और साधन खोजना, परियोजनाओं को स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप आकार देना तथा निर्णय निर्माताओं के लिये बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने हेतु जम्मू-कश्मीर को चुना गया

जम्मू ज़िले की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिये चुना गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू ज़िले के पल्ली गाँव से देश भर की पंचायतों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश-विदेश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों की मौजूदगी में 38 हज़ार 82 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के चार लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के अंतर्गत कार्यरत भारत

सरकार के उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) द्वारा 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में पल्ली में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर (GMSP) संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इससे पल्ली पंचायत के घरों को स्वच्छ बिजली मिल सकेगी, जिससे यह भारत सरकार के 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' कार्यक्रम के तहत पहली कॉर्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगा। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution) को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।

"क्रिप्टो-समर्थित" भुगतान कार्ड

क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो (Nexo) ने विश्व का पहला "क्रिप्टो-समर्थित" भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिये मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया है। इस लॉन्च ने वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क द्वारा सहयोग करने के कदम को संकेत दिया है क्योंकि डिजिटल संपत्ति अधिक प्रचलन में आ रही है। क्रिप्टो-समर्थित क्रेडिट कार्ड का उपयोग विश्व भर के 92 मिलियन व्यापारियों में किया जा सकता है जहाँ मास्टरकार्ड स्वीकार किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से निवेशक क्रिप्टो उनके पास की संपत्ति के कानूनी मूल्य के 90% हिस्से को खर्च करने में सक्षम होंगे। प्रारंभ में यह कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा। यह उपयोगकर्त्ताओं को बिटकॉइन जैसी अपनी डिजिटल संपत्ति को बेचे बिना खर्च करने की अनुमति देगा, क्योंकि डिजिटल संपत्ति का उपयोग दिये गए क्रेडिट/ऋण को वापस करने के लिये संपार्श्विक (collateral) के रूप में किया जाता है।

इनविक्टस गेम्स

हाल ही में इनविक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत नीदरलैंड में हुई है। इन खेलों का आयोजन 16 से 22 अप्रैल तक किया जा रहा है। इनविक्टस गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। यह खेल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो, 2017 में टोरंटो, कनाडा और 2018 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किये जा चुके हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो पैरालिंपिक के समान है लेकिन यह घायल और बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के लिये ही होती है। इन खेलों ने कवि विलियम अर्नेस्ट हेनले की कविता 'इनविक्टस' से प्रेरणा ली गई है। हेग में वर्तमान में चल रहे खेलों का आयोजन वर्ष 2020 में होना था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था। 20 देशों से 500 से अधिक प्रतियोगी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, इनडोर रोइंग, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, पावरलिफ्टिंग, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, तैराकी और व्हीलचेयर रग्बी में भाग ले रहे हैं। डसेलडोर्फ, जर्मनी इन खेलों के वर्ष 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा।

विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस (World Creativity and Innovation Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नवाचार और रचनात्मकता के महत्त्व के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करता है। 'पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग' (1983) के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट (1987) के अनुसार–'आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत् विकास है।' संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) और UNOSSC (दक्षिण-दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) द्वारा प्रकाशित 'Creative Economy Report' के अनुसार 21वीं शताब्दी में रचनात्मकता और नवाचार किसी देश की दो मुख्य संपत्तियाँ हैं। इस समय जब वैश्विक स्तर पर COVID-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तब वैश्विक अर्थव्यवस्था को चालू रखने हेतु प्रमुख आर्थिक भागीदारियों का रचनात्मक रूप से सक्रिय होना महत्त्वपूर्ण है।

'सिविल सेवा दिवस'

प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' (Civil Services Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिये कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिये जाते हैं। इस प्रकार का पहला समारोह 21.04.2006 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था।प्रधानमंत्री ने इस समारोह का शुभारंभ किया। सभी सिविल सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण इस समारोह में भाग लेते हैं। सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 21 अप्रैल, 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम' कहा था। भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई थी किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवॉलिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किये गए इसलिये उन्हें 'भारत में नागरिक सेवाओं के पिता' के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षुता मेला

21 अप्रैल, 2022 को 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (National Apprenticeship Mela) 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्किल इंडिया (Skill India) द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Training) के सहयोग से किया गया। इस पहल का उद्देश्य एक लाख से अधिक प्रशिक्षुओं (Apprentices) को कार्य पर रखने तथा नियोक्ताओं को देश भर से सही प्रतिभाओं के दोहन में सहायता प्रदान करने के साथ ही उचित प्रशिक्षण सहित विभिन्न व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। जिन छात्रों ने कम-से-कम 5वीं व 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली है, वे इस शिक्षुता मेले में आवेदन करने के पात्र हैं। साथ ही ITI के छात्रों के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, स्नातक और डिप्लोमा धारक छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को मौके पर ही शिक्षुता प्रस्ताव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और वे प्रत्यक्ष उद्योग अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिभागियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।

पृथ्वी दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस (Earth Day) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके संरक्षण के लिये प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस 2022 का विषय "हमारी पृथ्वी में निवेश करें" (Invest In Our Planet) है, यानी कि हर व्यक्ति जो भी पृथ्वी के लिये निवेश कर सकता है, उसे यह कार्य ज़रूर करना चाहिये, क्योंकि पृथ्वी सुरक्षित होगी तो हम सब भी सुरिक्षत होंगे। प्रथम बार पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) के उस आह्वान के बाद हुई जिसके फलस्वरूप लगभग 20 मिलियन लोग पर्यावरणीय गिरावट के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस' (International Mother Earth Day) के रूप में मनाने की घोषणा की। पृथ्वी दिवस को वैश्विक स्तर पर एक गैर-लाभकारी संगठन EARTHDAY.ORG द्वारा समायोजित किया जाता है। पहले इसे अर्थ डे नेटवर्क (Earth Day Network) के रूप में जाना जाता था। इसका उद्देश्य "लोगों और पृथ्वी में बदलाव लाने हेतु विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना है।" यह एक सामूहिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार करता है, जैसा कि वर्ष 1992 के रियो घोषणापत्र (पृथ्वी शिखर सम्मेलन) में प्रकृति एवं पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने की बात कही गई ताकि मनुष्य की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

तेलंगाना स्पेसटेक फ्रेमवर्क

हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा अपना पहला स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। यह ढाँचा राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हेतु विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। इस लॉन्च इवेंट को मेटावर्स पर होस्ट किया गया जिससे यह देश का पहला ऐसा आधिकारिक इवेंट बन गया। इस ढाँचे के माध्यम से, तेलंगाना इस क्षेत्र में नवाचारों का समर्थन करेगा। वर्ष 2026 तक अंतरिक्ष उद्योग के 558 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ एस. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और IN-SPACe के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किये गए सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

अजय कुमार सूद

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर के भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले आदेश तक तीन साल की अवधि के लिये प्रभावी होगा। वह प्रख्यात जीव विज्ञानी के. विजय राघवन का स्थान लेंगे। 2 अप्रैल को के. विजय राघवन के सेवानिवृत्त होने के बाद से PSA का पद खाली पड़ा था। वर्ष 2018 में के. विजय राघवन को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट टास्क फोर्स के साथ-साथ महामारी के प्रबंधन का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन उनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया था। सत्तर वर्षीय अजय कुमार सूद वर्तमान में IISc बैंगलोर में एक प्रोफेसर हैं। वह प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। सरकार ने नवंबर, 1999 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की स्थापना की थी। PSA के कार्यालय का उद्देश्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान से संबंधित मामलों पर व्यावहारिक तथा उद्देश्यपूर्ण सलाह देना है।

डिजिटल बस

20 अप्रैल, 2022 को महाराष्ट्र के राज्य पर्यावरण मंत्री, आदित्य ठाकरे ने मुंबई की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट रूट पर चलेगी। इसे एक अनूठी 'टैप-इन टैप-आउट' सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है। यह सुविधा इस रूट की सभी 10 बसों में लागू की जाएगी और बाद में शहर के सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। यह देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है और इसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। यह प्रणाली यात्रियों को सुविधा और सुगमता प्रदान करेगी

क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर या स्मार्टफोन पर 'चलो' एप के माध्यम से टैप-इन करने में सक्षम होंगे। यात्रा पूरी करने के बाद यदि वे एप का उपयोग टैप आउट करने के लिये करते हैं तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक रसीद प्राप्त होगी और यदि वे स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं तो वे अपना टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं।

भारत का पहला वाणिज्यिक-ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने जोरहाट, असम में भारत का पहला वाणिज्यिक-ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये यह संयंत्र ऑयल इंडिया के 500kW सौर संयंत्र पंप स्टेशन से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। शुरू किये गए इस नए पायलट प्रोजेक्ट की दैनिक उत्पादन क्षमता 10 किग्रा. है, जिसे बढ़ाकर 30 किग्रा. प्रतिदिन किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन में जीवाश्म ईंधन की जगह लेने की क्षमता है। प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण तथा मौजूदा OIL बुनियादी ढाँचे पर इसके प्रभाव को लेकर ऑयल इंडिया द्वारा IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया गया है। कंपनी द्वारा मिश्रित ईंधन के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का अध्ययन किये जाने की भी योजना है। इस प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये इस्तेमाल होने वाली बिजली मौजूदा 500kW सोलर प्लांट द्वारा 100 kW अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (AEM) इलेक्ट्रोलाइज़र एरे का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यह संयंत्र ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के देश के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।

SAANS पहल

कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने 20 अप्रैल, 2022 को 'निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिये सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई' (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully- SAANS) की शुरुआत की। SAANS एक अभियान है जिसे पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया है। निमोनिया (Pneumonia) फेफड़ों का संक्रमण है जो वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। भारत में निमोनिया उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिये खतरा बना हुआ है, जो पाँच वर्ष से कम उम्र के हैं तथा देश में पाँच वर्ष से कम उम्र के 15 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। कर्नाटक राज्य व्यापक जनसंचार माध्यमों और डिजिटल अभियानों द्वारा निमोनिया के प्रति सामुदायिक जागरूकता पैदा कर रहा है। इस संबंध में आशा कार्यकर्त्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। राज्य भर में गंभीर निमोनिया के मामलों के लिये सुविधा-स्तरीय प्रबंधन को मज़बूत किया जा रहा है। इसके साथ ही स्किल स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय रूप से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जाँच की जा रही है ताकि निमोनिया की जल्द पहचान की जा सके।

सुमन बेरी

हाल ही में राजीव कुमार द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सुमन बेरी को पहले नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 1 मई, 2022 से पद ग्रहण करेंगे । सुमन बेरी वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिये नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (National Council of Applied Economic Research-NCAER) के महानिदेशक पद पर रहे। वह सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली में एक वरिष्ठ विज़िटिंग फेलो भी रह चुके हैं तथा वाशिंगटन डीसी में वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स एशिया प्रोग्राम में ग्लोबल फेलो हैं। इसके अलावा वह ब्रूगल के एक अनिवासी फेलो हैं जो ब्रुसेल्स आधारित आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है। उन्होंने भारत के सांख्यिकीय आयोग, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिज़र्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

विश्व मलेरिया दिवस

प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर मलेरिया जैसी घातक बीमारी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'विश्व मलेरिया दिवस' का आयोजन किया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य मलेरिया को लेकर जागरूकता फैलाने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों, समुदायों व आम जनमानस के बीच सहयोग स्थापित करना है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम "मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिये नवाचार का उपयोग करें" है। विश्व मलेरिया दिवस का विचार अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था। अफ्रीका मलेरिया दिवस मूल रूप से एक ऐसी घटना है जिसे वर्ष 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है, यह पहली बार वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2007 में, विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र के दौरान अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह 'प्लास्मोडियम परजीवियों' के कारण होने वाला एक मच्छर जनित रोग है। यह परजीवी संक्रमित मादा 'एनोफिलीज़ मच्छर' के काटने से फैलता है। 'विश्व मलेरिया रिपोर्ट' 2020 के मुताबिक, विश्व स्तर पर मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं। हालाँकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में महत्त्वपूर्ण

प्रगति की है। रिपोर्ट की मानें तो भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है, जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत वैश्विक मलेरिया के 3% का प्रतिनिधित्त्व करता है।

अंग्रेज़ी भाषा दिवस

प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेज़ी भाषा दिवस के रूप[में मनाया जाता है। यह दिवस अंग्रेज़ी भाषा के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के जन्मदिवस को चिह्नित करता है। अंग्रेज़ी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार होने के साथ-साथ शेक्सपियर का आधुनिक अंग्रेज़ी पर भी काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शेक्सपियर ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कुल 38 नाटक लिखे थे। अंग्रेज़ी भाषा की उत्पत्ति मध्यकालीन इंग्लैंड में मानी जाती है और वर्तमान में यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उपलब्ध आँकड़ों की मानें तो विश्व के कुल 195 देशों में से 67 देशों में अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विदित हो कि फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने भाषा दिवस का शुभारंभ किया था। संयुक्त राष्ट्र, भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेज़ी (23 अप्रैल), अरबी (18 दिसंबर), चीनी (20 अप्रैल), स्पेनिश (23 अप्रैल), रूसी (6 जून) और फ्रेंच (20 मार्च) हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को 'विश्व बौद्धिक संपदा दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य 'रोज़मर्रा के जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिज़ाइन आदि के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समाज के विकास में रचनात्मकता एवं नवोन्मेष के महत्त्व को रेखांकित करना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा बौद्धिक संपदा (IP) के संबंध में आम जनमानस के बीच समझ विकसित करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल, 1970 को ही 'WIPO कन्वेंशन' लागू हुआ था। विदित हो कि वैश्विक स्तर पर रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' का गठन किया गया है। WIPO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। भारत वर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना था। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाता है, जो मानव बुद्धि द्वारा निर्मित होती हैं और जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है। इसमें मुख्य तौर पर कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि को शामिल किया जाता है।

किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 25 अप्रैल 2022 को 'किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी' (Kisan Bhagidari-Prathmikta Hamari) अभियान का विधिवत उदघाटन किया। यह अभियान 30 अप्रैल, 2022 तक जारी रहेगा और विभिन्न अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग से सरकार के 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में बड़ी संख्या में किसानों के बीच कृषि व अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक दिवसीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। किसान मेलों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों के बीच प्रसारित की जाएगी। अभियान के दौरान कृषि मंत्री सामान्य सेवा केंद्र- सीएससी द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का भी शुभारंभ किया जाएगा।

भारतीय तटरक्षक पोत 'ऊर्जा प्रवाह'

भारतीय तटरक्षक पोत 'ऊर्जा प्रवाह' को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल, 2022 को कोच्चि पहुँची और तटरक्षक मुख्यालय- 4 (केरल और माहे) के संचालन कमान के साथ-साथ सहायक बजरा ऊर्जा श्रोता, जो 2017 से यहाँ स्थित है, भारतीय तटरक्षक बल के अधीन होगी। यह नया जहाज़ तटरक्षक बल के जहाजों को रसद सहायता प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के संचालन को बढ़ाने में मदद करेगा, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र और लक्षद्वीप/मिनिकॉय द्वीप समूह सहित समुद्री संचालन के दूरदराज़ क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल के लिये जहाज़ का मार्ग निश्चित रूप से समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। सहायक बजरा ऊर्जा प्रवाह की लंबाई 36 मीटर है तथा इसे क्रमश: 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ कार्गो विमानन ईंधन, विमानन ईंधन और मीठे पानी के लिये डिज़ाइन किया गया है।

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर

ट्विटर ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने कहा कि बोर्ड ने मूल्य, निश्चितता और वित्तपोषण पर ध्यान देते हुए एलन मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिये व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लेनदेन से पर्याप्त नकद प्रीमियम मिलेगा और यह ट्विटर के शेयरधारकों के लिये सबसे अच्छा रास्ता है। शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले ट्विटर स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिये 54.20 डॉलर नकद प्राप्त होंगे, जो एलन मस्क के मूल प्रस्ताव के अनुरूप है। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर में अपनी क्षमता के प्रदर्शन की ज़बरदस्त क्षमता है। उन्होंने प्रतिबंधों में ढील देने से लेकर नकली खातों को समाप्त करने तक

कई बदलावों का आह्वान किया। एलन मस्क ने सुझाव दिया है कि इससे उन्हें व्यवसाय में अपने अनुरूप परिवर्तन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। ट्विटर के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल ने कहा है कि ट्विटर का उद्देश्य और प्रासंगिकता पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। ट्विटर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित इस समझौते के अंतर्गत ट्विटर के शेयर सूची से हटा दिये जाएंगे और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा।

दूध वाणी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा ज़िले में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। दूध वाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है जो पशुपालन और कृषि के लिये प्रासंगिक है। बनास डेयरी की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी तथा यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय, गुजरात सरकार के पास है। यह गुजरात के बनासकांठा ज़िले में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक संघठन है। बनास डेयरी का मुख्यालय पालनपुर में स्थित है।

एमैनुअल मैक्रों

फ्राँस में एमैनुअल मैक्रों को दूसरे कार्यकाल के लिये राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 58.2 प्रतिशत मत प्राप्त करके राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त की है। उनकी प्रतिद्वंद्वी दक्षिणपंथी मारिन लोपेन को 41.8 प्रतिशत वोट मिले। 44 वर्षीय मैक्रों बीस वर्ष में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिये चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। जनवरी 1998 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्राँस उन पहले देशों में से एक था जिसके साथ भारत ने 'रणनीतिक साझेदारी' पर हस्ताक्षर किये थे। वर्ष 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के भारत के फैसले का समर्थन करने वाले देशों में से फ्राँस एक था। वर्तमान में फ्राँस आतंकवाद और कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर भारत का सबसे विश्वसनीय भागीदार बनकर उभरा है। हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) में फ्रेंच राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है। भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के मझगाँव डॉकयार्ड में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिये फ्राँसीसी कंपनी के साथ अनुबंध किया। दोनों देशों ने पारस्परिक 'लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Logistics Support Agreement- LSA) के प्रावधान के संबंध में भी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

खेलो इंडिया यूथ गेम-2021

खेलो इंडिया यूथ गेम-2021 इस बार 4-13 जून, 2022 तक आयोजित किये जाएंगे। इनमें देशभर से 8500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अंडर-18 वर्ग के 25 खेलों में पाँच भारतीय खेल भी शामिल हैं। खेल प्रतियोगिताएँ पंचकूला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगी। आठ मई को पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में इस प्रतियोगिता का शुभांकर एवं लोगो लॉन्च किया जाएगा। खेलों में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए साफ- सफाई का पूरा प्रबंध किया जाएगा। इस दौरान हरियाणवी संस्कृति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य सेनानियों की कहानियाँ व प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का परिचय प्रदर्शनी के ज़रिये दिया जाएगा। खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करना तथा इस प्रकार बच्चों और युवाओं का समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन-शैली, राष्ट्रीय गौरव एवं खेलों के विकास से जुड़े आर्थिक अवसरों के माध्यम से खेल क्षमताओं का दोहन करना है।

पूर्वोत्तर महोत्सव

सरकार 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत 28 अप्रैल से सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुसार, सात दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य 'हम किसी से कम नहीं' की भावना के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। महोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर के सौंदर्य और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण सभी क्षेत्रों में आयोजित होंगे। इनमें बुनियादी सुविधाएँ, निवेश क्षमता, ऊर्जा ज़रूरतें और पूर्वोत्तर के विकास में महिलाओं की भूमिका शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने संपर्क स्थापित करने के मामले में काफी प्रगति की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से दूर-दराज़ के क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने में तेज़ी आई है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (ITPO) के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का यह 36वाँ संस्करण है। इस मेले की शुरुआत 26 अप्रैल, 2022 को हुई, जो 30 अप्रैल, 2022 तक चलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक जिनमें भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मेले में भाग लेंगे। APEDA ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों जैसे- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व

हिमाचल प्रदेश के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स तथा बाजरा निर्यातकों के लिये समर्पित स्टॉल बनाए हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एपीडा (APEDA) को निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों जैसे- फल, सब्जियाँ, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक व गैर-मादक पेय आदि के विकास के साथ-साथ चीनी आयात की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पल्ली: देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा ज़िले की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। प्रधानमंत्री ने पंचायत में 348 घरों को रोशन करने के लिये 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा सयंत्र का उद्घाटन किया। पल्ली गाँव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार देश की पंचायतों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से प्रमुख प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों, भुगतान के तरीकों तथा ई-स्वराज पर ज़ोर दे रही है। सरकार की योजना है कि पंचायतों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिये उन्हें बेहतर बनाया जाए। पंचायतों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को उसके निष्कासन या उत्सर्जन के उन्मूलन के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है।

बैटरी पासपोर्ट

जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक 'पासपोर्ट' विकसित किये जाने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगा। 11 भागीदारों वाले संघ ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्र करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करने के लिये 8.2 मिलियन यूरो का वित्तपोषण किया। Umicore, BMW और BASF कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस 'बैटरी पासपोर्ट' प्रयास में शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत, यूरोपीय बैटरी में एक QR कोड होना चाहिये जो एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा जहाँ व्यवसाय, ईवी मालिक तथा नियामक बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह डिजिटल टूल बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल का पुनर्चक्रण करना भी आसान बना देगा। यह इस क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं की निकेल और लिथियम जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा जो कि बैटरी के उत्पादन के लिये आवश्यक होते हैं।

क्वार पनबिजली परियोजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड ज़िले में चिनाब नदी पर 45 अरब रुपए से अधिक लागत की 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कार्यान्वित करेगी। यह एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इस परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और यह करीब साढे चार साल में कार्य प्रारंभ कर देगी। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा। इस परियोजना से केंद्रशासित प्रदेश को 40 साल के दौरान लगभग 4,548.59 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली और इसी अवधि के दौरान जल उपयोग शुल्क के ज़रिये 4,941.46 करोड़ रुपए का लाभ भी मिलेगा।

नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला

हाल ही में नीति आयोग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "अभिनव कृषि" पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु भारतीय शोधकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की क्षमता निर्माण में सहायता के लिये कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसंधान अनुभव, ज्ञान व विशेषज्ञता का उपयोग करना है। विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, किसानों, उद्योग, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस एवं जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के 1250 से अधिक प्रतिभागी इस कार्यशाला में शामिल हुए। 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।

उन्नत भारत अभियान 2.0

हाल ही में (25 अप्रैल 2022) उन्नत भारत अभियान 2.0 ((Unnat Bharat Abhiyan-UBA 2.0) ने सफलतापूर्वक चार वर्ष पूरे कर लिये हैं। वर्ष 2018 में UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं मंक आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस अभियान (उन्नत भारत अभियान) की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पाँच गाँवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। इसमें गाँवों के समग्र विकास के लिये दो प्रमुख डोमेन शामिल हैं- मानव विकास और वस्तुगत (आर्थिक) विकास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT, Delhi) को UBA योजना के लिये राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (National Coordinating Institute- NCI) के रूप में नामित किया गया है।

जम्मू संभाग का सांबा ज़िला

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा ज़िला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शत-प्रतिशत परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। सांबा ज़िले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। सांबा ज़िले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिये पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5,00,000 रुपए तक का उपचार निशुल्क कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिये प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्च (जैसे- चिकित्सीय जाँच एवं दवाएँ) को भी शामिल किया गया है।

आयुष्मान भारत दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूरदराज़ के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ एवं बीमा कवर प्रदान करने पर भी ज़ोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि उन करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके जो चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के तहत की गई अनुशंसा के आधार पर शुरू किया गया था। यह पहल सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने और इनके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने हेतु शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलावों को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य प्रणाली तक आम लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसे 23 सितंबर, 2018 को रांची में लॉन्च किया गया था। यद्यपि योजनाओं के निर्माण के बावजूद ज़मीनी स्तर पर भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है और महामारी ने इस तथ्य को भलीभाँति उजागर किया है।

बाग्गावल्ली सोमाशेकर राजू

सेना के सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बाग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थलसेना का नया उप-प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल बाग्गावल्ली सोमाशेकर राजू एक मई को उप-सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहाँ एक थ्री स्टार अधिकारी सेना कमांडर के रूप में कार्यकाल पूरा करने से पहले वाइस चीफ का पदभार ग्रहण करेगा। सैनिक स्कूल बीज़ापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र सोमाशेकर राजू को 15 दिसंबर को जाट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्होंने अपनी बटालियन की कमान संभाली। उन्हें नियंत्रण रेखा के साथ उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और कश्मीर घाटी में चिनार कॉर्प्स की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल राजू एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। वे सोमालिया में यूएनओएसओएम-2 ऑपरेशन के रूप में उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा वह जाट रेजीमेंट के कर्नल भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने भारत में सभी महत्त्वपूर्ण करियर कोर्सेस में भाग लिया है और वे रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़, यूनाइटेड किंगडम में एनडीसी भी कर चुके हैं। सेवा में शानदार योगदान के लिये उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

भारत-मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना

भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण हेतु एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह तथा मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ शौना के बीच हुई बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2030 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान दो समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तावित किये गए जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (One Sun One World One Grid- OSOWOG) के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर आधारित थे। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की अवधारणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) की पहली सभा में प्रस्तुत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे से जुड़े हुए 'ग्रीन ग्रिड' (Green Grid) की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने तथा ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।